खण्ड-469, अंक-3
बुधवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1930
(20 अगस्त, 2008 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2008)

खण्ड 469 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2008

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रदेश में कानून व्यवस्था तथा बिजली संकट से सम्बन्धित नियम-311 की सूचनाओं को पहले लिये जाने की मांग	1
प्रश्नोत्तर	1-112
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	112-113
चन्दौली के धानापुर क्षेत्रान्तर्गत मोढरवा घाट अगहर नालें पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
इलाहाबाद नगर में नालों के घटिया निर्माण एवं नाले-नालियों की सफाई की जांच तथा ध्वस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114
रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
रायबरेली की बछरावां नगर पंचायत स्थित 33/11 के0वी0ए0 सब-विद्युत स्टेशन के चारों ओर जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115
वाराणसी कैण्ट के सुसवाही गांव के जल निकासी हेतु नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
प्रदेश में इक्का तांगा वाले गरीब लोगों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत तहसील गोण्डा एवं कर्नैलगंज में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को शासकीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
सीतापुर के नैमिषारण्य में निर्माणाधीन 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117-118
महामायानगर (हाथरस) के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
बदायूं नगर में सोस नदी के अपर नवीन पुल के निर्माण की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
धुरियापार सहकारी चीनी मिल लि0 हरपुर गजपुर जनपद गोरखपुर को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
बाढ़ खण्ड कुशीनगर में व्याप्त अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119-120
जनपद सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग शाह पत्तन, जलालाबाद से लोनी तक का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
वाराणसी जिले के पूरे गांव तथा चन्दौली जिले के हथियानी गांव के रहस्यमय विकलांगता रोग के शिकार लोगों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर तहसील में शाम 08 बजे से प्रातः 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121-122
बीजिंग ओलम्पिक 2008 में 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने तथा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव (जारी)	122
हाकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी श्री दिवाकर राम का नाम भी श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई विषयक प्रस्ताव के साथ जोड़े जाने का अनुरोध	122-123
बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने तथा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	123
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	123
प्रोटोकाल के अनुरूप मा0 विधायकों से अधिकारियों द्वारा दूरभाष/मोबाइल फोन पर बात न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	123-127
विधान सभा के अधिवेशनों से सम्बन्धित विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के अध्याय-4 के नियम-14 का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	127-131
पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणानुसार मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	131-132

विषय	पृष्ठ-संख्या
राज्य सम्पत्ति विभाग ला-प्लास कालोनी, लखनऊ की व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	132
भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	132-134
बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न तथा नियम-51, 56 तथा 301 में लम्बित सूचनाओं का उत्तर दो माह में दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	134-135
विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित कार्य करने में उदासीनता बरते जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	135-138
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयीं)	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	139
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचनाएं (सदन के पटल पर रखी गयीं)	139-140
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	141
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, सह उत्पादन, ऊर्जा के पुनर्नवीनीकरण योग्य स्रोत और ऊर्जा के गैर परम्परागत अन्य स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए विद्युत आपूर्ति टैरिफ निर्धारण के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयीं)	141
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 109वां (एक सौ नौवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	141
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 110वां (एक सौ दसवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	142

विषय				पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 111वां (एक सौ ग्यारहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			142
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 112वां (एक सौ बारहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			142
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 113वां (एक सौ तेरहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			142
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 114वां (एक सौ चौदहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			143
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 115वां (एक सौ पन्द्रहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			143
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 116वां (एक सौ सोलहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			143
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 117वां (एक सौ सत्रहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			143
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 118वां (एक सौ अट्ठारहवां) प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...			144
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	...	...	...	144
जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बरनावां के ग्राम भडल में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी को चालू करवाने विषयक श्री सहन्दर, ठेकेदार निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	144
जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बरनावां में बड़ौत-बुढाना मार्ग पर ग्राम दाहां से ग्राम फासगढ़ तथा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री तेजवीर निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	144
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बरनावां में बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर कान्हड़ गांव से कस्बा दोहाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक श्री हरवीर सिंह एडवोकेट निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	...	...	...	145

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावां में ग्राम जसड़ से ग्राम पांचली (बुजुर्ग) तक सम्पर्क मार्ग बनवाने विषयक श्री जमील, पूर्व प्रधान निवासीगण जनपद मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	145
जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावां में ग्राम हर्रा से पांचली (बुजुर्ग) तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री सत्यवीर सिंह निवासीगण जनपद मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	145
जनपद बागपत, तहसील बड़ौत के ग्राम रन्छाड़ में नया बिजली घर स्थापित कराने विषयक श्री समरपाल सिंह निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	145
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र बरनावां में ग्राम खिवाई से करनावल तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण करवाने विषयक श्री शमशाद प्रधान निवासीगण जनपद मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	145-146
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	146-147
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 में दिनांक 3 मार्च, 2008 को श्री सुधीर कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दिनांक 10 मार्च, 2008 को सदन में दिये गये वक्तव्य पर श्री सुधीर कुमार द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संशोधन) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत दिनांक 11 मार्च, 2008 को अभिसूचित सूचना के संदर्भ में निदेश 168 (2) के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा सदन में दी गयी कृत कार्यवाही की सूचना	147-152
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008..(पुरःस्थापित) ...	152
तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008...(पुरःस्थापित) ...	152-153
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008.....(पुरःस्थापित)	153
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 ..... (पुरःस्थापित)	153
उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008...(पुरःस्थापित)	154
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008..(पुरःस्थापित)...	154

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	154-206
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों को समेकित रूप में लिये जाने का सुझाव (सहमति प्रदान की गयी)	206-208
वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-01 (आबकारी विभाग) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-02 आवास विभाग (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत) ..	208
अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथिक चिकित्सा) (स्वीकृत) ...	208
अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत) ...	208

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग (स्वीकृत)	208
अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	208-209
अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवीय विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)...	209
अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन हेतु) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़कें) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-60-वन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशने) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) (स्वीकृत)	209

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) (स्वीकृत) ...	209
अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग (स्वीकृत)	209
अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठापन) (स्वीकृत)	209-225
उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008..... (पारित)	225-233
उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008..... (पारित) ...	233-259
उत्तर प्रदेश मूल्य सम्वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित) ...	259-269
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित) ...	269-272
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित)	272-275
उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित)...	275-280
स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008..... (पारित)	280-300
डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित)	300-304
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008..... (पारित)	304-310
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	310-312

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद	सहारनपुर की तहसील नकुड़ एवं गंगोह में हवाई पट्टी स्थापित करने हेतु किसानों की जमीनों के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	312-313
जनपद	कुशीनगर की सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य	313-314
जनपद	सहारनपुर की सहकारी चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इमरान मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य	314-315
भारत रत्न, शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्ला खां का मकबरा वाराणसी में फातमान में बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य		315-316
जनपद	सिद्धार्थनगर के बांसी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता आदि न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लालजी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य ...	316
जनपद	आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम माहुल में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर अनाधिकृत रूप से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	316-317
नत्थी	... ...	318-328

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 20 अगस्त, 2008

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य-379

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल कलाम, श्री	सन्तकबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री	मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरमणि त्रिपाठी, श्री	महराजगंज
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्त रविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी

अशोक कुमार दोहरे, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र "मटियारी", श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रवीर सिंह, श्री	मेरठ
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददूद प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दशरथ प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल यादव	
डी0पी0 यादव, श्री	बदायूँ
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी (चौधरी), श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा	
'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज(कुशवाहा) मौर्य, श्री	शाहजहाँपुर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं

प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्त कबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार कटेरिया, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्त कबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
यसपाल सिंह रावत, श्री	गोरखपुर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्त रविदासनगर (भदोही)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया", कुँवर	प्रतापगढ़
रजनी तिवारी, श्रीमती	हरदोई
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राकेश बाबू, श्री	फिरोजाबाद
राघव लखन पाल, श्री	सहारनपुर
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकरनगर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूँ
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ

लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लाल जी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय कुमार मिश्र, श्री	सन्त कबीरनगर (भदोही)
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद कुमार हरित, श्री	मेरठ
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
वृज सिंह उर्फ वृज कुंवरि, श्रीमती	गोण्डा
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश लोधी, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्री भगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी "बन्टी", श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल	
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर
सी0 वी0 इन्निस, श्री	नाम-निर्देशित
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखलाल, श्री	पीलीभीत
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुभाष, श्री	बलिया
सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
हरिओम, श्री	जालौन
हसरत उल्ला, श्री	एटा
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में कानून व्यवस्था तथा बिजली संकट से सम्बन्धित नियम-311 की सूचनाओं को पहले लिये जाने की मांग

[मा0 अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर]

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, हमने नियम-311 में, कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में नोटिस दी थी। आज प्रदेश में दहशत और आतंक का माहौल हो गया है। लोग इस आतंक और दहशत के माहौल में जीने के लिए बाध्य है। हाल की घटनाओं में खुफिया एजेन्सी ने सिमी और हूजी के हाथ ...

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश जी जो आपने नियम-311 में सूचना दी थी उसे मैंने नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है और मैं उसे उस नियम के अन्तर्गत सुन लूंगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

ठीक है, मान्यवर।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, हमने भी नियम-311 में एक सूचना दी थी। आज प्रदेश में बिजली का संकट पैदा हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

राम किशुन जी मैंने आपका भी लिया है। आप बैठ जाइये। अल्पसूचित प्रश्न हो जाने दें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने की समय सीमा का निर्धारण

**1-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना भुगतान हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 जुलाई, 2008 को 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की थी ? क्या यह सत्य है कि अगीता शुगर मिल पर वर्ष 2007-08 का दिनांक 31-7-08 तक 1345.34 लाख रुपये का अवशेष भुगतान देय है ? यदि हां, तो मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने वाले शुगर मिल मालिकों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास तथा चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा दिनांक 7-7-2008 को आदेश पारित कर पेराई सत्र 2007-08 का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान दो माह में किये जाने की समय सीमा निर्धारित की।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने पर बकायेदार चीनी मिल के विरुद्ध मा0 न्यायालय के आदेशानुसार विधि अनुमन्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, इस गन्ने के मूल्य के भुगतान के बारे में बार-बार बजट सत्र में भी अनेकों प्रश्नों के माध्यम से हमने कहा था। उसमें हमेशा यह कहा जाता है कि मिल मालिकों के खिलाफ कार्यवाही होगी। आज भी 2007-08 का 1345.34 लाख रुपया बकाया है। सारे प्रदेश का यदि देखें तो 2006-07 का 166 करोड़ रुपया बकाया हैं 2007-08 का 1793.89 करोड़ रुपया बकाया है। उसमें अगौता मिल भी शामिल हैं यहां का 1345.34 लाख बकाया हैं 73 प्रतिशत अगौता मिल का भुगतान हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जो बार-बार कह चुके हैं, कि 2002-03 के गन्ना मूल्य का अन्तर, जो कि आज के एजेन्डा में प्रश्न संख्या-12 में लगा है, 5 करोड़ 42 लाख रुपया किसानों का डिबेन्चर का बकाया है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, यह जो 5 करोड़ 42 लाख का, गन्ना एक्ट का उल्लंघन करके एफ0डी0 एक वर्ष के लिए बना दी है और जिसका समय सितम्बर, 07 में पूरा हो गया है और अभी तक नहीं मिला है, तो क्या इन मिल मालिकों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? हम चाहते हैं कि इस पैसे का पूरा भुगतान हो।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, मूल प्रश्न आप देखें। प्रश्न कर रहे हैं 2007-08 का और सवाल कर रहे हैं 2002-03 का, जो मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। जो मूल प्रश्न आपने किया है, तो उसका उत्तर स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय ने दो महीने का समय उसमें दिया है और यह अगले महीने 07 सितम्बर, 08 को पूरा हो रहा है। तो माननीय न्यायालय ने जो समय दे दिया है, उससे पहले तो हम कार्यवाही कर नहीं सकते हैं, जब वह समय समाप्त हो जायेगा और न्यायालय के आदेशों का पालन अगौता चीनी मिल नहीं करेगी तो फिर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न नम्बर-12 है इसका उत्तर आया है कि किसानों की सहमति से उक्त धनराशि के समतुल्य किसानों को डिवेन्चर जारी कर दिया है। ऐसा है प्रश्न नम्बर-12 और हमने उनके भुगतन के बारे में जानना चाहा था लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं

दिया गया। अतारांकित प्रश्न है और अगौता मिल से सम्बन्धित है, जो आपने कहा कि प्रश्न से बाहर की बात आप कर रहे हैं और मिल के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं, एक नहीं अनेकों बार कहा गया है।

श्री अध्यक्ष-

आप केवल उलाहना दे रहे हैं, कोई अनुपूरक तो करिये।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, अनुपूरक के तौर पर मेन चीज यह है कि हमारे गन्ने का भुगतान हो और डिवेन्चर वाला रुपया 5,42,00,000.00 है, उसका भी भुगतान हो।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें, जब गन्ने का भुगतान हो, तब बताइयेगा। हां माननीय अम्बिका चौधरी जी आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया है सदन को कि लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा 7-7-2008 को आदेश पारित कर पेराई सत्र 2007-2008 का बकाया गन्ना भुगतान दो माह में कराने के माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिये, यही मूल प्रश्न के उत्तर में आया है। मैं माननीय मंत्री जी को यह स्मरण दिलाते हुए कि इस सदन में आपने पिछले अगस्त में और अन्य तिथियों पर कम से कम चार बार से अधिक स्पष्टतः इस बात का उल्लेख किया तिथि बताते हुए कि अगले 15 दिन के बाद, अगले एक महीने के अन्दर, अगर गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान नहीं हो जायेगा तो मिलों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और उसमें आपने सदन को यह भी अवगत कराया कि आर0सी0 जारी कर दी गई। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 7-7-2008 को जब माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने यह आदेश पारित किया है, इसके पूर्व और आपके पिछले आश्वासनों के मध्य आर0सी0 पर कार्यवाही करने के क्रम में कितने मिल मालिकों को जेल भेजने का या उनकी सम्पत्तियों को नीलाम करने का काम आपने किया है ? यह बता दें प्रश्न संख्या-1, और प्रश्न संख्या-2 यह है मान्यवर, कि क्या इस बीच माननीय उच्च न्यायालय ने आपको कार्यवाही करने से रोका है ? माननीय उच्च न्यायालय ने दो माह में भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये। इन दो माह में क्या सरकार को उन मिल मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने से रोका है ? यह हमारे दो प्रश्न हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जब कभी किसी भी मिल को या सभी चीनी उद्योग को एक समय न्यायालय ने दे दिया कि दो महीने के अन्दर करना है तो स्वतः ही यह हो गया कि दो महीने तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय दिया है न्यायालय ने और आपने जो कहा है कि क्या कार्यवाही

की गई, आपको भी बताया है मान्यवर, मेरे पास इस सयम यहां पर सूची नहीं है, हमने दो चीनी मिल के अध्यासियों को गिरफ्तार कर के जेल भेजा है और लगभग 70 चीनी मिलों के विरुद्ध आर0सी0 जारी की है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न से सम्बन्धित अनुपूरक है और मैं उसमें स्पष्टतः जानना चाहता हूं कि आपने कितने मिल मालिकों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया, उनकी सम्पत्तियों को नीलाम किया, यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित है, यही बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

यही तो बताया है। माननीय चौधरी साहब उन्होंने एक स्पेसिफिक बता दिया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो समय दिया है उस पीरियड में हम कार्यवाही नहीं करेंगे। दो के खिलाफ गिरफ्तारी और शेष आर0सी0 की सूची दी है उन्होंने कि इतने लोगों के खिलाफ आर0सी0 किया है और दो को गिरफ्तार किया है और क्या सूचना चाहिए आपको।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है। क्या माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से रोका है, इस आदेश के द्वारा मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, हमारा प्रयास बराबर जारी है, माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही दो महीने का समय देने के बावजूद हमारा बराबर प्रयास जारी हे, हम चीनी मिलों को बराबर कह रहे हैं कि आप समय से भुगतान करें, माननीय उच्च न्यायालय ने जो समय दिया है, उतने समय में करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश द्वारा आपको किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने से रोका है, तो बता दें नहीं रोका है, तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, कि आपको किसी भी कार्यवाही करने से रोका है या नहीं रोका है ? यह बता दें। कोई रुकावट तो नहीं है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, इस बीच हम किसी के खिलाफ कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, सवाल बस इतना है, माननीय मंत्री जी आपको सुविधा हो जायेगी, सवाल केवल इतना है कि आश्वासन तो सदन में दिया गया। आप कार्यवाही कर रहे हैं, आर0सी0 कर रहे हैं, चाहे जेल भेजें, तो आप बतायेंगे कि कितने लोगों के खिलाफ आर0सी0 की है, कितने लोगों का भुगतान अभी बाकी है और किसानों को कितना भुगतान हो चुका है और जो नहीं हो पा रहा है तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद तो कारण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो आर0सी0 जारी की हैं मैंने वह बता दिया है। जिन मिल मालिकों के, अध्यासियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करके जेल भेजा है वह भी बता दिया है। जहां तक भुगतान का सवाल है तो मान्यवर पेराई सत्र 2007-2008 का जो भुगतान है वह 110 रुपया प्रति कुन्तल की दर से दिनांक 18-8-2008 तक निजी क्षेत्र पर कुल गन्ना मूल्य जो भुगतान हुआ है वह 6,905.90 करोड़ का भुगतान किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, 2 भागों में मेरा प्रश्न है। क्योंकि एक तो सामान्य प्रश्न है यह सारे प्रदेश के बारे में पूछा गया और एक अगौता चीनी मिल के बारे में विशेष रूप से पूछा गया क्योंकि उनके विधान सभा क्षेत्र का भी है उनके जनपद का भी है। मान्यवर, जिस शुगर मिल के बारे में पूछा गया है न्यायालय का आदेश तो मान्यवर, एक अलग चीज है। जब हम अपना काम नहीं कर पाते हैं तब न्यायालय कहता है कम से कम न्यायालय तो करे उस काम को। यह जिम्मेदारी हमारी है भुगतान कराने की, हम भुगतान नहीं करा पाये, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाये इसीलिए न्यायालय ने दो महिने का समय दिया। हम यह पूछना चाहते हैं न्यायालय में जाते या न जाते, समय देता न देता तो भी तो जिम्मेदारी आपकी भुगतान कराने की थी। माननीय सदस्य ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इतना पैसा किसानों का बाकी है अगौता शुगर मिल पर, अब बता दें कि कब तक आप भुगतान करा देंगे नम्बर एक और नम्बर दो अभी माननीय मंत्री जी ने कहा क्योंकि इनके उत्तर से संदर्भित मेरा प्रश्न है 110 रुपये की दर की बात आपने कही। जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि प्रदेश सरकार को अधिकार है गन्ने की दर निर्धारित करने का और प्रदेश सरकार ने 125 रुपये 130 रुपये की दर निर्धारित की थी और उसके ऊपर किसी न्यायालय का स्टे नहीं है, उच्चतम न्यायालय का स्टे नहीं है, जब स्टे नहीं है तो क्या प्रदेश सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो रुकावट आपके रास्ते में थी आपके द्वारा निर्धारित और घोषित दर को दिलवाने की जब वह रुकावट दूर हो गयी तो क्यों नहीं आप 125-130 रुपये की दर से गन्ने का भुगतान सुनिश्चित करते ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, अगौता के बारे में मैं पहले बता चुका कि जब 2 महीने का समय तो अदालत ने दिया है उसके अन्दर नहीं करेंगे, समय निकल जायेगा तो उनके विरुद्ध एक्ट के मुताबिक सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह मैं पहले बता चुका।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 2 भागों में मैंने प्रश्न किया था। दूसरे भाग का जो मेरा प्रश्न था वह माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित था। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा 110 रुपये की दर 110 रुपये की दर तब थी जब कि न्यायालय ने दर्ज की थी यह दर और अब न्यायालय ने यह कह दिया कि प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि जो भी दर निर्धारित करे उनको अधिकार है दर निर्धारित करने का। आपने 125-130 रुपये की घोषणा सदन में की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और जब यह घोषणा हुई थी और प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर के ऊपर कोई रोक नहीं है तो फिर 110 रुपये कहां से आ गया फिर तो 125-130 रुपये की दर से भुगतान होना चाहिए ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, 110 रुपया माननीय हमारे बहुत ही जानकार हैं, और जानते हैं मैं पहले ही बता चका हूं, यह भी न्यायालय ने ही आदेश किया था और इसके बाद न्यायालय का आदेश यह भी आया कि जो हमारा एस0ए0पी0 है उसके अनुसार भुगतान किया जाय और कल भी आपने विधेयक में स्वयं कहा अब मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि सब मालूम है और स्वयं उठाया और स्वयं सवाल कर रहे हैं। यह सूचनाएं लेने के लिए मान्यवर, प्रश्न होते हैं आलरेडी पहले से आप सूचित हैं और फिर भी सवाल कर रहे हैं और आपने कल विधेयक में कहा कि 18 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में पुनः एस0एम0पी0 की दरों पर पेमेन्ट करने के लिए आदेश दे दिया है तो मान्यवर उसके विरुद्ध मैंने कल कहा, हाउस में कहा कि हम उसके विरुद्ध एस0एल0पी0 में जा रहे हैं। इस वक्त मैंने जो बताया है वह 18 तारीख तक का बताया है आप कार्यवाही उठाकर देख लें कि 18 तारीख तक 110 रुपये के हिसाब से इतना भुगतान हो गया। 18 तारीख को जो आदेश हुआ उसके बाद की बात नहीं की मैंने, मैंने 18 तारीख तक का बताया और सारी बात स्पष्ट है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित सवाल है और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि केवल सूचना दे सकते हैं तो फिर सवाल काहे का, सूचना तो हमारे घर बैठे मिल जायेगी। आप कहते हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो जाय मंत्री जी ने अभी तक एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया बता दें। चाहे हुकुम सिंह जी हो, चाहे अम्बिका चौधरी हों जिन्होंने सवाल पूछा और

चाहे मैं हूं। वैसे हम नहीं पड़ते ज्यादा ठीक है, लेकिन यह किसानों का सवाल है। आप एक सवाल बता दें अध्यक्ष महोदय कि इन्होंने कोई सही जवाब दिया है। अब अल्पसूचित सवाल है यह कहते हैं कि सूचना मालूम है, यह कितनी गलत बात है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, वह माननीय हुकुम सिंह जी से कहे हैं कि आप केवल हमसे सूचना जानना चाहते हैं, जबकि सब आपकी नालेज में था। यह उनके लिये सम्बोधन था। प्रश्न के बारे में नहीं कहा है।

श्री हुकुम सिंह-

कल जो माननीय मंत्री जी ने कहा था वह एस0एम0पी0 के बारे में कहा था एस0एम0पी0 का मतलब है, स्टेचुटरी मिनिमम प्राइस, जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित है। लेकिन मान्यवर, यहां हैं एस0ए0पी0 जो स्टेट एडवाइजरी प्राइस है। प्रदेश सरकार ने एस0ए0पी0 के माध्यम से 125 और 130 की घोषणा की थी। न्यायालय ने इसके पूर्व उस पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ था, अब वह रोक हटा दी गयी। इसका आशय यह हुआ कि प्रदेश सरकार को एस0ए0पी0 तय करने का अधिकार है। जो एस0ए0पी0 का रेट है वह 125 और 130 है। कल की जो बात थी वह मान्यवर, एस0एल0पी0 की थी। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं उस दर के बारे में पूछ रहा हूं जो प्रदेश सरकार द्वारा सदन में घोषित गन्ने का मूल्य था, क्या उस दर से आप भुगतान करायेंगे, यह मेरा सीधा सा प्रश्न है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने न्यायालय की बात कही है। माननीय न्यायालय के जो आदेश हैं, वह मैं दिखवा लेता हूं, अगर न्यायालय का ऐसा आदेश है तो हम न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी को शिकायत है कि सरकार हंस रही है, सरकार हंस रही हो, कौन हंस रहा है लेकिन किसान इस निर्णय से रो रहा है, यह सच है। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने 125 रुपये घोषित किया था, 110 रुपये घोषित किया था, इसी सदन में किया था। पहली बात, जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से ऊपर होता है, अगर इधर बीच में बदल गया हो तो मैं नहीं जानता। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से आपको अधिकार है, उससे ज्यादा देने का। लेकिन उससे कम आप नहीं दे सकते। अब मेरा एक सीधा सा सवाल है इसमें मैं कहीं घुमाना फिराना नहीं चाहता कि जब तक यह संकट है 86 रुपये और 125 रुपये के बीच के गैप का। तो क्या सरकार विचार करेगी कि यह 39 रुपये का जो घाटा किसानों को हो रहा है, तब तक यह 39 रुपये सरकार अनुदान के रूप में किसानों को देगी,

जिससे कि उनको 125 रुपये ही मिलता रहे क्योंकि अगर यह किसी की लापरवाही से हुआ है तो वह प्रदेश सरकार द्वारा पैरवी न करने के कारण से हुआ है तो मान्यवर, मेरा यही एक विनम्र प्रश्न है और कोई प्रश्न नहीं है, कि क्या यह बीच का गैप सरकार अपनी तरफ से देकर, किसानों के चेहरे पर जो दर्द की लकीरें आई हैं, इन्हें दूर करने का प्रयास करेगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय ने जब एक सौ साढ़े बाइस, एक सौ पचीस, एक सौ तीस कर दिया तो मान्यवर, अगर हम गम्भीर नहीं होते तो हमने इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कैवियेट लगाया कि अगर वहां कोई जाता है तो हमको भी सुना जाय। माननीय तिवारी जी ने जो कहा है उस सम्बन्ध में मैं कल भी कह चुका हूं कि जो भी एस0एल0पी0 की बात आई है, इस पर हम एस0एल0पी0 दाखिल करेंगे, हमने पूरी पैरवी की है, पूरी पैरवी करेंगे और किसानों का अहित किसी भी दशा में नहीं होने दिया जायेगा।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह किसानों से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम सवाल है माननीय अध्यक्ष जी, आज 14 नम्बर पर मेरा भी तारांकित प्रश्न गन्ना किसानों के सम्बन्ध में लगा हुआ है। जिसका जवाब भी मेरे पास आया है, यह भी गन्ना मूल्य भुगतान को ले करके है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ दो सवाल करना चाहता हूं कि क्या कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट चीनी मिल मालिक हैं वह सरकार के नियन्त्रण में हैं या नहीं हैं ? क्योंकि वह रोज हाई कोर्ट में जाने का काम कर देते हैं, इसलिए पहला सवाल यही है कि क्या वह सरकार के नियन्त्रण में हैं, क्या सरकार का उन पर कोई नियन्त्रण है ? क्योंकि जो सरकार ने मूल्य घोषित किया उसके खिलाफ तमाम प्राइवेट शुगर मिल न्यायालय में जाने का काम इस सरकार में कर रही है। मेरा दूसरा यह सवाल है कि जो सरकार के अधीन शुगर फैक्ट्री हैं, क्योंकि मा0 मंत्री जी ने अभी अपने जवाब में कहा कि सरकार का पूरा प्रयास है सरकार सुप्रीमकोर्ट में भी एस0एल0पी0 में जायेगी 125-130 रुपये का भाव दिलवाने के लिए लेकिन मान्यवर, जो सरकार के नियन्त्रण वाली शुगर फैक्ट्री हैं कम से कम मा0 मंत्री जी उनसे तो 125-130 रुपये मूल्य से भुगतान सुनिश्चत करायें। क्योंकि वह तो हाई कोर्ट में जाने का काम नहीं कर रहे हैं, वह तो सरकार के अधीन की शुगर फैक्ट्रियां हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे कि सरकार हंस रही है। मान्यवर, अब जब इस प्रकार के सवाल होंगे कि हाईकोर्ट जाने के लिए हम उन्हें नियन्त्रित करें कि वह होईकोर्ट में जायें कि न जायें तो मान्यवर, इस पर हंसी तो आयेगी ही कि हम उनको कोर्ट में जाने से रोकें कि भाई मत जाओ। मान्यवर, हर आदमी स्वतन्त्र है, हर चीनी मिल स्वतन्त्र

है वह कोर्ट में जायेगी और गई। जहां तक भुगतान का सवाल है तो मैंने पहले ही कहा कि जो न्यायालय का आदेश होगा, उस आदेश का हम पालन करेंगे।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

पटेल जी, ओझा जी, अवधेश प्रसाद जी, हाशमी साहब बैठ जायें। मैंने सिरोही जी को बुला लिया है, मा0 सिरोही जी मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मा0 मंत्री जी से दो अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री पूरन प्रकाश-

बोलो गिरिराज महाराज की जय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 पूरन प्रकाश जी आपको यह झटके वाली बीमारी कब से होने लगी ? आप इससे कब से ग्रसित हुए हैं ?

श्री संजय कपूर-

मा0 अध्यक्ष जी, एक प्रश्न का जवाब दिलवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि नियम-49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा लें क्योंकि एक भी प्रश्न का जवाब ठीक से नहीं आ पा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

विचार करेंगे।

मा0 संजय जी, मा0 ओझा जी आप बैठ जायें, मैंने पहले मा0 सिरोही जी को और उसके बाद ओझा जी को बुला लिया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, अगौता चीनी मिल के 2007-08 के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में मेरा आज ही अतारांकित प्रश्न संख्या 11 व 12 लगा हुआ है। मान्यवर, आपको यह बताना चाहता हूं कि वहां का माह फरवरी का भुगतान रोककर माह मार्च का भुगतान कर दिया गया है क्योंकि वह माफियाओं से सम्बन्धित था। माह मार्च में वहां पर माफियाओं का गन्ना लिया गया था। उसमें सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

मान्यवर, इसी तरह से हमारा अतारांकित प्रश्न संख्या 12 था जिसके उत्तर में यह आया है कि अगौता चीनी मिल द्वारा वर्ष 2002-03 के अन्तर गन्ना मूल्य रु0 5.42 करोड़ का

गन्ना मूल्य भुगतान न कर किसानों की सहमति से उक्त धनराशि के समतुल्य किसानों को डिबेन्चर जारी किये गये। इसमें हमने यह भी कहा है कि जो इस सम्बन्ध में एफ0डी0 बनी थी वह सितम्बर, 2007 को पूरी हो गयी है। तो क्या उसका भुगतान करायेंगे और उस मिल के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? और जो अगौता चीनी मिल पर वर्ष 2007-08 का दिनांक 31-7-2008 तक 1345.34 लाख रुपयों का अवशेष भुगतान देय है उसका भुगतान कब तक करायेंगे ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो मूल प्रश्न से सम्बन्धित है वह माननीय सदस्य का तीसरा प्रश्न है। उसका उत्तर हम दे देते हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, हमारे अतारांकित प्रश्न संख्या 11 व 12 दो प्रश्न लगे हुए हैं। यह इसी से सम्बन्धित हैं।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अन्तर्गत दो माह पूरा होने के बाद सम्बन्धित चीनी मिल, अगौता चीनी मिल, अगर भुगतान नहीं करती हैं तो ऐक्ट के मुताबिक सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। वह हम करेंगे। अगर हमें उस सम्बन्ध में सम्बन्धित चीनी मिल के मालिक को या उनके अधिशासी अधिकारी को जेल भी भेजना पड़े तो जेल भेजने में भी नहीं कतरायेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चूंकि 86 रु0 और 125 रु0 के बीच में जो 39 रु0 का गैप है, किसानों को उसकी क्षति न उठानी पड़े, सरकार वह दिलाने के लिये तैयार नहीं है और किसानों को मार रही है; इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है।

(व्यवधान)

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, चाहे प्रदेश में निगम की चीनी मिलें हों या कोआपरेटिव की चीनी मिले हों, यह कोई अगौता चीनी मिल का सवाल नहीं है, यह सभी मिलों का सवाल है, क्या यह आश्वासन सदन को देंगे कि जब तक इन चीनी मिलों के बकाये के एक-एक पाई का भुगतान नहीं हो जायेगा तब तक इन मिलों को निजी हाथों में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अभी कोई बेचने की पालिसी तय नहीं हुई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि बेचने की प्रक्रिया शुरू है।

श्री अध्यक्ष-

यह भी तो हो सकता है कि उस समय न बेचें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों से जुड़ा सवाल है। यह सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है और गम्भीर नहीं है। मान्यवर, इसी आदरणीय सदन में सरकार की ओर से यह आश्वासन आया था कि 31 अगस्त तक हम पाई-पाई का ब्याज सहित भुगतान करा देंगे। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश के किसी भी किसान को ब्याज सहित उसके बकाये का भुगतान नहीं हुआ है। किसी मिल मालिक ने ब्याज नहीं दिया है। यह महत्वपूर्ण सवाल है।

यह सत्ता पक्ष और इस पक्ष में जो विधायक बैठे हैं उन सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप नियम-49 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करा दें जिससे किसानों की बातों पर विचार हो जायें उनकी समस्यायें सदन के समक्ष आ जायें। यह मैं लिखकर दे रहा हूं। मान्यवर, उसमें सरकार कितनी उदासीन है और किसानों के प्रति कितनी कृत संकल्पित है यह प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह से जाहिर हो जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पिछले सारे आश्वासन को और आज की स्थिति को अगर देख लें तो इस सरकार का समय गन्ना मूल्य के निर्धारण में ही बीता है, यह इतनी बार कोर्ट में गया और उसके विविध निर्णय आये जिससे सरकार की मंशा पर पूरी तरह से संदेह होता है, इनके प्रयास पर संदेह होता है। एक मिल के भुगतान की बात कर रहे हैं और आज यह न्यायालय के दो महीने के निर्णय की बात कर रहे हैं जबकि दो महीने से पहले का बकाया है। अगौता चीनी मिल का और भी पहले से बकाया है तो निश्चित रूप से मंत्री जी की मंशा तकनीकी आधार पर विषय को उलझाना है। एक कल्याणकारी सरकार की नीति के अनुसार भुगतान करने का प्रयास करने की इनकी दृष्टि नहीं दिखती और निश्चित रूप से इनकी गन्ना नीति की असफलता के कारण इस साल प्रदेश में 25 प्रतिशत क्षेत्र में कम गन्ना बोया गया है जो अगली बार संकट पैदा होगा। इसलिए उत्तर चाहे जो दें, इनकी नीयत साफ नहीं है चीनी मिल परस्त हैं। इसलिए मैं इस सरकार की गन्ना विरोधी नीति के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे लिखित अनुरोध किया है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं आया, किसी मा0 सदस्य के प्रश्न का उत्तर संतोषप्रद नहीं मिला और यहां

तक कि मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध किया गया कि नियम-49 में चर्चा करायें क्योंकि इस सवाल की महत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। बाकी सारी चीजों पर जिस तरह से अनुपूरक बजट आ रहा है जिस तरह से सरकार पैसे लुटाये चली जा रही है लेकिन किसानों के सवाल पर उनके अपने गन्ना मूल्य पर अब भी सरकार नहीं चेत रही है, उसे स्वीकार नहीं कर रही है। इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री अम्बिका चौधरी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड के विभाजन के पश्चात जल नीति बनाने की मांग

*1-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से उत्तराखण्ड के विभाजन के पश्चात् क्या कोई जलनीति शासन द्वारा बनाई गयी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या शासन प्रश्नगत जलनीति को सदन के पटल पर रखेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तराखण्ड के विभाजन के पश्चात कोई जल नीति नहीं बनायी गयी है। अतः सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मैंने एक गम्भीर प्रश्न किया था जो इस सूबे की 70 फीसदी किसान की लाइफ लाइन से सम्बन्धित है। आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं, बड़े-बड़े शहरों में पीने के पानी की समस्या है और किसान को उसके सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता। इस सूबे के अन्दर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो जल प्लावन से ग्रसित हैं और वहां 15-20 कि0मी0 पर ऐसे इलाके भी हैं जिनका भू-गर्भ जल स्तर नीचे हो गया है। बोरिंग किये जाने पर भी पानी नहीं मिलता है। इस सबके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं, यह शासन है और सदन है। मेरा निश्चित मानना है कि अगर कोई जल नीति निर्धारित कर दी जाए और पानी का समान बंटवारा सूबे में कर दिया जाए तो आगे आने वाली खाद्यान्न समस्या हमारा किसान साल्व कर देगा। उत्तराखण्ड के बनने के बाद जितने बड़े रिजर्वायर्स थे पानी एकत्रित करने के लिए वह उत्तराखण्ड के हिस्से में चले गये। हम लोगों के पास छोटे-छोटे रिजर्वायर हैं माता टीला, रिहन्द डैम, राजघाट है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न करिए।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं अनुपूरक प्रश्न ही कर रहा हूं। नहरों का सिस्टम इस समय पूरी तरह से स्वायल है। आज से 60 वर्ष पूर्व शारदा नहर यमुना और गंगा से जोड़कर इस समस्या के निदान के लिए डा0 के0एल0 राव साहब ने कुछ आइडिया दिया था एक कार्य योजना भी बनी थी जिस पर कोई काम नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक प्रश्न पूछें।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न यह है कि शासन जल नीति बनाने हेतु कोई कार्यवाही शुरू करेगा ? दूसरा प्रश्न यह है कि शारदा, गंगा और यमुना को जोड़ने के लिए 60 वर्ष पुराना जो प्लान है जिसकी फाइल धूल खा रही है उस फाइल की धूल साफ कर उस पर सरकार आगे कार्यवाही करेगी ? तीसरा प्रश्न यह है कि नहरों में कुलाबे जगह-जगह लगे हुए हैं उनका सिस्टम बेकार हो गया है नहरों के ऊपर मिट्टी डालकर नहर पटरी बना दी गई इससे उसकी ऊंचाई काफी अधिक हो गई और कुलाबा सिस्टम स्वायल हो गया है क्या इसको सुधारने के लिए शासन कोई प्रयास करेगा ? मेरा चौथा प्रश्न यह है कि चेक डैम बैराज बनाने से हमारे इलाके में ब्योहीं, बिजारी, गीगला नाले में 30 साल बाद इस वर्ष खारा पानी आया है लेकिन उसका लेविल नीचे होने के कारण वह पानी यमुना नदी में मिलकर समुद्र में चला जाएगा। अतः इस पानी के उपयोग के लिए नदी नालों पर रिजर्वायर बनाने के लिए सरकार प्रयास करेगी जिससे कम से कम बरसात के पानी का ही सही उपयोग हो बाकी समय मे तो यह नदियां वैसे ही सूखी रहती है। इस समय तो गोमती नदी भी उफान पर है।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रश्न तो सदस्य का था कि उत्तराखण्ड के विभाजन के पश्चात कोई जल नीति शासन द्वारा बनाई गई है जो अनुपूरक प्रश्न किये गये वह मूल प्रश्न से हटकर हैं।

डा0 अनिल चौधरी-

कुलाबा चेक डैम जल नीति से सम्बन्धित है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, माननीय सदस्य का जो पहला प्रश्न है वह तो मूल प्रश्न से सम्बन्धित है बाकी जो तीन प्रश्न हैं उनका मूल प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है उसके लिए सूचना एकत्र करनी पड़ेगी। प्रश्न इन्होंने यह किया कि क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश से उत्तराखण्ड के विभाजन

के पश्चात क्या कोई जल नीति शासन द्वारा बनाई गई है ? विभाजन के पश्चात कोई जल नीति नहीं बनी है यह विभाजन के पूर्व बनी है। जल नीति 1999 में बनी है। यह उनके प्रश्न का उत्तर है।

डा0 अनिल चौधरी-

जब तक इस प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब तक आपके पास बड़े-बड़े रिजर्वायर थे उनका मालिकाना हक आपके पास था वह रिजर्वायर उत्तराखण्ड में चले गए। जब रिजर्वायर नहीं हैं तो पानी कहां से लायेंगे ? मेरा प्रश्न यह है कि अगर उत्तराखण्ड के गठन के बाद कोई जल नीति नहीं बनी है तो बदली हुई परिस्थितियों में जल नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी। इस समय जो समस्या है उसके हिसाब से नीति निर्धारित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

कोई विचार करेंगे कि नहीं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सुझाव आया है हम देख लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। अभी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों का एक संजाल फैला हुआ है जो बरसात के चार महीने पानी से लबालब भरी होती है। इसमें अधिकांश पानी समाज, देश, नागरिकों फसल को क्षति पहुंचाता और कोई लाभ नहीं देता। यह जल बहकर सीधा निकल जाता है। हम इस पानी का कोई रचनात्मक लाभ नहीं ले पाते। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश सरकार कोई ऐसी नीति बनायेगी जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों में चार महीने जो लबालब पानी होता है यह बहकर निकल जाता है हम इसका उपयोग विभिन्न दृष्टि से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से विद्युत उत्पादन करने की दृष्टि से किसी प्रकार से इसका रचनात्मक उपयोग कर सकें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, हम सर्वे करा लेते हैं और उसके आधार पर जो होगा वह किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(श्री पूरन प्रकाश जी के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, यह आपको बीच में झटका आ जाता है, क्या बात है ? दवा करिये थोड़ा। चलिये, कहिये।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने उत्तर में विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया है। हमारा मथुरा जनपद पड़ता है मेरे यहां मथुरा जनपद में गोवर्धन क्षेत्र पड़ता है मान्यवर। 55 गांव हैं, जो भुखमरी की कगार पर पहुंचे हैं। 6 महीने से मैंने माननीय मंत्री जी को आपके और सदन के माध्यम से भी अवगत कराया है कि मात्र 48 लाख का एक साइफन का लालपुर माइनर का लोवर आगरा कैनाल मथुरा के तहत बनना है मान्यवर। सब चीज तैयार हुई पड़ी है लेकिन मैं नहीं समझता कि क्या कारण है ? सरकार की क्या मजबूरी है ? वृन्दावन के लिये तीन-तीन सौ चार-चार सौ करोड़ की आप घोषणा कर सकते हैं और जब किसानों का मामला आता है, सिंचाई का मामला आता है जो किसान के बच्चे और उसकी रोटी डिपेंड है इस पर तो उसके प्रति सरकार उदासीन है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गोवर्धन सुरक्षित विधान ...

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

अनुपूरक बताने के लिये नहीं होता है, जानने के लिये होता है।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय मंत्री जी अभी सिंचाई का मामला चल रहा है, किसानों का मामला चल रहा है नम्बर नहीं आयेगा तो हम यहां सदन में कैसे अपनी बात रख पायेंगे। हम मजबूर हैं जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक करिये।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, वहां पर लोअर आगरा कैनाल मथुरा है चूंकि गोवर्धन क्षेत्र में पूरे ग्रामीण एरिया में जमीन के नीचे खारा पानी है मेरे क्षेत्र में किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करने हेतु लालपुर माइनर के माध्यम से आगरा नहर के किमी0 131.670 बांये किनारे से अडिंग रजवाहा के किमी0 23.058 पर किसानों को सिंचाई के पानी की उपलब्धता के लिये लालपुर फीडर के निर्माण की परियोजना जिसकी प्रयोजना रचना एवं प्रभाग, राज्य नियोजन उत्तर प्रदेश द्वारा 48.75 लागत है यह विचाराधीन है और शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। प्रमुख अभियन्ता से प्रस्ताव आदि सब उपलब्ध हो चुका है परन्तु अभी तक कार्य शुरू नहीं कराया गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा मैंने कल भी दिया था कि इसको दिखवा लें और करवा लें यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा ठीक है। माननीय मंत्री जी संज्ञान में ले लें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, जल नीति के लिये जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम इसको दिखायेंगे इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन जल नीति इसलिये आवश्यक है और मैं इसी का अनुपूरक पूछूंगा कि उत्तराखण्ड से या जहां से भी हमको पानी उपलब्ध हो रहा है और विशेष रूप से नहरों में जब पानी आता है। आप अखबारों में पढ़ते हैं और आज भी अखबारों में है कि वहां पर पानी की अधिकता की वजह से नहर टूट गई और सैकड़ों हजारों बीघे जमीन किसानों की बोई हुई फसलें बरबाद हो गई तो हमें आज क्योंकि हम पानी के लिये उत्तराखण्ड पर आश्रित हो गये हैं हम अलग से पानी पर अपनी नीति बनायें और उसके लिये क्या माननीय मंत्री जी नहरों की जो सारी प्रणाली है उसको नये सिरे से उस नीति के तहत सफाई करना, उनको पक्का करना और टेल तक पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था करायें। वर्षा के जल को संरक्षित करने की कोई योजना सरकार बनायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, डाक्टर साहब सुझाव दे रहे हैं उसके बारे में देख लें, उस पर विचार करा लें।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी, ठीक है।

प्रदेश के जनपदों में मिट्टी के तेल की काला बाजारी रोकने के उपाय

*2-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश तथा विशेष रूप से गोरखपुर जनपद में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

प्रदेश के जनपदों में मिट्टी के तेल के वितरण में पारदर्शिता लाने तथा कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से दिनांक 02 जून, 2008 के शासनादेश द्वारा त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था लागू की गई है।

प्रथम स्तर पर थोक विक्रेता के यहां प्रत्येक आमद स्टाक के सत्यापन क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक, विपणन निरीक्षक, बांट, माप निरीक्षकों की विभागीय टीम द्वारा कराने के निर्देश दिये गये हैं किन्तु प्रथम स्तर पर सत्यापन में व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत उक्त लोन के स्थान पर केवल क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक को रखा गया है। इस सम्बन्ध में संशोधित शासनादेश दिनांक 12 अगस्त, 2008 निर्गत किया गया है। प्रत्येक थोक विक्रेता को डिस्पेसिंग

यूनिट लगाने तथा डिस्पेंसिंग यूनिट से ही उचित दर विक्रेताओं को मिट्टी तेल निर्गत करने की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है।

द्वितीय स्तर पर उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंचे मिट्टी के तेल के स्टाक का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिये गये हैं।

तृतीय स्तर पर कार्डधारकों को जितना दिन भर मिट्टी तेल वितरित हो सके वितरण करने की व्यवस्था निश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही भी की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब को पढ़ा जाए तो लगता है कि इनके विभाग में राम राज्य स्थापित है और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी नहीं हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में 38 प्रतिशत के लगभग मिट्टी का तेल चोर बाजारों में जाता है। दो जगहों पर जाता है। आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं खुले आम बिकता है बावजूद इसके कि खुले बाजार में मिट्टी के तेल के बिकने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह तेल उपलब्ध नहीं होता है। यह भी माननीय मंत्री जी के संज्ञान में होगा कि यह तेल खुले आम जो आपका रेट है उसके तीन तिगुने रेट पर 30 से 35 रुपये लीटर पर बाजार में बिकता है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने खुले आम ऐसे बिकने वाले मिट्टी के तेल के विक्रय को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ? कितनी दुकानों पर छापा मारा है कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और कितने लोगों को खुले तेल के विक्रय में सजा मिली है ? दूसरी चीज यह जो तेल निकलता है किरोसीन जो बचता चोरी का यह पेट्रोल टंकियों पर चला जाता है डीजल में मिलावट के लिए। भारत सरकार ने 2005 में मंजूनाथ हत्याकाण्ड के बाद कुछ आदेश पारित किए। उत्तर प्रदेश के 851 ब्लाकों में 51 ब्लाक्स में एक पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इसेन्शियल कामोडिटीज एक्ट के तहत, किरोसीन कन्ट्रोल आडिट के तहत जिसके तहत यह किया गया था जो पेट्रोल सप्लाई की जायेगी वह स्पेसिफिक टैंकर्स में जाएगी स्पेसिफिक रंग होगा, उस पर जन सेवा, जन किरोसिन लिखा होगा जो आपने जवाब दिया है दो स्तर की सप्लाई का, होल सेल का और रिटेलर्स का। उस आदेश में होल सेलर और रिटेलर्स के बीच में एक सब होल सेलर्स की नियुक्ति का प्राविधान हर कम्पनी हर ब्लाक पर किया गया था और यह कहा गया था हर ब्लाक पर एक से लेकर 10 तक होल सेलर एपान्ट हो सकते हैं मैं जानना चाहता हं 2005 में जो शुरू हुआ था जिसके तहत योजना चलाई गई थी कि तेल कम्पनियां सीधे इन होल सेल मार्केट में तेल भेजने की जगह, इन होल सेलर रिटेलर्स को तेल देंगी और उसके बाद वह राशन की दुकानों पर पहुंचेगा। 51 दुकानों का अन्वेषण करके उसका क्या रिजल्ट निकला यह देखकर पूरे प्रदेश में यह योजना लागू कर दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना शुरू की थी यदि हां तो पायलट प्रोजेक्ट का क्या निष्कर्ष निकला, क्या सरकार ने सब होलसेल डीलर्स नियुक्त किये थे या नहीं। अगर किये थे तो क्या मिट्टी तेल के वितरण में इससे कोई परिवर्तन आया। तीसरी चीज जो केन्द्र सरकार ने योजना प्रारम्भ की थी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय मंत्री जी समझ रहे हैं तीसरी बात थी जो व्यक्ति पेट्रोल में किरोसिन मिलाएगा उसके सम्बन्ध में कार्यवाही हो सकती है। उसकी जांच हो सकती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या ऐसी पेट्रोल टंकियों की जिनकी संख्या लगभग चार हजार होगी क्या इनकी जांच कराई थी ? जांच के उपरान्त कितनी पेट्रोल टंकियों पर इस तरह का डीजल मिला जिसमें मिलावट थी उसमें क्या कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष-

आपने अपने जनपद गोरखपुर के बारे में जानना चाहा था या मिट्टी तेल की काला बाजारी के बारे में आपने पूरे प्रदेश की नीति पूछ रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं जानना चाहता हूं कि गोरखपुर के बारे में ही आप बता दें कितनी पेट्रोल टंकियों की गोरखपुर में जांच की गई आप ही बता दें ? कहां छापे मारे गये ?

श्री अध्यक्ष-

आप पूरे प्रदेश की पेट्रोल टंकियों के बारे में पूछ रहे हैं तो कौन बता देगा ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मंत्री जी बता दें कितने सब होल सेलर्स नियुक्त हुए हैं कितने पेट्रोल पम्पों की जांच की गई। कहां प्रदूषण पाया गया ? यह गोरखपुर के बारे में बता दें ? मान्यवर, आप मेरा प्रश्न देखें, मेरा प्रश्न था कि प्रदेश तथा विशेष रूप से गोरखपुर जनपद में मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिये शासन द्वारा कोई कार्यवाही की गयी तो मेरा प्रश्न गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, वास्तव में उत्तर प्रदेश को 1 लाख 80 हजार किलो लीटर मिट्टी के तेल की आवश्यकता है और इस समय भारत सरकार 1 लाख 32 हजार किलो लीटर मिट्टी का तेल देती है। बराबर अनुरोध करने के बाद भी भारत सरकार ने कोटा नहीं बढ़ाया है। यह सही है कि मिट्टी के तेल की दिक्कत है, लेकिन कालाबाजारी रोकने के लिये 97 के बाद पहली बार

चेकिंग की व्यवस्था जून के महीने में एक शासनादेश जारी करके की गई है। सभी जगहों पर जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की मनमाने ढंग से वितरण पर रोक लगाने हेतु स्पष्ट निर्देश शासन द्वारा जारी किये गये। उक्त निर्देशों में मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता हेतु डिस्पेंसिंग यूनिट लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया जिससे मिट्टी के तेल की अनाधिकृत बिक्री पर रोक लगायी जा सके। थोक विक्रेता के टैंक में मिट्टी का तेल डालने के समय दो कर्मचारियों/अधिकारियों की ड्यूटी लगायी गई है, जो अपनी उपस्थिति में मिट्टी के तेल की उतराई सुनिश्चित करेंगे। द्वितीय स्तर पर उचित दर विक्रेता की दुकान पर पहुंचे मिट्टी के तेल के स्टाक का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में क्षेत्र के पूर्ति निरीक्षक एवं विपणन निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से करने के निर्देश दिये गये हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मंत्री जी उसी को पुनः पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो पढ़ चुके हैं, आपने जवाब दिया भी है और पढ़ा भी है। दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

इसके अतिरिक्त प्रवर्तन की कार्यवाही की गई, अप्रैल, 2008 से जुलाई, 2008 तक 12063 छापे मारे गये। गोरखपुर में माह जनवरी, 2008 से 15 जून तक 2462 उचित दर की दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिसमें 2 दुकानदारों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, 98 उचित मूल्य की दुकानें निलम्बित तथा 43 दुकानें निरस्त की गई।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, गोरखपुर की बात इन्होंने की, अगर एक होलसेल डीलर 30 टैंकर तेल लेता है तो उसमें से एक टैंकर तेल उसका एक लाख का बनता है। इस दो नम्बर की कमाई से उस सेल डीलर को प्रति माह डेढ़ लाख रुपये की बचत होती है। बहुत स्पष्ट है, खुले बाजार में, पूरे शहर में 30 रुपये से 35 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने 2400 जगहों पर छापा मारा और दो जगह गलत चीज इनकी पकड़ में आई। मैं कह रहा हूं कि 40 परसेन्ट कालाबाजारी हो रही है। जब सरकार खुद यह कह रही है कि 1 लाख 80 हजार किलोलीटर की जरूरत है और केन्द्र सरकार हमें 1 लाख 32 हजार किलोलीटर ही देती है तो केन्द्र सरकार तो इनको पहले से ही कम दे रही है, इनका दायित्व तो और भी बड़ा था कि वह सुनिश्चित करते कि जो कुछ भी उन्हें मिला है, वह नागरिकों तक पहुंच पाता। उस 1 लाख 32 हजार किलोलीटर में से भी 40 परसेन्ट नागरिकों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। मैं इस प्रश्न को लेकर सिर्फ इसलिए आया कि क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी ? क्योंकि आप सब्सिडी देते हैं, 14 रुपये, 15 रुपये प्रति लीटर की, यह सब्सिडी लूट ली जाती है, भ्रष्ट लोगों के माध्यम से लूटी जाती है और वहां पहुंचती है जो लोग वस्तुतः अन्य माध्यमों से अपनी ऊर्जा की खपत कर सकते

हैं। मैं सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वास्तव में ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिये आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, निश्चित रूप से प्रवर्तन की कार्यवाही की जायेगी अभी जून के महीने में 97 के बाद पहला शासनादेश जारी करके जांच कराई जा रही है।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि थोक विक्रेताओं को अपने डिपो में डिस्पेंसिंग यूनिट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मा0 मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि किसी भी ज्वलनशील पदार्थ की बिक्री के लिए जो डिपो बनता है उस डिपो में किसी भी प्रकार का संशोधन करने के पूर्व विस्फोटक विभाग से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है और मेरे संज्ञान में है कि कई जिलों में पूर्ति विभाग के अधिकारी या जिलाधिकारी थोक मिट्टी के तेल के विक्रेताओं के ऊपर अपनी व्यक्तिगत सोच के आधार पर बिना कोई समय-सीमा दिये हुए डिस्पेंसिंग यूनिट लगाने के लिये बाध्य कर रहे हैं तो क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि थोक विक्रेताओं को कोई समय-सीमा दी जायेगी, डिस्पेंसिंग यूनिट लगाने के लिये जिससे वह विस्फोटक विभाग से अपना लाइसेन्स प्राप्त कर सकें और फिर डिस्पेंसिंग यूनिट लगा सकें ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

यह शासनादेश तो अभी पिछले महीने में जारी किया गया है। इस तरह का मांग-पत्र आएगा तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, यह बहुत व्यवहारिक समस्या है और कई जिलों में कई विक्रेताओं ने अपना प्रतिवेदन जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किये हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा तो है कि जब मांग-पत्र आएगा तो तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य समाज के गरीब वर्ग के लोगों तक मिट्टी का तेल पहुंचना सुनिश्चित करना है। आजकल का जमाना पैकेट का है। सारी समस्या घटतौली की है। 5 ली0 तेल दिया जाता है घर पर नापने पर 5 में से 4 ली0 ही निकलता है तो क्या यह सरकार समाज के इन गरीब वर्गों को प्री पैक्ड सील्ड मिट्टी का तेल का वितरण करने पर विचार करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, अभी तक इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आप इस योजना को बनाते समय इस बिन्दु का ध्यान देंगे ? क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, अभी तक इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

इसका मतलब यह सरकार नहीं चाहती है कि नागरिकों तक उनका वास्तविक अधिकार पहुंचे।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ

*3-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त गरीबों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ कब से मिलने लगेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस समस्या के हल के लिये कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

सम्प्रति भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 106.79 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसके अनुरूप बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय कार्ड बने हुए हैं।

इस सम्बन्ध में पुनर्सर्वेक्षण की गतिमान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उक्तवत्।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह उन लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है जो गरीब वर्ग के हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे अनुपूरक का संवेदनशीलता के साथ जवाब आ जाये। मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या बी0पी0एल0 सूची में आने वाले परिवारों को जिनके कार्ड नहीं बने हैं उन्हें प्रदेश सरकार गरीबी भत्ता देने के बारे में विचार करेगी ? उनकी संख्या करीब 40 लाख के करीब आएगी। मेरा दूसरा अनुपूरक है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को कोई परिचय पत्र देने के बारे में सरकार विचार करेगी ? जिससे उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ जैसे जननी सुरक्षा योजना या सौभाग्यवती योजना या कुछ अस्पताल भी बी0पी0एल0 लोगों को सहयोग देते हैं, क्या इस तरह के परिचय-पत्र देने के बारे में सरकार विचार करेगी ? मेरा तीसरा

अनुपूरक है कि क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भयंकर अनियमितताओं, भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार रुपयों के रूप में गरीबों को सीधे सहायता देने पर विचार करेगी ? चौथा अनुपूरक है कि आपके ए0पी0एल0 कार्ड धारकों की संख्या 3 करोड़ 16 लाख 30 हजार 901 है। जबकि बी0पी0एल0 कार्ड जिनको नहीं मिले हैं उनकी संख्या 2 करोड़ के करीब है। क्या सरकार बी0पी0एल0 की सुविधा खत्म करके वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करके सभी बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को सुविधा देने पर विचार करेगी ? मान्यवर, थोड़ा संवेदनशीलता से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवा दें।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की कोई योजना बी0पी0एल0 के लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की नहीं है और बी0पी0एल0 के लोगों को ऑलरेडी अन्त्योदय कार्ड परिचय पत्र के रूप में उनको पूरे प्रदेश में सबको उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष-

और पूछ रहे हैं कि राशन और मिट्टी के तेल की जगह नगद पैसा दे दिया जाएगा।

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, इस तरह से पाइलेट प्रोजेक्ट बनाकर दो जिलों का लखीमपुर खीरी, हरदोई का हमने जो बी0पी0एल0 अन्त्योदय कार्ड धारक है उनके खाते में सीधे पैसा चला जाय, भारत सरकार को भेजा है।

डा0 राजेन्द्र सिंह-

मान्यवर, उनके पास कोई परिचय पत्र नहीं है। उन लोगों को छोटी-छोटी चीजों के लिए डी0डी0ओ0 के पास जाना पड़ता है कि लिखकर दे दीजिये हमारे पास कुछ है नहीं और उनका नाम बी0पी0एल0 सूची में है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप उसे कार्ड न दे सकें तो परिचय पत्र पकड़ा दें। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना की बात आ रही थी, उसके अन्दर यदि हम कुछ दिखायेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि वह बी0पी0एल0 कार्ड धारक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिनके पास बी0पी0एल0 के कार्ड नहीं है अन्त्योदय के कार्ड नहीं है, उन लोगों को परिचय पत्र देने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह कह रहे हैं कि जितनी बी0पी0एल0 सूची बनती है हो सकता है कि सबको कार्ड न मिले, तो क्या अलग से पहचान पत्र के लिए कोई कार्ड की व्यवस्था है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, नया सर्वे हो रहा है उनको मिलेगा जिनको नहीं परिचय-पत्र मिल पा रहा है। ए0पी0एल0 का कार्ड भी, जो गरीबी की रेखा से ऊपर है उनके पास भी है। इसके अतिरिक्त और कोई व्यवस्था विभाग में कार्ड की नहीं है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जहां तक बी0पी0एल0 कार्ड का सवाल है, आपने परिचय पत्र के बारे में पूछा माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है वह तो बात ठीक है। परन्तु जो बी0पी0एल0 कार्ड बने हैं, हम अपने जनपद की बात कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हमारे अलावा पूरे प्रदेश में यह बात होगी कि उस कार्ड के बनाने में अत्यन्त धांधली हुई है। जो लोग वास्तव में डिजरविंग हैं, जिनको आवश्यकता है बी0पी0एल0 कार्ड की, उनको बी0पी0एल0 कार्ड नहीं मिल रहा है और जिन लोगों को आवश्यकता नहीं है उनके बी0पी0एल0 कार्ड बने हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास जीने का साधन नहीं है, परिवार में कोई पेंशन नहीं है, उनको बी0पी0एल0 कार्ड नहीं मिला है। हम माननीय मंत्री जी से यह निवेदन आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि इसकी जांच करा लें, परीक्षण करा लें और जो सम्बन्धित लोग इसमें दोषी पाये जायें उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने का आपका विचार है, यह हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

मान्यवर, यह शिकायतें प्रत्येक जिलों से मिली हैं जिसके आधार पर नया सर्वे कराने का काम ग्राम्य विकास विभाग, खाद्य रसद विभाग और राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में नये सर्वे के लिए लगा हुआ है। इस तरह की तमाम शिकायतें मिलने के बाद ही नया सर्वे कराने का काम इस प्रदेश में चल रहा है।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह रुकी नहीं है, यह सतत प्रक्रिया धांधली की चल रही है। इसमें यह हो रहा है कि जो डिजरविंग लोग हैं उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है। इस प्रक्रिया की जांच करा लें। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए यदि सम्भव हो सके तो दण्ड का प्रविधान कीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, इस बिन्दु को भी देख लें कि जो अर्ह है उनको नहीं मिल रहा है। इसको दिखवा लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में लगभग 26 से 30 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे लोग निवास करते हैं। आपके पास भारत सरकार का कोटा आ गया है कि एक करोड़ छः लाख लोगों को आप बी0पी0एल0 श्रेणी में रख सकते हैं। यह संख्या कई बार कहने के बाद बढ़ायी नहीं गयी। माननीय मंत्री जी का एक निर्णय स्वागत योग्य है कि इन्होंने पुनर्सवे का आदेश दे दिया। लेकिन पुनर्सर्वे में जो व्यवहारिक स्थिति है वह यह है कि कोई मानक ऐसा नहीं है कि किसको

पहले नम्बर पर रखा जाय, किसको सातवें नम्बर पर रखा जाय। उनके लिए कोई ऐसा इन्स्ट्रक्शन्स नहीं है और न ही आमदनी का कोई क्रास चैकिंग का पैमाना हैं तो जो स्थिति पहले की सर्वे में है वही स्थिति दोबारा आने वाली हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी आमदनी को नापने का क्या पैमाना है ? क्या जिनके पास कच्चा मकान है उनको बी0पी0एल0 की श्रेणी में रखा जायेगा, क्या इस प्रकार का पैमाना बनाया है ? अगर नहीं है मान्यवर, तो जो बी0पी0एल0 के लोग दोबारा सर्वे में आयेंगे उसकी क्रास चेकिंग करने की इन्होंने क्या व्यवस्था की है ? एक पारदर्शी नीति होनी चाहिए कि जिसके आधार के ऊपर बी0पी0एल0 के लोगों का चयन हो सके। एक अन्तिम बात कह कर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वर्तमान समय में जो विधवा पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं उन लोगों को भी कहा जा रहा है जिलों में कि आप लोग बी0पी0एल0 की सूची में पहले अपना नाम डलवायें। तो पहले बी0पी0एल0 की सूची में नाम अगर आयेगा नहीं मान्यवर, तो उनकी मिलती हुई पेंशन रुकी जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बी0पी0एल0 श्रेणी का जो दोबारा सर्वे हो रहा है इसका क्या-क्या मानक रखा गया और इसको वास्तव में बी0पी0एल0 लोगों को उनका अधिकार मिले, इसके लिए कोई क्रास चेकिंग की व्यवस्था बनाई गई ? या नहीं बनाई गई ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो नया सर्वे का काम हो रहा है, गांव सभाओं की खुली बैठक में प्रधान ....

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक स्वर से कहने लगे कि यह कहीं नहीं हो रहा है और एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गयी) मान्यवर, जो निर्देश है शासन के, खुली बैठक के निर्देश हैं और ग्राम विकास के बाद, खाद्य रसद विभाग और रेवेन्यू के तीनों विभागों के लोग खुली बैठक में इस चीज को तय कर रहे हैं।

(विपक्ष के अनेक सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दी, अब जबरदस्ती तो आप अपनी बात उनसे मनवायेंगे नहीं. कि यही बोलिये आप।

श्रीमती कृष्णा राज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारी धांधलियां हुई हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से जब आप यह मानते हैं, यह स्वीकार कर रहे हैं कि बी0पी0एल0 सूची में बहुत धांधली हुई है तो क्या शासन द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं को ऐसे

अपात्र व्यक्तियों को जो दिये जा रहे हैं उनको इस सूची से हटाने का या न दिये जाने का कोई प्राविधान कर रहे हैं ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जहां कहीं भी बी0पी0एल0 सूची में धांधली हुई है उसमें आपत्ति दाखिल करने का सभी ग्राम सभाओं को मौका दिया जायेगा। सबमें आपत्ति दाखिल होगी, सबकी सुनवाई होगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यवस्था है मैं उसके बारे में बता रहा हूं, इसमें कोई पक्ष-विपक्ष या आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो देखता हूं कि ग्राम प्रधान अपनी इच्छा और अपने बूथ के आधार पर चयनित कर रहा हे। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कहीं-कहीं प्रधान खुली बैठक भी कर ले रहे हैं। कहीं-कहीं अधिकांश प्रधान खुली बैठक नहीं कर रहे हैं। सूची बना करके मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं और पहले जो कमियां थीं, जो इस श्रेणी में नहीं है वह भी इसमें जुड़ जा रहे हैं इसलिए मैं संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुए कहूंगा कि ये कमियां हैं। यह केवल राजनीतिक आरोप नहीं है। आप सब भी उसका अनुभव करते होंगे इसलिए इसको दलीय न लेकर के सही अर्थ में गरीब को गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को लाभ मिले। इसका शासन पर पुनर्विचार कीजिए क्योंकि इधर जो लोग कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं स्वयं अपने क्षेत्र के अनुभव की बात कह रहा हूं। इस बुराई पर कैसे अंकुश लगाया जाये, इस पर शासन स्तर पर निर्णय लेने पर विचार हो केवल विभाग के निर्णय से नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक आग्रह माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां माननीय मंत्री जी। आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो तभी से खड़ा हूं। आपको आसानी रहेगी थोड़ा और मेरे प्रश्न का भी जवाब आ जायेगा। मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता का अन्दाजा आपने लगाया है और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जवाब देने तभी खड़े हो रहे हैं जब विभागीय मंत्री जवाब देने में अक्षम रहे हैं या सदन के सदस्य उनके जवाब से मुतमईन नहीं हुए हैं, संतुष्ट नहीं हुए है। इसलिए सहायता मंत्री अभी खड़े हो रहे थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर माननीय सदस्य ने चूंकि मेरा नाम लिया था, इसलिए मैं जवाब देने के लिए खड़ा हो गया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा आपसे कहना यही है कि यह राजनैतिक मुद्दा नहीं है। मान्यवर, केवल एक दल का मामला है। हम चाहते हैं कि सभी के साथ एक सा व्यवहार हो। शिकायत यह है कि कहीं किसी का तो खास ख्याल रखा है और कहीं किसी को बहुत उपेक्षित किया जा रहा है। सिर्फ इसमें मुद्दा यह है। इसमें आप क्या कर सकते हैं वह बतायेंगे ? मान्यवर, सिस्टम पारदर्शी ढंग से काम करे यह अपेक्षा है हम लोगों की। आप बी0पी0एल0 कार्ड वितरण के मामले में कोई मानक बना लें जैसे जो विधवा पेंशनधारक है या वृद्धावस्था पेंशनधारक हैं उनके पास यदि बी0पी0एल0 कार्ड नहीं है तो उनको आप प्राथमिकता पर कार्ड दे दें। आज अगर इन श्रेणी के लोगों के पास कार्ड नहीं है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर से जांच इसमें हुई है। मान्यवर, जहां तक ग्राम प्रधानों का मामला है उनको तो इसमें कोई अधिकार है ही नहीं। ग्राम प्रधान वही करेगा जो वहां का एस0डी0एम0 कहेगा। आज जितने ग्राम प्रधान हैं वह बी0एस0पी0 के कार्यकर्ता हैं और अगर नहीं हैं तो जबरदस्ती हैं। बगैर एस0डी0एम0 की मंशा के वह कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हर जिले में आज तक दर्जा प्राप्त मंत्री भी है और उस दर्जा प्राप्त मंत्री के आगे ग्राम प्रधान की क्या चलती होगी यह सबको पता है। वह ग्राम प्रधान तो आपका कारिन्दा है। उसे वही करना है जो आप चाहते हैं। आप सहायता मंत्री जी इतनी घोषणा अवश्य कर दें।

श्री अध्यक्ष-

सहायता मंत्री नहीं संसदीय कार्य मंत्री जी कहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सहायता कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री जी। मेरा कहना है कि जो वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या विधवा पेंशनधारक लोग हैं सभी को आप बी0पी0एल0 कार्ड उपलब्ध करा दें उसके अलावा जिनको आप जरूरी समझते हों उनको दिलवायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सभी मंत्रीगण प्रश्नों का जवाब देने के लिए पूर्ण तैयारी के साथ सदन में आते हैं। माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिए मैं खड़ा हूं। मान्यवर, इस कार्ड के सम्बन्ध में इस प्रकार की बहुत सी शिकायतें प्राप्त होती रही है कि जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं उनको अन्त्योदय या बी0पी0एल0 श्रेणी का कार्ड नहीं मिला है और जो पात्र व्यक्ति नहीं हैं उनको मिला है। मान्यवर, इस तरह की शिकायतें प्राप्त होने के बाद हमारी सरकार के द्वारा यह एक क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रयास किया गया है। इसमें केवल एक ही विभाग नहीं सम्मिलित है, इसमें पूरे प्रदेश स्तर पर सर्वेक्षण कार्य किया जायेगा। इस कार्य में तीन विभाग के लोग ग्राम विकास विभाग, राजस्व विभाग और खाद्य एवं रसद विभाग इन तीनों विभागों के

अधिकारी सम्मिलित हैं। इसमें यह व्यवस्था है कि ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। उसके लिये एक मानक निर्धारित किया गया है कि किसे प्राथमिकता दी जायेगी। उस सूची को ग्राम सभा के दफ्तर के पटल पर चस्पा कर दिया जायेगा या किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कर दिया जायेगा। जहां आसानी से लोग देख सकें। उसके बाद उस पर पुनः आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। उन आपत्तियों के प्राप्त होने के उपरान्त प्रदेश स्तर पर उसका पुनः सर्वेक्षण करके एक वास्तविक सूची तैयार करने का काम किया जायेगा जिस पर कार्य चल रहा है और इसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वतः किया है कि पुनः सर्वेक्षण का कार्य गतिमान है। वह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। ताकि इस पर किसी तरह की कोई शिकायत न रह जाये। इसलिए इसमें प्रापर तौर पर पूरा समय दिया जा रहा है। निश्चित रूप से उसके बावजूद भी यदि कोई शिकायत आती है तो जो व्यक्ति उस शिकायत के लिये जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, यह सरकार गरीब जनता को उनका वास्तविक हक दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है और उसके लिये जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी वह कदम उठाये जायेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सरकार इसमें यह आश्वासन देगी कि जो व्यक्ति पेंशन पा रहे हैं जैसे वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन उनके सम्बन्ध में घोषणा करने में क्या परेशानी है कि उनको प्राथमिकता पर कार्ड दिला दिया जायेगा ? आपकी कौन सी मजबूरी है जो यह घोषणा आप नहीं कर पा रहे हैं ? आप आज ही यह निर्देश दे दें जिलाधिकारियों को इस श्रेणी के व्यक्तियों को यदि कोई बी0पी0एल0 कार्ड अभी तक नहीं मिला है तो वह चेक कर लें और सबसे पहले इन श्रेणी के लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड दिलाया जाना कंफर्म कर लें। सरकार जिन्हें अपने खजाने से ऐसी पेंशन देती है उन्हें तो कार्ड मिलना ही चाहिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया जब सर्वे का काम हो रहा है और उस सर्वे के उपरान्त जो भी व्यक्ति पात्र व्यक्ति होंगे। उन पात्र व्यक्तियों के निश्चित तौर पर उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो भी व्यक्ति नहीं इन्हें सरकार गरीब जानकर पेंशन देती है इनसे ज्यादा पात्र कौन होगा इनके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं है किसी समिति की जरूरत नहीं है किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, इनसे ज्यादा पात्र व्यक्ति कौन होगा ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो शिकायतें अभी माननीय सदस्य और सबने कहा और मान्यवर, विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस बात को कहा कि वास्तविकता यह है कि

तमाम जगहों पर इस तरह की शिकायतें रही हैं कि राजनीतिक कारणों से जो ग्राम प्रधान रहे हैं, पहले चूंकि प्रस्ताव करने का पूरा अधिकार उन्हीं का था और इस आधार पर बहुत सी जगहों पर यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वास्तविक हकदार को, चाहे पेंशन का वास्तविक हकदार हो चाहे बी0पी0एल0 या अन्त्योदय कार्ड का हकदार हो उसको वह सुविधा नहीं मिल रही है इसीलिए यह पुनः सर्वे कराने का काम किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, माननीय आजम खां साहब यह कह रहे हैं इनका कहना था कि जो आपका आधार है बी0पी0एल0 कार्ड पर सर्वेक्षण करा रहे हैं 12 बिन्दुओं के आधार पर आप चयनित करेंगे कि बी0पी0एल0 श्रेणी में आ रहे हैं। इनका यह कहना है कि क्या यह भी आधार बनायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, सीधा सा सवाल है आप घोषणा कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वही मैं बता रहा हूं। इनका यह कहना था कि जो वृद्धा और विधवाएं हैं इनको भी उस आधार में प्राथमिकता पर चयन करेंगे कि इनको भी कार्ड दे दिया जाय जो आपके आधार हैं सर्वे के उसके अलावा कह रहे हैं क्या इस तरह से कोई विचार है या नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उसका आधार निर्धारित है और उसी आधार पर सारी कार्यवाही हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह कमजोरों के साथ न्याय नहीं है गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

कमजोरों के लिए ही तो सर्वे हो रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह न्याय नहीं है जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है जिन्हें सरकार गरीब मान रही है जिन्हें सरकार बेसहारा लाचार मान रही है जिन्हें मात्र 100-200 रुपया पेंशन मिल रही है। अगर उन्हें भी आप बी0पी0एल0 कार्ड नहीं दे सकते तो किसे देंगे ?

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

आप ही की बात पर उसको हम लोग बताये हैं कि उसका आधार बनेगा या नहीं बनेगा तो उन्होंने कहा कि एक आधार बना है सर्वे करा रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने स्पष्ट किया कि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई और माननीय सदस्य स्वयं भी जानते हैं सभी सदस्य, इसलिए कि हम लोग भी गांव में रहते हैं सब लोग जानते हैं कि पेंशन धारक बहुत से ऐसे हैं जिनको अपात्र होने के बाद भी पेंशन मिलती रही और जांच होने के बाद उनके पेंशन निरस्त होते रहे हैं इसलिए मान्यवर, कोई भी अपात्र व्यक्ति इसका लाभ न पावे इसलिए यह सर्वे किया जा रहा है इसमें दोनों बातों के लिए यह सर्वे काम आयेगा। जो अपात्र व्यक्ति पेंशन भी पा रहे हैं उसके लिए भी यह आधार बनेगा और साथ ही साथ इसके आधार पर फिर से वह सूची निर्धारित होगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बड़ा ही खेदजनक विषय है और मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोग, ऐसी विधवाएं जिन्हें सरकार पेंशन दे रही है अगर उनमें से एक दो प्रतिशत ऐसे हों भी तो महज एक दो प्रतिशत को यह मानकर यह सब बेइमान हैं मान्यवर, समाज के इतने कमजोर वर्ग पर इस तरह का इल्जाम लगाना इतने कमजोर वर्ग पर जिनके अन्दर बेईमानी की कोई संगत ही नहीं होने दी आपने बेईमान साबित कर दिया। वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले भी बेईमान हो गये। वाह धन्य हो आप, धन्य हो।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, आप वरिष्ठ मंत्री रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, कितनी गलत बात संसदीय कार्य मंत्री जी कर रहे हैं। जब हमारी सरकार ने यह नीति बना दी है कि चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, विधवा फिर भी असहाय होती है उनको इसलिये पेंशन दी गयी थी। यह विधवाओं को अपात्र बता रहे हैं। यह सारी विधवाओं को बेईमान कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अपात्र नहीं कहा है, न बेईमान कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसी नीति कभी नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय खत्म। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में बीमार चीनी मिलों एवं शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल को पट्टे पर दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

*4-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बीमार चीनी मिलों को पट्टे पर देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा पट्टे पर दिये जाने हेतु कितनी चीनी मिलें चयनित की गयी हैं ? उनमें अब तक क्या प्रगति हुई है ? क्या शाहजहांपुर की पुवायां चीनी मिल भी पट्टे पर दी जायेगी ? यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सहकारी गन्ना समिति के कर्मचारी के विषय में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश

*5-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2008 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश के सहकारी गन्ना समिति के कर्मचारियों के विषय में ''सीजन कर्मचारी'' को पुनः परिभाषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय का उक्त निर्णय प्रदेश के सहकारी गन्ना समितियों में कार्यरत कर्मचारियों पर कब से लागू करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 8-4-2008 में प्रदेश की सहकारी गन्ना समिति के कर्मचारी के विषय में ''सीजन कर्मचारी'' को पुनः परिभाषित नहीं किया गया है।

मा0 उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 10-4-2008 द्वारा ''पेराई सत्र'' की परिभाषा को विधि अनुसार संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में निदेश दिये हैं। मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में सम्बन्धित पक्षों की सुनवाई हेतु उनके अनुरोध पर चार तिथियां निर्धारित की गयीं, जिसमें अन्तिम तिथि 25-8-2008 निर्धारित है। सुनवाई उपरान्त विधि अनुसार प्रकरण में यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

प्रदेश में गन्ने की खेती को प्रभावी बनाने की कार्य योजना

*6-श्री राम विशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस वर्ष गन्ने की खेती का रकबा पिछले वर्षों की अपेक्षा घटा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार गन्ने

की खेती को और प्रभावी बनाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

(1) उ0 प्र0 में मुख्य रूप से धान, गेहूं एवं गन्ने की फसल चक्र बनाया जाता है। कृषकों को इस वर्ष गेहूं व धान फसल चक्र से गन्ने की अपेक्षा अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ है।

(2) कृषकों को गन्ने से अन्य फसलों के सापेक्ष लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण गन्ने के रकबे में कमी आयी है।

(3) प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य को चीनी मिलों द्वारा विधिक रूप से अर्न्तग्रस्त किये जाने एवं इस कारण गन्ना मूल्य भुगतान में हुआ विलम्ब भी पिछले वर्षों की अपेक्षा गन्ना रकबा घटने का कारण है।

(4) बाजार में चीनी स्टाक की अधिकता के कारण चीनी के मूल्यों में आयी गिरावट से गन्ना रकबा कम हुआ है।

प्रदेश में गन्ने की खेती के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनायें चलायी जा रही है :-

(1) सघन गन्ना विकास योजना

(अ) बीज सम्वर्धन कार्य

(ब) बीज/भूमि सुधार

(स) पेड़ी प्रबन्धन कार्य

(2) अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना

(3) अम्बेडकर ग्राम में अनुसूचित जाति के कृषकों को गन्ने की खेती करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना।

(4) मैक्रोमोड आफ एग्रीकल्चर-शुगरक्रेन डेवलपमेन्ट योजना। (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरों की अवैध कालोनियों को नियमित करने की योजना

*7-श्री अशोक कुमार कंसल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरों की अवैध कालोनियों को नियमित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, प्रदेश में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश दिनांक 26-5-01 द्वारा गाइड लाइन्स निर्गत की गयी है, जिसमें कतिपय संशोधन शासनादेश दिनांक 2-12-03 तथा 5-8-08 द्वारा किया गया है।

इस हेतु जारी गाइड लाइन्स का प्रारूप किसी भी विकास प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त भण्डारण के सम्बन्ध में जानकारी

*8-श्री हुकुम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2008-09 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को निर्धारित सरकारी दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कितने गेहूं एवं चावल की आवश्यकता होगी ? उक्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने क्रय केन्द्रों के माध्यम से क्या आवश्यक खाद्यान्नों का भण्डारण किया है ? यदि हां, तो कुल कितने खाद्यान्न को क्रय करके सरकारी गोदामों में भण्डारण किया गया है ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

वर्ष 2008-09 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय योजना में वितरण हेतु 1872716.28 मी0 टन गेहूं तथा 2612463.72 मी0 टन चावल की आवश्यकता होगी।

गरीबी रेखा के ऊपर के समस्त परिवारों को भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में 7154892.7 मी0 टन गेहूं तथा 7069475.4 मी0 टन चावल की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के दृष्टिगत पर्याप्त भण्डारण है।

वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत सरकारी गोदामों में 28.85 लाख मी0 टन चावल तथा 31.36 लाख मी0 टन गेहूं का भण्डारण किया गया है जो प्रदेश की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण के लिए पर्याप्त है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-96 (अयोध्या-फैजाबाद-सुल्तानपुर-इलाहाबाद) चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण की योजना

*9-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-96 (अयोध्या-फैजाबाद-सुल्तानपुर-इलाहाबाद) को कब राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार द्वारा अधिसूचित

किया गया तथा इसकी दूरी कितने किलोमीटर है तथा इसके चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण की क्या योजना है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-96 (अयोध्या-फैजाबाद-सुल्तानपुर-इलाहाबाद) को भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2000 में अधिसूचित किया गया है।

इसकी कुल लम्बाई 153.795 किमी0 है।

फिलहाल इस मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

*10-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में नदियों को जोड़ने की कार्य योजना

*11-श्री सुनील शर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों को जोड़ने हेतु कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

केन एवं बेतवा नदियों को जोड़ने की योजना के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मध्य एम0ओ0यू0 हो चुका है एवं इसी क्रम में परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण को सौंपा जा चुका है जो प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विधायकों के आवासों पर ए0सी0 लगाये जाने की मांग

*12-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के विधायकों को ठहरने हेतु राजधानी लखनऊ में जो सरकारी आवास मिले हैं, उसमें गर्मी से बचने के लिए क्या ए0सी0 लगे हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विधायक आवासों में तत्काल ए0सी0 की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मा0 विधायकों के ठहरने हेतु आवंटित राजकीय आवासों में ए0सी0 लगाने का सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण।

प्रदेश में बाढ़ से बचाव हेतु कार्य योजना

*13-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008 में सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश की जनता को बाढ़ से बचाने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

बाढ़ से बचाव हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार की गयी है। कार्य योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1-बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना।

2-बाढ़ सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु बेतार केन्द्रों की स्थापना।

3-अस्थायी दूरभाष की व्यवस्था।

4-जनपद स्तर पर नोडल एवं बाढ़ समन्वय अधिकारियों का नामांकन।

5-क्षेत्रीय अधिकारियों को बाढ़ प्रबन्धन हेतु दिये गये निर्देश।

6-जिला स्तर पर स्टीयरिंग ग्रुप का गठन एवं बैठक।

7-अन्तर्राज्यीय बाढ़ समस्या के सम्बन्ध में नोडल अधिकारी मनोनीत करना।

8-बाढ़ से पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में शासन से पुस्तिका का प्रकाशन एवं प्रसारण।

9-केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा दैनिक बाढ़ बुलेटिन का प्रकाशन व प्रसारण।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य एवं उस पर ब्याज दिलाये जाने की मांग

*14-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का कितना गन्ना मूल्य कितने समय से बकाया है ? क्या सरकार एक निश्चित अवधि के बाद बकाये गन्ना मूल्य पर किसानों को ब्याज दिये जाने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश की निगम, सहकारी एवं निजी तथा भारत सरकार के प्रतिष्ठानों के स्वामित्व वाली चीनी मिलों पर विभिन्न वर्षों में बकाया गन्ना मूल्य की स्थिति निम्नवत् है :-

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
1994-95	156.77
1995-96	24.84

वर्ष	धनराशि (लाख रुपये में)
1996-97	1484.47
1997-98	1676.78
1998-99	500.61
1999-2000	153.00
2001-2002	40.97
2002-2003	2985.15
2003-2004	501.94
2006-2007	16692.00
2007-2008	178100.03
	202316.56

उ0 प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत निर्धारित गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान है।

डायमण्ड डेरी, लखनऊ में आवास विकास परिषद् की रिक्त पड़ी भूमि पर निर्माण कार्य कराने की मांग

*15-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त आवास एवं विकास परिषद् को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-4-08 जो डायमण्ड डेरी लखनऊ में आवास विकास परिषद् की रिक्त पड़ी करोड़ों रुपये की बहुमूल्य जमीन पर घेरे बन्दी एवं निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त भूमि कब से खाली पड़ी है और क्यों ? क्या संदर्भगत स्थल का परीक्षण कराकर उस पर कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त भूमि दिनांक 24-3-01 से खाली है, जिस पर भूखण्ड संख्या-जी0एच0-1 सृजित है।

जी हां, मा0 न्यायालय द्वारा यथास्थिति रखने के आदेश पारित होने के कारण अग्रिम कार्यवाही स्थगित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ के विधायक निवासों में स्थान की कमी को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी स्टाफ के लिये अतिरिक्त आवास आवंटित करने की योजना

*16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित पुराना विधायक निवास, बहुखण्डीय मंत्री आवास अतिभाग, लखनऊ में निवास कर रहे विधान मण्डल के सदस्यों के आवासों में स्थान की कमी को देखते हुए क्या सरकार स्टाफ आदि के लिए एक अतिरिक्त आवास आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

विधायक निवास-2 पुराना एवं बहुखण्डीय मंत्री आवास में सरकारी स्टाफ के लिए अतिरिक्त आवास आवंटित करने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली में रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने की मांग

1-श्री अब्दुल बारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा शामली में घनी आबादी के बीच दिल्ली-यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

कस्बा शामली की घनी आबादी यातायात, नागरिकों व व्यापारियों की समस्या को देखते हुए प्रश्नगत रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण व्यवहारिक नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के जानसठ रोड रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण की मांग

2-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में शहर मुख्यालय पर जानसठ रोड नई मण्डी रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु न होने के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत उपरिगामी सेतु रेलवे की कार्य योजना में सम्मिलित है। इसके डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर में सम्मिलित होने के कारण ऊंचाई बढ़ जाने से इसकी जी0ए0डी0 व पुनरीक्षित आगणन का गठन किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण की मांग

3-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बेटारिदान से सिम्भालका मार्ग, माल हैण्डी से वाना मार्ग, चौदाहेडी से नोनागती दरगाहपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। अम्बेहटा रिदान से सिम्भालका मार्ग वर्तमान में खड़न्जा स्तर का है, मालेण्डी से ताना मार्ग एवं चौदाहेड़ी से नौनागली दरगाहपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

अम्बेहटा रिदान से सिम्भालका का मार्ग का निर्माण कार्य एवं मालेण्डी से ताना तथा चौदाहेड़ी से नौनांगली दरगाहपुर मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में राजवाहा कुरसण्डा की पटरी के जीर्ण-शीर्ण की मरम्मत कराये जाने की मांग

4-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में मथुरा सादाबाद मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नौगंवा के मजरे ढकरई तक राजवाहा कुरसण्डा की पटरी पर बना मार्ग किस विभाग के स्वामित्व में है ? यह लगभग 15 वर्ष पुराना मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? क्या इस मार्ग की मरम्मत कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राजवाहा कुरसण्डा की पटरी सिंचाई विभाग के स्वामित्व में है तथा पटरी पर पक्की सड़क का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है।

सिंचाई विभाग द्वारा इस मार्ग की मरम्मत कराने की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत हेतु धनराशि की स्वीकृति

5-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर, ग्राम जलालपुर, ब्लाक ऊंचागांव, अम्बेदकर योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया, जलालपुर सम्पर्क मार्ग जो स्याना बुरासी मार्ग के कैलामोर से होकर ग्राम जलालपुर तक जाता है अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत हेतु धन का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

शासनादेश संख्या-1375/23-1-2008-224 रा0स0नि0/2008, दिनांक 19-5-2008 द्वारा विशेष मरम्मत/नवीनीकरण के कार्य हेतु रु0 29.78 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा खानपुर के बाईपास से होकर जाने वाली ग्राम अमरपुर के चौराहे तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

6-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा खानपुर के बाई पास से होकर जाने वाली बसी मार्ग ग्राम अमरपुर के चौराहे तक क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

एल0 पी0 जी0 (लोवर परीक्षितगढ़) रजवाहा जखेड़ा से विधान सभा क्षेत्र स्याना के कतिपय ग्रामों में कृषकों की सिंचाई का लाभ दिये जाने की मांग

7-श्री सुन्दर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0पी0जी0 (लोवर परीक्षतगढ़) रजवाहा जखेड़ा से निकल कर विधान सभा क्षेत्र स्याना के गांव मदुआ खेड़ा ब्लाक ऊंचागांव तक रजवाहे की लम्बाई लगभग 23 कि0मी0 है, टेल तक पानी केवल बरसात में ही आ पाता है तथा उक्त क्षेत्र के गांव अमरपुर, कमालपुर, नरसेना पाली, आनन्दगढ़ी सफदलपुर, अमरगढ़, ऊंचागांव, मदुआ

खेड़ा आदि में कृषकों की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि असिंचित रह जाती है जिससे उक्त ग्रामों के कृषकों में घोर असन्तोष बना रहता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गांव में पानी पहुंचाने के लिये गंग नहर की अनूपशहर शाखा से ग्राम माकड़ी पर बने फाल से उक्त रजवाहों को जोड़कर उक्त गांवों के कृषकों को सिंचाई का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नहरों कोरोस्टर के अनुसार चलाकर लोअर परीक्षितगढ़ राजवाहे से सिंचाई हेतु जल टेल तक उपलब्ध कराया जाता है जिससे ग्राम अमरपुर, कमालपुर, नर-सैना, पाली आनन्दगढ़, सबदलपुर, अमरगढ़, ऊंचा गांव, महुआखेड़ा आदि में कृषकों द्वारा सिंचाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम माकड़ी पर बने फाल से उपर्युक्त राजवाहे को जोड़ कर पानी उपलब्ध करवाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर अमरगढ़, ऊंचागांव मार्ग से करियारी ब्लाक ऊंचागांव तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

8-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर अमरगढ़ ऊंचागांव मार्ग से ग्राम करियारी ब्लाक ऊंचागांव तक का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे ग्रामवासियों में असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री उक्त करियारी मार्ग की मरम्मत हेतु धन आवंटन करने के आदेश पारित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त है।

शासनादेश संख्या-1375/23-1-2008-224-रा0स0नि0/08, दिनांक 19-5-2008 द्वारा विशेष मरम्मत/नवीनीकरण हेतु 22.57 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में बलुआ घाट एवं इस्कान टैम्पल के पीछे पार्क विकसित कराये जाने की मांग

9-श्री मदन भैया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इलाहाबाद शहर में यमुना नदी के किनारे बलुआ घाट एवं इस्कान टैम्पल के पीछे स्थित समतल किनारे का सौन्दर्यीकरण एवं उसको पार्क के रूप में विकसित कर उसका नामकरण "मान्यवर काशीराम पार्क" करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थल की भूमि निजी स्वामित्व की है, जिस पर सिंचाई विभाग की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बागपत के बड़ौत नाले की सफाई की कार्य योजना

10-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के मुख्य उपनगर बड़ौत में निर्मित बड़ौत नाले की सफाई की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

बड़ौतनाला नगर पालिका, बड़ौत के नियंत्रणाधीन है। अतः उक्त नाले की सफाई कराने की सिंचाई विभाग की कार्य योजना नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के अगौता शुगर मिल के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

11-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर अगौता स्थित शुगर मिल में किसानों के गन्ने का भुगतान इस वर्ष फरवरी माह का रोक कर मार्च माह का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो सरकार माह फरवरी, 2008 का भुगतान कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने दिनांक 07-07-2008 को पारित आदेश में पेराई सत्र 2007-08 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु दो माह की समय सीमा निर्धारित की है। अगौता चीनी मिल द्वारा इस अवधि में माह फरवरी, 2008 के बकाये सहित समस्त गन्न मूल्य का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में चीनी मिल के विरुद्ध मा0 न्यायालय के आदेशानुसार विधि अनुमन्य कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के अगौता शुगर मिल पर किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

12-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में विधान सभा क्षेत्र में अगौता शुगर मिल पर किसानों का वर्ष 2002-2003 का मूल्य अन्तर का

अवशेष रु0 5,42,00000.00 का गन्ना ऐक्ट का उल्लंघन करके किसानों को धोखा देकर एफ0डी0 एक वर्ष के लिए बनवा ली थी जिसका समय सितम्बर, 2007 को पूरा हो गया ? क्या सरकार इसके लिए मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही करेगी तथा इसका भुगतान कब तक करायेगी ? इसके अतिरिक्त वर्ष 94-95-96 का करीब रु0 3,36,87,000.00 तथा वर्ष 2006-2007 का रु0 50,000000.00 तथा इस वर्ष का करीब रु0 1,20,00,000.00 का अवशेष भुगतान सरकार कब तक करायेगी ? इस प्रकार अगौता मिल पर किसानों का बकाया अब तक करीब 26 करोड़ का अवशेष भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। जनपद बुलन्दशहर की अगौता चीनी मिल द्वारा वर्ष 2002-2003 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य रु0 5.42 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान न कर किसानों की सहमति से उक्त धनराशि के समतुल्य किसानों को डिवेन्चर जारी किये गये।

पेराई सत्र 2002-2003 के अगौता चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिल के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जिसके विरुद्ध चीनी मिल ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया, जिसमें चीनी मिल को यह भी निर्देश दिये गये कि वह तत्काल रु0 250.00 लाख का भुगतान करे। चीनी मिल द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रु0 251.06 लाख का भुगतान किया।

वर्ष 1995-96 व 96-97 में विलम्बित अवधि के देय गन्ना मूल्य पर ब्याज के सम्बन्ध में समितियों द्वारा दाखिल की गयी अवमानना याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को दिये गये नोटिस के क्रम में चीनी मिल अगौता ने रु0 218.78 लाख का भुगतान सम्बन्धित गन्ना समितियों को कर दिया है एवं अवशेष रु0 118.09 लाख का भुगतान कराने हेतु जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा चीनी मिल को निर्देश दिये गये हैं।

पेराई सत्र 2006-2007 में बकाया गन्ना मूल्य रु0 508.60 के सापेक्ष चीनी मिल द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-02-2008 के क्रम में रु0 115/-, रु0 118/- व रु0 123/- प्रति कुन्तल की दर से भुगतान करते हुये कुल रु0 414.20 लाख का भुगतान किसानों को कर दिया है।

सरकार गन्ना किसानों के शत प्रतिशत बकाये का भुगतान सुनिश्चित करायेगी।

जनपद बुलन्दशहर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

13-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में गुलावठी से स्याना वाया बी0बी0 नगर मार्ग (पक्की सड़क) से लिंक मार्ग, परतापुर से दातमाधपुर होकर

फतहपुर मेहरोली मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्रामों में सरकारी कोटे का सामान वितरण न किये जाने की शिकायत पर जांच

14-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कितने ग्रामों से सरकारी कोटे का सामान वितरण न किये जाने की शिकायत 15 नवम्बर, 2007 से 15 फरवरी, 2008 तक जिलापूर्ति अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुई और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या मा0 मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम वाडी गांव के निवासियों की शिकायत जिलापूर्ति अधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुई तथा क्या इसमें जांच करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

दिनांक 15 नवम्बर, 2007 से दिनांक 15 फरवरी, 2008 तक शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा से सम्बन्धित उचित दर विक्रेताओं की कुल 04 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त 04 शिकायतों में से प्रथम शिकायत श्री महेन्द्र कुमार, ग्राम बमरौला के विरुद्ध शिकायत निराधार पायी गयी तथा 03 उचित दर दुकानों को जांच के आधार पर निलम्बित किया गया। उक्त 03 दुकानों में से श्री अजय कुमार गुप्ता, ग्राम बेहटी की उचित दर दुकान को अनियमितताओं के प्रकाश में निरस्त कर दिया गया। श्री वेद नारायण, उचित दर विक्रेता, ग्राम टिकरा का अनुबन्ध पत्र निरस्त किया गया तथा अनुबन्ध की प्रतिपूर्ति की धनराशि रु0 1000.00 शासन के पक्ष में जब्त की गयी। श्री सगीर खां, ग्राम कटिया रजजव को भविष्य के लिये चेतावनी के साथ रु0 2000.00 का अर्थदण्ड लगाते हुये कठोर चेतावनी के साथ अनुबन्ध-पत्र बहाल कर दिया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने की नीति

15-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने की वर्तमान में क्या नीति है ? जनपद इलाहाबाद में आवास विभाग द्वारा

जारी शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांकित 1 दिसम्बर, 1998 के अन्तर्गत वर्ष 1998-1999, 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तथा वर्ष 2000-2001 तक कितने लोगों ने फ्री-होल्ड के लिये आवेदन किया उसमें से कितनों की भूमि फ्री-होल्ड अभी तक की गई और शेष के आवेदनों पर कार्यवाही पूर्ण न किये जाने के कारण क्या है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किये जाने हेतु मुख्य रूप से शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704/87, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 यथा संशोधित शासनादेश संख्या-2873/9-आ-4-02-152 एन/2000 टी0 सी0, दिनांक 10 दिसम्बर, 2002, संख्या-1688/आठ-4-04-152 एन/2000, दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 एवं शासनादेश संख्या-1642/आठ-4-06-137 एन/2004, दिनांक 04 अगस्त, 2006 में प्राविधानित व्यवस्था/नीति वर्तमान में प्रभावी है।

जनपद इलाहाबाद में शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704 एन/97, दिनांक 1 दिसम्बर, 1998 के अन्तर्गत फ्री-होल्ड के लिये निम्नवत् आवेदन-पत्र प्राप्त हुये :-

1-12-98 से 31-03-99	2777
1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000	141
2000-2001	238
योग :-	3158

उक्त प्राप्त 3166 आवेदन पत्रों से 1386 आवेदन-पत्रों की भूमि फ्री-होल्ड की गयी है तथा 1770 आवेदन-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में स्थगनादेश होने, पट्टेदारों के मध्य बंटवारे की स्थिति स्पष्ट न होने, भूखण्ड के मानचित्र में स्पष्ट रूप से चिन्हित न होने, उत्तराधिकार की स्थिति स्पष्ट न होने तथा नगर निगम की जांच आख्या स्पष्ट न होने के कारण शेष है।

16-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[2रे सोमवार के अता0प्र0सं0-179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री जय कुमार शर्मा, सेवाच्युत लिपिक के सेवाच्युत सम्बन्धी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा सम्भाग, आगरा के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में पत्र

17-डा0 अजय तोमर-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-301/सविस, गल्लोद/07, दिनांक 15-11-2007, जो श्री जय कुमार शर्मा, सेवाच्युत लिपिक के सेवाच्युत सम्बन्धी सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, आगरा सम्भाग, आगरा के आदेशांक 747/रसद, दिनांक 22-5-06 के विरुद्ध अपील के सम्बन्ध में है तथा उक्त प्रकरण में श्री जय कुमार शर्मा

को भी आयुक्त खाद्य एवं रसद उ0 प्र0 को सम्बोधित पत्र दिनांक 13-10-2006 व 29-1-2007 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश दिनांक 11-8-2008 द्वारा अपील बलहीन होने के कारण निरस्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा शहर में उपरिगामी पुल का निर्माण

18-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कहां-कहां पर प्रस्तावित है ? सरकार द्वारा इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आगरा शहर में निम्न उपरिगामी सेतुओं का निर्माण प्रस्तावित है :-

1-गुरू का ताल से हरी पर्वत मार्ग के रेल सम्पार सं0-502 पर रेल उपरिगामी सेतु।

2-महात्मा गांधी मार्ग पर कलेक्ट्रेट एवं रावली के मध्य रेल उपरिगामी सेतु।

3-रोहता से रूनकता मार्ग के रेल सम्पार सं0-491 पर रेल उपरिगामी सेतु।

4-सिकन्दरा-बोदला मार्ग के रेल सम्पार सं0-503 पर रेल उपरिगामी सेतु।

प्रश्नगत उपरिगामी सेतुओं के आगणन आउट आफ टर्न रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित है। कार्य का प्रारम्भ रेलवे मंत्रालय की सहमति प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के जिला जेल बाई पास के अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने की मांग

19-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर स्थित जिला जेल बाई पास का निर्माण कार्य किन कारणों से अधूरा पड़ा है ? शासन द्वारा उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोरखपुर स्थित जिला जेल बाई-पास की पूर्ण लम्बाई का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत न होने, पूर्ण भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही न हो सकने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है।

अवशेष भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना निर्गत किये जाने तथा शेष लम्बाई के कार्य को पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित कर कार्यवाही विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के बोदला रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण

20-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में बोदला रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त सेतु का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

उक्त उपरिगामी सेतु का आगणन रेलवे वर्क्स कार्यक्रम 2007-2008 में शामिल किये जाने हेतु रेलवे विभाग को प्रेषित किया गया है। रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण रेलवे विभाग की सहमति एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के ताजमहल को पथकर से मुक्त करने की मांग

21-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22 दिसम्बर, 1999 को आवास अनुभाग-1 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-6369/ 9-आवास-1-339डीए/83 पथकर (निर्धारण एवं संग्रह) नियमावली, 1999 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल सप्ताह में किस दिन पथकर से मुक्त है ? यदि नहीं, तो सप्ताह में कोई दिन (शुक्रवार की बन्दी छोड़कर) ताजमहल को पथकर से मुक्त घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। सप्ताह में शुक्रवार का दिन पथकर से मुक्त रखा गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमावली में एक दिन पथकर से मुक्त रखने का प्राविधान है, जिसे शुक्रवार का दिन रखा गया है। यदि एक और अन्य दिन मुक्त रखा जाता है, तो इससे पथकर निधि में कमी आयेगी, जिससे आगरा शहर में पथकर निधि से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

जलेसर निधौली मार्ग से एटा, टूण्डला मार्ग तक नूहं रजवाहा की पटरी का डामरीकरण कराये जाने की मांग

22-श्री कुबेर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नूहं रजवाह की पटरी का डामरीकरण न होने के कारण कटान होता है, जलेसर निधौली मार्ग से एटा टूण्डला मार्ग तक की लम्बाई तय करने वाले 50 गांवों के व्यक्तियों को निधौली कलां कस्बा, थाना व विकास खण्ड के कार्य हेतु 40 से 50 कि0मी0 दूरी तय करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जलेसर निधौली मार्ग से एटा टूण्डला मार्ग तक नूहं राजवाह की पटरी डामरीकरण कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

मार्ग का सर्वेक्षण कराकर औचित्य एवं उपयोगिता के आधार पर परियोजना तैयार कर बजट की उपलब्धता के अनुसार डामरीकरण का कार्य करवाया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद एटा के ग्राम दुल्हा के विकास खण्ड अवागढ़ से अरण्ड नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

23-श्री कुबेर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12-3-08 जो जनपद एटा के ग्राम दुल्ला के समीप विकास खण्ड अवागढ़ के अरण्ड नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। ग्राम दुल्हा के समीप विकास खण्ड अवागढ़ के अरण्ड नदी के अपस्ट्रीम में 5 कि0मी0 तथा डाउनस्ट्रीम में 4 कि0मी0 पर पुल उपलब्ध है। अतः वर्तमान में उक्त स्थल पर सेतु निर्माण कार्य किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के कैड़ी माइनर पर पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

24-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में माइनर कैड़ी का विगत तीन वर्षों से टेल तक पानी नहीं आ रहा है जिससे किसानों को सिंचाई में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त में पानी कब तक पहुंचा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पूर्वी यमुना नहर में पानी की उपलब्धता अत्यन्त सीमित होने के कारण माईनर कैड़ी की टेल पर विगत तीन वर्षों में फसलवार एक/दो बार टेल तक पानी पहुंचा है, जिससे कृषकों द्वारा सींच की जाती रही है।

पूर्वी यमुना नहर में पानी की समस्या को दूर करने के लिये समानान्तर देवबन्द शाखा परियोजना निर्माणाधीन है, इसके पूर्ण होने पर इस नहर प्रणाली में रबी 1416 (2008-2009) में पर्याप्त पानी सींच हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम गुरसौठी से रजवाहा की पटरी नगला मोहकम एवं जनपद आगरा के ग्राम बैलोढ व नेहर्रा को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

25-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 पर ग्राम गुरसौटी से रजवाहा की पटरी पर नगला मोहकम होकर आगरा जनपद के सुदूर ग्राम बैलोढ व नेहर्रा को जोड़ने वाला मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का जीर्णोद्धार/मरम्मत कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का जनपद-महामायानगर में पड़ने वाला भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है एवं जनपद-आगरा में पड़ने वाला भाग सही है।

उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद-मुजफ्फरनगर में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कोई छात्रावास नहीं है जबकि इस्लामिया इण्टर कालेज, अजमत कन्या डिग्री कालेज में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र पढ़ते हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अनीस अहमद खां)-

जी हां। कोई शासकीय छात्रावास नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में निजी विद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्रावास निर्माण की कोई योजना संचालित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के रजवाहा खदौली की पटरी में ग्राम नाला नगरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

27-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस (महामायानगर) की तहसील सादाबाद में रजवाहा खदौली की पटरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से अम्बेडकर ग्राम नाला नगरिया तक लगभग 10 वर्ष पूर्व निर्मित जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के कृष्णी नाले पर पुल निर्माण कराये जाने की मांग

28-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में कस्बा थाना भवन व ग्राम मुल्लापुर के बीच कृष्णी नाले पर पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, प्रश्नगत सेतु के अपस्ट्रीम व डाउन-स्ट्रीम में 5-5 कि0मी0 पर सेतु निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कैडी एवं बन्ती खेड़ा में बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्रस्ताव

29-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम कैडी एवं बन्ती खेड़ा में बाढ़ सुरक्षा कार्य का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो इन कार्यों का निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में ऊन चौसाना मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का निर्माण प्रारम्भ कराये जाने की मांग

30-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में ऊन चौसाना मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ऊन चौसाना मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-6 के अन्तर्गत 9.90 कि0मी0 एवं केन्द्रीय मार्ग निधि के अन्तर्गत 3.50 कि0मी0 स्वीकृत है।

निर्माण कार्य दिनांक 01-07-08 से प्रारम्भ हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

31-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बसी चुगयारी से गागोर तक मछरोल्ली से न्योग्गी माजरा तक बढ़ी से चौसाना मार्ग, झिंझाना बस स्टैण्ड से वाया चन्दनपुरी मेरठ करनाल मार्ग तक, ग्राम डेरा पण्डितान से बिडौली बांध तक ग्राम कल्लरपुर आदि मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इन मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। वर्तमान में अतिवृष्टि के कारण बसी चुन्धियारी से गागौर मार्ग एवं मछरौली से भोगी माजरा मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है।

भड़ी से चौसाना मार्ग, झिंझाना बस स्टैण्ड से वाया चन्दनपुरी मेरठ करनाल मार्ग तक एवं ग्राम डेर पंडितान से बिडझैली बांध तक ग्राम कल्लरपुर मार्ग वर्तमान में खड़ंजा स्तर के हैं।

बसंा चुन्धियारी से गागौर मार्ग एवं मछरौली से भोर्गामाजरा मार्ग की विशेष मरम्मत एवं भडी से चौसाना मार्ग, झिंढाना बस स्टैण्ड से वाया चन्दनपुरी मेरठ करनाल मार्ग तक एवं ग्राम डरा पंडितान मे बिड़ौली बांध तक ग्राम कल्लरपुर मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के शमसाबाद रोड के चौड़ीकरण की योजना

32-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में आगरा-शमसाबाद रोड के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण की अनुमानित लागत क्या है ? यह कार्य कितने दिनों में पूर्ण हो जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति यह कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है। अतः इसकी लागत के आंकलन का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के जिलों में नई चीनी मिलों की स्थापना

33-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश में किन जिलों में किन स्थानों पर नई चीनी मिल स्थापित की गई है ? क्या सरकार नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु कोई कारगर नीति बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जून, 2007 से 31 जनवरी, 2008 तक प्रदेश में निम्नलिखित 07 चीनी मिलें स्थापित हुई हैं :-

1-बजाज हिन्दुस्तान लि0, इटईमैदा (उतरौला) गोण्डा

2-बजाज हिन्दुस्तान लि0, मकसूदापुर, शाहजहांपुर

3-बजाज हिन्दुस्तान लि0, कुन्दरखी, गोण्डा

4-बजाज हिन्दुस्तान लि0, रुदौली, बस्ती

5-द्वारिकेशधाम, भगवानपुर फलवा, तहसील-फरीदपुर, बरेली

6-बलरामपुर शुगर मि0 लि0, गुलड़िया, लखीमपुर खीरी

7-राना शुगर मिल्स लि0, करीमगंज, रामपुर

जी नहीं।

वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त गन्ना पेराई क्षमता उपलब्ध है।

जनपद आगरा के विकास खण्ड फतेहाबाद में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

34-डा0 राजेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री के संज्ञान में है कि आगरा जनपद के विकास खण्ड फतेहाबाद में आगरा वाह रोड से नगला-भोगली जरारी रोड क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

नगला-भोगली जरारी नाम की कोई सड़क निर्मित नहीं है, केवल कच्चा दगडा है, जिसका निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

35-डा0 राजेन्द्र सिंह-

[1ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0-133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस व मथुरा में मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

36-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2007 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न 84 के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई से बल्देव कैलाश मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग के शेष भाग का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-हाथरस में पड़ने वाले भाग की मरम्मत वित्तीय वर्ष 2007-08 में ही करा दी गयी है। जनपद-मथुरा से पड़ने वाले शेष भाग की मरम्मत का कार्य दिसम्बर, 2008 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-मुजफ्फरनगर के ग्राम रायपुर व सीमा रसूलपुर में कृष्णी नाले पर पुल निर्माण की मांग

37-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर के कृष्णी नाले पर ग्राम रायपुर व ग्राम सीमा रसूलपुर के बीच पुल के निर्माण का प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित है ? यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

सम्प्रति प्रश्नगत पुल का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्नगत स्थल से अपस्ट्रीम व डाउन-स्ट्रीम में २-२ कि0मी0 पर पुल निर्मित है।

प्रदेश में गन्ना शोध परिषद् के कर्मचरियों को पेंशन एवं जी0पी0एफ0 की सुविधा दिये जाने की माग

38-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना शोध परिषद् के कर्मचारियों को पेंशन एवं जी0पी0एफ0 की सुविधा देने हेतु विचार चल रहा है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों को यह सुविधा कब तक मिल जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां

उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् स्वशासी संस्था है तथा कर्मचरी राजकीय कर्मचारी नहीं हैं। उक्त सुविधा अनुमन्य होने के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली व गांव गाजीपुर कुंडा जनपद पीलीभीत के दोनों तरफ पुल के अपूर्ण सम्पर्क मार्ग को पूर्ण कराये जाने की मांग

39-श्री सुखलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर रोड से गाजीपुर कुंडा गांव देबहा नदी पर ब्रिज कारपोरेशन ने काफी बड़ा पुल बनाया है ? यदि हां, तो क्या यह पुल गांव बहर जागीर तह0 नवाबगंज जिला-बरेली व गांव गाजीपुर कुंडा जिला-पीलीभीत के दोनों तरफ सम्पर्क मार्गों के अपूर्ण होने के कारण निष्प्रयोज्य है ? क्या सरकार उक्त अपूर्ण सम्पर्क मार्गों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां, सेतु का निर्माण सेतु निगम द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। नदी कां प्रवाह अभी भी पुल से दूर बरखेड़ा की तरफ बह रहा है, जिससे पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्गों (सम्पर्क मार्गों) का निर्माण नहीं कराया जा सका।

पहुंच मार्गों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने के सम्बन्ध में जानकारी

40-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में गत बीस वर्षों से कार्यरत संविदा/दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो विभिन्न विधायक निवासों एवं अतिथि राज गृहों में तैनात हैं, को क्या सरकार विनियमित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उ0 प्र0 समूह 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली, 2001 के अनुसार दिनांक 29 जून, 1991 के पूर्व कार्य पर रखे गये उस तिथि से लगातार कार्यरत दैनिक दर कर्मियों को, पदों की उपलब्धता के आधार पर विनियमित करने पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम बशिया की ओर जाने वाले जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

41-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग 93 से अम्बेडकर ग्राम बशिया (ग्राम सभा कजौली) की ओर जाने वाला जीर्ण-शीर्ण एवं लगभग 12 वर्ष पुराना मार्ग किस योजना में निर्मित है ? क्या शासन इस मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्धार करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग विधायक निधि द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्मित है।

उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत स्थित एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोपन-मलकपुर पर कृषकों के गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान कराये जाने की मांग

42-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत स्थित एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल लोपन-मलकपुर पर गन्ना पेराई सत्र, 2007-2008 में कृषकों द्वारा

आपूर्ति किये गये गन्ने का कितना भुगतान अभी तक बकाया है ? बकाया भुगतान को कब तक सरकार को दिलाने की कार्य योजना है ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

निजी चीनी मिलों की रिट याचिका पर मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के अन्तरिम आदेश दिनांक 15-11-2007 के अनुपालन में रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से लोपन मलकपुर चीनी मिल पर देय गन्ना मूल्य रु0 12689.60 लाख के सापेक्ष शत प्रतिशत भुगतान हो गया है।

उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 07-07-2008 के अनुपालन में रु0 125/- प्रति कुन्टल की दर से उक्त चीनी मिल पर रु0 1759.72 लाख देय हुआ, जिसका भुगतान मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुसार दिनांक 07-09-2008 तक मिल द्वारा किया जाना है।

जनपद बागपत की नहरों, रजवाहों की पटरी पर खड़न्जों के निर्माण का विवरण

43-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में जनपद-बागपत के किस-किस नहर, रजवाहों, अल्पिकाओं की पटरी पर चौ0 चरण सिंह योजना के अन्तर्गत लेपन स्तर तक खड़न्जों का कितना-कितना कार्य चल रहा है ? इसे पूरा कब तक किया जाना है तथा वर्ष 2008-09 में कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जनपद-बागपत में वित्तीय वर्ष 2007-08 में चौ0 चरण सिंह सिंचाई विकास योज़ना' के अन्तर्गत विभिन्न नहरों के सेवा मार्गों पर लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य 11.788 कि0मी0 तथा 43.965 कि0 मी0 लम्बाई में खड़न्जा निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न नहरों पर 12.310 कि0मी0 लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य सेवा मार्गों पर प्रगति में है जिन्हें वर्ष 2008-09 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

कार्यों का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2007-08 में नहर सेवा मार्गों पर लेपन स्तर तक पूर्ण कार्य–

क्र0-सं0	नहर का नाम	लम्बाई कि0 मी0 में
1	पूर्वी यमुना नहर	5.980
2	माइनर बिहारीपुर	0.402
3	राजवाहा फजलपुर	2.900
4	राजवाहा कांधला	1.606
	योग :-	11.738

वर्ष 2007-08 में नहर सेवा मार्ग पर खड़न्जा पूर्ण कार्य–

क्र0-सं0	नहर का नाम	लम्बाई कि0 मी0 में
1	2	3
1	माइनर लोहारी	4.900
2	माइनर जलालपुर	3.000
3	माइनर जियाना	4.000
4	राजवाहा बराल	8.800
5	राजवाहा रमाला	6.800
6	राजवाहा फजलपुर	1.170
7	राजवाहा खेकड़ा	3.500
8	हौला नाला	5.060
9	माइनर ट्योड़ी	1.300
10	माइनर बिहारीपुर	0.940
11	राजबाहा हरीशपुर	1.250
12	राजवाहा नाला	3.245
	योग :-	43.965

वर्ष 2007-08 में नहर सेवा मार्गों पर प्रगति में चल रहे लेपन स्तर तक कार्य–

क्र0-सं0	नहर का नाम	लम्बाई कि0 मी0 में
1	राजवाहा खांदरावली	9.712
2	माइनर बिहारीपुर	2.598
	योग :-	12.310

जनपद बागपत में वित्तीय वर्ष 2008-09 में चौ0 चरण सिंह सिंचाई विकास योजना के अन्तर्गत 5.60 कि0मी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कार्य, 12 नं0 पुल/पुलियों का निर्माण, 04 नं0 पशु घाट का निर्माण तथा 1900 मीटर पिचिंग का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

आगरा में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा ताजमहल के पूर्वी गेट पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किये जाने के आदेश

44-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में उच्चतम न्यायालय द्वारा ताजमहल के पूर्वी गेट पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था किये जाने के आदेश किये

गये थे तथा टी0टी0 जैड योजना में इस पर प्रस्ताव भी मांगे गये थे लेकिन अभी तक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गयी है जबकि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कुष्ठ आश्रम के पास से की जा सकती है ? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से पूर्वी गेट से 500 मी0 की परिधि में निवास कर रही जनता को परिचय-पत्र जारी किये जाने थे जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं ? शरद पूर्णिमा से 02 दिन पूर्व एवं 02 दिन बाद ताजमहल रात्रि दर्शन हेतु खोला जाता है किन्तु नगला पैमा एवं गढ़ी मंगत के निवासियों को परिचय-पत्र न होने के कारण इस रास्ते से गुजरने नहीं दिया जाता है ? क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार वैकल्पिक मार्ग बनाने एवं परिचय-पत्र जारी करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ताजमहल के 500 मी0 तक की दूरी के क्षेत्र के लिए रेगुलर ट्रैफिक मैनेजमेंट योजना तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं जिसके अन्तर्गत ताजमहल के पूर्वी गेट पर वैकल्पिक मार्ग की प्रस्तावना की गई थी।

जी नहीं।

टी0टी0जेड0 अथारिटी द्वारा उक्त संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गये, अपितु मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उक्त वैकल्पिक मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था के लिए वन विभाग से भूमि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा भेजे गये पत्र संख्या : 883/डी/ईई-1/08, दिनांक 20-03-08 द्वारा वन विभाग से यह अनुरोध किया गया है। चूंकि भूमि पूर्णतया वन विभाग की है, जिसका स्थानान्तरण अन्य विभाग को होने की दशा में काफी विलम्ब होने के कारण ताजमहल की सुरक्षा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग निर्माण की प्रक्रिया वन विभाग अपने स्तर से करते हुए इसमें जो भी व्यय आयेगा, प्रधिकरण द्वारा पथकर निधि के अन्तर्गत उपलब्ध करा दिया जायेगा।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या : 13381/84 में दिये गये आदेशों के क्रम में लोकल वाहनों के आने जाने हेतु स्टीकर की व्यवस्था सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा की जाती है।

जी हां।

उपरोक्तनुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के अनेकों ग्रामों में नलकूपों की स्थापना विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

45-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404316, दिनांक 23-8-07 जो नलकूप स्थापना से सम्बन्धित है, अधिशासी

अभियन्ता, नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या झंझरा चौबे, आम्बा, मझियारा आदि ग्रामों में नलकूपों के स्थापना की कार्यवाही लम्बित है ? यदि हां, तो इन ग्रामों में नलकूपों की स्थापना कर सिंचाई सुविधा का लाभ कब तक उपलब्ध हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

सन्दर्भित तीन ग्रामों में से ग्राम मझियारी में नलकूप लगाया जा चुका है। ग्राम आम्बा, टोन्स पम्प नहर के कमाण्ड में होने के कारण शासनादेश संख्या-2260/07-27-सिं-5-20 टी0डब्लू0/05, दिनांक 10-8-07 तथा सपठित शासनादेश संख्या-2746/07-27-सिं-5-20 टी0डब्लू0/05, दिनांक 7-9-07 में निहित प्राविधानों के अनुसार नलकूप लगाया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम झंझरा चौबे में नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव वर्ष 2008-09 में जनपद इलाहाबाद में स्थापित किये जाने वाले नलकूपों के स्थल चयन पर विचारार्थ, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। शासनादेश दिनांक 10-8-07 व 7-9-07 में प्राविधानित मानकों के अनुरूप स्थल चयनित होने की स्थिति में ही नलकूप लगाया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

46-श्री उदयभान करवरिया-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मुजफ्फरनगर स्थित बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड की थाना भवन व भेसाना शुगर यूनिट द्वारा किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

47-श्री अब्दुल वारिस खां-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर स्थित बजाज हिन्दुस्तान लिमिटेड की थाना भवन व भेसाना शुगर यूनिट द्वारा वर्ष 2006-07 के पेराई सत्र का किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं किया गथा है ? यदि हां, तो भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पेराई सत्र 2006-2007 के बकाये के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम निर्णय दिनांक 15-05-2008 के क्रम में उक्त चीनी मिलों को रु0 123/ 118/- एवं 115/- प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान करना है। मा0 न्यायालय द्वारा निर्धारित दर से थाना

भवन चीनी मिल पर रु0 642.97 लाख तथा भैसाना यूनिट पर रु0 661.38 लाख बकाया है। बकाये का भुगतान करने हेतु उक्त चीनी मिलों को नोटिस दी गयी है।

प्रदेश के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध जल चोरी एवं राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

48-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 विवेक कुमार सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 15-4-2008 जो उच्च अधिकारियों द्वारा जल चोरी कराने, अनुबन्ध के विपरीत कार्य करने, राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने विषयक है और जो कैबिनेट सचिव (मुख्य मंत्री) एवं प्रमुख सचिव (सिंचाई) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत भू-खण्डों का आवंटन एवं कब्जा

49-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की गोमतीनगर विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005 में लाटरी द्वारा आवंटित प्लाटों हेतु आवंटियों द्वारा निर्धारित मूल्य माह मार्च, 2005 में जमा करा लेने के उपरान्त भी प्लाटों की रजिस्ट्री एवं कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसके विलम्ब का क्या कारण है ? इन प्लाटों की रजिस्ट्री तथा इन पर आवंटियों को कब्जा कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोमती नगर विस्तार योजना के सेक्टर-1, 5 एवं 6 के वर्ष 2005 में भू-खण्डों का आवंटन हुआ, जिसमें सेक्टर-5 एवं 6 का विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण निबन्धन व कब्जा की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सेक्टर-1 में रजिस्ट्रीकरण एवं कब्जे की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। अब तक कुल 38 भू-खण्डों का निबन्धन किया जा चुका है तथा इनमें से 15 आवंटियों को भौतिक कब्जा दिया जा चुका है।

सेक्टर-5 व 6 में स्थल पर विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पा रही है।

सेक्टर-5 व 6 में स्थल पर विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवंटियों की रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बायें तटबन्ध पर निर्माण कराये जाने की मांग

50-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में शारदा नगर से ऐरा पुल तक शारदा नदी के बायें तटबंध पर निर्माण कराये गये बंधा का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि बन्धा निर्माण हेतु दी गयी धनराशि का उपभोग कर लिया गया है ? यदि हां, तो अभी तक उक्त कार्य क्यों नहीं पूर्ण हुआ ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध जांच कराकर उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कृषकों से भूमि आपसी समझौते से न मिल पाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

जी हां।

कृषकों से भूमि आपसी समझौते न मिल पाने के कारण।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बादशाह नगर राजकीय कालोनी, लखनऊ में पाइप लाइन बिछाये जाने की मांग

51-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ में पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन क्या पचास वर्ष पुरानी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उसके खराब हो जाने के कारण से अध्यासियों के घरों में गंदा तथा सीवर का पानी आता है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन डाली जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

मुख्य पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त भाग से कुछ घरों में गंदा पानी आने की शिकायत प्राप्त हुई थी। क्षतिग्रस्त भाग में होकर आने वाला पानी सीवर का न होकर मिट्टी बालू से मिश्रित था।

मुख्य पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाकर उसकी जगह नयी पाइप लाइन बिछा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कोथियारा में पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी करने की मांग

52-श्री उदयभान करवरिया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404122, दिनांक 26-9-07 जो पात्र व्यक्तियों के बी0पी0एल0 कार्ड से सम्बन्धित है, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? क्या ग्राम सभा खपटिहा, विकास खण्ड कोथियारा के पात्र व्यक्तियों को बी0पी0एल0 कार्ड जारी किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

जी हां।

बी0 पी0 एल0 सूची के पुनर्सवेक्षण का कार्य निर्णायक स्तर पर है। अंतिम रूप से प्रकाशित बी0पी0एल0 सूची में ग्राम सभा खपटिहा के पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के शाहपुर में "बैम्बे" योजना के अन्तर्गत आवासों के आवंटन की मांग

53-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के शाहपुर में "बैम्बे" योजना के अन्तर्गत बनवाये गये आवासों का विवरण क्या है और किन कारणों से ये आवास अभी तक गरीब लाभार्थियों को आवंटित नहीं किये जा सके ? यह आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शाहपुर योजना गोरखपुर में बैम्बे योजना के अन्तर्गत 47 भवन बनवाये गये हैं, जिनका मानक क्षेत्रफल 25.01 व0मी0 है। इनमें 15.00 व0मी0 आच्छादित क्षेत्रफल में एक कमरा, शौचालय, रसोई का स्थान निर्मित है।

उक्त आवासों का आवंटन अक्टूबर, 2008 में सम्भावित है।

जनपद आगरा में यमुना किनारा मार्ग को एलीवेटिड रोड बनाये जाने की मांग

54-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में यमुना किनारा मार्ग को एलीवेटिड रोड बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

परियोजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति में है।

लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खण्ड-1 में शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के आवास के बगल में नजूल भूमि पर अवैध कब्जा

55-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री को जानकारी है कि आवास विभाग की नजूल भूमि पर गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-1 में शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के आवास के बगल में स्थानीय गांव डिगडिया के दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोमती नगर योजना के विशाल खण्ड-1 में शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के आवास के बगल में नजूल भूमि नहीं है। अतः नजूल भूमि पर अवैध कब्जा और उसे हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खाद्य सामग्री के वितरण तथा माफियाओं द्वारा उक्त सामग्री का अवैध व्यापार विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

56-श्री हुकुम सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र 1 फरवरी, 2008, जो खाद्य सामग्री के वितरण तथा माफियाओं द्वारा उक्त सामग्री के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में है, में उच्च स्तरीय जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा करायी गयी तथा जांच के परिणाम स्वरूप किन-किन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

उक्त जांच जिलापूर्ति अधिकारी (मुख्यालय) खाद्य तथा रसद विभाग, उ0 प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ तथा जिलापूर्ति अधिकारी, सहारनपुर से संयुक्त रूप से करायी गयी। उक्त जांच आख्या में ब्लाक गोदाम कैराना हेतु प्रथम स्तर के सत्यापन के लिये जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत

तहसीलदार कैराना तथा भूमि संरक्षण अधिकारी, ब्लाक गोदाम कैराना के गोदाम प्रभारी, मै0 कैराना आयल ट्रेडिंग कम्पनी, मिट्टी तेल थोक विक्रेता आर्यपुरी कैराना के प्रोपाइटर श्री किरण पाल पुत्र श्री बुद्ध सिंह तथा इस फर्म के स्टाक का सत्यापन करने वाले अधिकारीगण, श्रीमती शफीना बेगम, उचित दर विक्रेता, मोहल्ला आलकला कस्बा कैराना तथा श्री शमीम अहमद, उचित दर विक्रेता, ग्राम मन्ना मजरा ब्लाक कैराना को दोषी पाया गया है। इस सम्बन्ध में खाद्य आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2008 द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर एवं सम्भागीय नियंत्रक, सहारनपुर सम्भाग को दोषी पाये गये लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में मार्गों के निर्माण में अधोमानक सामग्री के प्रयोग की जांच

57-श्री हुकुम सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दि0 03 फरवरी, 08 जो मुजफ्फरनगर जनपद में निर्मित मार्गों में अधोमानक सामग्री का प्रयोग एवं ठेकेदार से भारी कमीशन वसूली के सम्बन्ध में है, में उच्चस्तरीय जांच की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस अधिकारी से जांच करायी गयी तथा जांच के परिणाम स्वरूप अभी तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

(क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य विधान सभा के प्रश्नगत पत्र दि0 03 फरवरी, 08 में उल्लिखित मार्गों के निर्माण कार्यों की जांच कराकर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता (विकास) लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 को दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर जांच निष्कर्षों के आधार पर नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

58-डा0 अनिल चौधरी-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

59-डा0 अनिल चौधरी-

[2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

60-डा0 अनिल चौधरी-

[2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहुखण्डी मंत्री आवास पर एक अतिरिक्त सीलिंग फैन की व्यवस्था

61-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-घ-3 नं0 261078 दिनांक 22-4-08 जो राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्रश्नकर्ता के आवास में एक अतिरिक्त सीलिंग फैन लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के आवास में सीलिंग फैन कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

पत्र सं0-घ-3 नं0-261078 दिनांक 22-04-08 प्राप्त न होकर पत्र सं0-घ-3-नं0 261073 दिनांक 22-04-08 प्राप्त हुआ है, जिससे एक अतिरिक्त सीलिंग फैन लगाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नकर्ता के आवास संख्या-402 बहुखण्डीय मंत्री आवास नया में सीलिंग फैन लगा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड पंचवार में राजकीय नलकूप की मरम्मत की मांग

62-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग-3-404191, दिनांक 10-9-2007 जो नलकूप की मरम्मत से सम्बन्धित है, अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड तृतीय, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या नलकूप संख्या-65 के सी0 ग्राम पटिवार, विकास खण्ड शंकरगढ़ की मरम्मत करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु एवं लघु डाल नगर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जयवीर सिंह-

जी हां।

प्रश्नगत नलकूप विकास खण्ड शंकरगढ़ में स्थित नहीं है, अपितु विकास खण्ड जसरा, इलाहाबाद के ग्राम-पंचवार में स्थित है। नलकूप की मरम्मत करा दी गयी है तथा वर्तमान में यह राजकीय नलकूप चालू है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम जूही में नहर की खुदाई का कार्य कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

63-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ग-3-404002, दिनांक 26-9-07 जो सिंचाई व्यवस्था ठीक कराने से सम्बन्धित है, अधिशासी अभियन्ता, टोंस

पम्प नहर प्रखण्ड इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या ग्राम जूही में मूल संख्या 25 से आगे तक सिंचाई हेतु लगभग 4 कि0मी0 नहर की खुदाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

कुल खुदाई का कार्य रामगंगा कमाण्ड इलाहाबाद द्वारा कराया जाता है। सिंचाई विभाग द्वारा गूल खुदाई का कार्य नहीं कराया जाता है। इस सम्बन्ध में रामगंगा कमाण्ड को पत्र लिखा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों की संख्या एवं उन्हें अनुदान सूची पर लाये जाने की कार्यवाही

64-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित शासकीय मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी, मदरसों की संख्या क्या है ? क्या सरकार उन्हें अनुदान सूची में लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू-

प्रदेश में मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों की संख्या-1915 है।

जी हां, प्रदेश की अर्थोपायो स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये समय-समय पर अनुदान सूची पर लिये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़-मोदीनगर मार्ग के निर्माण को पूरा कराने की मांग

65-श्री मदन भैया-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 संख्या-46 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हापुड़-मोदीनगर मार्ग का निर्माण क्या पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

66-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रतभानपुर से भैंकुरी मार्ग एवं मथुरा बरेली मार्ग से मलौरा मार्ग अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां रतिभानपुर भैकुरी मार्ग-केवल आबादी भाग में (पी0एम0जी0एस0वाई0 में) स्वीकृत है। शेष भाग किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

मथुरा बरेली मार्ग से मनौरा मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं हैं परन्तु मार्ग के मरम्मत का कार्य अम्बेडकर योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 में स्वीकृत है।

मार्गों के उपरोक्तानुसार स्वीकृत कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम तारगांव के कोटेदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

67-श्री सुन्दर लाल लोधी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के द्वितीय बुधवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-17 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम तारगांव के कोटेदार से सम्बन्धित शिकायती-पत्र की जांच किस एजेन्सी से करायी गयी तथा उसके मुख्य बिन्दु क्या थे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

उक्त जांच पूर्ति निरीक्षक से करायी गयी।

इस प्रकरण में कोटेदार के विरुद्ध शिकायत के मुख्य बिन्दु कोटेदार ग्रामीणों को राशन न बांटकर कालाबाजारी में मिट्टी का तेल व राशन बेचने, प्रत्येक माह लाखों की आमदनी करने, दलित आबादी के लोगों को मिट्टी का तेल न देकर गाली देने व अपमानित कर भगा देने, कोटेदारों को निर्धारित रेट से अधिक पैसे लेकर सामान बेचने, मनमाने ढंग से दुकान खोलने व बन्द करने, मजरे के निवासियों के घरों में बच्चों के द्वारा मोमबत्ती व डीजल की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने तथा धन के बल पर अपने विरुद्ध कार्यवही अवरुद्ध किये जाने से सम्बन्धित है।

जनपद इलाहाबाद की तहसील बारा के जगदीशपुर रजवाहा से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

68-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3-638211 दिनांक 27-12-2007 जो सिंचाई व्यवस्था ठीक कराने के सम्बन्धित है, जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जगदीशपुर रजबहा की 13.34 मी0 खुदाई से बेलामुण्डी पचवर, नगरवार, मानपुर आदि असिंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

इलाहाबाद जनपद के तहसील बारा में स्थिति जगदीशपुर राजबहा के निर्माण से पत्र में अंकित मार्गों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

इस नहर का लम्ब छिन्नक 0.00 से 13.30 कि0मी0 तक जगदीशपुर ग्राम तक स्वीकृत है। परन्तु नहर निर्माण केवल 6.70 कि0मी0 तक ही हुआ है, शेष 6.60 कि0मी0 नहर का निर्माण कार्य कराया जाना शेष है।

अवशेष कार्य हेतु परियोजना के परीक्षण का कार्य प्रगति में है। बजट की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील पुरवा में पुलिया निर्माण कराये जाने की मांग

69-श्री उदयभान करवरिया-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-3-638097 दि0 25-1-08 जो पुलिया निर्माण से सम्बन्धित है, अधिशासी अभियन्ता, वाणसागर प्रथम, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या निरोधा माइनर पर उमरी ता0 पुरवा में पुलिया का निर्माण कराने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

बाण सागर नहर परियोजना में प्रावधान नहीं है।

जनपद बागपत में नलकूप लगाने का लक्ष्य एवं चयनित ग्रामों का विवरण

70-डा0 अजय तोमर-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2007-08 में जनपद बागपत में कितने राजकीय नलकूपों के लगाने का लक्ष्य रखा गया था ? लक्ष्य के सापेक्ष

किस-किस गांव को राजकीय नलकूप लगाने हेतु चयनित किया गया है ? क्या सभी चयनित गांवों में राजकीय नलकूपों का अधिष्ठापन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

70-जनपद बागपत में वर्ष 2007-2008 में कुल 10 नलकूप लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया था।

चयनित ग्रामों के नाम निम्नवत् हैं :-

1-मंसूरपुर

2-सिंघवली अहीर

3-चमरांवल

4-चिरचिटा

5-अहमदाबाद

6-घनोरा सिलवर नगर

7-बासौली

8-कन्डेरा

9-खैला

10-पिलाना

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर, नगर पंचायत सहपऊ प्रा0 स्वा0 केन्द्र से एम0 एल0 इण्टर कालेज तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

71-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के तीसरे बुधवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहपऊ बाई पास प्रा0 स्वा0 केन्द्र से एम0 एल0 इण्टर कालेज तक का मार्ग किस विभाग के स्वामित्व में है ? क्या शासन इस मार्ग का जीर्णोद्धार करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग नगर पंचायत सहपऊं के स्वामित्व में है।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत/जीर्णोद्धार का कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग पर नगर पंचायत, सहपऊ का स्वामित्व होने के कारण।

जनपद हाथरस के ग्राम नगला बिहारी तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

72-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-हाथरस के कस्बा सहपऊ से ग्राम नगला बिहारी तक का मार्ग किस विभाग के स्वामित्व में है ? क्या शासन इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का कस्बा सहपऊ की नगर सीमा से पड़ने वाला भाग नगर पंचायत सहपऊ एवं शेष भाग क्षेत्र पंचायत सहपऊ के स्वामित्व में है।

सम्प्रति उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामाया नगर की तहसील सादाबाद के ग्राम बदार से समदपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

73-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की सादाबाद तहसील से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 93 के ग्राम बदार से समदपुर जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत पर क्या शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा हनुमान मेडिकल कालेज के पीछे कोछभावर कालोनी विकसित किये जाने का प्रस्ताव

74-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा सखी के हनुमान मेडिकल कालेज के पीछे कोछभावर कालोनी विकसित किये जाने का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (आवास) कानपुर से दिनांक 16-4-08 को भूमि का कब्जा प्राप्त हो गया है। प्रकरण से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-25408/2008, मोहम्मद अजीम खां एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद महामाया नगर के विकास खण्ड मुरसान में ग्राम मवीपुर पर जमो ड्रेन की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

75-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के वि0 खण्ड मुरसान में ग्राम नवीपुर पर जमो ड्रेन की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

"रेस्टोरेशन आफ 19 नं0 ड्रेन्स आफ मथुरा/अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट" की प्रारम्भिक परियोजना तैयार की गई है, जिसमें जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड मुरसान के ग्राम मवीपुर पर जमों ड्रेन की पुनर्स्थापना तथा उस पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण भी सम्मिलित है। परियोजना को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में राजकीय नलकूपों की स्थिति

76-डा0 अजय तोमर-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद कौशाम्बी में कुल कितने राजकीय नलकूप वर्तमान में कार्यशील स्थिति में हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद में वर्ष 2007-2008 में कितने राजकीय नलकूप लगाने का लक्ष्य रखा गया था ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद कौशाम्बी में कुल 264 चलित राजकीय नलकूप हैं। दिनांक 29-4-2008 को 250 अदद राजकीय नलकूप कार्यशील तथा शेष 14 अदद अस्थायी रूप से खराब थे।

अस्थायी रूप से खराब नलकूपों को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2007-2008 में चौधरी चरण सिंह योजना के अन्तर्गत 13 अदद नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

पूर्वी यमुना नहर के गंगा नदी की नहर प्रणाली से जोड़ने वाले देवबन्द चैनल पर निर्माण कार्य

77-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी यमुना नहर को गंगा नदी की नहर प्रणाली से जोड़ने वाले देवबन्द चैनल का कुल कितना कार्य किया जाना शेष है ? उन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? क्या इसकी कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

पूर्वी यमुना नहर को गंगा नदी की नहर प्रणाली से जोड़ने वाले देवबन्द चैलन में नहर की कुल लम्बाई 55.006 कि0मी0 है, जिसमें से 54.216 कि0मी0 लम्बाई में नहर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 0.530 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य प्रगति में है। 0.260 कि0मी0 लम्बाई में कार्य प्रारम्भ किया जाना अपेक्षित है, जिस हेतु भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है, भूमि प्राप्त होने पर अवशेष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। कुल 89 नं0 पक्के कार्यों में से 85 नं0 पक्के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। हिण्डन जल सेतु एवं कृष्णा जल सेतु (2नं0) का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा रेलवे विभाग द्वारा दो रेलवे साइफन का निर्माण कार्य प्रगति में है।

माह मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

माह मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बागपत के कतिपय राजवाहों पर चौधरी चरण सिंह नहर पटरी योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के कार्य की जानकारी

78-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत के राजवाहा विजबाडा पर दिल्ली रोड से एक कि0मी0 नीचे राजवाहा बाबली पर विजबाड़ा स्कूल से नीचे दो कि0मी0 राजवाहा मीरापुर पर बड़ौत सराय रोड से नीचे 750 मी0 व अमीनगर सराय के सामने 750 मी0 राजवाहा काधला पर टेल से ऊपर 1.50 कि0मी0 एवं राजवाहा खदरावली पर हेवा-तिलबाड़ा रोड पुल से नीचे चार कि0मी0 चौ0 चरण सिंह नहर पटरी योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु पत्थर डाला गया है, जिसका लेपन कार्य अभी रुका हुआ है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को पूर्ण कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बागपत के राजवाहा बिजवाड़ा पर दिल्ली रोड से ए01 कि0मी0 नीचे राजवाहा बावली पर बिजवाड़ा स्कूल से नीचे 02 कि0मी0 राजवाहा मीरापुर पर बड़ौत सराय रोड से नीचे 750 मीटर व अमीन नगर सराय के सामने 750 मीटर, राजवाहा कांधला पर टेल से ऊपर

1.50 कि0मी0 एवं राजवाहा खन्दावली पर ठेवा तिलवाड़ा रोड पुल से नीचे 04 कि0मी0 के कार्य चौ0 चरण सिंह, सिंचाई विकास योजना, प्रथम चरण में सम्मिलित थे, जो कार्य वर्ष 2008-2009 में पूर्ण किये जाने प्रस्तावित थे, वह कार्य जून, 2008 तक पूर्ण किये जा चुके हैं।

कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नहर की सफाई पर व्यय धनराशि की जानकारी

79-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नहर, जोकि लखनऊ जनपद के अन्तर्गत होते हुए अन्य जनपदों को जाती है, की सफाई में वर्ष 2007-2008 में कितना धन खर्च हुआ तथा उक्त नहर की सफाई का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया था, ठेका देने में क्या निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी ? यदि हां, तो कुल कितने ठेकेदारों ने निविदा डाली और किस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत की गयी ? क्या सरकार इसका ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

वर्ष 2007-2008 में इन्दिरा नहर (केवल नहर) की सफाई पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई धन व्यय नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेसर्स कम्प्यूटर्स यान व कम्प्यूटर इनके बकाया बिलों के भुगतान की जांच पर कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

80-श्री प्रदीप माथुर-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त जांच आख्या दिनांक 8-2-2008 का शासन द्वारा परीक्षण कब तक करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 लखनऊ से प्राप्त जांच आख्या पर विचारोपरान्त प्रकरण की पुनः जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता (विकास) लो0नि0वि0 की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय समिति

गठित कर दी गई है तथा समिति को एक माह के अन्दर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद झांसी के ग्राम गड़बई ककरखंई मुख्य सड़क से ग्राम भौवई तक लिंक मार्ग के निर्माण की मांग

81-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक बामौर अन्तर्गत गड़बई ककरखंई मुख्य सड़क से ग्राम भौवई तक लिंक मार्ग ग्राम बरौरा से ग्राम पुरैमियां तक लिंक मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक कराने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम गड़बई-ककरवई मुख्य सड़क में ग्राम भौवई तक लिंक मार्ग का निर्माण मण्डी परिषद् द्वारा किया जा रहा है। ग्राम बरौरा से पुरैनिया पूर्व से ही (चिरगांव-रामनगर बधैरा) राज्य मार्ग-42 से जुड़ा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के कतिपय ग्रामों के मार्गों का लेपन स्तर तक निर्माण कराने पर विचार

82-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक बामौर अन्तर्गत ग्राम सभा में लेहटा से ग्राम मुहल्ला तक लिंक मार्ग व ग्राम डुमरई से कैरोखर ग्राम तक लिंक मार्ग व ग्राम डुमरई से ग्राम कचीर तक लिंक मार्ग का निर्माण लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। ये सभी ग्राम पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हैं परन्तु इन ग्रामों के सीधे जोड़ने हेतु कोई योजना प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

83-डा0 अनिल चौधरी-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के कतिपय ग्रामों को जाने वाले मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

84-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ का ग्राम खोडा से ग्राम रसगवां होकर ग्राम भुकलारा जाने वाला 14 वर्ष पुराना मार्ग क्षतिग्रस्त है ? क्या शासन इस मार्ग की मरम्मत करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के ग्राम बिसावर पैंठ से नगला मदारी तक मार्ग की मरम्मत की मांग

85-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम बिसावर तहसील सादाबाद जनपद महामायानगर में पैंठ से ग्राम नगला मदारी को जाने वाले मार्ग का 500 मीटर भाग अर्द्धनिर्मित है ? क्या शासन बिसावर पैंठ से नगला मदारी मार्ग के इस अपूर्ण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। मार्ग पूर्व से निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2007-08 में कराया गया है। मात्र 0.180 कि0मी0 की आबादी भाग में विशेष मरम्मत का कार्य सम्प्रति किसी भी योजना में स्वीकृत न होने के कारण मरम्मत नहीं कराया जा सका।

प्रदेश में बी0 पी0 एल0 परिवारों का सर्वेक्षण कार्य

86-डा0 अनिल चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 पी0 एल0 परिवारों को सर्वे कार्य क्या पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में 20,25, 35 व 40 अंक पाने वाले बी0 पी0 एल0 परिवारों की संख्या कितनी है ? पिछली बार इनमें से कितने परिवार बी0 पी0 एल0 सूची में चिन्हित किये गये थे ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

ग्राम सभा स्तर पर बी0 पी0 एल0 परिवारों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है जिसका जिलाधिकारी द्वारा संकलन किया जा रहा है। संकलन के उपरान्त ही प्रश्न में पूछे गये परिवारों की संख्या तथा इनमें से पूर्व में चिन्हित परिवारों की संख्या ज्ञात हो सकेगी।

प्रदेश में बाढ़, सूखा व जलभराव से मुक्ति दिलाने हेतु ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाये जाने के निर्देश

87-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश को बाढ़ सूखा व जलभराव से मुक्ति दिलाने हेतु विशेषज्ञ समिति की ड्रेनेज मास्टर प्लान व अन्य सिफारिशों को लेकर अगस्त, 2004 से शासन के विचारार्थ लम्बित रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या शासन इस रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

उत्तर प्रदेश में जल प्लावन की समस्या के निदान एवं उसके उपरान्त कृषि के समग्र प्रबन्धन तथा विकास पर विचार कर ड्रेनेज मास्टर प्लान हेतु कान्सेप्ट पेपर तैयार करने हेतु शासन के आदेश संख्या-87/03-27-सिं-5, दिनांक 13-01-2003 द्वारा मुख्य अभियन्ता (पूर्व), सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में अधिकारियों/विशेषज्ञों की उप समिति गठित की गई। उक्त समिति द्वारा कन्सेप्ट पेपर तैयार कर 19 अगस्त, 2004 में प्रस्तुतीकरण किया गया। मन्सेप्ट पेपर, जो मुख्यतः तकनीकी बिन्दुओं पर आधारित था, में की गई संस्तुतियों के आधार पर जल प्लावन एवं ड्रेनेज की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण/सर्वेक्षण/अन्य विभागों की सूचना का समावेश कर जनपदवार ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) एवं प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को दिये गये। कतिपय जनपदों से मास्टर प्लान प्राप्त हुआ था, जिसे और अधिक उपयोगी बनाने हेतु मास्टर प्लान संशोधित कराया जा रहा है। मास्टर प्लान कई बिन्दुओं पर आधारित होने तथा इसमें अन्य विभागों से भी सूचना/विवरण प्राप्त करने के कारण जनपदवार मास्टर प्लान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय ब्लाकों में लिंक मार्गों के निर्माण की मांग

88-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बरौठा के ब्लाक बामौर अन्तर्गत ग्राम रिनया से ग्राम पुरैनिया तक लिंक मार्ग व ग्राम सेरिया से ग्राम सेमरी तक लिंक मार्ग नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों लिंक मार्गों का निर्माण कराये जाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विधान सभा क्षेत्र गरौठा ब्लाक बामौर में रिनिया नाम का कोई ग्राम नहीं है। ग्राम पुरैनिया पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त है। ग्राम सेरिया से ग्राम सेनरी तक लिंक मार्ग नहीं है।

ग्राम पुरैनिया पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम सेरिया से ग्राम सेमरी तक का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के क्षेत्र पंचायत छपिया में मार्गों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग

89-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत वि0 स0 क्षेत्र मनकापुर के क्षेत्र पंचायत छपिया में वित्तीय वर्ष 2007-2008 में निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके मार्गों के कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? क्या सरकार उक्त मार्गों की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। कार्य संतोषजनक ढ़ग से सम्पादित कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने के कारण।

जनपद बागपत में सड़कों की मरम्मत सम्बन्धी जानकारी

90-डा0 अजय तोमर-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में गन्न विभाग से सम्बन्धित कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत नहीं कराई गयी है ? क्या इनकी मरम्मत की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद बागपत में निम्नलिखित 24 सड़कों पर मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है :--

1. टटीरी ब्राम्हण पूटठी रोड से बली मार्ग
2. बागपत मेरठ रोड से चौहल्दा नहर की पटरी मार्ग
3. चौहल्दा पक्की सड़क से अहैड़ा रेलवे स्टेशन मार्ग
4. बागपत मेरठ रोड से महनवा मार्ग
5. बली से मीतली मार्ग
6. दोघट सूजती रोड से गगनोली मार्ग

7. रमाला टांडा रोड से हैवामीरपुर मार्ग
8. चीनी मिल से बुढ़पुर मार्ग
9. मलकपुर छपरौली रोड से बावली सिनौली पूर्वी खास की पटरी
10. मलकपुर छपरौली रोड से बावली सिनौली पश्चिम खास की पटरी
11. बावली रेत से बरवाल मार्ग
12. लुहारा से सिलाना मार्ग
13. सिनौली से ओढ़ापुर मार्ग
14. खड़खड़ी से महावतपुर मार्ग
15. बढ़ोत अमीनगर सराय रोड से बड़ावद मार्ग
16. चीनी मिल गेट से दिल्ली बाईपास (बागपत बाईपास मार्ग)
17. पांची-ढ़िकोली सड़क निर्माण
18. खेकड़ा पाठशाला से साकरोद मार्ग
19. एलम रजवाहे की पटरी
20. किरठल खास की पटरी (अम्बेडकर ग्राम) शेष भाग
21. हलालपुर से बदरखा मार्ग
22. मलकपुर चीनी मिल रोड से बावली सिनौली रोड तक का शेष भाग
23. मलकपुर चीनी मिल से बरवाला मार्ग
24. दिल्ली सहारनपुर रोड से जियाना मार्ग

जी हां।

उपरोक्त मार्गों में से क्रमांक-1 से 9 पर अंकित मार्गों का मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। शेष मार्गों पर धनाभाव के कारण मरम्मत/पुनः निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद झांसी में सिंचाई विभाग को विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण एवं कराये गये कार्यों की जांच की मांग

91-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में सिंचाई विभाग को विगत 2003-2007 तक प्रत्येक वित्तीय वर्षवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा पथरई बांध पर कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यों की जांच उच्च स्तरीय एजेन्सी से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

झांसी जनपद में सिंचाई विभाग को विगत 2003-2007 तक प्रत्येक वित्तीय वर्षवार निम्नानुसार धनराशि व्यय हेतु आवंटित की गई है :--

वर्ष का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रुपये में)
2003-2004	3079.05
2004-2005	3020.71
2005-2006	3749.93
2006-2007	3345.58

उपरोक्त आवंटित धनराशि से अनुरक्षण कार्य/सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्यों तथा राजघाट से सम्बन्धित सीपरी राजघाट झांसी नहरें, पथरई बांध एवं लखेरी बांध, सिजार बांध, कुरार बांध पर निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

जी नहीं। पथरई बांध पर कराये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

पथरई बांध पर कराये गये कार्य निर्धारित मानक के अनुरूप हैं।

जनपद झांसी में राजकीय निर्माण निगम को विगत वर्षों में आवंटित धनराशि का विवरण एवं कराये गये कार्यों की जांच की मांग

92-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 में राजकीय निर्माण निगम को कितनी धनराशि आवटित की गयी एवं उससे क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार वर्ष 2006-2007 में निर्माण निगम द्वारा कराये गये कार्यों की अन्य संस्था से जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

शासन द्वारा निर्माण निगम को वर्ष 2004-2005 से वर्ष 2007-2008 तक आवंटित की गयी धनराशि से वर्षवार निम्नलिखित कार्य कराये गये :--

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	कराये गये कार्यों का विवरण
2004-2005	204.60	तहसील मौठ झांसी में (आवासीय/ अनावासीय भवन, न्याय विभाग झांसी के सात नं0 अनुरक्षण कार्य, बी0आई0ई0टी0, झांसी में 240 छात्रों का छात्रावास।

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	कराये गये कार्यों का विवरण
2005-2006	259.96	तहसील मौंठ झांसी में (आवासीय/ अनावासीय भवन, न्याय विभाग झांसी के सात नं0 अनुरक्षण कार्य, बी0आई0ई0टी0 में 240 छात्रों के छात्रावास के शेष कार्य एवं अधिवक्ता चैम्बर्स झांसी, ध्यानचंद स्टेडियम, झांसी, वी0आई0ई0टी0 में छात्रों का क्रिया कलाप केन्द्र, झांसी।
2006-2007	809.04	बी0आई0ई0टी0, झांसी में छात्रों का क्रियाकलाप केन्द्र, ध्यानचन्द्र स्टेडियम, अधिवक्ता चैम्बर्स भाग-1 झांसी का शेष कार्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चेलरा, मुढई, पुलिया, लोहागढ़, करगुवाखुर्द, सामुदायिक केन्द्र बंगरा अधिवक्ता चैम्बर्स भाग-2, 10 नं0 अधिवक्ता चैम्बर्स अधिवक्ता हाल मौंठ एवं टहरौली कार्य झांसी।
2007-2008	9450.10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेलरा, पुलिया, मुढई, लोहागढ़ एवं करगुवांखुर्द, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगरा, बड़ागांव, ध्यानचन्द स्टेडियम, बी0आई0ई0टी0 में छात्रों का क्रियाकलाप केन्द्र, 240 छात्रों का छात्रावास का शेष कार्य। बु0वि0वि0, पिछड़ा वर्ग छात्राओं का छात्रावास एवं 2007-08 में आवंटित मा0 कांशीराम पैरा मेडिकल ट्रेनिंग कालेज, झांसी।

इसी प्रकार वर्ष 2004-2005 से वर्ष 2007-2008 तक स्वयं वित्त पोषित कार्यों के लिये प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये गये :--

वर्ष	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)	कराये गये कार्य
2004-2005	1208.50	बी0के0यू0 झांसी में इण्डोर स्टेडियम, पत्रकारिता भवन, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन

		केन्द्र, झलकारी बाई गर्ल्स हास्टल, फार्मेसी भवन, भूगर्भ विज्ञान भवन, यूटिलीटि भवन, एस0सी0/एस0टी0 गर्ल्स हॉस्टल, एल्मुनाई भवन, प्रशासनिक भवन, ट्रेस कार्य, एस0सी0/एस0टी0 छात्रों का छात्रावास, भास्कर संस्थान, डा0 भीमराव अम्बेडकर भवन, शिक्षण संस्थान, ओवर हैड टैंक कार्य, सी0सी0 रोड एवं अतिथि गृह विकास कार्य, बी0आई0ई0टी0 कम्प्यूटर लैब तथा फाल सीलिंग कार्य, झांसी।
2005-2006	711.49	-उपरोक्त कार्यों के अवशेष कार्य-
2006-2007	664.38	बी0आई0ई0टी0 -तदैव- में सड़क का अनुरक्षण कार्य, विद्युत ओवर हैड लाइन एवं बाउण्ड्री वाल का कार्य।
2007-2008	562.50	बी0के0यू0 झांसी में इण्डोर स्टेडियम, पत्रकारिता भवन, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र, झलकारी बाई गर्ल्स हॉस्टल, फार्मेसी भवन, भूगर्भ विज्ञान भवन, यूटिलीटि भवन, एस0सी0/एस0टी0 गर्ल्स हॉस्टल, एल्मुनाई भवन, एस0सी0/एस0टी0 छात्रों का छात्रावास, भास्कर संस्थान, डा0 भीमराव अम्बेडकर भवन, शिक्षण संस्थान, एम0बी0ए0 भवन, बी0आई0ई0टी0 में बाउण्ड्री वाल आदि कार्यों के अवशेष कार्य एवं बी0के0यू0 अनुरक्षण कार्य झांसी।
		वर्ष 2006-2007 में कराये गये निर्माण कार्यों में से तहसील मोंठ व तहसील टहरौली के अधिवक्ता हाल की जांच त्रिसदस्यीय जांच समिति (सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, झांसी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, झांसी, अधिशासी अभियन्ता, लो0 नि0वि0,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

		प्रा0 ख0, झांसी) द्वारा करायी गयी तथा मण्डलायुक्त झांसी, परिसर एवं कलेक्ट्रेट परिसर झांसी में निर्मित अधिवक्ता चैम्बर की जांच अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड झांसी की अध्यक्षता में गठित समिति से करायी गयी थी। जांच में भवनों की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी।
		--उपरोक्तानुसार--

राज्य सम्पत्ति विभाग में दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या एवं उन्हें विनियमित कराये जाने की मांग

93-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजय सम्पत्ति विभाग में दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कितनी संख्या है तथा वह न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी अवधि से कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मचारियों को विनियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावर्ती-

राज्य सम्पत्ति विभाग में दैनिक वेतन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या-289 हैं यह वर्तमान में न्यूनतम एक वर्ष व अधिकतम बीस वर्ष की अवधि से कार्यरत हैं।

पदों की उपलब्धता एवं नियमावली की अन्य शर्तें पूर्ण होने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमितीकरण पर विचार किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कृषकों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने की दर एंव अवशेष गन्ना मूल्य पर ब्याज सहित भुगतान कराये जाने के निर्देश

94-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्न कृषकों को वर्तमान सत्र में गन्ना मूल्यका भुगतान किस दर पर कराया गया है ? अब तक किन-किन शुगर मिलों द्वारा गन्ना कृषकों का सम्पूर्ण भुगतान कर दिया ? क्या सरकार गन्ना मूल्य के अवशेष का ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2007-2008 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15-11-2007 को दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुपालन में रु0 110/- प्रति कुन्तल की दर से कराया गया।

मा0 उच्च न्यायालय ने अपने अन्तिम निर्णय दिनांक 07-07-2008 में राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य रु0 122.50 रु0 125.00 तथा रु0 130.00 की दर से भुगतान दिनांक 07-09-2008 तक करने के आदेश दिये हैं। मा0 न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में उक्त दर से भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को निर्देश दिये गये हैं।

राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य की दर से चीनी मिलों द्वारा शत प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07-09-2008 तक का समय दिया गया है।

उ0 प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में विलम्बित गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान है। सरकार गन्ना किसानों के बकाये का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की तहसील टहरौली के सूखा ग्रस्त गांवों की सिंचाई की व्यवस्था कराये जाने की मांग

95-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की तहसील टहरौली के सूखा ग्रस्त ग्रामों में सिंचाई के लिये बेतवा नदी से लिफ्ट नहर बनाने की कोई योजना लम्बित है ? यदि हां, तो वह कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद झांसी की तहसील टहरौली में सूखाग्रस्त ग्रामों में सिंचाई के लिये बेतवा नदी से लिफ्ट नहर बनाने की कोई योजना लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मध्य बेतवा नदी के जल के बंटवारे के अनुसार बेतवा नदी में वर्तमान में नई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

जनपद महामायानगर की मांट ब्रांच गंग नहर के रजवाहे में पानी की कमी को दूर करने की मांग

96-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की माट ब्रान्च गंग नहर के राजवाहे व अल्पिकायें पानी की कमी से टेल पर खेतों की सिंचाई में असमर्थ हैं ? यदि

हां, तो क्या समानान्तर मांट ब्रांच गंग नहर में पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराकर शासन इस समस्या का समाधान करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

समानान्तर मांट शाखा, मांट शाखा के कि0मी0 74.00 से निकलती है जहां पर मध्य गंगा फीडर मांट शाखा में मिलती है। मध्य गंगा नहर खरीफ फसल में अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराती है जो मध्य गंगा फीडर के माध्यम से समानान्तर मांट शाखा से मांट शाखा को प्राप्त होता है। यह नहर खरीफ चैनल है, जो खरीफ फसल में ही पानी उपलब्ध कराती है।

जनपद महामायानगर के सादाबाद मथुरा मार्ग से ग्राम दगसह जीर्ण-शीर्ण मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

97-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर में सादाबाद मथुरा मार्ग से ग्राम दगसह को जाने वाले मार्ग जीर्ण-शीर्ण हैं जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 2008-2009 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम मौलनापुर में ट्यूबवेल का निर्माण कराये जाने की मांग

98-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-5514/06-27-सि0-5, दिनांक 12 दिसम्बर, 2006 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा के ग्राम मौलनापुर के लिये स्वीकृत ट्यूबवेल का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रश्नगत शासनादेश द्वारा ग्राम मौलनापुर में स्वीकृत नलकूप का निर्माण तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं पाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय नालों के पुनर्निर्माण की योजना

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जल भराव की निकासी हेतु पीली नाला, परैया नाला चमरौरा नाले के पुनर्निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद-प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र-पट्टी में पीली नाला, परैया नाला, चमरौरा नाला के पुनर्निर्माण की कोई योजना नहीं है अपितु [illegible] जल ग्रहण क्षेत्र में जल निकासी हेतु इन नालों में गिरने वाले (ड्रेन्स) के पुनरोद्धार की योजना उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रि-स्ट्रक्चरिंग परियोजना के कार्यों में स्वीकृत है एवं इन पर कार्य प्रगति पर है।

क्योंकि इन नालो की जल निकासी की क्षमता पर्याप्त है।

जनपद महाराजगंज की जे0वी0एस0 शुगर मिल गड़ौदा द्वारा कम दर पर गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने की जांच

100-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जे0 वी0 एस0 शुगर मिल गड़ौदा जनपद महाराजगंज में गन्ना आपूर्ति करने वालों को गन्ना मूल्य मात्र 88.00 रुपया प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जबकि मा0 उच्च न्यायालय ने 110 रु0 प्रति क्विंटल भुगतान करने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो सरकार उसकी जांच कराकर उक्त मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गड़ौदा चीनी मिल द्वारा कम दर पर गन्ना मूल्य भुगतान किये जाने के प्रकरण की जांच में यह पाया गया कि चीनी मिल द्वारा दिनांक 07-12-2007 से 31-12-2007 तक रु0 88.80 प्रति कुन्तल की दर से भुगतान किया गया था। जिलाधिकारी, महराजगंज ने गड़ौदा चीनी मिल को मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से भुगतान करने के आदेश दिये। चीनी मिल पर उक्त अवधि के देय अन्तर मूल्य रु0 177.19 लाख का भुगतान सम्बन्धित गन्ना समितियों के माध्यम से कृषकों को करा दिया गया है।

भटनी चीनी मिल के गेट क्षेत्र में स्थापित क्रय केन्द्रों से सिसवा बाजार के मिल द्वारा गन्ना बुलाई का किराया

101-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 चीनी निगम सिसवा बाजार महाराजगंज को जनपद देवरिया के भरनी मिल क्षेत्र का गन्ना आवंटित किया

गया है ? यदि हां, तो गन्ना ढुलाई का किराया क्या है और कुल आवंटित गन्ना आपूर्ति के बाद कितनी धनराशि मिल को देनी पड़ेगी ? क्या यह सच है कि ढुलाई देने के बाद मिल को आर्थिक नुकसा उठाना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके लिये दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। भटनी चीनी मिल के गेट क्षेत्र में स्थापित क्रय केन्द्रों से सिसवा बाजार के मिल द्वारा तक गन्ना ढुलाई का किराया रु0 53.75 प्रति कुन्टल रहा है और मिल को उक्त किराये हेतु रु0 27.75 लाख की धनराशि व्यय करनी पड़ी है।

जहां तक इकाई-सिसवा बाजार द्वारा उक्त ढुलाई व्यय को वहन करने में आर्थिक नुकसान का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि निगम क्षेत्र की ही चीनी मिल, भटनी के गेट क्षेत्र में उत्पादित गन्ने की खपत की दृष्टि से कृषकों के हित में नियमानुसार भटनी के गेट क्षेत्र का गन्ना सिसवा बाजार को आवंटित किया गया था। उक्त गन्ना आवंटन की कार्यवाही नियमों के अन्तर्गत जनहित में की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय के मामले में किसी अधिकारी को दोषी ठहराये जाने का कोई आधार नहीं है।

ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत अवर अभियन्ताओं की जांच

102-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) कृते प्रमुख अभियन्ता सिंचाई ने अपने पत्र संख्या एम0 223/ई0-2क खण्डक जांच, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के द्वारा अधीक्षक अभियन्ता भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग उ0 प्र0 को कुछ अवर अभियन्ताओं की जांच कराने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां। अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया (जांच अधिकारी) की जांच आख्या दिनांक 10-3-2008 की प्रति संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। उपरोक्तानुसार पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 318-328 पर)

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय गांवों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

103-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक बामौर अन्तर्गत ग्राम सरसेड़ा से महावीर मंदिर तक सम्पर्क मार्ग व ग्राम खरका से ग्राम हीरानगर तक सम्पर्क मार्ग न होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो उक्त दोनों मार्गों को लेपन स्तर तक बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। ग्राम सरसेड़ा से महावीर मंदिर तक सम्पर्क मार्ग पूर्व से ही निर्मित है तथा ग्राम खरका व ग्राम हीरानगर पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं।

सरसेड़ा से महावीर मंदिर तक सम्पर्क मार्ग पूर्व से निर्मित हैं तथा खरका से ग्राम हीरानगर को सीधा जोड़ने हेतु निर्माण कार्य किसी योजना में प्रस्तावित/स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक बामौर के कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

104-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक बामौर में ग्राम कैरोखर से ग्राम सिया तक सम्पर्क मार्ग, ग्राम खरवार से ग्राम घटियारी तक सम्पर्क व ग्राम जखौरा से ग्राम धनौरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण यातायात में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं, ग्राम खरवा (खरवांच) से ग्राम घटियारी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष सभी मार्ग पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं।

ग्राम खरवा (खरवांच) को ग्राम घटियारी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। शेष ग्रामों को आपस में सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता, आई0 डी0 एस0 सेल लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के विरुद्ध फर्जी सप्लाई आदेश तथा भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

105-श्री प्रदीप माथुर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनरेश सक्सेना पार्टनर मेसर्स कम्प्यूटर इन का पत्र दिनांक 14-4-2008 जो कार्यालय मुख्य अभियन्ता गन्ना राजमार्ग के अधिशासी अभियन्ता आई0 डी0 एस0 सेल लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा फर्जी सप्लाई आदेश तथा चेक संख्या 099536 रु0 5605900 द्वारा सम्बन्धित कम्पनी को फर्जी भुगतान के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, किन्तु पत्र दि0 14-04-08 में उल्लिखित चेक में वर्णित धनराशि रु0 56059/- है।

पत्र दि0 14-04-08 में वर्णित तथ्यों की जांच मुख्य अभियंता स्तर-1 (भवन) लो0नि0वि0 द्वारा की गयी। मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रेषित जांच आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण में एक त्रिसदस्यीय समिति से जांच कराये जाने का निर्णय लेते हुए समिति से एक माह के अन्दर जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। पत्र में वर्णित धनराशि राजकोष में जमा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की बजाज हि0 लि0 चीनी मिल पर गन्ना किसानों के बकाये धनराशि के भुगतान की मांग

106-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की बजाज हि0 लि0 खम्भार खेड़ा चीनी मिल पर गन्ना किसानों की वर्ष 2007-2008 की कितनी धनराशि बकाया है ? सरकार गन्ना किसानों को उनके बकाया धनराशि का भुगतान कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

खम्भार खेड़ा चीनी मिल पर पेराई सत्र 2007-2008 का रु0 1325.23 लाख गन्ना मूल्य बकाया है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 07-07-2008 द्वारा चीनी मिलों को दो माह में भुगतान करने के आदेश दिये हैं। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में गत वर्ष नहरों माइनरों एवं रजवहों पर पुलियों के निर्माण में गुणवत्ता की जांच की मांग

107-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के वि0 स0 क्षेत्र मनकापुर में वित्तीय वर्ष 2007-08 में जिन नहरों, माइनरों एवं राजवहों पर पुलों/पुलियों के निर्माण में गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार गुणवत्ता की जांच करवाकर दोषी पाये जाने पर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में वित्तीय वर्ष 2007-08 में नहरों माइनरों एवं राजवहों पर पुल/पुलियों के निर्माण में गुणवत्ता मानक के अनुसार हैं।

शिकायत के अभाव में आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

शिकायत मिलने पर ही जांच करवाई जायेगी।

108-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

109-डा0 अनिल चौधरी-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आई0टी0आई0 योजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित कर वेतन बढ़ाये जाने की मांग

110-श्री शाहिद मंजूर-

क्या अल्प संख्यक कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत मिनी आई0 टी0 आई0 के तहत अल्पसंख्यक मदरसों में कार्यरत मुख्य अनुदेशक, अनुदेशक, लिपिक/स्टोर कीपर तथा परिचर आदि पदो पर प्रदेश भर में कार्यरत चयनित संविदा कर्मचारियों को नियमित किये जाने अथवा उनका वेतन बढ़ाये जाने का प्रकरण शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू-

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में मिली आई0टी0आई0 योजना के अन्तर्गत (एकमुश्त) नियत मानदेय पर मुख्य अनुदेशक, अनुदेशक, लिपिक/स्टोरकीपर तथा परिचर के पदों पर नियुक्ति की गयी हैं अतः इन्हें नियमित किये जाने तथा वेतन बढ़ाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों का कुछ बकाया एवं उसका भुगतान ब्याज सहित दिलाये जाने की मांग

111-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना किसानों का कुल कितना गन्ना मूल्य चीनी मिलों पर बाकी है ? क्या सरकार मूल्य का भुगतान ब्याज सहित किसानों को दिलायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

दिनांक 07-08-2008 की स्थिति के अनुसार वर्तमान पेराई सत्र में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कुल रु0 1790.86 करोड़ बकाया है।

सरकार बकाया गन्ना मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करायेगी। उ0 प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में विलम्बित गन्ना मूल्य पर ब्याज दिये जाने का प्राविधान है।

जनपद लखीमपुर खीरी में गोला अलीगंज मार्ग क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

112-श्री आर0 ए0 उस्मानी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में गोला-अलीगंज मार्ग जो गन्ना विभाग द्वारा बनवाया गया है, अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गोला-अलीगंज मार्ग का निर्माण कार्य दो चरण (1976-77 एवं 1977-78) में गन्ना विकास विभाग द्वारा कराया गया था जो अब क्षतिग्रस्त अवस्था में है।

प्रश्नगत सड़क को लोक निर्माण विभाग को दिनांक 11-06-2008 को हस्तान्तरित किया गया है। सड़क की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

राज्य सम्पत्ति विभाग में चालक/ड्राइवरों के कुल पद एवं रिक्त पदों को भरने की मांग

113-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सम्पत्ति विभाग में चालक/ड्राइवरों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान समय में कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

राज्य सम्पत्ति विभाग में चालक के कुल 251 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 05 पद रिक्त हैं।

उक्त रिक्त पदों को भरने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में राजवाह पिलखटरा की सिल्ट सफाई की जांच कराये जाने की मांग

114-श्री कुबेर सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-एटा में राजवाह पिलखटरा गत वर्ष 2007-2008 में सिल्ट सफाई हेतु प्रस्तावित था ? यदि हां, तो उक्त राजवाह की सफाई कब कराई गई थी ? क्या यह सही है कि सफाई का कार्य कागजों तक ही सीमित रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

माह अक्टूबर, 2007 से दिसम्बर, 2007 तक।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में मांट ब्रांच गंग नहर पर अनेकों रजवाहा एवं पुलियों के निर्माण की मांग

115-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में मॉट ब्रान्च गंग नहर के राजवाहा कुरसंडा पर भदूरी-कुरसंडा मार्ग पर नहर पुलिया निर्माण रजवाहा कुरसंडा पर नगला काठ-कुरसंडा मार्ग पर नहर पुलिया जुगसना रजवाहा पर जारऊ पेट्रोल पम्प के पास नहर पुलिया का निर्माण क्या शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व निर्मित पुल एवं वांछित पुल के स्थल के बीच की दूरी काफी कम होने के कारण वांछित स्थल पर पुलिया निर्माण किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में हाथरस शाखा के सहायक रजवाहे पर पैदल पुलिया का निर्माण कराने जाने की मांग

116-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में हाथरस ब्रान्च गंग नहर के सहपऊ रजवाहा पर ग्राम नगला बजारा (खोंडा) व ग्राम नगला बेनी (दोहई) में पैर पुलिया निर्माण पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में हाथरस शाखा के सहपऊ रजवाहे के किमी0 7.200 पर स्थित ग्राम नगला बं जारा (खोंड़ा) के समीप पुल के निर्माण का प्राक्कलन मुख्य विकास अधिकारी, महामायानगर के स्तर पर विचाराधीन है तथा ग्राम नगला बैनी (दोहई) हाथरस ब्रांच के किमी0 68.200 पर पैदल पुलिया के निर्माण की परियोजना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर के रजवाहा सहपऊ की महाभोज माइनर की पटरी को पक्का करने की मांग

117-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में राजवाहा सहपऊ की महाभोज माइनर की पट्टी ग्राम खोंडा से सहपऊ मार्ग पर आबाद बस्ती तक कच्ची है ? क्या शासन उक्त पटरी को पक्का कराने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

बजट की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत माइनर की पटरी को पक्का कराये जाने पर यथा समय निर्धारित प्रक्रियानुसार विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

118-डा0 अनिल चौधरी-

[2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय परिसर के अन्दर दोपहिया वाहन हेतु भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था

119-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय परिसर के अन्दर दोपहिया वाहन स्टैण्डों पर टीन शेड न होने के कारण खड़े किये गये कर्मियों के वाहन भीषण गर्मी एवं बरसात में खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी टीन शेड विहीन स्टैण्डों पर छाया हेतु शेड डलवायेगी ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सचिवालय परिसर के अन्दर दोपहिया वाहन स्टैण्डों पर आंशिक रूप से टीन शेड की व्यवस्था है। पार्किंग व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु सचिवालय परिसर स्थित टेनिस लान में भूमिगत पार्किंग के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है। भूमिगत पार्किंग व्यवस्था हो जाने से अतिरिक्त शेड के निर्माण की आवश्यकता नहीं रह जायेगी।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम नगला जयलाल सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

120-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 500 आबादी का ग्राम नगला जयलाल (मौजा शेरपुर) तहसील सादाबाद, जनपद-महामायानगर सम्पर्क मार्ग से वंचित है ? यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-93 से नगला जयलाल तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम दोहई से नगला महासुख तक सड़क निर्माण की जानकारी

121-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में ग्राम दोहई से नगला महासुख तक लेपन स्तर तक सड़क निर्माण न होने के कारण ग्रामवासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मार्ग की कुल लम्बाई 1.50 कि0मी0 है तथा प्रश्नगत मार्ग का निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के अम्बेडकर ग्राम खोंडा में लेपन स्तर तक निर्माण कार्य

122-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेडकर ग्राम खोंडा विकास खण्ड सहपऊ जनपद-महामायानगर के सम्पर्क मार्ग से वंचित मजरा गढ़ी जुलिया का लेपन स्तर तक सड़क निर्माण कब तक हो जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

प्रश्नगत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद सीतापुर से लखनऊ आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौड़ीकरण का कार्य

123-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर से लखनऊ आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जिस पर फोर लेन करने का कार्य चल रहा था, उसे किन कारणों से रोक दिया गया है ? क्या सरकार उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को फोर लेन बनाने हेतु निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 24 लखनऊ-सीतापुर के चार लेन चौड़ीकरण का कार्य रोका नहीं गया है, अपितु कार्य वर्तमान में भी प्रगति पर है। भूमि अर्जन प्रक्रिया में समय लगने के कारण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है।

प्रश्नगत राष्ट्रीय राजमार्ग के लखनऊ-सीतापुर प्रभाग के चार लेन चौड़ीकरण का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बी0ओ0टी0 पद्धति पर कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख में नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

124-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के विकास खण्ड मिश्रिख, पिसावां व महौली में कितने राजकीय नलकूप स्थापित हैं तथा उनमें से कितने नलकूप वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं और कितने बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों को ठीक कराने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

दिनांक 1-4-2008 की स्थिति के अनुसार जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के विकास खण्ड-मिश्रिख में 41, पिसावां में 117 तथा महौली में 03 नलकूप इस प्रकार कुल 161 नलकूप स्थापित हैं। इन 161 नलकूपों में से 01 नलकूप फेल श्रेणी में तथा 51 नलकूप सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वर्गीकृत हैं। शेष 109 नलकूपों में से 96 नलकूप कार्यरत हैं। अवशेष 13 नलकूप यांत्रिक/विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द थे।

सुधारात्मक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत 51 नलकूपों को जनपद योजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों के मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यथास्थिति अनुसार चरणबद्ध रूप से ठीक कराया जायेगा।

दिनांक 12-06-08 की साप्ताहिक बन्दी की स्थिति के अनुसार 13 नलकूपों में से यांत्रिक दोष से बन्द 05 नलकूपों को दिनांक 21-6-2008 तक ठीक करा दिया गया है तथा विद्युत दोष से बन्द 08 नलकूपों में से 05 नलकूपा दिनांक 19-6-08 तक ठीक किये जा चुके हैं

तथा शेष 03 नलकूपों को विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 25-8-08 तक ठीक किये जाने के लिये अवगत कराया गया है।

आगामी वर्षों में भू-जल की उपलब्धता व साध्यता पाये जाने पर फेल श्रेणी के 01 नलकूप का पुनः निर्माण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के कतिपय लिंक मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

125-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा अन्तर्गत लोहागढ़-सैरसा सम्पर्क मार्ग भैरव जी मंदिर तक तथा ब्लाक मौठ व लावन व खराओं से बम्बा के बीच लिंक मार्ग का निर्माण न होने से स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिंक मार्ग का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां।

स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक मौट के कतिपय ग्रामों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

126-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत ब्लाक मौठ में ग्राम करई से ग्राम धींगपुरा के बीच सम्पर्क मार्ग व ग्राम ढेवटा के तालाब से पुराने शीतलाधाम मंदिर तक के बीच सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों सम्पर्क मार्गों का निर्माण लेपन स्तर तक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम करई व ग्राम ढींगपुरा पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं परन्तु इसे सीधा जोड़ने व ग्राम हेवटा के तालाब से पुराने शीतलाधाम मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव से चन्दरपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

127-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद-मैनपुरी में जी0टी0 रोड, भोगांव से चन्दरपुर तक का मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के रजवहों की पटरी पर मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य कराये जाने की मांग

128-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी का मार्ग परमी नाले पर गलबरा पुल, पहुंच मार्ग 3 कि0मी0 रामगंज रजवाहा 6 कि0मी0 धरौल रजवहा 2 कि0मी0, नागापुर रजवहा6 कि0मी0, ढखवा कौशल पट्टी मार्ग, जिसका नवीनीकरण वर्ष 2000 में हुआ था, को विशेष मरम्मत में शामिल करते हुए पटरी सहित नवीनीकरण कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

ढकवा कौशल पट्टी मार्ग का मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य 2/08 में पूर्ण किया जा चुका है। अन्य मार्गो की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उक्त मार्गो के विशेष मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अनेकों क्षतिग्रस्त मार्गों का नवीनीकरण कराये जाने की मांग

129-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के मार्ग करैला मसौनी से सर्वजीतपुर, रत्तीपुर मार्ग ढखवा सोनपुर मार्ग, रामपुर ववरिहा सम्पर्क मार्ग, कन्हई मंगरौरा से तासाखास मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों के नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास मंगरौरा में पक्के मार्गों से न जुड़े राजस्व ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने की मांग

130-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मंगरौरा, जनपद-प्रतापगढ़ के कौन-कौन से ग्राम अभी तक पक्के मार्ग से नहीं जुड़े हैं ? क्या उन सभी ग्रामों को पक्के मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

विकास खण्ड मंगरौरा के अन्तर्गत निम्नवत् राजस्व ग्राम अभी तक पक्के सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं :--

1-पडरीपाल, 2-बारापुर, 3-पीथापुर, 4-उमरपुर, 5-पूरेइन्द्रा, 6-पूरेतिलाम, 7-सुजानगढ़, 8-बबुरहा, 9-उदहा, 10-पूरेमुकुन्द, मुफरिद, 11-सियारवासी, 12-ईसीपुर, 13-देवकली, 14-उधवापुर, 15-बाहूपुर, 16-मादी, 17-रथवट, 18-तिगड़ी, 19-भाटीकलां

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

131-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत पूर्वांचल निधि के राज्यांश से भदाफरपुर-धरौली व कुलाही मार्ग जो वर्ष 2000-2001 में शासनादेश-722/35-5-2001, 9 (34)/226, दिनांक 30-3-01 द्वारा स्वीकृत था, को लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग की स्वीकृत लम्बाई-2.50 कि0मी0 के सापेक्ष 1.50 कि0मी0 में टापकोट तक का कार्य कराया जा चुका है। 1.00 कि0मी0 शून्य से लेपन स्तर तक अपूर्ण है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के ब्लाक गुरसराय के कतिपय ग्रामों को बीच लिंक मार्गों का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

132-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गरौठा, जनपद-झांसी के ब्लाक गुरसराय के ग्राम मढ़ा से भगवंतपुरा वाया मढैयन तक व ग्राम बढ़वार से ग्राम पुरातनी के बीच लिंक मार्ग तथा ग्राम नादौरा से ग्राम सुजानपुरा के बीच लिंक मार्गों का निर्माण कराये जाने का प्रकरण जिला स्तर पर क्या काफी समय से लम्बित है ? यदि हां, तो उक्त लिंक मार्गों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में से ग्राम मढ़ा, ग्राम भगवंतपुरा, ग्राम बड़वार, ग्राम नादौरा व ग्राम सुजानपुरा पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े है। पुरातनी सम्पर्क मार्ग को अक्टूबर, 2008 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। उक्त ग्रामों को आपस में सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्रामों के लिंक मार्गों का डामरीकरण कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

133-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम बरौरा से पुरनिया तक ब्लाक बामौर व नगर पंचायत एरच बेंदा मार्ग से जुझारपुरा तक एवं ग्राम कैरोवर से ग्राम जखौरा वाया भोवई तक के लिंक मार्गों का डामरीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ग्राम बरौरा से पुरनिया पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है नगर पंचायत एरच वेंदा मार्ग से जुझारपुरा तक का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। ग्राम कैरोखर एवं ग्राम जखौरा पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े है परन्तु इन्हें भोवई होते हुए सीधे जोड़ने का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

134-डा0 अनिल चौधरी-

[2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्रामों का सड़क निर्माण कराये जानें सम्बन्धी जानकारी

135-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद में ग्राम मई से भिढ़ावली मार्ग से ग्राम निवारी (मौजा-भिढावली) तक लेपन स्तर तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी-

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

जनपद महाराजगंज में भांग के लाइसेन्सी एवं इनकी एजेन्सी व खरीद दर के पूर्ण विवरण की जानकारी

136-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज में भांग के कितने लाइसेन्सी हैं ? वर्ष 2007-08 में कितने टन भांग इन लाइसेन्सी लोगों ने बेचा तथा उक्त भांग इन लोगों ने किस एजेन्सी से किस दर से प्राप्त किया ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जनपद महराजगंज में वर्ष 2007-08 में भांग के दो अनुज्ञापी थे तथा वर्ष 2008-09 में भी भांग के दो अनुज्ञापी हैं।

वर्ष 2007-08 में भांग के अनुज्ञापियों द्वारा आबकारी गोदाम से भांग की आपूर्ति प्राप्त नहीं की गई थी, किन्तु अनुज्ञापियों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष की लाइसेंस फीस रु0 1,39,800.00 तथा रु0 20.00 प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित सम्पूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस रुपये 9,200.00 जमा कर दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महाराजगंज के गरोड़ा चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान में अनियमितताओं की दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही की जानकारी

137-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महराजगंज के गरोड़ा चीनी मिल के मालिक/प्रबन्धक के विरुद्ध गन्ना मूल्य का समय से भुगतान न करने, फर्जी चेक निर्गत करने आदि वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोतवाली टूडीवारी जनपद महराजगंज

तथा कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर में प्राथमिकी फरवरी-मार्च, 2008 में दर्ज हुई है ? यदि हां, तो अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ? इनकी गिरफ्तारी कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

चीनी मिल अध्यासी द्वारा दिनांक 13-03-2008 को बकाया गन्ना मूल्य का चेक उपलब्ध कराया गया। गन्ना समितियों के माध्यम से गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान करा दिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा मामले में अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है।

जनपद महामाया नगर में सादाबाद जलेसर मार्ग से ग्राम नगला खजंमा तक सड़क निर्माण सम्बन्धी जानकारी

138-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर में सादाबाद-जलेसर मार्ग से लगभग 500 आबादी के ग्राम नगला खजंमा (मौजा सुल्तानपुर) तक लेपन स्तर की सड़क का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

सीमित संसाधनों के कारण।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बलदेव के ग्राम रदोई के ग्राम बुर्ज तक सड़क निर्माण सम्बन्धी जानकारी

139-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंग कि जनपद-मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के ग्राम रदोई से लगभग 600 आबादी के ग्राम बुर्ज तक लेपन स्तर की सड़क निर्माण का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के कतिपय मार्गों के लेपन स्तर की मांग

140-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सादाबाद के लगभग 700 आबादी का सम्पर्क मार्ग विहीन मजरा, समरा को पचावरी, फतेहपुरा मार्ग से लेपन स्तर सड़क से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

सीमित वित्तीय संशाधनों के कारण।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम नगला चिमना को ग्राम महरारा तक सड़क से जोड़ने की मांग

141-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर, वि0खं0 सहपऊ ग्राम नगला चिमना को ग्राम महरारा से लेपन स्तर सड़क से जोड़ने पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री के0 पी0 भारती व श्री ए0 के0 श्रीवास्तव के विरुद्ध अनियमितता की जांच

142-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव में सिंचाई खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री के0 पी0 भारती व श्री ए0 के0 श्रीवास्तव द्वारा वर्ष 2006-07 में कराये गये कार्यों व अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता ने प्रमुख सचिव, सिंचाई को दिनांक 13-11-07 को अलग-अलग दिया था तथा जो प्रमुख सचिव, सिंचाई के रजिस्टर सं0-673 व रजिस्टर क्रमांक सं0-675, दिनांक 22-11-07 पर दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्नगत पत्रों में की गई शिकायतों की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव की शारदा सहायक ब्रान्च से निकलने वाली मुगलपुर माइनर पर ग्राम जगजीवनपुर पर पुलिया बनवाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

143-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग शारदा सहायक, उन्नाव के अन्तर्गत उन्नाव ब्रान्च से निकलने वाली मुगलपुर माइनर पर 2.6 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम जगजीवनपुर में पुलिया बनवाने हेतु प्रश्नकर्ता ने दिनांक 13-2-08 को प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो क्या पुलिया का निर्माण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी नहीं।

मुगलपुर माइनर पर ग्राम जगजीवनपुर नहर के कि0मी0 2.50 से कि0मी0 3.075 के बीच पड़ता है। इस माइनर पर ग्राम जगजीवनपुर के एक ओर कि0मी0 2.378 पर तथा दूसरी ओर कि0मी0 3.30 पर बी0आर0बी0 बना हुआ है। जिस रीच पर पुलिया निर्माण वांछित है, वह 2.81 कि0मी0 है। इस प्रकार वांछित पुल पूर्व निर्मित पुलिया से अधिकतम 0.490 कि0मी0 की दूरी पर है। अतः इतनी कम दूरी पर पुलिया निर्माण कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में गंगा व यमुना नदी के गिरते जल स्तर से सिंचाई की व्यवस्था के निदान की योजना

144-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों का जल स्तर निरन्तर गिर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गंगा और यमुना नदियों के गिरते हुए जल स्तर से उत्पन्न होने वाली सिंचाई की समस्या के निदान हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

गंगा और यमुना का जल स्तर मानसून में वर्षा पर निर्भर है। शेष ऋतुओं में बर्फ पिघलने पर निर्भर है। सिंचाई विभाग की जानकारी के अनुसार गंगा एवं यमुना का जल स्तर नहीं गिर रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी टाउन से जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

145-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद-लखीमपुर खीरी के कस्बा खीरी टाउन से होते हुए लगुचा लहरपुर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है जो जिला परिषद् के अधीन है।

जिला परिषद् के अधीन प्रश्नगत मार्ग का क्षतिग्रस्त भाग लघुचा से अचम्भेनाथ पुल तक मार्ग की लम्बाई 4.60 किमी0 में से प्रारम्भ का 2.60 कि0मी0 अम्बेडकर ग्राम मोहम्मदपुर महेवा के पहुंच मार्ग के रूप में प्राप्त स्वीकृति के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत कराया जा चुका है। मार्ग का शेष 02 कि0मी0 भाग जिला परिषद् के स्वामित्व में है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक गुरसहाय अन्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

146-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ब्लाक गुरसहाय अन्तर्गत गरौठा मऊरानीपुर मुख्य मार्ग से ग्राम निमगहना तक व गरौठा से मऊरानीपुर तक मुख्य सड़क से ग्राम सिमरधा तक व गरौठा से मऊरानीपुर मुख्य मार्ग से झारखण्ड मन्दिर तक लिंक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लिंक मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां। निमगहना सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) की दशा संतोषजनक है। सिमरधा सम्पर्क मार्ग (ग्रामीण मार्ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। झारखण्ड मंदिर तक सम्पर्क मार्ग-मऊरानीपुर मुख्य मार्ग से गुढ़ा तक निर्मित है, जिसकी दशा संतोषजनक है एवं गुढा से आगे झारखण्ड मंदिर तक का मार्ग निर्मित नहीं है।

सिमरधा मार्ग की मरम्मत व गुढा से झारखण्ड मंदिर तक मार्ग का नवनिर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम वेनरना में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान खोलने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

147-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के ब्लाक बिछिया के ग्राम नेवरना, जिसकी आबादी लगभग 11 हजार है, में तीन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने हेतु प्रश्नकर्ता ने दि0 29-3-08 को जिला अधिकारी, उन्नाव को पत्र दिया था ? यदि हां, तो नई दुकानें कब तक खोल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रसाद चौधरी-

जी हां।

इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, बिछिया को नई दुकान खोलने का 30 दिन के अन्दर ग्राम सभा का प्रस्ताव कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद गोण्डा के मनकापुर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराये जाने की मांग

148-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उतरौला-इलाहाबाद मार्ग पर स्थित जनपद-गोण्डा के मनकापुर रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज के निर्माण का कोई कार्य योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ओवरब्रिज का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा फाटक बन्द करने अथवा न कराने का निर्णय होना है। जिला प्रशासन के निर्णय एवं रेल विभाग, भारत सरकार की सहमति के पश्चात् ही अग्रेतर कार्यवाही सम्भव है।

प्लाट संख्या 153, पाण्डेय का तालाब, मोतीझील, लखनऊ का आवंटन स्वर्गीय श्री बिलायती राम गुप्ता के वारिस के पक्ष में कराने की मांग

149-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्लाट संख्या 153, पाण्डेय का तालाब, मोतीझील, लखनऊ का आवंटन स्वर्गवासी श्री विलायती राम गुप्ता के पक्ष में नगर निगम लखनऊ के द्वारा दिनांक 17-7-1964 को किये जाने तथा दिनांक 03-08-1964 को कब्जा दिये जाने तथा धनराशि व स्टाम्प पेपर जमा करने के पश्चात् भी निबन्धन की कार्यवाही उनके एकमात्र विधिक वारिस श्री तिलकराज गुप्ता के पक्ष में आज तक नहीं की गयी ? सरकार

उक्त प्लाट की निबन्धन कार्यवाही विधिक वारिस के पक्ष में कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत प्रकरण लखनऊ विकास के गठन से पूर्व को है, प्रश्न में उल्लिखित अभिलेख लखनऊ विकास प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

150-श्री सुन्दर लाल लोधी व श्री उदयराज यादव-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-136 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव में बल्देव कैलाश मार्ग को लेपन स्तर तक सड़क से जोड़ने की मांग

151-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा, विकास खण्ड-बल्देव की लगभग 800 आबादी के मजरा नाहरगढ़ी (मौजा नगला गुखरौली) को बल्देव कैलाश मार्ग से लेपन स्तर सड़क द्वारा जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

जनपद मथुरा के विकास खण्ड बल्देव के कतिपय ग्राम की सड़क निर्माण की मांग

152-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मथुरा, विकास खण्ड-बल्देव के ग्राम-मादूयोर से ग्राम फूलपुर तक सड़क निर्माण (लेपन स्तर तक) शासन करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रश्नगत मार्ग किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

प्रदेश में राजकीय नलकूपों की संख्या एवं खराब पड़े नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

153-श्री मदन चौहान-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 30 अप्रैल, 2008 तक कितने राजकीय नलकूप लगे हुए थे तथा उनमें से कितने नलकूप कार्यशील हैं तथा कितने नलकूप स्थाई या अस्थाई रूप से खराब हैं ? क्या खराब नलकूपों को ठीक कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

प्रदेश में 30 अप्रैल, 2008 तक कुल 33164 राजकीय नलकूप लगे थे, जो निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत हैं :--

1-चलित नलकूप	27600
2-विफल नलकूप	1656
3-परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूप	2969
4-सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित नलकूप	939

दिनांक 1-5-2008 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार यांत्रिक दोष से 498 तथा विद्युत दोष से 748, कुल 1246 नलकूप अस्थाई रूप से बन्द थे जिसमें यांत्रिक दोष से सम्बन्धित अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों को ठीक करा दिया गया है तथा विद्युत दोष से बन्द 748 नलकूपों में से 740 नलकूप चालू करा दिये गये हैं। शेष 08 नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों से लगातार सम्पर्क कर प्रयास किया जा रहा है।

विफल 1656 नलकूपों को भू-गर्भीय जल स्थिति एवं तकनीकी साध्यता स्थापित करने के पश्चात् चरणबद्ध रूप से स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार ठीक कराया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 800 राजकीय नलकूपों के पुनः निर्माण की कार्य योजना नाबार्ड को स्वीकृति हेतु प्रेषित है। नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त सुधारात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत वर्गीकृत 939 नलकूपों को जनपद योजना के अन्तर्गत अन्य कार्यों के मद में प्राविधानित धनराशि से चरणबद्ध रूप से ठीक कराने की कार्यवाही करायी जायेगी।

अस्थाई रूप से बन्द नलकूपों को ठीक कराये जाने की कार्यवाही सतत प्रक्रियान्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गंगा नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने की योजना

154-श्री मदन चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गंगा नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

गंगा नदी से सटे गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा सीमान्त बांध की 05 अदद एवं कंटाव निरोधक कार्य की 18 अदद कुल 23 अदद परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों की असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु कार्य योजना

155-श्री मदन चौहान

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की कितनी भूमि असिंचित है तथा असिंचित भूमि की सिंचाई हेतु सरकार ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

प्रदेश में कुल 58.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र असिंचित है वर्तमान में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से 11.70 लाख हेक्टेयर तथा राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं से 3.60 लाख हेक्टेयर (कुल 15.30 लाख हेक्टेयर) अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजन का लक्ष्य निर्धारित है,।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग-93 आगरा से अलीगढ़ तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य

156-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग-93 आगरा से अलीगढ़ तक विभिन्न भागों में क्षतिग्रस्त है ? इस राजमार्ग पर कस्बा सादाबाद में करबन नदी का पुल क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-93 पर ट्रैफिक का अत्यधिक भार देखते हुए इसे छः लेन का बनाने, साथ ही करबन नदी पर नया पुल व हाथरस शहर में बाईपास व रेल लाइन (मथुरा-कासगंज) पर उपरिगामी सेतु बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, परन्तु मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

जी नहीं।

सम्प्रति प्रश्नगत मार्ग को छः लेन बनाने, करबन नदी पर नया पुल बनाने एवं हाथरस शहर में बाईपास बनाने का कार्य फिलहाल किसी योजना में स्वीकृत नहीं है। रेलवे लाइन मथुरा

कासगंज में उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु कंसलटेन्सी के प्रस्ताव पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। कंसलटेन्सी की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

157-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ में जलेसर रोड-जरीपुरा मार्ग से अम्बेडकर ग्राम कोकना कलॉ को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

सम्प्रति प्रश्नगत मार्गों की दशा संतोषजनक है तथा यातायात सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

158-डा0 अनिल चौधरी-

[दिनांक 18-8-2008 को अता0प्र0सं0-162 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा के ग्राम कजौली में सड़क के किनारे तालाब की रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य की मांग

159-डा0 अनिल चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-महामायानगर की तहसील सादाबाद अन्तर्गत कस्बा मई से आगरा जनपद के कस्बा खदौली को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर ग्राम कजौली में सड़क के किनारे ही गहरा तालाब है ? क्या उक्त स्थल पर प्रायः दुर्घटना होती है ? क्या शासन इस तालाब की रिटेनिंग वाल का निर्माण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

लोक निर्माण विभाग में दुर्घटनाओं की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं रहती है।

सम्प्रति तालाब के किनारे रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य किसी भी योजना में स्वीकृत/प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

देवबन्द चैनल के निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने की मांग

160-डा0 अजय तोमर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की मुख्य नहर पूर्वी यमुना नहर में मांग के अनुरूप बहुत कम पानी उपलब्ध होने के कारण समानान्तरण देवबन्द चैनल के निर्माण का कार्य चल रहा है ? यह निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

माह मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

161-श्री राम बिशुन आजाद-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

झांसी मण्डल की नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने व सिल्ट सफाई का कार्य कराने के निर्देश

162-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी मण्डल की नहरें सूख जाने के कारण जानवरों को पीने व फसलों हेतु सिंचाई के लिये किसानों के सामने पानी का संकट पैदा हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों में टेल तक पानी छोड़ने व नहरों की सिल्ट सफाई आदि कार्य कराने का निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समय पर पूर्ण कराया जाता है तथा नहरों में पानी रोस्टर व कृषकों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

खरीफ 1416 फसली में नहरों की टेल फीडिंग कार्यक्रम के सापेक्ष दिनांक 30-06-08 तक 87 नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार तथा किसानों की मांग के अनुसार नहरें चलाकर सिंचाई करायी गयी है।

जनपद उन्नाव के ग्राम इन्देमऊ से बरदहा तक निर्मित सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

163-श्री सुखलाल

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर-रायबरेली रोड पर स्थित ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर, जनपद-उन्नाव के सम्पर्क मार्ग को क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा इन्देमऊ से बरदहा तक बनाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त मार्ग ग्राम

इन्देमऊ के अन्दर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

जी हां। आबादी भाग होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोण्डा व बलरामपुर में बन्द पड़े नलकूपों को पुनः चलवाये जाने की मांग

164-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा व बलरामपुर में कुल कितने-कितने सरकारी नलकूप हैं, उनमें से कितने चालू हालत में हैं और कितने बन्द हैं ? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों को चलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

दिनांक 1-4-2008 की स्थिति के अनुसार जनपद गोण्डा में 448 अदद एवं जनपद बलरामपुर में कुल 281 अदद नलकूप कार्यशील हैं।

दिनांक 5-6-08 की बन्दी सूचना के अनुसार जनपद गोण्डा के 448 अदद कार्यशील नलकूपों में से 12 अदद नलकूप एवं जनपद बलरामपुर के 281 अदद कार्यशील नलकूपों में से 10 अदद नलकूप अस्थायी रूप से बन्द हैं।

जी हां।

जनपद गोण्डा में चलित 448 नलकूपों में से अस्थायी रूप से बन्द 12 नलकूपों में से 11 नलकूप चालू कर दिये गये हैं। विद्युत दोष से बन्द शेष एक नलकूप दिनांक 25-8-08 तक चालू करा दिया जायेगा।

जनपद बलरामपुर में 281 चलित नलकूपों में अस्थायी रूप से बन्द 10 नलकूपों को चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

165-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-08 प्रमुख सचिव, लोक

निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

पत्र में उल्लिखित एक ग्राम को छोड़कर शेष ग्राम पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं। ग्राम कुकवाखास को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना स्वीकृत है, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के भावल खेड़ा विकास खण्ड में खराब पड़े नलकूपों की मरम्मत कराने की मांग

166-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नलकूप एवं लघु डाल नहर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के भावल खेड़ा विकास खण्ड में कितने नलकूप खराब हैं ? क्या मंत्री जी इन नलकूपों की मरम्मत करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी विद्युत दोष के कारण जो नलकूप खराब हैं उनको अलग से चिन्हित करके ठीक करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के भावल खेड़ा विकास खण्ड में दिनांक 12-6-08 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार 05 नलकूप विद्युत दोष से खराब थे।

जी हां।

विद्युत दोष से बन्द 05 नलकूपों में से 03 नलकूप दिनांक 2-8-08 तक ठीक करा दिये गये। शेष 02 नलकूपों के सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 25-8-08 तक ठीक कराने के लिये कार्यक्रम दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

167-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-142-07, दिनांक 20-8-07 जो झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कों के विकास के सम्बन्ध

में था, सचिव, विकास प्राधिकरण, झांसी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां, किन्तु प्रश्नगत पत्र पार्कों के विकास के सम्बन्ध में नहीं है, बल्कि स्वामीपुरम कालोनी, जिसका तलपट मानचित्र स्वीकृत नहीं है, के निवासियों के गन्दे पानी की निकासी की समस्या के निराकरण एवं सड़क निर्माण से सम्बन्धित हैं जहां तक इस समस्या के निदान का प्रश्न है। इस कालोनी की लगभग 100 मीटर सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत का आगणन तैयार कर लिया गया है। प्रक्रिया प्रचलन में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आई0टी0 कालेज, लखनऊ के सामने रोड पर स्पीड ब्रेकर व डिवाइडर बनवाये जाने की मांग

168-श्री सुधीर कुमार-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में स्थित आई0 टी0 कालेज के सामने रोड पर डिवाइडर व स्पीड ब्रेकर न होने के कारण उक्त कालेज की छात्राओं के साथ आये दिन तेज वाहनों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं ?. यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क पर डिवाइडर व स्पीड ब्रेकर बनवाकर दुर्घटनाओं को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आई0 टी0 कालेज, डालीगंज से फैजाबाद मार्ग के कि0मी0 3 में स्थित है। आई0टी0 चौराहे से निशातगंज की तरफ 25 मीटर तक डिवाइडर बना है। आई0टी0 कालेज का गेट चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।

प्रश्नगत मार्ग पर डिवाइडर व स्पींड ब्रेकर बनाये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

169-श्री राम बिशुन आजाद-

[2रे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-107 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस की गंग नहर की समानान्तर शाखा का उपयोग डार्क घोषित विकास खण्डों में जल उपलब्ध कराया जाना

170-डा0 अनिल चौधरी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस ब्रांच व गंग नहर की समानान्तर शाखा का उपयोग डार्क घोषित विकास खण्डों में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने में किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मध्य गंगा नहर प्रणाली में उपलब्ध जल से मुलतः कमाण्ड क्षेत्र में सिचाई का प्राविधान है। इस परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत समानान्तर हाथरस शाखा के माध्यम से खरीफ में 670 क्यूसेक पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है, जिसके परिणामस्वरूप हाथरस शाखा के निचले भाग में स्थित डार्क घोषित विकास खण्ड सादाबाद को भी खरीफ में पानी उपलब्ध हो जाता है।

स्थिति उपरोक्तानुसार है।

जनपद झांसी के ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने की मांग

171-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये उपलब्ध कराई गई जमीन को कूड़ाघर में परिवर्तित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना के लिये कोई कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी नहीं।

ट्रांसपोर्ट नगर हेतु झांसी महायोजना-2021 में मौजा कोछाभांवर में जमीन प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक कांट में कतिपय सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

172-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर, ब्लाक-कांट में गुलौला खेड़ा-त्रिलोकपुर-तिलहर मार्ग पर स्थित ग्राम ईश्वरीगंज नवादा से नवादा रुद्रपुर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई केवल 500 मीटर है, निर्मित किया जायेगा ? यदि हां, तो लेपन स्तर तक निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा शहर में अर्जुननगर से फतेहपुर सीकरी रोड को जोड़ने के लिये भूमिगत मार्ग बनाने की मांग

173-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में अर्जुन नगर से फतेहपुर सीकरी रोड को जोड़ने के लिये भूमिगत मार्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 अगस्त, 2008 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 32 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं। पहली सूचना श्री सुशील सिंह की चन्दौली के धानापुर क्षेत्रान्तर्गत मोटरवा घाट अगहर नाले पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद नगर में नालों के घटिया निर्माण एवं नाले नालियों की तथाकथित सफाई की जांच तथा ध्वस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है। (माननीय सदस्य ने अपनी सूचना को स्वयं पढ़ा) चौथी सूचना श्री राजा राम त्यागी की रायबरेली की बछरावां नगर पंचायत स्थित 33/11 के0वी0ए0 सब-विद्युत स्टेशन के चारों ओर जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (मा0 सदस्य ने अपनी सूचना को स्वयं पढ़ा) पांचवीं सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत सुसवाही गांव के जल निकासी हेतु नाला बनवाने के सम्बन्ध में है। .... (मा0 सदस्य ने अपनी सूचना को स्वयं पढ़ा)

छटी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रदेश के इक्का तांगा का कार्य करने वाले गरीब लोगों को समुचित सुविधायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है। (मा0 सदस्य ने अपनी सूचना को स्वयं पढ़ा)

सातवीं सूचना श्री बैजनाथ दुबे की गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत तहसील गोण्डा एवं कर्नेलगंज में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को शासकीय सहायता देने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की सीतापुर के नैमिषारण्य में निर्माणाधीन 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है। (मा0 सदस्य ने अपनी सूचना को स्वयं पढ़ा)

नवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की जनपद महामायानगर (हाथरस) के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर में सोस नदी के ऊपर नवीन पुल के निर्माण की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह की बन्द पड़ी धुरियापार सहकारी चीनी मिल लि0 हरपुर-गजपुर जनपद गोरखपुर को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की बाढ़ खण्ड कुशीनगर में व्याप्त अनियमितताओं की टी0ए0सी0 से जांच कराने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग घाना भवन जलालाबाद से लोनी तक का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी जिले के पूरे गांव तथा चन्दौली जिले के हथियानी गांव के रहस्यमय विकलांगता रोग के शिकार लोगों को विकलांगता से मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में हैं।

पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील में सायं 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :--

1-श्री आदित्य पाण्डेय, 2-श्री भगवत शरण गंगवार, 3-डा0 कौशल किशोर, 4-श्री विश्वनाथ, 5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 6-श्री अशोक कंसल, 7-डा0 राजेन्द्र सिंह, 8-श्री शैलेन्द्र यादव "ललई", 9-श्री सुन्दर लाल लोधी, 10-श्री दुर्गा प्रसाद यादव, 11-श्री सर्वेश कुमार सिंह, 12-श्री सुखलाल, 13-श्री भोला पासवान, 14-श्री सुन्दर सिंह, 15-श्री राम किशुन, 16-श्री जोखू लाल यादव एवं 17-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

चन्दौली के धानापुर क्षेत्रान्तर्गत मोटरवा घाट अगहर नाले पर पक्का पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुशील कुमार-

[महोदय, सादर आपको अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली, विधान सभा क्षेत्र धानापुर अन्तर्गत ग्राम अवही से बहोरा स्टेशन रोड के रास्ते अगहर नाला पर मोटरवा घाट पार करना पड़ता है। नाले पर पुल न होने से आम जनमानस को दिन-प्रतिदिन आने-जाने में काफी कठिनाई होती है।

अतः आपसे निवेदन है कि लोकहित में मोटरवा घाट अगहर नाले पर पक्का पुल निर्माण कराने की कृपा करें।]

इलाहाबाद नगर में नालों के घटिया निर्माण एवं नाले-नालियों की सफाई की जांच तथा ध्वस्त सड़कों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय, इलाहाबाद नगर में विगत ढाई महीने से नाले-नालियों से बाढ़ आ जा रही है। करोड़ों रुपये व्यय करके जवाहर लाल नेहरू रोड तथा बक्शीखुर्द कलां में सी0सी0 नालों के निर्माण से जल बहाव में सुगमता होने के बजाय इससे लगे अल्लापुर, जार्जटाउन, टैगोर टाउन, छीतपुर, मधवापुर-बरैहना, मोरी-दारागंज, हाशिमपुर आदि क्षेत्रों में भारी जल भराव से धन-जन की क्षति हो गई। नाले-नालियों की ठीक समय और तरीके से सफाई न होने से यही हाल राजापुर, गंगानगर, सिविल लाइन्स, नार्थ-साउथ मलाका, मलाकराज, सदियापुर, लूकरगंज, कीडगंज में घरों में पानी घुस जाता है। करोड़ों की क्षति हो गई है। बक्शी में नवनिर्मित एस0टी0पी0 के नाले और तालाब की दीवालें ढह गयीं। नगर के पम्पिंग स्टेशनों पर डीजल के अभाव में समय से पम्प नहीं चल सके। पूरे शहर में भयंकर जल भराव से सड़कें ध्वस्त हो गई हैं। पैदल चलना दूभर हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल उपरोक्त निम्न कोटि के नालों के निर्माण तथा नाले-नालियों की तथाकथित सफाई की गम्भीरतापूर्वक जांच तथा उपरोक्त मुहल्लों की ध्वस्त सडकों हेतु विशेष फण्ड देकर शासन से निर्माण कराने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम खण्डिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खंडिया के पास नदी पर पुल न होने के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। वर्तमान में रामपुर जनपद की तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी पर ग्राम खंडिया के पास नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण बरसात में लगभग 50 गांवों का सम्पर्क तहसील व जनपद से टूट जाता है। यह पुल जनपद बरेली को जोड़ने वाला मार्ग है। इस पुल को बनाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा इसके सम्बन्ध में शासन में इस पुल को बनाने का स्टीमेट भी आ चुका है तथा शासन के वित्त विभाग द्वारा सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। इस पुल के न बनने से जनता में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है। जनहित में इस पुल का निर्माण अविलम्ब कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोकमहत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।

रायबरेली के बछरावां नगर पंचायत स्थित 33/11 के0वी0ए0 सब विद्युत स्टेशन के चारों ओर जल भराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजाराम त्यागी-

मैं इस सदन के माध्यम से शासन का ध्यान जनपद-रायबरेली की तहसील महराजगंज के अन्तर्गत बछरावां नगर पंचायत में स्थित 33/11 के0वी0ए0 सब विद्युत स्टेशन पर दो सप्ताह से बाढ़ का पानी आ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद रायबरेली की तहसील महराजगंज के अन्तर्गत बछरावां नगर पंचायत में स्थित 33/11 के0वी0ए0 सब विद्युत स्टेशन दो सप्ताह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। उक्त सब विद्युत स्टेशन चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। चारों ओर से पानी से घिरे होने के कारण सम्बन्धित विभाग का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी पावर हाउस के अन्दर न जा पा रहा है और न ही आ पा रहा है जिससे कार्य पूर्णतया बाधित हो गया है। शासन स्तर से उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है, जिससे समस्या का निराकरण हो सके। उक्त सब विद्युत स्टेशन को वर्षा की बाढ़ से बचाना नितान्त आवश्यक है, जिससे वहां का कार्य सुचारु ढंग से सम्पादित हो सके। उक्त समस्या का समाधान न होने के कारण क्षेत्रीय नागरिकों में असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।

वाराणसी कैण्ट के सुसवाही गांव के जल निकासी हेतु नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

वाराणसी का कैन्ट विधान सभा क्षेत्र एक विकासशील क्षेत्र है। विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर यहां बसते जा रहे हैं। नये कालोनी तथा बहुमंजिला इमारते लगातार बनती जा रही है। कृषि क्षेत्र इमारतों में बदलता जा रहा है। परिणाम स्वरूप जल निकासी बाधित होता जा रहा है। नाले या जल निकासी की व्यवस्था इसके अनुरूप नहीं बन पा रहे हैं। पुरानी बस्तियां पानी में घिरती जा रही हैं, सड़कें नाला बन जा रही हैं। जहां पानी तेज बहाव से बहता है जरूरत है ऐसे जगहों पर नाला बनाकर बरसाती पानी के निकलने की व्यवस्था किया जाय।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पीछे सुसवाही गांव की मुख्य सड़क की स्थिति इस समय ऐसी ही है। सुसवाही एक बड़ा गांव है जहां अनेक कालोनियां बन गई हैं और मुख्य सड़क पर न केवल बरसाती पानी बल्कि क्षेत्र में स्थित पोखरों का पानी भी ओवरफ्लो होकर तेजी से बहता है।

मैं इस अति महत्वपूर्ण जनहित के विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए एक नाला बनाकर सुसवाही गांव के पानी निकासी की तत्काल व्यवस्था की मांग करता हूं जिससे गांव से बाहर निकलने का रास्ता सुगम हो सके।

प्रदेश के इक्का तांगा वाले गरीब लोगों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में इक्का, तांगा ग्रामीण अंचलों से कस्बों को जोड़ने के लिए चलाये जाते हैं और बड़े-बड़े शहरों में भी पुराने समय से इसका प्रचलन है। कस्बों और बाजारों में तांगा चालकों से शुल्क (नगर शुल्क) तो लिया जाता है परन्तु इनके घोड़ों के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था कहीं नहीं की गयी है और इक्का, तांगा भी खड़ा करने के लिये जगह भी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इससे इन इक्का, तांगा मालिक/चालकों का उत्पीड़न स्थानीय पुलिस व दबंग किस्म के लोगों द्वारा किया जाता है इससे इन लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और इन गरीब लोगों के रोजगार पर कुठाराघात भी हो रहा है। यह एक जनहित का गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है, इस समस्या का निदान किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

अतः इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल इक्का, तांगा चालकों के घोड़ों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं खड़ा करने के लिये स्थान मुहैया कराये जाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोण्डा के कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत तहसील गोण्डा एवं करनैलगंज में अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को शासकीय सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बैजनाथ दुबे-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति लोकमहत्व के विषय की आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे वि0 स0 क्षेत्र कटरा बाजार गोण्डा के अन्तर्गत तहसील गोण्डा व करनैलगंज में अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसानों के कच्चे मकान गिरकर ध्वस्त हो गया है तथा फसले भी बर्बाद हो गयी है। वर्तमान समय में धान जहां पर रोपाई की गयी थी अधिक पानी भर जाने के कारण धान डूबकर गल गये हैं तथा जहां पर धान रोपाई नहीं की गयी और जो ऊपरी भाग है जहां पर मक्का, उर्द, अरहर आदि की बुआई होती थी, वह भी बरसात के कारण किसानों की फसलें नहीं हो पाई है जिससे वहां के लोग भुखमरी के शिकार हो गये हैं और पशुओं के लिए चारे का भी भारी संकट पैदा हो गया है जिन किसानों का बरसात के कारण कच्चे मकान गिर गये हैं उनके रहने के लिए कोई साधन नहीं है और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है ऐसी स्थिति में यदि इन्हें आवास हेतु सरकारी सहायता नहीं मिलती है तो पलायन करने को मजबूर होंगे। तहसील स्तर पर अधिक वर्षा से हुई धनजन हानि का जांच कराकर लोगों के भोजन एवं पशुओं के चारे हेतु तथा अस्थाई रूप से छप्पर रखने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। नहीं तो भीषण समस्या उत्पन्न हो जायेगी तथा अतिवृष्टि से गिरे हुए मकानों का सर्वे कराकर आवास की व्यवस्था तत्काल करायी जाय तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता एवं आवास उपलब्ध कराये जाने के आदेश देने की कृपा करें।]

सीतापुर के नैमिषारण्य में निर्माणाधीन 33 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर के अन्तर्गत नैमिषारण्य में 33 के0वी0ए0 का विद्युत उपकेन्द्र बन रहा है जिसका कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है और 20 प्रतिशत बाकी है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा कार्य धन के अभाव में पूर्ण न कराये जाने की बात कही जा रही है जिससे आम लोगों में बहुत ही रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। विद्युत उपकेन्द्र न होने से स्थानीय लोगों को बहुत ही असुविधा हो रही है और नैमिषारण्य एक धर्मस्थली भी है और दूर-दूर से लोग यहां पर दर्शनार्थ यहां पर आते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहते हैं। यह तहसील मिश्रिख के अन्तर्गत प्रसिद्ध स्थान है तत्काल विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।

महामायानगर (हाथरस) के आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं का निदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। वैसे तो आलू की खेती पूरे उत्तर प्रदेश में की जाती है परन्तु मेरे जनपद महामायानगर (हाथरस) में आलू किसानों की प्रमुख फसल है। यहां पर आलू का उत्पादन बहुत अधिक होता है। परन्तु किसानों द्वारा उत्पादित आलू का कोई मूल्य निर्धारित न होने तथा बाहर निर्यात न होने के कारण किसानों को आलू का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर भी नहीं मिल पा रहा है। कोल्ड स्टोरों में जमा किसानों के आलू का मूल्य कोल्ड स्टोरों के किराये के बराबर ही है इस प्रकार से आलू उत्पादक किसानों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। सरकार द्वारा आलू किसानों को कोल्ड स्टोरों में आलू जमा करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है जिससे कोल्ड स्टोर के मालिक मनमाना पैसा किसानों से वसूल कर रहे हैं और मजबूर होकर किसानों का आलू जमा करना पड़ रहा है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा आलू उत्पादक किसानों के प्रति उदासीनता के आलू उत्पादक किसानों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है। किसानों की इस समस्या के निदान हेतु आलू जमा करने के लिए कोल्ड स्टोरों को सहायता एवं आलू का निर्यात तथा आलू से बनाये जाने वाली खाद्य सामग्री की कारखाने लगाये जाने चाहिए जिससे की आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं का निदान हो सके।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के निदान हेतु अविलम्ब कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

बदायूं नगर में सोस नदी के ऊपर नवीन पुल के निर्माण की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

[महोदय, बदायूं नगर की सीमा पर बरेली-आगरा मार्ग पर सोस नदी के ऊपर एक सकरा पुल स्थिति है। रुहेलखण्ड मण्डल ने आगरा मण्डल को जाने का एक मात्र सड़क मार्ग है। पुल के दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसकी मान्यता अजमेर दरगाह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के बराबर है। इस पुल पर जायरीनों की भीड़ के कारण एवं हाइवे के अत्यधिक वाहनों की भीड़ के कारण यहां अक्सर कई किलोमीटर लम्बा जाम लग जाता है। जो पुलिस की अत्यधिक मेहनत के बाद ही खुल पाता है। इस क्षेत्र का सारा गन्ना भी इसी रास्ते से मिलों को जाता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर जनहित में बदायूं नगर में सोस नदी पर एक नवीन पुल की अतिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

धुरियापार सहकारी चीनी मिल लि0 हरपुर-गजपुर जनपद गोरखपुर को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। धुरियापार सहकारी चीनी मिल लि0 हरपुर-गजपुर जनपद गोरखपुर जो इस समय बन्द पड़ी है इससे किसानों को अपने गन्ना आपूर्ति करने में काफी असुविधा हो रही है और उसमें कार्यरत कर्मचारी भी भूखों मर रहे हैं। इस चीनी मिल को पुनः चलाये जाने के सम्बन्ध में 30 जून, 04 को तत्कालीन मुख्य मंत्री जी द्वारा सहमति भी व्यक्त की गई थी। परन्तु आज तक वह मिल नहीं चली जिससे स्थानीय किसानों व उसमें कार्यरत कर्मियों में घोर निराशा है और मिल पूरी तरह से बन्द पड़ी है। यह एक बहुत ही गम्भीर एवं लोक महत्व का विषय है तत्काल मिल चालू किया जाना किसानों के हित में होगा, कर्मियों के हित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मिल को चालू कराने की मांग करता हूं।]

बाढ़ खण्ड कुशीनगर में व्याप्त अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शम्भू चौधरी-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। कि बाढ़ खण्ड कुशीनगर में वर्ष 2005-06 से ही किये जा रहे कार्यों में अधिकारियों एवं ठेकेदारों की मिली भगत से करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र नौरगिया के सीमावर्ती ग्राम सभायें नरायणी नदी के किनारे बसे हैं जहां प्रति वर्ष बाढ़ की वजह से गरीब जनता की फसलें एवं घर ध्वस्त व तबाह हो जाते हैं वहीं यह अधिकारी और ठेकेदार कार्यों का फर्जी भुगतान कर अपना घर आबाद कर रहे हैं। वर्ष 2005-06 में बोल्डर कम मात्रा में आपूर्ति कर अधिक आपूर्ति दर्शाया गया है, अनुबन्ध संख्या 67/सी0ई0/04-05 रिच 200 से 3200 छितौनी दरगौली बांध पर 10 लाख रुपये की मिट्टी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भराई का कार्य फर्जी भुगतान, कई लाख रुपये का घोटाला टी0आई0 एवं पी0आई0 के माध्यम से किया गया। बाढ़ खण्ड कुशीनगर में 05-06 में मिर्जापुर स्टोन बोल्डर का फर्जी आपूर्ति दिखाकर 3 करोड़ का लूट हुआ, छितौनी बांध के किमी0 12.700 पर स्थित वीरभार स्परदर/80 लाख रुपये की लूट, अमवा खास बांध पर 50 लाख रुपये का घोटाला, अनुबन्ध 54/एस0ई0/04-05 अनुबन्ध संख्या-57/एस0ई0/04-05 एवं अनुबन्ध 65 एस0ई0/04-05 में बोल्डर की फर्जी आपूर्ति एवं डम्पिंग दिखाकर लूट/अनुबन्ध 65 का जमानत जप्त न करके आपूर्ति फर्जी दर्शाया गया है एवं छितौनी पिपरासी बांध पर 50 लाख की लूट किया जा चुका है।

पिछले वर्ष 06-07 में मदनपुर ग्राम सभा के पास बन्धे के कटान के बाद लगभग 50 लाख का कार्य सार्वजनिक टेन्डर किये बिना फर्जी तौर पर कराया जा रहा है। जिसमें काफी घोटाला किया जा रहा है। नौतार बन्धे पर लगभग 20 लाख का कार्य बिना टेन्डर निकाले ही करवा दिया गया है तथा बाद में जिले के नाम अनुबन्ध किया गया, उनका उस समय तक न तो चरित्र और न ही हैसियत प्रमाण पत्र का नवीनीकरण हो सका था। भैसहा से वीरभार ठोकर तक बन्धे पर किये जा रहे कार्यों में घोर अनियमितता किया जा रहा है, मदनपुर से लेकर भैसहा से होते वीरभार ठोकर तक पिछले वर्ष जिन ठेकेदारों के नाम से भुगतान किया गया है उनका पता जांच कर स्थानीय ठेकेदारों एवं ग्रामीणों से उनके द्वारा कराये गये कार्यों के बारे में जानकारी किया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जांच कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग घाना भवन, जलालाबाद से लोनी तक का पुनः निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री इमरान मसूद-

[जनपद सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने वाले मार्ग जो घाना भवन जलालाबाद से लोनी तक क्षतिग्रस्त हो गया है जिस पर हरिद्वार, देहरादून, मंसूरी आदि जनपद के लिए यात्री आते-जाते हैं। सड़क क्षतिग्रस्त होने से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं व सहारनपुर से देवबन्द मार्ग जो हॉट मिक्स प्लॉन्ट से 2 वर्ष पूर्व बनाया गया है, भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिसकी जांच कराकर सम्बन्धित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करते हुए मार्ग को शीघ्र से शीघ्र बनवाया जाये।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वाराणसी जिले के पूरे गांव तथा चन्दौली जिले के हथियानी गांव के रहस्यमय विकलांगता रोग के शिकार लोगों को मुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[महोदय, चन्दौली जिले के अन्तर्गत हथियानी गांव में पिछले लगभग 30-35 वर्षों से कई परिवार विकलांगता से ग्रस्त हैं। 2 परिवार ऐसे हैं जिनके यहां 2-2 और 3-3 विकलांग हैं। अंग विकृति के शिकार लोगों की कुल संख्या डेढ़ दर्जन से अधिक है। जानकारी होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन द्वारा न तो ऐसे लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया गया और न यहां के पानी की जांच करायी गयी। लगभग साढ़े 3 हजार की आबादी वाले हथियानी गांव में 2 स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं उन्हीं के परिवार के राजेन्द्र यादव के 5 पुत्र पुत्रियों में सावित्री 16, रोहित 14 और संदीप कुमार 12 गूंगे-बहरे हैं। यहीं के श्यामजी चौहान के परिवार में भी विकलांग हैं। बीरबल प्रसाद के पुत्र भी एक हाथ से विकलांग हैं। रामदयाल चौहान के 5 संतानों में एक विकलांग हैं। जिउत चौहान का परिवार भी प्रभावित है। इसी प्रकार गांव के सुजीत कुमार चौहान, सबिता, संजीव कुमार, गणेश, प्रियंका, राजेश कुमार सहित डेढ़ दर्जन से अधिक लोग विकलांगता से अभिशप्त हैं। वाराणसी के पूरेगांव में उन युवक-युवतियों की शादी नहीं हो रहे हैं जिनके हाथ-पैर सूख गये हैं। सेवापुरी ब्लाक के इस गांव में अब तक करीब 100 लोग अज्ञात बीमारी की चपेट में आ चुके हैं।

उक्त पूरेगांव और हथियानी गांव के लोग रहस्यमय विकलांगता रोग के शिकार हैं। इन दोनों गांव के लोगों को विकलांगता से मुक्ति दिलाने हेतु शासन स्तर पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्राप्त मेडिकल जांच तथा अन्य आवश्यक चिकित्सा प्रदान करने की दिशा में अविलम्ब पहल करने की आवश्यकता है। सभी लोगों को बी0पी0एल0 कार्ड, पेंशन तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद की गढ़मुक्तेश्वर तहसील के सायं 8 बजे के प्रातः 6 बजे तक विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा किनारे बसा एक पौराणिक तहसील स्तर का धार्मिक स्थल है तथा सरकार की हरिद्वार की तर्ज पर विकास करने की योजना है। रोज ब्रजघाट पर गंगा में श्रद्धालु स्नान करने हेतु दूर-दूर से रात दिन आते हैं कभी-कभी लाखों की संख्या में श्रद्धालु रात

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को भी स्नान करते हैं लेकिन विद्युत रोशनी न होने से डूब जाते हैं यह दुर्घटनायें आम तौर पर घटित हो रही हैं मेरा सरकार से अनुरोध है कि तहसील/पर्यटन स्थल व गंगा स्नान पौराणिक नगर की दृष्टिगत रखते हुए HV2 की श्रेणी में रखकर विद्युत आपूर्ति शाम 8 बजे से करने के निर्देश देने की कृपा करें। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

बीजिंग ओलम्पिक 2008 में 10 मीटर एयर रायफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने तथा कीर्तिमान स्थापित करने के लिये श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री अभिनव बिन्द्रा द्वारा बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है एवं कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई देता है।"

(सम्पूर्ण सदन के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं।)

हाकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के खिलाड़ी श्री दिवाकर राम का नाम भी श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई विषयक प्रस्ताव के साथ जोड़े जाने का अनुरोध

* डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं इसमें सिर्फ एक संशोधन चाहता हूं। मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव सदन के सामने रखा है उससे हम सब सहमत हैं। अभिनव बिन्द्रा जी ओलम्पिक पदक ले करके आये हैं, इसके लिए हम सब उन्हें बधाई देते हैं। इसी प्रदेश का एक नागरिक है दिवाकर राम, एकदम नौजवान हम सब जानते हैं कि उसने पूरे भारत का नाम हाकी के क्षेत्र में रौशन किया है। दिवाकर राम गोरखपुर के निवासी हैं उनके नाते आज भारत की हाकी टीम बहुत दिनों बाद विजय के स्तर पर पहुंची है और जिसने मेडल प्राप्त किया है। लगातार 4 मैचों में सिर्फ उनके दो गोल के नाते भारत को यह जीत प्राप्त हुई है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव में श्री अभिनव बिन्द्रा के साथ ही हाकी के खिलाड़ी श्री दिवाकर राम का भी नाम जोड़ लिया जाए।

(श्री इमरान मसूद के खड़े होने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, कोई चर्चा नहीं हो रही है। डा0 अग्रवाल साहब ने एक सुझाव दिया है कि मंत्री जी उस पर विचार कर लें।

बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने तथा कीर्तिमान स्थापित करने के लिए श्री अभिनव बिन्द्रा को बधाई दिये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री अभिनव बिन्द्रा द्वारा बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में दस मीटर एयर राइफल शूटिंग की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में देश के लिए ओलम्पिक इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त करता है एवं कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई देता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 अगस्त, 2008 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुई :-

पहली सूचना, श्री राम विशुन आजाद व श्री आरिफ अनवर हाशमी की प्रोटोकाल के तहत मा0 विधायकों से अधिकारियों द्वारा दूरभाष/मोबाइल फोन पर बात न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री प्रमोद तिवारी की उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अध्याय-4 के नियम-14 का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री आर0 ए0 उस्मानी की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी घोषणानुसार मा0 सदस्यों के निर्वाचन-क्षेत्रों में पेयजल हेतु इण्डिया मार्का-2 हैण्ड-पम्प न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में और चौथी सूचना, श्री आरिफ अनवर हाशमी की भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।

मा0 सदस्य श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री कुबेर सिंह व श्री अनूप संडा की सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी। श्री कुबेर सिंह को दो मिनट के लिए अलग से सुन लिया जायेगा क्योंकि यह मा0 सदस्यों की इच्छा रहती है।

प्रोटोकाल के अनुरूप मा0 विधायकों को अधिकारियों द्वारा दूरभाष/मोबाइल फोन पर बात न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

श्री राम विशुन आजाद जी सूचना की ग्राह्यता पर अपनी बात रखें।

* श्री राम विशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस औचित्य के प्रश्न के माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी पीठ से समय-समय पर यह निर्देश आता है और आता रहता है कि मा0 विधायकों/सांसदों का शिष्टाचार और प्रोटोकाल के हिसाब से सम्मान किया जाए। मान्यवर, जब से यह सरकार बनी है चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, मा0 सदस्यों को कभी भी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकाल के अनुरूप सम्मान नहीं किया जाता है। जब मोबाइल से टेलीफोन किया जाता है और अधिकारियों के पास मोबाइल पर घण्टी जाती है तो घण्टी बजती रहती है, वह उसको काट देते हैं। दोबारा रिंग कीजिए तो स्विच आफ हो जाता है या मोबाइल फोन व्यस्त हो जाता है और यह सुनाई पड़ने लगता है कि बाद में डायल कीजिए या फिर नम्बर खराब है, नम्बर मौजूद नहीं है। इस तरीके से माननीय विधायकों के अधिकारों का हनन अधिकारियों के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यही नहीं अगर टेलीफोन कीजिए और उनको यह पता चले कि ये प्रतिपक्ष के विधायक हैं तो मोबाइल आफ कर देते हैं। कहीं-कहीं तो ऐसा भी देखने में आया कि रिंग कीजिए पुलिस के अधिकारी हैं या दरोगा या दूसरे अधिकारी कुछ ऐसे हैं वह जानते हैं कि बी0एस0पी0 का विधायक है तो फोन उठाते ही जय भीम बोलते हैं। जैसे ही उनको पता चलता है कि विपक्ष के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के हैं तुरन्त उसको काट देते हैं। यह तभी होता है जब वह समझते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक हैं। मैंने अपने क्षेत्र में एक दरोगाजी को टेलीफोन किया घण्टी गई दरोगा ने कहा कि जय भीम। मैंने अपना नाम नहीं बताया उसने कहा कि वह समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था उसको मैंने जेल भेज दिया है आगे जरा मुझको देखिए। तब मैंने कहा कि मैं राम बिशुन आजाद बोल रहा हूं तो उसने कहा कि गलती हो गयी। इस सम्बन्ध में समय-समय पर आपकी पीठ से जो निर्देश होते हैं इतना ही नहीं समय-समय पर जो शासनादेश होते हैं उसको मैं पढ़कर सदन को सुनाना चाहता हूं। यह शासनादेश माननीय सांसदों/विधायकों के प्रति शिष्टाचार एवं अनुमन्य प्रोटोकाल का पालन करने के सम्बन्ध में है। शासनादेश संख्या-977/सत्रह सं0-1-2003 1ए0क्यू0 99 दिनांक 12 मई, 2003 द्वारा शिष्टाचार सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश जारी किये गये थे।

श्री अध्यक्ष-

शासनादेश पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री राम बिशुन आजाद-

इसमें यह भी है कि उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया मा0 सांसदों/विधायकों के प्रति शिष्टाचार के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ताकि मा0 सांसदों/विधायकों के प्रति उपर्युक्त शिष्टाचार व सम्मान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो।

मान्यवर, प्रमुख सचिव द्वारा जारी यह शासनादेश है। आपकी पीठ से भी समय-समय पर निर्देश हुआ है। लेकिन इस सरकार में जो अधिकारी है वह मनमाना रवैया ...

श्री अध्यक्ष-

इतनी जोर से न बोले साउण्ड सिस्टम लगा हुआ है।

श्री राम विशुन आजाद-

अधिकारी विपक्ष के विधायकों का शोषण कर रहे हैं। इतना ही नहीं सत्ता पक्ष के विधायकों से भी मैंने सुना है कि जब वह मिलने जाते हैं तो अधिकारी बहन जी का नम्बर देते हैं और कहते हैं कि बात कर लीजिए। विधायक चुपचाप चले आते हैं। इस तरह से विधायकों का अपमान हो रहा है और अधिकारियों द्वारा शिष्टाचार का पालन नहीं किया जा रहा है, सम्मान नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपकी तरफ से निर्देश जाना चाहिए आप हम लोगों के अगुवा हैं, हम लोगों के मालिक हैं आप हम लोगों के संरक्षक हैं। चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के आप ही अगुआ और मालिक हैं। आपकी ओर से निर्देश जाना चाहिए कि अगर कोई भी अधिकारी विधायकों का शिष्टाचार और प्रोटोकाल के हिसाब से सम्मान नहीं करता है तो उसको दण्डित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी ओर से शासन को निर्देश जाना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी आपका लम्बा तजुर्बा है, आपको सहानुभूति है। यह भी अंदाजा है कि आप इन चीजों को मन में महसूस भी करते हैं। काफी लम्बे समय से मैं भी यहां आता हूं। अधिकारियों से मिलने उनसे बात करने का हमें भी सन् 1980 से लगातार तजुर्बा है। मैं इस वक्त कोई कटाक्ष नहीं करूंगा केवल सच्चाई बयान करना चाहता हूं कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी इस सरकार में निरंकुश हो गई है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई राजनैतिक दल आए ऐसे दल भी आए जिन्होंने दिलों में बड़ी पीड़ा पहुंचाई, ऐसे दल भी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, ऐसे दल भी जिनके समय में 6 दिसम्बर जैसा दिन आया लेकिन इसके बावजूद ब्यूरोक्रेसी या अधिकारी लोगों का चुने हुए लोगों के साथ बात करने का तरीका मिलने का समय देने का और उनके पास जाने का तरीका कभी नहीं बदला। यह पहली सरकार है जिसमें अधिकारी बाहर से मना करा देते हैं मिलने में उन्हें ऐतराज होता है। जबरदस्ती कोई मिले भी तो उनका बरताव ऐसा होता है कि दूसरी बार कोई जनप्रतिनिधि मिलने न जाय। यह सच्चाई है इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के साथ ऐसा होता है तो किसी हद तक बात समझ में आती है लेकिन जब सत्ता पक्ष के साथ ऐसा होता है तो वह क्यों होता है वह इसलिए होता है कि शायद हमने भी अपने स्तर को कुछ गिरा लिया है। जब मुख्य मंत्री के सचिव के पास कैबिनेट मंत्री स्वयं

जायेंगे और दरवाजे पर चपरासी यह कहकर रोक देगा कि आपको मालूम नहीं है बैठक चल रही है जब यह होगा तो इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या मुख्य मंत्री के सचिव के पास कैबिनेट मंत्री को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब हम अपना स्तर यहां तक ले आयेंगे तो विपक्ष के विधायकों का क्या होगा वही होगा जैसा कि कहा गया है। मैं आपका विश्वास चाहूंगा ब्यूरोक्रेसी को आप अपने स्तर से चाहे मीटिंग बुलाकर ब्यूरोक्रेट का इस बात के लिए हिदायत करें कि वो सम्मान दें जो उनका अधिकार है। उनकी सही बात है तो मानें, गलत बात है तो न मानें लेकिन उन्हें अपमानित करना उनके स्तर को कम करना इससे मान्यवर, किसी विधायक या सांसद का स्तर कम नहीं हो जायेगा इससे जो चीज कम होगी वह कम होगी लोकतंत्र में सैकड़ों से ज्यादा हिन्दुस्तानियों की आस्था और मान्यवर, यह याद रहे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे कोई मुख्य मंत्री बने या प्रधान मंत्री बने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सदनों के रास्ते से ही हिटलरशाही आई थी। लेकिन जो लोग हिटलर बने मुसोलिनी, नैपोलियन बने या सद्दाम हुसैन बने याद रहे जमाने ने उनका अंजाम भी देखा है। जुल्म का अंत भी बड़ा खतरनाक हुआ है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र को कमजोर करने अगर सरकार का संरक्षण हो तो गलत और अगर ब्यूरोक्रेट्स की मंशा हो तो गलत।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, आज पहली बार इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी जनता के प्रति जवाबदेह हुयी है और मान्यवर, इसका उदाहरण है कि 10 बजे से 12 बजे तक उसको मजबूर होकर आम जनता को, केवल जन प्रतिनिधि को नहीं, आम जनता को अपने दफ्तर में सुनने के लिये मजबूर होना पड़ा है। (शोर) मान्यवर, एक भी उदाहरण अगर किसी भी जिले में ऐसा नहीं हो रहा है माननीय सदस्य लिखकर देंगे कि 10 बजे से 12 बजे तक कोई भी अधिकारी चाहे वह जिलाधिकारी हो, एस0पी0 हो एस0डी0एम0 हो चाहे जो भी अधिकारी हो अगर जनता को सुनने के लिये अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। (शोर)

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं। फातिमा जी, आप बैठ जाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

लोकतंत्र में जन प्रतिनिधियों के प्रति, जन प्रतिनिधियों का सम्मान सबके लिये आवश्यक है और इस बारे में कड़े निर्देश दिये गये हैं कि हर अधिकारी जनप्रतिनिधियों का उचित सम्मान करे। अगर उनका दूरभाष पर टेलीफोन आता है तो वो उस समय उपस्थित न हों तो दोबारा बैठकर उनसे बात करें। मैं पुनः इसको दिखवा लूंगा। अगर कहीं से भी इस तरह की शिकायत पाई जायेगी तो उसके लिये कार्यवाही की जायेगी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री राम विशुन आजाद जी को सुना, माननीय आज़म खां जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती इसलिये अग्राह्य करता हूं परन्तु फिर भी शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि इसको जरूर देखवा लें कि कहीं हमारे जन प्रतिनिधियों का चाहे सांसद हो, माननीय विधायक हों या पूर्व विधायक, मंत्री या पूर्व मंत्री हों इनका सम्मान बना रहे। समय-समय पर जो निर्देश गये हैं प्रोटोकाल के सम्बन्ध में उसके आधार पर इनका सम्मान हो। इस तरफ भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। अगली सूचना प्रमोद तिवारी जी की है।

विधान सभा के अधिवेशनों से सम्बन्धित विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के अध्याय-4 के नियम-14 का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना प्रमोद तिवारी जी की है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय, इस देश की आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये। इसके बाद उठा लीजिएगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आजाद हुआ तो भारतवर्ष को सबसे बड़ी देन लोकतंत्र थी। आज हमारे पड़ोसी देश उसके लिये संघर्ष कर रहे हैं और भारत के पूर्वजों ने दिया है हमें। माननीय, उसी संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ तो यही बात यह लोकतंत्र की चुनी हुई सरकारें माननीय, डिक्टेटरशिप की तरफ न चली जायं उनके लिये बनाया गया। माननीय, उसी के लिये भारत के संविधान का अनुच्छेद 164(2) माननीय, इसलिये रखा गया कि मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, माननीय, वह इसलिये रखा गया कि यह हो सकता था कि मंत्रि मण्डलों का गठन हो जाय और मंत्रि-मण्डल के गठन के बाद सरकारें चलने लगें और वह निर्वाचित सदस्यों से रू-ब-रू भी न हों और वो उनसे मिले भी ना और उनको आहूत न करें। माननीय, इसीलिए इस प्रविधान का उल्लेख किया गया कि मंत्रि-परिषद् सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। हम कह सकते थे माननीय, संविधान के निर्माता कह सकते थे माननीय कि वह महामहिम राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होंगे या हम कह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

रहेंगे वह किसी और के प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन उनको उत्तरदायी बनाया गया सदन के लिए। मान्यवर, भारत का संविधान 164 (2) इस मामले में बड़ा स्पष्ट है। मान्यवर, उसी संविधान के तहत हमने अपनी नियमावली बनाई। नियमावली में स्पष्ट कर दिया इसी 164 (2) का ध्यान रखते हुए नियमावली के नियम 14 कि अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आम बजट अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासंभव दो माह के अन्तराल पर कम से कम दस कार्यदिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जाएगा। यह नियमावली का नियम है यह सदन में बनी है और सदन ने इस नियमावली को स्वीकार किया है। इसमें मंशा है 164 (2) को पूरा करने की। सरकार अगर चाहे भी, ऐसे तो मंत्रि-परिषद् का गठन हो जाए लेकिन कोई सरकार विधान सभा का सत्र ही न बुलाए तो उस पर कन्ट्रोल रखने के लिए 164 (2) बना और उस पर भी मान्यवर, उसको व्यस्थित करने के लिए कार्य-संचालन नियमावली, 1958 बनी जिसमें स्पष्ट है। इसमें है कम से कम तीन सेशन होंगे और ऐसा भी कहा गया है कि हर दो महीने में दस दिन का सत्र बुलाया जाएगा। तो मान्यवर, अगर गौर से देखें तो तीन सत्र की बन्दिश भी लगी है और यह इच्छा भी व्यक्त की गई कि प्रत्येक दो महीने में सदन बैठे। इस बार हम बैठे हैं जब बिल्कुल 6 महीने में थोड़ा समय बाकी रह गया जो भारत के संविधान के लिए जरूरी है गैप न हो, अंतर न हो।

मान्यवर, आप देखें, यह कोई एक वर्ष की बात नहीं है लगातार स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो लोकतंत्र की अवधारणा आई उसका अवमूल्यन किया जा रहा है। ऐसा यथा संभव प्रयास होता जा रहा है कि किसी तरीके से मंत्रि-परिषद् की जिम्मेदारी उत्तरदायित्व जो सदन के प्रति है उसे पूरा किया जाए। मान्यवर, यह कुछ इत्तेफाक ही हो सकता है कि जब-जब हमारे सामने बैठी हुई सरकार आती है तो इस सरकार के कार्यकाल में सबसे कम दिन सदन का सत्र बुलाया जाता है। मेरे पास 1990 से आंकड़े हैं। आप देखेंगे कि 1990 में 35 दिन, 1991 में 23 दिन, 1992 में 42 दिन, 1993 में राष्ट्रपति शासन लगा इसलिए 6 दिन, 1994 में 37 दिन, 1995 में 27 दिन, 1997 में 25 दिन शुरूआत हो गई। मान्यवर, 1998 में 35 दिन, 1999 में 26 दिन, 2000 में 26 दिन, 2001 में 32 दिन, 2002 में 30 दिन, 2003 में फिर आप आए इत्तेफाक ही होगा 15 दिन, 2004, आप चले गए 28 दिन, 2005 में 43 दिन, 2006 में 21 दिन फिर धीरे-धीरे चुनाव आए, 2007 में 28 दिन। अब यह 2008 चल रहा है इसमें कुल मिलाकर 20 दिन हुए हैं यह इत्तेफाक हो सकता है। आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन जब आप आते हैं तो सदन के दिनों को सीमित कर देते हैं। तीन बार आप आए यह तीनों बार के कार्यकाल मैंने आपको गिना दिये। चौथी बार का भी बता दिया। इससे तो मूल भावना को आघात पहुंच रहा है जो संविधान के 164 (2) में है। आपका उत्तरदायित्व रहता ही नहीं। सदन के प्रति उत्तरदायित्व रहता ही नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कमी है इन विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में जो इससे

मुंह चुराते हुए आपको अच्छा लगता है। क्या हमारी सूरत शक्ल बहुत खराब है। क्या विधायकों का दबाव सत्र में ज्यादा बढ़ जाता है उस समय मंत्रिगणों से विधायकों को मिलने का अवसर मिल जाता है। मान्यवर, मेरा एक सुझाव है एक अनुरोध है हम आजादी के उस मकसद को न भूल जाएं जिस मकसद के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई। कम से कम भारत के संविधान को न भूल जाएं। उसके रचयिता के उद्देश्य को न भूल जाएं। उस रचयिता का उद्देश्य था कि सदन के प्रति उत्तरदायी होंगे उस उत्तरदायित्व का निर्वाह कीजिए जो हुआ उसे छोड़ दीजिए लेकिन आने वाले दिनों में, हर दो महीने में इस दिन बैठिये। न बैठ सकें 90 दिन तो कम से कम 70-80 दिन तो करिए, यह 20 दिन, 25 दिन, 35 दिन अच्छा नहीं लगता। इससे मा0 विधायकों को भी लाभ मिलेगा और संसदीय कार्य मंत्री जी आपको भी जौहर दिखाने का अवसर मिल जायेगा। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, मेरा आशय सिर्फ यह है कि इस सदन की ज्यादा से ज्यादा बैठकें की जायें। हर बात के लिए तो आप दिल्ली की तरफ देखते हैं, लोक सभा की बैठकों की गणना करके तो देखिये, लोक सभा नियमित और ज्यादा से ज्यादा बैठकें करती है, अब तो वहां बजट भी पारित पास होता। अब तो जो एक नया सिस्टम समिति का आया है उससे वहां की जरूरतें कम हो गयी हैं लेकिन आपका तो यहां से बजट भी पारित होता है। मान्यवर, इसमें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जितने दिन सत्र चलेगा, आप वहां बैठेंगे, मान्यवर, यह तो आपके अधिकारों को कम करना चाहते हैं, इसीलिए मुझे चिन्ता हो रही है। मुझे तो सबसे ज्यादा चिन्ता आपकी है और फिर उसके बाद मा0 विधान सभा के सदस्यों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी चिन्ता से चिन्तित होते हुए, इनको निर्देश देंगे कि कम से कम 90 दिन की बैठक हो।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसे अन्यथा न लें और सदन जितना चलायेंगे, उससे आपको भी लाभ होगा, अधिकारी लोग थोड़ा नियमित रहते हैं, थोड़ा डरते हैं, सदन के चलने से अगर अब तो बिल्कुल जैसे तवे पर रोटी पलट जाती है, कुछ ऐसा ही हुआ है जब इधर के लोग उधर सत्ता में थे तब, तब ही सदन उठता था जब सदस्य चाहते थे जब प्रमोद तिवारी जी कहते थे कि अब बहुत दिन हो गये बैठते हुए, अब थोड़ी छुट्टी चाहिए, तभी सदन उठता था। 53 दिन काफी होते हैं, दुगने से भी ज्यादा और ज्यादा चलाना चाहते थे लेकिन मा0 सदस्यों के दबाव पर कि वह अपने क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। क्या कारण रहे उसकी बहस में नहीं जायेंगे लेकिन सदन बहुत बैठता था। अभी भी सभी का यह कहना है कि इस सत्र को आगे बढ़ा दें तो अच्छा है। मैं प्रमोद तिवारी जी के इस औचित्य के प्रश्न पर बल देता हूं और चाहता हूं कि सदन की ज्यादा से ज्यादा बैठकें हों।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने जो सवाल उठाया है, संविधान में समय के लिए कोई निर्धारित नहीं है कि कितने दिन सदन चलना चाहिए। हमारी नियमावली में यथासम्भव 90 दिन का उल्लेख है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इससे भी कम सदन चले, इसको बुनियाद मानकर न चलें, इस पर बहुत ... मत कीजए। इसकी मिसालें मत दीजए, सदन को अंधेरे की तरफ मत ले जाइये।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अपरिहार्य कारणों से ऐसा होता है, माo मोo आजम खां ने अभी कहा कि हम तब इतने थे, जब लोग सदन चलने का आग्रह करते थे। 2004 से 28 दिन, पूरे 2004 में कौन लोग थे सरकार में, बताने की जरूरत नहीं है। 2003 में जब दोनों लोग थे, तब 15 दिन चला था और 2006 में 21 दिन चला। पूरे 2006 में 21 दिन चला और 2007 में जब हम आए बजट सेशन चला, उसमें 28 दिन हुआ और इस बार भी जो बजट सत्र था, मिलाकर अब तक 20 दिन हो चुका है मान्यवर, हमने 2004 का भी बता दिया, 2003 का भी बता दिया। ... और 1991 का भी बता दिया कि 23 दिन चला तो इस तरह से मान्यवर, इस बार 20 दिन आज तक हो गया, अभी सदन चल रहा है आगे और भी दूसरा सत्र आयेगा तो इसलिए यह कहना कि उसकी संख्या कम हो रही है। मान्यवर, हमारा पूरा प्रयास होगा कि ज्यादा से ज्यादा ... चले। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अभी तक 90 दिन कभी पूरा नहीं हुआ और यह जानकारी है कि 1952 से लेकर आज तक 90 दिन कभी भी सदन किसी भी वर्ष में ... चला ... इसलिए मान्यवर, यह नियम 300 में नहीं आता है अतः इसको इस परिप्रेक्ष्य में अग्राह्य करने ... कृपा करें।

श्री ... :

मैंने इस पर भी प्रमोद तिवारी जी और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना ... नियम 300 में नहीं आती है अतः इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री अखिलेश चौधरी-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आंकड़े बता दिये लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का दृष्टिकोण 90 दिन सदन चले इसको मुनासिब मानते हैं या कम चले इसको मुनासिब मानते हैं। क्योंकि उन्होंने जो आंकड़े बताए लेकिन वर्ष 2005 में जो 53 दिन सदन चला उसके बारे में बार-बार आग्रह करने के ... भी नहीं बताया ज्यादा दिन सदन चले या कम चले वह अपना इस पर दृष्टिकोण बता दें कि वह किस बात को मुनासिब मानते हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, वर्ष 2005 में जो ज्यादा दिन सदन चला उसके पीछे क्या कारण रहा है यह आप और हम दोनों जानते हैं। केवल इसलिए सत्र इतने दिन चलाने का प्रयास किया गया ताकि महामहिम राज्यपाल जी इस सदन में न आने पायें।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी यह बात सही नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी को सदन में बुलाया गया था। सदन को गुमराह न करें। महामहिम राज्यपाल जी को सदन में बुलाया गया था।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को जो बोलना है वह बोलेंगे। जो मुझे नियमों और संसदीय मर्यादाओं के अन्तर्गत बोलना होगा वह मैं बोलूंगा। हमारा दृष्टिकोण यह है कि ज्यादा से ज्यादा दिन सदन चले।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं।

पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा की गई घोषणानुसार मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में पेयजल हेतु इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्प न उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मेरी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें पहले ही ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मेरी एक सूचना है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा में घोषणा की थी कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक माननीय सदस्य को 225-225 इंडिया मार्का हैण्डपम्प अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में लगाने के लिए दिये जाएंगे। पिछले वर्ष का तो हम लोगों को मिल गया लेकिन इस वर्ष माह अगस्त बीत जाने के बाद भी 225-225 हैण्डपम्प अभी तक जनपदों में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और आज ही आदेश जारी करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं और इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

(श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री कौशल किशोर सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने एक व्यवस्था दे दी है। इस बिन्दु पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

हाशमी साहब, बैठ जायें। शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया है।

श्री आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, घोषणा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

शासन का ध्यान आकृष्ट हो गया। अब बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष-

उस्मानी साहब बैठ जायें। मैंने कह दिया है। हाशमी साहब आप बोलें।

राज्य सम्पत्ति विभाग की ला-प्लास कालोनी की व्यवस्था ठीक किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, पहले मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन ला-प्लास कालोनी है और वहां पर अधिकारीगण और विधायकगण रहते हैं। वहां पर इतना पानी भरा जाता है कि गाड़ियां डूब जाती हैं और हमारे कपड़े भीग जाते हैं। हमें रिक्शे में बैठकर सदन में आना पड़ता है। उसका प्रस्ताव पचास लाख के आस-पास का मांगा गया था लेकिन आज तक स्वीकार नहीं किया है। मान्यवर, वहां पर बारह फ्लोर है, कभी-कभी लिफ्ट भी नहीं चलती है और सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं तो मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि तत्काल वहां पर व्यवस्था करा दें जिससे हम लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। बच्चों बुजुर्गों व आने जाने वालों को होने वाली समस्या का समाधान हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह चन्देल साहब वाला मामला दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, इसे हम दिखवा लेते हैं।

भूतपूर्व विधायकों की विधवाओं को पेंशन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र में मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था और सारा सदन इस बात से सहमत था और आपने व्यवस्था भी दी थी कि दलीय नेताओं की बैठक बुलाकर विचार किया जायेगा। मान्यवर, संदर्भ यह है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व विधायकों की विधवाएं जो जीवित हैं, उनकी दशा बड़ी खराब है। वह गरीबी, लाचारी, भुखमरी और दवा के अभाव में परेशान हैं। आपने पिछले सत्र में देखा, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो उस समय मुख्य मंत्री थे, के संज्ञान में यह मामला आया कि एक भूतपूर्व विधायक चाय के होटल में चाय बना रहे हैं तो उन्होंने तुरन्त उनको सहायता भिजवायी। भारत के और प्रदेशों में यह व्यवस्था है कि जो सदन के सदस्य हैं उनकी विधवाओं को भरण-पोषण के लिए सरकारी पेंशन दी जाती है। आप बंगाल गये थे तो बंगाल में भी भूतपूर्व विधवाओं को पेंशन दी

जाती है, बिहार में भी यह व्यवस्था लागू है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहता हूं और घोषणा करवाना चाहता हूं कि भूतपूर्व विधायकों की विधवाएं हैं उन्हें पेंशन की व्यवस्था की जाय। यह एक गम्भीर विषय है। यह सबकी भावनाएं है। मैं पेंशन की घोषणा की मांग करता हूं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मान्यवर, जो महिला विधायक है और मर गयी है उनके पति को भी पेंशन की व्यवस्था की जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक तीसरी श्रेणी भी है जिसमें हमारे मित्र खन्ना साहब आते हैं। वह है कुंवारे और कुंवारियों की श्रेणी तो उनका भी प्राविधान किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब उसमें पहला प्रयास आप करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[x x x]

श्री अध्यक्ष-

इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नियम-300 का प्रश्न है, आपने नियम-300 देखा है, नियम-300 में यह प्रश्न आता नहीं है और मान्यवर ऐसा कोई विचार शासन का नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है हमने और माननीय हुकुम सिंह जी ने इसकी परशियेट किया है खन्ना साहब को कि यह अपनी वरासत चेन्ज कर दें। क्योंकि उनको जो देंगे वह ले लेंगे और हम लोग लेंगे नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने चेन्ज कर दिया और इनकी जगह महाना साहब का तय कर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने माननीय हाशमी साहब को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से घेर कर के यह वरासत चेन्ज नहीं करा सकते हैं मेरा जो खन्ना जी से सम्बन्ध है, उसमें स्वाभाविक रूप से मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इनका और उनका क्या सम्बन्ध है, यह मुझे नहीं मालूम है, वह बलिया के हैं यह शाहजहांपुर के हैं, यह जाने मान्यवर। मेरा सिर्फ यह कहना है, आपसे विनम्र अनुरोध है कि मैंने तो सिर्फ एक इनको राय दी क्योंकि इस मामले में इनका रिकार्ड बहुत खराब है चौधरी जी का, यह मरने की बात तो छोड़ दीजिए यह जीते जी लोगों की वरासत ले लेते हैं। इसलिए इनके बारे में जरा सोच समझ कर निर्णय करें।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के असहायिक स्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने हेतु लिए गये निर्णय के सम्बन्ध में दिनांक 11 मार्च, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना का उत्तर प्राप्त न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न तथा नियम-51, 56 तथा 301 में लम्बित सूचनाओं का उत्तर दो माह में दिये जाने की अनुमति विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी, मैं कल आपकी सूचना पर व्यवस्था दे चुका हूं। कल नियम-300 और नियम-51 पर जो समय से जवाब नहीं आते है, उस पर मैं व्यवस्था दे चुका हूं। अब आप क्यों परेशान हैं ?

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपसे एक निवेदन करना है और कृपा पूर्वक चाहता हूं, आपने कल एक निदेश दिया है। मान्यवर, हम समीक्षा कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि जिन नियमों के अनुसार कार्यवाही होना है उसकी सूचना दिया जाना है, दिया जाये, लेकिन पुरानी जो सूचनायें हैं मान्यवर, चूंकि उसका समय ज्यादा हो गया है जितनी भी बाकी है, हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि इसके लिए आप दो महीने का हमें समय दे दें। दो महीने में हम इन सबकी सूचना का उत्तर दे देंगे। तो इसलिए मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप सदन से अनुमति चाहें तो इस सम्बन्ध में ले लें चूंकि मैं चाहूंगा कि इसमें आप हमें दो महीने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा बतायी गयी स्थिति एवं की जा रही समीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि नियम-51, 56 और 301 की गत सत्र की सूचनाओं का उत्तर शासन की ओर से दिये जाने हेतु सदन दो माह का समय प्रदान कर दें ?

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप सबकी सहमति से दो माह का समय शासन को दिया जाता है, किन्तु नयी सूचनाओं पर तत्परता से कार्यवाही की जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह गलत परम्परा है, इस गलत परम्परा को आप जन्म न दें।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब थोड़ा मजबूरी है, बता दिये हैं यह पुरानी सूचनायें हैं थोड़ा प्रॉब्लम है। नहीं होगा दो महीने के बाद तो अभी बहुत उमर लम्बी है, सब बैठेंगे इसी सदन में फिर देख लेंगे।

शुक्ला जी, केवल एक निवेदन है आप जो बात कहना चाहते हैं उसी के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी अपनी बात रखी और मैंने कल आपकी सूचना पर व्यवस्था दी थी संयोग से उस समय आप नहीं थे, आज फिर व्यवस्था हो गई कि नई सूचनाओं का उत्तर मैं तत्काल मंगवा लूंगा और जो दो महीने से ज्यादा पहले की सूचनाएं हैं उनके लिए उन्होंने समय मांग लिया है।

विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विधायक निधि से सम्बन्धित कार्य करने में उदासीनता बरते जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री अनूप सण्डा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपने औचित्य के प्रश्न पर अपनी बात कहने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो हम लोगों को क्षेत्रीय विकास निधि मिली हुई है, उस क्षेत्रीय विकास निधि के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने का अधिकार मिला हुआ है। जो प्रस्ताव हम लोग देते हैं, विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से उन प्रस्तावों का क्रियान्वयन होता है। मान्यवर, जो सबसे बड़ी समस्या देखने में आ रही है कि बहुत सी कार्यदायी संस्थाओं के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में मनमाने ढंग से नियमों की व्याख्या करते हुए विधायक निधि के माध्यम से होने वाले विकास कार्यों में व्यवधान डाला जाता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि सुल्तानपुर जनपद में अपनी विधान सभा क्षेत्र में मैंने चार स्थानों पर समरसेबिल पम्प बोरिंग के लिए लघु सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नियुक्त किया। लघु सिंचाई विभाग सुल्तानपुर जनपद में हैण्डपम्प और समरसेबिल पम्प लगाने का काम करती है। करीब साल भर हो जाता है अभी तक वह पैसा इधर से उधर घूम रहा है। उस पैसे पर कार्यदायी संस्था काम करने के लिये तैयार नहीं है। सुल्तानपुर सदर विधान सभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थानों पर समरसेबिल पम्प लगने की बात है। मान्यवर, वहां पर एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां मोहर्रम के महीने में मुसलमान भाई जुटते हैं। वहां पर समरसेबिल पम्प लगने से हजारों लोगों को लाभ हो सकता है। लेकिन अभी तक वह काम नहीं हो पाया है।

इसी तरह से पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से हमने वर्ष 2007-2008 में अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को कराये जाने के लिये 65 लाख रु0 के प्रस्ताव भेजे थे। मैंने 25 फरवरी को प्रस्ताव भेजा था लोक निर्माण को और 27 तारीख को उसकी पावती भी मुझे प्राप्त हो गयी है लेकिन 6 महीने बीत गये हैं मेरे प्रस्तावों पर स्वीकृति आज तक नहीं मिल पायी है। बड़ा दुखद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात यह है कि सुल्तानपुर जिले के अधिकारी राजनीतिक लोगों के तरीके से बयान दे रहे हैं और जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं। जैसे हमारे मुख्य विकास अधिकारी ने यह बयान दे दिया कि सुल्तानपुर सदर क्षेत्र के विधायक श्री अनूप सण्डा ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है इसलिए पूर्वांचल विकास निधि से वहां कोई नहीं हो रहा है। मान्यवर, हम विधायक अपने क्षेत्रों में विकास के कार्य कराना चाहते हैं। जो सरकार द्वारा और सदन द्वारा विकास की धनराशि दी जाती है उसकी मंशा यह है कि विधायकों के क्षेत्रों का सुनियोजित ढंग से विकास हो। मान्यवर, अगर हमारे प्रस्तावों के कार्यान्वयन में 6-6 महीने से ज्यादा का समय लगेगा और कार्यदायी संस्थायें अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करेगी तो फिर क्षेत्रों में समस्यायें खड़ी हो जायेंगी। आप मान्यवर, माननीय मंत्री जी को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें। मैं अपनी औचित्य के प्रश्न की सूचना पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी वैसे तो इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूं, लेकिन अगर माननीय विधायक के प्रस्ताव हैं और आपने कार्यदायी संस्था बता दी है और धन आवंटित हो गया है तो आप उसमें निर्देश दे दें समय से कार्य पूर्ण कराने के ताकि विधायक निधि के पैसे का उपयोग हो सके।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय विधायक लघु सिंचाई विभाग के लिये कह रहे हैं कि उसने समरसेबिल पम्प या हैण्ड पम्प नहीं लगाये हैं। मान्यवर, लघु सिंचाई विभाग यह कार्य नहीं करती है।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, पहले लघु सिंचाई विभाग ने हमारे यहां पर लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर माइनर इरीगेशन डिपार्टमेन्ट नहीं लगाता तो जो लगा सकता है वह लगायें। पूर्वांचल विकास निधि का जो प्रस्ताव उन्होंने दे दिया है, अगर कार्यदायी संस्था तय हो गयी है तो उसमें कार्य हो जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, समरसेबिल पम्प और हैण्ड पम्प लगाने का काम जल निगम करता है। लघु सिंचाई विभाग निजी बोरिंग के सम्बन्ध में कार्यवाही करता है सिंचाई के लिये।

यह हो सकता है कि वहां पर लघु सिंचाई विभाग के पास वह सुविधायें उपलब्ध न हों समरसेबिल पम्प लगाने के लिये जो माननीय विधायक अपने क्षेत्र में लगवाना चाहते हों। अगर किसी तरह से लघु सिंचाई विभाग ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है तो जल निगम या स्टेट ट्यूबवेल डिवीजन जो इस तरह के कार्य करते हैं और पूरी तरह से सक्षम हैं उन्हें कार्यदायी संस्था बनाने का काम कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जो लगना है वह लगेंगे। इसी तरह से यदि आप

स्वयं कोई कार्यदायी संस्था चयनित नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिखकर दे सकते हैं कि यह कार्य हमारे यहां पर करा दिये जायें तो वह काम हो जायेगा और उस विभाग से अवश्य लगवा दिया जायेगा उसमें कोई बाधा नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसको अपने प्रश्न के तौर पर नहीं रख रहा हूं। मान्यवर, जबसे विधायक हुआ हूं इस बार, मेरी विधायक निधि का एक पैसा भी प्रयोग में नहीं आ सका है। दो सड़कों के लिए लिखकर भेजा उस पर कार्यान्वयन की कार्यवाही नहीं हो पायी। गांधी समाधि के बचे हुए सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए 3 लाख रु0 दिये वह कार्यान्वित नहीं हो सका है। एक रिक्शा स्टैण्ड के लिए पैसा दिया है। वह भी गलती नहीं हुई तो यह ऐसा नहीं कि माननीय सदस्य की पीड़ा कोई मामूली पीड़ा है। हमें यह पैसा समाज के विकास के लिए मिलता है और यह व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा चैलेन्ज सा है तो संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसे खास तौर से दिखवा लें और मेरे सिलसिले में तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं क्योंकि मामला हाईकोर्ट में है आप खुद भी यह कह देंगे कि न्यायालय में है इसलिए क्या किया जा सकता है। लेकिन माननीय सदस्य के लिए जरूर कुछ करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुनील शर्मा-

मान्यवर, अभी विधायक निधि के सम्बन्ध में माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं। गाजियाबाद जनपद में भारी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं और उत्तरांचल के जो नदी के अन्दर शव दाह करना चाहते हैं उसके लिए पूर्व सदस्य ने एक लाख इकसठ हजार रुपया जारी किया था सिंचाई विभाग को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया मेरा चल रहा है डेढ़ वर्ष मुझे हो गया है। सी0डी0ओ0 कई बार लिख चुके हैं पैसा लेकर के विभाग खा गया और आज तक न ही कोई कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की गयी है और न ही कोई उत्तर दिया जाता है। मान्यवर, इसके संज्ञान में लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर यह बात दे दीजिए।

* श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद चौथी बार बैठने के बाद मौका मिला है। मुझे और मैं मात्र आपका 2 मिनट की जगह मात्र 3 मिनट ही लूंगा कृपया अनुरोध यह करूंगा कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुझे बीच में रोका न जाय। विषय यह है पूरे प्रदेश से हटकर। मेरे यहां के जिलाधिकारी और सी0डी0ओ0 ने मिलकर प्रधानों को आलमारी देनी थी और उन आलमारियों को देने की इसलिए योजना बनाई कि इन्हें कम वजन करके कम कीमत करके इनको दे दी जाय जिससे इसमें हमारा घपलेबाजी का सौदा हो जायेगा। इस प्रकरण पर मैंने वर्तमान जिलाधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई वह बहुत अच्छे अधिकारी हैं उनकी तारीफ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है और जो गये हैं अधिकारी उनकी निन्दा के लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं हैं। एक मिनट रोक दूं बीच में और अपनी बात बता दूं अगर प्रोटोकाल सीखने वाली बात है तो वर्तमान जिलाधिकारी एटा से आप ट्रेनिंग दिलवा दें अन्य अधिकारियों को। बहुत अच्छा अधिकारी है। मेरे साथ जो व्यवहार होता है वह बता रहा हूं शेष मालूम नहीं है। मतलब और किसी के साथ कुछ हुआ हो वैसे मेरे ख्याल से ऐसा है, विषय यह है कि उन्होंने जो घपला बाजी की है उन्होंने आदेश दिये हैं अपने जिलापूर्ति अधिकारी को जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं कि एक आई0ए0एस0 की जांच करे। एक बिन्दु मेरा खत्म हो गया नेक्स्ट।

बुन्देलखण्ड में 10 करोड़, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और नेता सदन और अन्य नेता इस पर ध्यान दे हीं। 10 करोड़ पौधों का बुन्देलखण्ड में वृक्षारोपण किया गया वित्तीय नियम के आदेशों के अनुसार यह सब तय है कि 2000 से ज्यादा का हम नकद भुगतान नहीं कर सकते हैं जबकि पूरी की पूरी योजना का नकद भुगतान किया जा रहा है जिसमें घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसके पीछे मेरे संज्ञान में आज तक यह है कि मुख्य सचिव जो इससे पहले दो महीने पहले अपना समय पूरा नहीं कर पाये इसी फाइल के पीछे उन्हें जाना पड़ा। मेरा तीसरा बिन्दु यह कि वन विभाग द्वारा इसी वर्ष 2008-2009 में 300 स्थानान्तरण इस तरह के किये गये हैं जिन्हें ट्रेनिंग न दिलवाते हुए डाइरेक्ट नियुक्ति कर दी गयी है जिसमें कार्मिक की सेवा नियमावली के नियम-17 शासनादेश दिनांक 10 फरवरी, 1997 तथा राष्ट्रीय वन आयोग की अनुशंसा संख्या-312बी की अनदेखी करते हुए सब ऐसा किया गया है। इसमें भी घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यह मेरा तीसरा प्वाइंट हो गया। इसके बाद मेरा अगला विषय यह है कि आई0सी0यू0 में जो मरीज भर्ती होते हैं, प्राइवेट हास्पिटल वाले जो हैं उनके साथ दवा का दुरुपयोग करना, अगर मरीज पहले मर जाय तो 10 घण्टे तक न देखने देना, उसका चार्ज करना, इसके लिये मान्यवर, मेरा निवेदन आपसे यह है कि वहां कैमरा की व्यवस्था हो पारदर्शिता के लिये, अथवा 4-4 घण्टे बाद उन्हें अपना मरीज देखने की अनुमति रहे। ऐसा आप स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

चलिये टीक है, आपकी सूचना को सुन लिया गया। आप पुनः जाकर सर्वेक्षण कर लीजियेगा।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना †

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1052/ग्यारह-9 (295)/07-उ0प्र0अधि0-5-2008-यू0पी0 वैट नियमावली-08-आदेश (15)-2008, दिनांक 27 मार्च, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां ††

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-570ए/ग्यारह-9(1)/08-उ0. प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(8)-2008, दिनांक 04 मार्च, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4-की उपधारा-(5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-764ए/ग्यारह-9(1)/08-उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश(9)-2008, दिनांक 04 मार्च, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4-की उपधारा-(5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचनाएं †

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-876/ग्यारह-9(81)-91-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (16)-2008, दिनांक 01 अप्रैल, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1021/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (17)-2008, दिनांक 09 अप्रैल, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गयी।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1203/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (18)-2008, दिनांक 17 अप्रैल, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1412/ग्यारह-9(386)-94-ऐक्ट-74-56 नियम-1957-2008-आदेश 19, दिनांक 12 मई, 2008 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1333/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (20)-2008, दिनांक 13 मई, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(इसी समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री भगेलूराम पीठासीन हुए)

श्री नकुल दुबे-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1531/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (22)-2008, दिनांक 30 मई, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1609/ग्यारह-9(2)-08-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश (24)-2008, दिनांक 30 मई, 2008 को उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा-(10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री नकुल दुबे-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1810/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश (25)-2008, दिनांक 07 जून, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा-(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 एवं 2003-2004 के वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन †

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा-8 (3) में दी गई व्यवस्थानुसार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के वार्षिक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, सह उत्पादन, ऊर्जा के पुनर्नवीकरण योग्य स्रोत और ऊर्जा के गैर परम्परागत अन्य स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए विद्युत आपूर्ति और टैरिफ निर्धारण के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2005

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों, सह उत्पादन, ऊर्जा के पुनर्नवीकरण योग्य स्रोत और ऊर्जा के गैर परम्परागत अन्य स्रोतों पर आधारित संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए विद्युत आपूर्ति और टैरिफ निर्धारण के निबन्धन और शर्तें) विनियमावली, 2005 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-182 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0-16 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 109वां (एक सौ नौवां) प्रतिवेदन †

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 109वां (एक सौ नौवां) प्रतिवेदन जो अम्बेडकर ग्राम्य विकास, ग्राम्य विकास, राजस्व, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, माध्यमिक शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य तथा वित्त विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 110वां (एक सौ दसवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 110वां (एक सौ दसवां) प्रतिवेदन जो गृह (पुलिस), राजस्व, कृषि तथा माध्यमिक शिक्षा विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 111वां (एक सौ ग्यारहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 111वां (एक सौ ग्यारहवां) प्रतिवेदन जो लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, आवास एवं शहरी नियोजन, वित्त तथा आबकारी विभागों के वर्ष 1992 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 112वां (एक सौ बारहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 112वां (एक सौ बारहवां) प्रतिवेदन जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास तथा लोक निर्माण विभागों के वर्ष 1987 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 113वां (एक सौ तेरहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 113वां (एक सौ तेरहवां) प्रतिवेदन जो ऊर्जा, लोक निर्माण, राजस्व तथा लघु सिंचाई विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 114वां (एक सौ चौदहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 114वां (एक सौ चौदहवां) प्रतिवेदन जो राजस्व, नगर विकास, सिंचाई, सैनिक कल्याण, सचिवालय प्रशासन तथा वन विभागों के वर्ष 1984 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 115वां (एक सौ पन्द्रहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 115वां (एक सौ पन्द्रहवां) प्रतिवेदन जो गृह (पुलिस), गृह (कारागार), गृह (गोपन), सतर्कता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा तथा परिवहन विभागों के वर्ष 1989 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 116वां (एक सौ सोलहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 116वां (एक सौ सोलहवां) प्रतिवेदन जो नगर विकास, उच्च शिक्षा, सहकारिता, आवास एवं शहरी नियोजन, न्याय तथा राज्य सम्पत्ति विभागों के वर्ष 1990 से वर्ष 2007 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 117वां (एक सौ सत्रहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 117वां (एक सौ सत्रहवां) प्रतिवेदन जो ऊर्जा, सिंचाई तथा नगर विकास विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 118वां (एक सौ अट्ठरहवां) प्रतिवेदन†

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मैं आपकी अनुमति एवं सदन की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा क सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 118वां (एक सौ अट्ठारहवां) प्रतिवेदन जो कृषि विपणन एवं कृषि, विदेश व्यापार, माध्यमिक शिक्षा, पंचायती राज, सहकारिता, अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ, गृह (पुलिस), समाज कल्याण तथा श्रम विभागों के वर्ष 1988 से वर्ष 2008 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2008-2009) का तृतीय प्रतिवेदन जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्राक्कलनों वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के परीक्षण के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बरनावा के ग्राम भड़ल में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी को चालू करवाने विषयक श्री सहन्दर ठेकेदार निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपकी अनुमति से जनपद बागपत विधान सभा क्षेत्र बरनाव के ग्राम भड़ल में जल निगम द्वारा निर्मित पानी की टंकी को चालू करवाये जाने विषयक श्री सहन्दर, ठेकेदार एवं डा0 विनोद राणा निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिक प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बागपत, विधान सभा क्षेत्र बरनावा में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर ग्राम दाहा से ग्राम फासगढ़ तथा सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री तेजवीर निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, जनपद बागपत विधान सभा बरनावा में बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर ग्राम दाहा से ग्राम फासगढ़ लगभग 4 कि0मी0 तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री तेजवीर एवं अन्य निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

जनपद बागपत, विधान सभा क्षेत्र बरनावा में बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर कान्हड़ गांव से कस्बा दोहाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक श्री हरवीर सिंह एडवोकेट निवासीगण जनपद बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र बरनावा में बड़ौत बुढ़ाना मार्ग पर कान्हड़ गांव से कस्बा दोहाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री हरवीर सिंह एडवोकेट एवं श्री बिजेन्द्र निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम जसड़ से ग्राम पांचली (बुजुर्ग) तक सम्पर्क मार्ग बनवाने विषयक श्री जमील पूर्व प्रधान निवासीगण जनपद-मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम जसड़ से ग्राम पांचली (बुजुर्ग) सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री जमील पूर्व प्रधान एवं श्री मतीन निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम हर्रा से पांचली बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री सत्यवीर सिंह निवासीगण जनपद-मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम हर्रा से ग्राम पांचली बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने विषयक श्री सत्यवीर सिंह एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद बागपत तहसील बड़ौत के ग्राम रन्छाड़ में नया बिजली घर स्थापित कराने विषयक श्री समरपाल सिंह निवासीगण जनपद-बागपत आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बागपत तहसील बड़ौत के ग्राम रन्छाड़ में नया बिजलीघर स्थापित कराये जाने विषयक श्री समर पाल सिंह एवं श्री ओम पाल सिंह निवासीगण जनपद बागपत द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम खिवाई से करनावल तक सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण करवाने विषयक श्री शमशाद प्रधान निवासीगण जनपद-मेरठ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मेरठ विधान सभा क्षेत्र बरनावा में ग्राम खिवाई से करनावल तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री शमशाद प्रधान एवं अन्य निवासीगण जनपद मेरठ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-29 में कुछ नहीं है।

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 अगस्त, 2008 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 20 तथा 21 अगस्त, 2008 के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

अगस्त, 2008

20 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण (आधा-आधा घण्टा)

(1) उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008

(2) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

(3) उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

(4) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

(5) उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

(6) स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

(7) डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

(8) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

21 गुरुवार

1-असरकारी दिवस (आधा दिन) ।

2-विधायी कार्य।

3-डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर एवं चौधरी सत्यपाल सिंह, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित

एवं मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में निरन्तर घटते भूगर्भ जल-स्तर को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल एवं सिंचाई के लिये भूगर्भ जल संरक्षण की एक कार्य योजना बनाई जाय।"

4-उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दिनांक 6 नवम्बर, 2007 को प्रस्तुत सूचना पर एक घण्टे की अग्रतर चर्चा।

संसदीय कार्य एवं वित्त शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-31 में कुछ नहीं है।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2008 में दिनांक 3 मार्च, 2008 को श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर दिनांक 10 मार्च, 2008 को सदन में दिये गये वक्तव्य पर श्री सुधीर कुमार द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संशोधन) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत दिनांक 11 मार्च, 2008 को अभिसूचित सूचना के संदर्भ में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा सदन में दी गई कृत कार्यवाही की सूचना

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

मान्यवर, श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र, 2008 में दिनांक 03 मार्च, 2008 के उपवेशन में नियम-51 के अन्तर्गत....

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया संशोधन वक्तव्य निम्नलिखित है)

[दी गई सूचना पर दिनांक 10 मार्च, 2008 को मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में मा0 सदस्य द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (तेरहवां संस्करण) के निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अधिसूचित सूचना के संदर्भ में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत की कार्यवाही का विवरण एवं शोधन वक्तव्य।

मूल सूचना	मूल वक्तव्य	शोधन वक्तव्य	गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, उन्नाव, में खाद्य सामग्री सरकारी गोदाम से निकलकर कोटेदारों के पास न पहुंचकर अन्यत्र उसकी कालाबाजारी बड़ल्ले से की जा रही हैं। दिनांक माह सितम्बर, 2007 को सरकारी गोदाम से चावल एवं गेहूं के बोरे निकले तो थे, किन्तु वह कोटेदारों के पास न पहुंचकर श्याम राइस मिल सफीपुर, उन्नाव में पहुंच गये। मौके पर पुलिस व एस0 डी0 एम0 सफीपुर, उन्नाव हाथों पकड़ा गया।	श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सरकारी खाद्य सामग्री गोदाम से कोटेदारों के पास न पहुंचकर अन्यत्र उसकी कालाबाजारी बड़ल्ले से की जा रही है। दिनांक सितम्बर, 2007 को सरकारी गोदाम से चावल व गेहूं के बोरे निकले तो परन्तु वे कोटेदारों के पास न पहुंचकर श्याम राइस मिल सफीपुर पहुंच गये। एस0 डी0	श्री सुधीर कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सरकारी खाद्य सामग्री गोदाम से कोटेदारों के पास न पहुंचकर अन्यत्र उसकी कालाबाजारी बड़ल्ले से की जा रही है। दिनांक सितम्बर, 2007 को सरकारी गोदाम से चावल व गेहूं के बोरे निकले तो परन्तु वे कोटेदारों के पास न पहुंचकर श्याम राइस मिल सफीपुर द्वारा रंगे	वक्तव्य के उत्तर में टंकण त्रुटि के कारण एक शून्य छूट जाने के कारण 1006 बोरी के स्थान पर 106 बोरी टंकित होने की त्रुटि के लिए सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी को चेतावनी जारी कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा प्रकरण पुलिस के विवेचनाधीन पाये जाने के लिए उन्हें परिनिन्दा प्रविष्टि दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) तहसील स्तर पर तैनात लिपिक को अपने उच्चाधिकारियों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
उक्त प्रकरण को प्रशासन द्वारा समाप्त किये जाने की लीपा-पोती की जा रही है। अभी तक उस प्रकरण में किसी को दण्डित नहीं किया गया है।	एम0 सर्फीपुर द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी लीपा-पोती की जा रही है। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से आख्या प्राप्त की गयी, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक तथा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सफीपुर द्वारा श्याम कुमार, विनय कुमार चावल मिल जो गल्ला के थोक एवं फुटकर आढ़ती हैं, के मिल परिसर का निरीक्षण दिनांक 01-10-07 को किया गया। निरीक्षण की खबर पाकर मिल मालिक एवं चौकीदार भाग गये। मिल के 02 कमरों के बन्द तालों को	पहुंच गये। एस0 डी0 एम0 सर्फीपुर द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी लीपा-पोती की जा रही है। मा0 सदस्य द्वारा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को संज्ञान में लेते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उन्नाव से आख्या प्राप्त की गयी, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक तथा प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली सफीपुर द्वारा श्याम कुमार, विनय कुमार चावल मिल जो गल्ला के थोक एवं फुटकर आढ़ती हैं, के मिल परिसर का निरीक्षण दिनांक 01-10-07 को किया गया। निरीक्षण की खबर पाकर मिल मालिक एवं चौकीदार भाग	को समय से सूचना न देने के लिए जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा लिपिक को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई है।

1	2	3	4
	खुलवाकर श्री दिनेश कुमार एवं श्री अमित कुमार आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गेहूं, चावल, चीनी के बोरे पाये गये। गोदाम प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उन्नाव द्वारा यह पुष्टि की गई कि उक्त सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की है। तत्पश्चात् मिल परिसर के बरामदों एवं खुले कमरों की बोरों की गणना करायी गयी, जिसमें गेहूं 106 बोरी (एस0बी0टी0), चावल 430 बोरी एस0 बी0 टी0 एवं 32 बोरा चीनी पायी गयी। फर्म के मालिक श्री विनोद कुमार, निवासी सफीपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या-710/07, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु	गये। मिल के 02 कमरों के बन्द तालों को खुलवाकर श्री दिनेश कुमार एवं श्री अमित कुमार आदि की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान गेहूं, चावल, चीनी के बोरे पाये गये। गोदाम प्रभारी आवश्यक वस्तु निगम एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी, उन्नाव द्वारा यह पुष्टि की गई कि उक्त सामग्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की है। तत्पश्चात् मिल परिसर के बरामदों एवं खुले कमरों की बोरों की गणना करायी गयी, जिसमें गेहूं 1006 बोरी (एस0बी0टी0) चावल 430 बोरी एस0 बी0 टी0 एवं 32 बोरा चीनी पायी गयी। फर्म के मालिक श्री विनोद कुमार, निवासी सफीपुर के विरुद्ध थाना कोतवाली में मुकदमा अपराध	

1	2	3	4
	अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी तथा 02 कमरे जिसमें गेहूं चावल रखे होने की सम्भावना थी, उन्हें सील कर दिया गया। बरामद खाद्यान्न श्री विनोद कुमार मिश्रा, निवासी-रसूलाबाद रोड, सफीपुर को सुपुर्द कर दिया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर को सील किये गये 02 कमरों की सील पुलिस की उपस्थिति में तोड़कर निरीक्षण किया गया। जिनमें 512 बोरियां चावल (एस0बी0टी0) तथा 02 कुन्तल गेहूं बरामद हुआ, जिसे श्री हरिशरण लाल पुत्र स्व0 श्री मन्ना लाल निवासी मोहल्ला सरायं सूबेदार कस्बा सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। बरामद शुदा माल के निस्तारण का प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है तथा	संख्या-710/07, धारा 3/7 आवश्यक व अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी तथा 02 कमरे जिसमें गेहूं चावल रखे होने की सम्भावना थी, उन्हें सील कर दिया गया। बरामद खाद्यान्न श्री विनोद कुमार मिश्रा, निवासी-रसूलाबाद रोड, सफीपुर को सुपुर्द कर दिया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर को सील किये गये 02 कमरों की सील पुलिस की उपस्थिति में तोड़कर निरीक्षण किया गया। जिनमें 512 बोरियां चावल (एस0बी0टी0) तथा 02 कुन्तल गेहूं बरामद हुआ, जिसे श्री हरिशरण लाल पुत्र स्व0 श्री मन्ना लाल निवासी मोहल्ला सरायं सूबेदार कस्बा सफीपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। बरामद शुदा माल के निस्तारण का	

1	2	3	4
	सम्पूर्ण प्रकरण अभी पुलिस की विवेचना में है।	प्रकरण न्यायालय जिला कलेक्टर के [illegible] तथा [illegible] दिनांक 20-12-2007 को अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय को प्रेषित कर दी गई है तथा गिरफ्तारी पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।]	

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008[†]

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्टाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

तीर्थ कर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008†

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तीर्थ कर महावीर विश्वविद्यालय, विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

[†] दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि तीर्थ कर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तीर्थ कर महावीर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008†

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008†

राजस्व मंत्री (श्री फागू चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी")-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नन्द गोपाल "नन्दी"-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008†

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 20 अगस्त, 2008 को नियम-311 में प्राप्त 05 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुई है जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :-

---

† दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नियम 311 में प्राप्त पहली सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल तथा श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की प्रदेश में सिमी संगठन का आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधि में शामिल होने से उत्प[illegible]ति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमिता सिंह, [illegible] संजय कपूर, श्री राम सेवक, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री संजीव दरियावादी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला तथा श्री अशोक सिंह की है, जो इसी विषय से संबंधित है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा श्री विद्या सागर गुप्ता की सूचना भी इसी से सम्बन्धित है। चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी तथा श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की पूर्वी उत्तर प्रदेश में मस्तिष्क ज्वर, डायरिया तथा संक्रामक रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री मदन चौहान, श्री जोखूलाल यादव, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री दीप नारायण सिंह, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल तथा श्री विशम्भर सिंह यादव की प्रदेश में अतिवृष्टि होने के कारण किसानों की फसलों की हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम को शासन द्वारा सही ढंग से क्रियान्वयन न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

वह सूचनाएं जो विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सुनी जायेंगी।

पहली सूचना डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां तथा डा0 अजय तोमर की प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को आलू का उचित मूल्य दिये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री जमीरउल्ला खां की जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी अन्तर्गत श्री शहाबुद्दीन की हुई मौत के जिम्मेदार थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री संजय कपूर की प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री रामकिशन की जनपद चन्दौली के चन्द्रप्रभा बांध की मरम्मत मानक के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुईं :- श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री कौकब हमीद, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी, श्री लालजी यादव, श्री सतीश महाना, श्री उदयभान करवरिया, श्रीमती कृष्णाराज, श्री पूरन प्रकाश, श्री काशीराम, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री भगवतशरण गंगवार, श्री मिथिलेश कुमार, श्री कुबेर सिंह, श्री उदयराज यादव, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री अनूप सण्डा, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री शैलेन्द्र यादव "लल्ई", डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रदीप माथुर, श्री इकबाल महमूद, श्री रामकिशुन, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री कुबेर सिंह।

श्री रामकिशुन-

मैंने नियम-311 में सूचना दी थी। विद्युत संकट पूर्वांचल के चंदौली जिले में बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि सुन लिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

पहले जिनकी सूचना है उसको सुन लें।

(दो-तीन सदस्य एक साथ बोल रहे थे)

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, दो मिनट सुन लें कितना आलू पड़ा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

कल भी सदन है कल दे दें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, मैंने भी दिया था, मेरी बात भी सुन लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

अधिष्ठाता जी, मुझे भी सुन लें। अग्रवाल जी ने जो सूचना दी है, उसमें मेरा भी नाम जोड़ लें।

श्री अधिष्ठाता-

पहले मा0 ओम प्रकाश जी को सुन लें।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, पिछले कुछ समय से पूरा प्रदेश दहशत और आतंक के वातावरण में जी रहा है। यह दहशत और आतंक का वातावरण जो विभिन्न प्रदेशों में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, उसकी जांच के सिलसिले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और उत्तर प्रदेश की जांच एजेंसियों और उनके सहयोग से जो अपने प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने उद्घाटित किया, उसके कारण से बनी। पूरे प्रदेश में इन एजेंसियों ने इस बात को उजागर किया कि विभिन्न प्रदेशों में ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के तार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और इसमें जुड़े संगठनों का जो नाम आया, सिमी, इण्डियन मुजाहिद्दीन और हूजी, ये सब संगठन उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं अपनी जड़ें 34 जिलों में फैलाये हुए हैं और यह साफ कहा गया कि सिमी, केन्द्रीय सरकार ने जिस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण उस पर प्रतिबन्ध लगा, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में है, अर्थात् लगभग आधे जिलों में और यह जो संगठन है, वह सभी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलगाववादी, आतंकवादी और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह भी उजागर किया है कि सिमी जैसा संगठन नौजवानों को भड़का कर देश के बाहर पाकिस्तान और बांग्लादेश में ट्रेनिंग के लिये भी भेज रहे हैं। उसने विस्फोटक सामग्री का संग्रह किया है और वह जगह-जगह पकड़ा भी गया हैं उत्तर प्रदेश से इस संग्रहीत विस्फोटक सामग्री की आपूर्ति दूसरे प्रदेशों में विस्फोट करने के लिये की जाती है अर्थात् उत्तर प्रदेश एक तरह से इन जांच एजेंसियों की सूचना के अनुसार आतंक फैलाने वाले तत्वों की शरणस्थली बन गया है और ये संगठन उत्तर प्रदेश को सबसे सुरक्षित स्थान समझ रहे हैं।

यदि हम पिछले कुछ सप्ताहों की जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पढ़ें, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन पर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश आतंकवादियों की सबसे सुरक्षित शरणस्थली बन गया है और इसकी कल्पना की जा सकती है कि किसी दिन इनका एक साथ विस्फोट करने, आतंक फैलाने की उत्तर प्रदेश में इच्छा हुई, योजना बनी तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा ? यह भी और चौंकाने वाली बात है कि यह तरह-तरह के बम बनाने के नये तरीके इजाद कर रहे हैं, उसकी भी ट्रेनिंग हो रही है। नई-नई इलेक्ट्रानिक तकनीक अपना रहे हैं जिसका नियंत्रण सामान्य पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत करना सम्भव नहीं है और ये सारे रहस्योद्घाटन रोज पढ़ने को मिल रहे हैं। इसलिये यह भी लगता है कि जो आज का पुलिस तंत्र है वह इनकी आतंकवादियों को पकड़ने में अक्षम है क्योंकि यह जिस तरीके से अपनी गतिविधियों में टेक्नालाजी और नये-नये तरीके इजाद कर रहे हैं उन पर नियंत्रण करने के लिये बहुत ही विशेषज्ञ, सुविधा सम्पन्न पुलिस व्यवस्था चाहिए। जो पकड़े जा रहे हैं उनके मुकदमों का निस्तारण करने में भी काफी लम्बा समय लग रहा है। गवाही न होने के कारण या गवाह तोड़ लिये जाने से यह छूट रहे हैं इसलिये सरकार का जो दृष्टिकोण होना चाहिए तो तत्परता होनी चाहिए उसका भी कहीं न कहीं अभाव दिख रहा है। निश्चित रूप से यह जनता में भी भ्रम पैदा हुआ है कि सरकार कितनी रुचि, कितना कड़ाई से इनसे निपटने में तत्पर है क्योंकि 34 जिलों में यह एक साथ नहीं फैला होगा और भ्रम इसलिये है कि एक समय सिमी के अध्यक्ष पर राजद्रोह के मुकदमें को वापस ले लिया गया। भ्रम इसलिये है कि कहीं यह सरकार भी उसी तरह से उदार तो नहीं है।

यह सरकार उसके विरुद्ध कड़ाई से निपटने के लिये तैयार है या नहीं। खासतौर से जो लोग आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर में पकड़े गये उससे यह चौंकाने वाली स्थिति आ गयी कि उत्तर प्रदेश इस समय आतंकवाद और अपराध समर्थक तत्वों की शरणस्थली बन गया है। सिमी का नाम उसमें आ गया है। 34 जिलों में फैलाव हो गया है। पूरी जनता दहशत में है और भविष्य में कल्पना करके निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश से शायद उद्योगों का पलायन होगा। विकास की गतिविधि में भी इनके तत्व हैं, गौहत्या में भी इन तत्वों का नाम आ रहा है। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, इन तत्वों का समाज के अल्पसंख्यक समाज से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो लोग यह मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं कि उनके साथ अल्पसंख्यकों की सहानुभूति

होगी, मैं समझता हूं कि वह गलत कर रहे हैं। इन आतंकवादी, अपराधी तत्वों का न कोई धर्म होता है, न कोई नीति होती है, यह केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि इनके विरुद्ध कड़ाई से पेश आया जाये और मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का सिमी के प्रति, इन आतंकवादी गतिविधियों को चलाने वाले लोगों के प्रति क्या दृष्टिकोण है ? मान्यवर, जांच एजेन्सी की जो रिपोर्ट आयी है उसमें कड़ाई से क्या कार्यवाही की है ? मैं समझता हूं कि सरकार ने इन पर नियंत्रण के लिये जैसे एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0 बनायी है उसी तरह से सिमी पर नियंत्रण करने के लिये कोई अलग पुलिस फोर्स बननी चाहिए जिसे विशेष प्रशिक्षण दिया जाये और मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिये भी त्वरित व्यवस्था अलग से बनायी जाये। तभी इन पर नियंत्रण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात को रखूंगा। मान्यवर, अभी हाल ही में इतनी घटनाएं पूरे देश में हुई हैं और एक तरह से पूरा समाज थर्रा गया। कानून व्यवस्था का प्रश्न प्रदेश सरकार का होता है। आज इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वर्तमान प्रशासन तंत्र या पुलिस तंत्र इन आतंकवादियों से जूझने के लिये तैयार है, उनका मुकाबला करने के लिये तैयार है ? या हमारे पास क्या ऐसी एजेंसी है जो इन लोगों के मूवमेंट को वाच कर सके ? हम जानकारी कर सकें कि कहां यह गतिविधियां हो रही हैं। मान्यवर, लगता है कि हम अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच पाये जिस स्तर पर पहुंचने की आवश्यकता है। चिन्ता की बात यही है मान्यवर, क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं चारों ओर हो रही हैं उससे कहीं न कहीं तार उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले से जुड़कर मिलते हैं। जिम्मेदारी फिर हमारे प्रदेश सरकार की और ज्यादा हो जाती है। घटना गुजरात में होती है, घटना राजस्थान में होती है और तार मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। कहीं न कहीं उन्होंने अपना संगठन ऐसा मजबूत कर लिया, स्थानीय लोगों का इतना संरक्षण मिल गया है कि उस संगठन को तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। एकदम बाहर से आ करके आदमी कोई एक दिन में घटना नहीं कर देगा। निश्चित रूप से दो दिन, चार दिन या दस दिन रुकेगा कहीं जा करके। अब तो यह भी स्थिति नहीं रही है। अब तो यहां के स्थानीय आदमी तैयार कर लिये गये हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले उन लोगों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिन लोगों ने निहित स्वार्थ के कारण प्रमाण-पत्र देना शुरू कर दिया है सिमी को कि सिम्मी राष्ट्रद्रोही नहीं है। मान्यवर, उन लोगों को अपने दामन में झांककर देखना चाहिए कि उनके सामने देश हित बड़ा है या अपना हित बड़ा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जिन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक जैसी संस्था का मुकाबला किया आज उनके सामने उनका शीशा आ गया कि क्या कह रहे थे और क्या नहीं कह रहे थे। तो मान्यवर, निहित स्वार्थ से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित और देश हित की बात सोचना चाहिए। केवल कुछ वोटों को आकर्षित करने के लिये हम लोग इतने हल्के से ले लें और जनता में इतना गलत संदेश दे दें इसका परिणाम खराब होने वाला है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपका ध्यान और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस बात का ध्यान जाय कि हमारी इन्टेलीजेंसी एजेन्सी सक्षम हो और इसके साथ में अच्छे से उनका प्रशिक्षण हो। नम्बर-2 पुलिस का मूवमेंट तेज हो और इसमें इस प्रकार के व्यक्ति लिये जायें जो आज के वार फेस के लिये चुनौती हों, उससे प्रशिक्षित हों और उस बात को जानते हों और इन आतंकवादियों के ऊपर, खासतौर से सिम्मी जैसे संगठन के ऊपर वह हावी हो सके।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, आज भारत आतंकवादियों का गढ़ बन गया है। उसमें भी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले सिमी के केन्द्र बनते जा रहे हैं। देश में विभिन्न राज्यों में आतंकवादी घटनाएं घटती हैं लोग मरते हैं और विभिन्न सरकारों के द्वारा मुआवजा दिया जाता है और इस तरह से सरकार अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती है। पुनः दूसरे बम विस्फोट होने की इंतजारी की जाती है। अब पुनः वहीं सिलसिला होगा, एक कमेटी बना दी जायेगी वह इन्क्वायरी करेगी और फिर मुआवजा दिया जायेगा और बात खत्म हो जाती है। इस समय जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उसमें सबसे प्रमुख सिमी हो गया है। सिमी और हूजी पूरे उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ बनाये हुए हैं। आजमगढ़ और आजमगढ़ के आस-पास के हमारे पूर्वी जिले इसमें यह लोग बस गये हैं। अहमदाबाद विस्फोट के मास्टर माइंड मुफ्ती अब्दुल बशर हूजी और सिमी से सम्बन्धित हैं यह उसने खुद अपने आपको नारको टेस्ट में इसको स्वीकार किया है। बशर के साथ पांच और आतंकवादी आजमगढ़ में शरण लिये हुए हैं।

अहमदाबाद विस्फोट पर पच्चासी हजार रुपया खर्च हुआ और यह समस्त खर्चा अहमदाबाद को आजमगढ़ से हवाला के द्वारा भेजा गया यह भी उसने स्वीकार किया है। अहमदाबाद की पुलिस, केन्द्रीय खुफिया एजेन्सी की सहायता से आजमगढ़ पहुंचती है और बशर को बोनापार थाने से गिरफ्तार करती है, लेकिन हमारी यूपी की पुलिस और खुफिया एजेंसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। सिमी के दो सौ कार्यकर्ता और आतंकवादी तथा अन्डरवर्ल्ड के प्रमुख शूटर और जाली नोटों के कारोबारी समस्त पूर्वी उत्तर प्रदेश और मुख्य रूप से आजमगढ़ में बसे हुए हैं। सन् 2000 में आजमगढ़ के मोहल्ला कोट से हिजबुल आतंकवादी पकड़ा गया था उसने भी स्वीकार किया कि वह सिमी से सम्बन्धित है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें, केवल ग्राह्यता पर सुना जा रहा है।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, अर्लीगढ़ का बम विस्फोटी यूनुस यह भी सिमी से सम्बन्धित है। सिमी के संस्थापक शाहिद बद्र समजरी हत्या काण्ड....

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, अभी समाप्त कर रहे हैं, गोधरा बम काण्ड का कमाण्डर तारिक भी आजमगढ़ से पकड़ा गया। आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, पूर्वांचल के अधिकांश क्षेत्र सिमी के केन्द्र होते जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

एक मिनट मान्यवर, इतना तो टाइम दीजिए, अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन अदालत के सरकारी वकील एम0एच0 सैनी ने साफ कहा कि इनका मुख्य उद्देश्य है विभिन्न धर्मों के बीच में वैमनस्य फैलाना और यह सरकारी वकील कह रहा है कि इनका उद्देश्य है सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, यह राष्ट्र द्रोह है, देश द्रोह है। सवाल यह होता है कि यह आजमगढ़ और पूर्वी जिलों में इन आतंकवादियों का शरणदाता कौन है, यह किसके यहां पनाह लेते हैं, इनका सारा खर्चा कहां से आता है, इनके धन का स्रोत क्या है ? इसकी खोज कौन करेगा ? इसका जवाब हमको किससे मिलेगा ? इन सबकी, खुलेआम हमारे कुछ केन्द्रीय नेता जो केन्द्रीय सत्ता में भागीदार भी हैं, इनकी खुलेआम पैरवी कर रहे हैं। अब हमारी इस बसपा सरकार में जो बैठे हुए हैं यह इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक इनका दृष्टिकोण क्या है, यह पता नहीं चला है। एक बार जवाब दे देते हैं कि सी0बी0आई को भेज दिया और सोचते हैं कि उनकी ड्यूटी समाप्त हो गई। आज हम जानना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अब आप समाप्त करें। माननीय प्रमोद तिवारी जी आप अपनी बात कहें।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

मान्यवर, यह तो महिलाओं के प्रति अन्याय होगा, आप लोग हम लोगों को बोलने ही नहीं देते हैं और अगर बोलेंगे तो तुरन्त रोक देते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ऐसा नहीं है, केवल इसकी ग्राह्यता पर सुना जा रहा है।

डा0 (श्रीमती) ज्योत्सना श्रीवास्तव-

सरकार का दृष्टिकोण क्या है ? यह सरकार आतंकवादियों के प्रति कौन सा, कार्यक्रम बनाना चाहती है, आगे इस आतंकवाद की जड़ को समाप्त करने के लिये कौन सा कदम उठाना चाहते हैं आज हम इस सरकार से इस सदन के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब आप बैठ जायें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सदन के सामने एक अत्यन्त संवेदनशील विषय है, यह देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है, देश की कानून व्यवस्था से भी जुड़ा है। मान्यवर, इस पर जब हम चर्चा करें तो हमें बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग इस पर कुछ कहना होगा। मान्यवर, इस सच्चाई से कौन इन्कार कर सकता है कि उत्तर प्रदेश में कई बार आतंकवादियों को पकड़ा गया। मैं बधाई भी देना चाहता हूं मान्यवर, कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर कई आतंकवादियों को मार भी गिराया गया। मान्यवर, यह दोनों बातें तो अपनी जगह हैं। लेकिन इन दोनों बातों से एक बात तो उभर कर सामने आती है कि चाहे उन्हें मार गिराया गया हो या उन्हें पकड़ा गया हो, वह आतंकवादी इस उत्तर प्रदेश की धरती पर सक्रिय थे, यह चिन्ता का विषय है मान्यवर और यह चिन्ता का विषय इसलिये भी है कि हमारी राष्ट्रीय बिरादरी में या अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमारे प्रदेश को, आपको क्षति पहुंचेगी मान्यवर, कहीं न कहीं शासन और प्रशासन में कोई कमी है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज नर्सरी बनता जा रहा है आतंकवादियों का। मान्यवर, आज टेररिस्ट पैराडाइज के रूप में उत्तर प्रदेश को लोग जानने लगे हैं कि यहा आराम से रहिये, आराम से यहां से जाकर दूसरे प्रदेशों में गतिविधियां करिये और लौट कर चले आइये। मान्यवर, कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से प्रदेश सरकार को अपनी कानून व्यवस्था, गुप्तचर एजेन्सी को दुरुस्त करना पड़ेगा। कुछ संगठन की तरफ इशारा किया हमारे एक सदस्य ने, केन्द्रीय सत्ता की तरफ इशारा किया, इसलिये मुझे एक बात कहने का अधिकार है और अधिकार यह है।

मान्यवर, कि किसी संगठन को पूरा का पूरा गुनहगार ठहरा देना, किसी राजनैतिक दल को गुनहगार ठहरा देना, यह आपका नजरिया हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं किसी आतंकवादी, किसी अपराधी की न कोई जाति होती है, न कोई बिरादरी होती है, न कोई संगठन होता है, न कोई राजनीति दल होता है। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, जो संगठन आतंकवादी गतिविधियों में या धार्मिक उन्माद में जुड़े हों, मान्यवर, उन पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में सब अपनी जिम्मेदारी के दायित्व का निर्वाह करें। कोई दल अपने ऊपर न ले। मैं तो सिर्फ इशारा कर रहा हूं आने वाले दिनों की ओर। माना लोक सभा चुनाव नजदीक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है मान्यवर, इसका क्या हश्र होगा ? मान्यवर, इन्हीं के नार्को टेस्ट में आतंकवादियों से मिला है, जिस नार्को टेस्ट के बयान की बात की गयी कि एक प्रदेश में हुए दंगों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही यह आतंकवादी गतिविधियां की गईं। मान्यवर, उसी नार्को टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह इसी पर जिन्दा है इससे आगे सोचेंगे नहीं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने गुजरात का नाम भी नहीं लिया कि वहां के दंगों की वजह से ऐसा हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इन्होंने सारे देश को तबाह कर दिया और तबाह कर रहे हैं। मुश्किल से तीन चार महीने बचे हैं यह निभा लें आगे सब ठीक हो जायेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह तीन चार महीने की उम्मीद पर कायम हैं, हम कह रहे हैं कि 8-9 महीने की उम्मीद कर लें तो कोई एतराज नहीं होगा। चुनाव अभी 8-9 महीने बाद होने वाले हैं। उस नारकोटिक्स टेस्ट के माध्यम से यह बात उभर कर आ गयी है कि एक दंगे के प्रक्रिया स्वरूप यह आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं। मान्यवर, आज आप देखें कि एक धार्मिक उन्माद फैला है। देश की सीमाओं पर पूरी तरह से उसकी गतिविधियां की जा रही हैं। मान्यवर, कश्मीर के मामले में हम लोगों ने सदैव कहा है कि उसका जर्रा-जर्रा हमारा है वह अविभाज्य है उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। उसका आज इस तरह से बांटने की कोशिश की जा रही है। मान्यवर, वहां पर जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम एक दल कर रहा है उससे देश की एकता और अखण्डता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। मान्यवर, सदन तो एक सर्वोच्च जगह है, आपको तो चाहिए था कि आप आगामी लोक सभा के चुनाव को ध्यान में रखकर ढंग से काम करें। खराब काम किया था तभी तो सत्ता से बाहर हो गये थे आप लोग।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सत्ता में दुबारा आने की सोच रहे हैं। जिन्होंने इस कश्मीर के मसले को यूएनओ में ले जाने का काम किया। इन्हीं के बोये हुए बीजों की वजह से आज जो स्थिति उत्पन्न है उसे सारे देश को भोगना पड़ रहा है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज आपको मेरे धैर्य की तारीफ करनी पड़ेगी कितनी बार हुकुम सिंह जी खड़े होकर बोले हैं मैं उनको शान्तिपूर्वक सुनता रहा हूं।

मान्यवर, जो कश्मीर की अच्छी स्थिति हो गयी थी, उसमें उस मसले को यूएनओ में ले जाने की बात लोग भूल गये थे आज फिर से यूएनओ में ले जाने की बात पाकिस्तान करने लगा है। मान्यवर, आज इन धार्मिक संगठनों की जिम्मेदारी हो गयी है कि वह जो धार्मिक उन्माद पैदा करके देश को बांटने की साजिश कर रहे हैं वह न करें।

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, कल सभी नेताओं की बैठक में यह बात तय हुई थी कि दो बजे अनुपूरक बजट आज ले लिया जायेगा। आप देखें दो बजकर पन्द्रह मिनट होने जा रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे संक्षेप में कराके, खत्म कराने का आप फैसला लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप हमारी नोटिस को देख लें। हमारी नोटिस में शुद्ध रूप से यू0पी0 के सम्बन्ध में बात कही गयी है कि जांच एजेन्सियों ने जो उजागर किया है उससे एक दहशत पैदा हुई है कुछ आतंकवादी लोगों के बारे में। अब उसमें कश्मीर की बात कहां से आ गयी जो माननीय प्रमोद तिवारी जी बोल रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश में पूरी दुनिया आ जायेगी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद जी कृपया ग्राह्यता पर बोल लें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप मुझे यह चरित्र प्रमाण-पत्र दे सकते हैं कि मुझे ताकझांक की आदत नहीं है। इनकी नोटिस में क्या है यह मैंने नहीं देखा है। लेकिन मेरी नोटिस में क्या है वह मुझे पता है। उसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही आतंकवादी गतिविधियों और साम्प्रदायिक गतिविधियों के बारे में। अब साम्प्रदायिक गतिविधियों का पूरा ठेका इन्हीं का है। मेरे बोलने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों तकलीफ होती है। मान्यवर, कोई अगर आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है तो भारत के कानून के हिसाब से उसको फांसी से कम सजा नहीं दी जानी चाहिए। मान्यवर, यह हवाई जहाज में बिठाकर कंधार तक ले जाने का काम किन्होंने किया था। मान्यवर, ऐसे राजनीतिक लोगों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। आप उन्हें सुरक्षित तरीके से कंधार तक छोड़कर आये थे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जब उन आतंकवादी संगठनों पर सरकार जवाब दे तो मैं इस सरकार से जवाब इस बात का भी चाहता हूं कि जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, लिट्टे से समझौता किसने किया ? आज देश के प्रधान मंत्री रहे आज उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, लिट्टे से समझौता किसने किया यह बताना चाहिए इनको।

श्री अनूप सक्सेना-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मुझे समाप्त करने का मौका दें।

मान्यवर, इतने हमले हो रहे हैं, क्या करें यह बगल में ही बैठे हुए हैं शादी-वादी इनकी हुई नहीं है जो आदमी शादी नहीं कर सका वह समझौते की बात कर रहा है।

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि एक चीज का ध्यान रखियेगा आतंकवादी जो हैं उनको फांसी पर चढ़ाने का पूरा प्रबन्ध करिये उन्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो धार्मिक उन्माद फैलाकर आतंकवाद पैदा कर रहे हैं। इनके खिलाफ समुचित कार्यवाही कीजिए। इन्हें भी समाज में रहने का अधिकार नहीं है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने की अनुज्ञा मांगने पर)

श्री अधिष्ठाता-

जिसका नाम है उसको बुला रहे हैं। अभी बुला लेंगे। माननीय अजय कपूर जी बोलें। आप कृपया बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह आवश्यक नहीं है कि जितने लोगों की नोटिस हो सबको सुना जाय। मान्यवर, आपने कुछ लागों को ग्राह्यता पर सुन लिया अब सरकार का पक्ष भी जान लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आप जिनको अवसर दें आप उनको पुकार लीजिए लेकिन अगर किसी सदस्य का व्यवस्था का प्रश्न है तो उसको भी सुन लें।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता भाजपा और उप नेता भाजपा ने अपनी बात रखी है इस पर आप अपनी व्यवस्था देंगे मगर मान्यवर, जब तक हम लोगों को न सुन लें क्योंकि इनका टारगेट निशाना अल्पसंख्यकों की तरफ तो है तो जब तक आप अल्पसंख्यक की बात नहीं सुन लेंगे तब तक आप अपनी व्यवस्था नहीं दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नाम तो किसी का आया नहीं है।

(शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अधिष्ठाता महोदय, माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने इस संवेदनशील मामले को बहुत ही जहानत से और बहुत अच्छे ढंग से रखा है इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बहुत गम्भीर प्रश्न है पूरे देश के लिये और उत्तर प्रदेश चूंकि देश का दिल है उत्तर प्रदेश के साथ देश के लिये भी और यह भी सही है कि आतंकवाद से प्रभावित केवल भारत नहीं है बल्कि इस वक्त पूरा विश्व है। पूरी दुनिया उसमें नाकाम है, किसी हद तक हम भी नाकाम हैं उसके क्या कारण हैं सरकारें उसका जवाब देंगी उत्तर प्रदेश सरकार दे भारत सरकार दे लेकिन क्या आतंकवाद का शिकार सिर्फ कोई एक धर्म के ही लोग हैं क्या मक्का मस्जिद हैदराबाद में बम नहीं फटा ? क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों में बम नहीं फटे ? लेकिन मैं यह जिक्र करूं कि साहब पैजामे का कोई जिक्र नहीं था तो पैजामे का नाम क्यों आया। भारतीय जनता पार्टी के नेता महोदय ने यह कहकर कि अल्पसंख्यकों का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों आखिर अल्पसंख्यकों का नाम आया ? क्यों सफाई दी गयी हमारी तरफ से ? क्यों हमारी तरफ उंगली उठाई गई ? क्या मंशा थी, अल्पसंख्यकों का जिक्र क्यों आया ? आतंकवाद से अगर सभी प्रभावित है, तो उससे हम भी प्रभावित हैं। इस बिना पर, जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उसमें बल है और मान्यवर, मेरी आपत्ति है कि इस शब्द को आप कार्यवाही से निकलवायें, 'अल्पसंख्यकों के शब्द को'।

(सत्ता पक्ष की ओर से कुछ सदस्यों के हंसने पर)

क्यों बहुत दांत निकाले जा रहे हैं, बोल लोगे आप, [× × ×]

श्री फागू चौहान-

आप सबकी बोलती बंद कर दीजियेगा। आपको जो कहना हो कहिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

श्रावस्ती में मुस्लिम महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे, जौहर यूनिवर्सिटी पर आप बुलडोजर चलवायेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय आजम खां जी, आप कृपया पीठ को सम्बोधित करिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हाईकोर्ट में सिर्फ इसलिये [× × ×] वकील को मारा जायेगा कि वह किसी की पैरवी क्यों कर रहा है ? मान्यवर, महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे का मुकदमा लड़ाया

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया इसी देश में, और ऐसे व्यक्ति ने लड़ाया जो केन्द्रीय सरकार में कानून के मंत्री बने। तो जो राजनैतिक दल इस हद तक जा सकता है उस राजनैतिक दल के ऊपर यह इल्जाम कांग्रेस पार्टी का, कि वह सफाई दे, वह आखिर देश में क्या माहौल बनाना चाहती है ? क्या इसका अगले चुनाव से तो कोई वास्ता नहीं है ? किसने कहा कि सिमी का ताल्लुक किससे है किससे नहीं ? क्या जरूरत थी इसमें अल्पसंख्यकों का नाम आने की और मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि आतंकवाद से प्रभावित सिर्फ कोई एक धर्म या जाति के लोग नहीं है सारे लोग प्रभावित हैं। कश्मीर में कश्मीरी नेता को मार दिया गया, मुस्लिम नेता को मार दिया गया, आतंकवादी संगठनों के द्वारा, इसलिये मान्यवर, इस संवेदनशील मुद्दे पर बोलते समय मुसलमानों के प्रति किसी भी तरह की ऐसी उंगली नहीं उठना चाहिए क्योंकि इस प्रदेश ने और इस देश ने 6 दिसम्बर, 1992 भी देखा है। 5 दिसम्बर, 1992 को यह देश आर0डी0एक्स0 नहीं जानता था कि आर0डी0एक्स0 होती क्या चीज है। विचार करना पड़ेगा लोगों को, कि फासिस्ट देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिये मान्यवर, इस सिमी के मामले पर यह कहना, कि किसी ने किस समय पर क्या कहा था, हम एक सदस्य के नाते भी कहना चाहते हैं और एक हिन्दुस्तानी के नाते भी कहना चाहते हैं कि अगर किसी का सिमी से कोई वास्ता है और अगर सिमी के रास्ते से कोई आतंकवाद फैलाता है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सिमी के नाम पर बेगुनाह लोगों को सताया जाय, इसके नतीजे भी मान्यवर, अच्छे नहीं होंगे।

(कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं खड़ा हो गया हूं। क्या जितने सदस्य हैं, सबको सुनेंगे। मान्यवर, सभी दलीय नेताओं के बीच में यह तय हुआ था कि दो बजे तक हम बजट ले लेंगे। इनके माननीय नेता की बात आ गयी। इनके उप नेता की बात आ गयी। एक और माननीय सदस्य की बात आ गयी। जितने सदस्य हैं, सब बोलेंगे। मान्यवर, यह गलत बात है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कृपया ऐसा अवसर न दें।

श्री अधिष्ठाता-

हमने उनको बुला लिया है कृपया आप लोग अपनी सीट पर बैठें।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली से सदन का संचालन होता है। मुझे भी सुन लें, आपने इसे ग्राह्य किया है।

श्री अधिष्ठाता-

ग्राह्य नहीं हुआ है, ग्राह्यता पर सुना जा रहा है। ग्राह्य होगा या नहीं होगा यह निर्णय बाद में होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले जबदम्बिका पाल जब होते थे तो मा0 जबदम्बिका पाल और मा0 तिवारी जी में नोंकझोंक रहती थी कि हम बड़े, हम बड़े। लेकिन अब तो यह सर्वविदित है कि मा0 प्रमोद तिवारी जी नेता हैं और जब नेता बोल चुके तो फिर दूसरे सदस्यों के बोलने की आवश्यकता क्यों है।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने दल विशेष के बारे में कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे दल में डिक्टेटरशिप नहीं है, तानाशाहीपूर्ण रवैया नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ताओं को भी नेता के बाद बोलने का अवसर मिलता है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, केवल ग्राह्यता पर संक्षेप में बोलें।

*श्री प्रदीप जैन आदित्य-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से आतंकवाद और साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं पूरे देश के अन्दर बढ़ रही हैं और उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से उसकी शरणस्थली बन रहा है, उसकी ग्राह्यता पर अभी हमारे नेता तिवारी जी ने विचार रखे। लेकिन मैं एक बात आपके सामने निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय का हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे इस समुदाय में जोड़ा है। मेरा यह कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अपने एन्टी टेरेरिस्ट स्क्वैड को बहुत सुचारु बनाना चाहिए क्योंकि एक आतंकवादी पकड़ने के लिये सैकड़ों बेगुनाहों को नहीं पकड़ना चाहिए। आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जानबूझकर अनेक जगहों पर अनेक पुलिस के अधिकारी आतंकवाद के नाम पर बहुत सारे निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं, पूछताछ करते हैं और उसको समाज में कलंकित करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आतंकवादी व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए क्योंकि आतंकवादी व्यक्ति की कोई जाति नहीं होती है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप जैन आदित्य-

[× × ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब लिखा नहीं जायेगा। मा0 सुरेश श्रीवास्तव जी आपके दो नेता बोल चुके हैं, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही जगह-जगह पर आतंकवादी गिरफ्तार हो रहे हैं। अगर गुजरात में घटना हुई तो जो आतंकवादी पकड़ा गया वह आतंकवादी मेरे मध्य विधान सभा क्षेत्र मौलवीगंज में पकड़ा गया। मैं इसलिये खड़ा हुआ हूं कि सिमी का जो अध्यक्ष था, वह सआदतगंज मोहल्ले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में जब बम विस्फोट कांड हुआ तो वहां के आतंकवादी जब पकड़ करके लाये गये तो उन्होंने कहा कि चारबाग बस-स्टेशन पर हमारा सामान रखा है। उसमें से एक ने कबूल किया कि मैं शेखपुर का रहने वाला हूं, एक ने कबूल किया कि मैं चावल वाली गली का रहने वाला हूं। यह सब मेरे विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ले हैं, जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूं। मेरी चिन्ता इस बात की है कि सिमी संगठन के अगुआ, उनके मुखिया यहां पर एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और सिमी के माध्यम से आतंकवादियों को जन्म दे रहे हैं, आतंकवादियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर, मेरी चिन्ता एक और है मेरे संज्ञान में बात आयी है सरकार उसका जवाब दे कि क्या गुजरात सरकार को सी0बी0आई0 कोर्ट का सहारा लेना पड़ा उत्तर प्रदेश में संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार करवाने के लिये। अपने जवाब में बतायें। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि सी0बी0आई0 कोर्ट का सहारा गुजरात सरकार को लेना पड़ा तब यहां पर आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सहयोग नहीं किया। आज क्या कारण है कि देश में कहीं पर भी, किसी प्रदेश में आतंकवादी घटना होती है, शक की सुई उत्तर प्रदेश में आती है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आती है। मेरी मांग है कि इन आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों को दण्डित करने के लिये मकोका जैसा कानून बनाया जाए और 'सिमी' पर प्रतिबन्ध लगाया जाए। एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी जी बैठे हुए हैं, बहुत बढ़-चढ़कर बोल रहे थे। क्या खेल खेला है ट्रिब्यूनल में 'सिमी' के मुकदमें में लचर पैरवी की, उसके कारण, 'सिमी' पर से प्रतिबन्ध हट गया। जब केन्द्रीय मंत्री बयान देने लगे कि सिमी पर से प्रतिबन्ध हट जाना चाहिए और फिर जब दबाव बढ़ा तो कांग्रेस के लोगों ने जा करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। कांग्रेस पार्टी के लोग न इधर के रहे, न उधर के रहे। 'सिमी' पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग करते हुए मकोका जैसा कानून बनाने की मांग करता हूं।

(श्री विद्या सागर गुप्ता द्वारा खड़े होकर कुछ बोलने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 गुप्ता जी, आपके दो वरिष्ठ नेता इस पर बोल चुके हैं, सारी बात आ चुकी है। अब आप आसन ग्रहण करिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्री विद्यासागर गुप्ता-

मान्यवर, इस सूचना पर मेरे हस्ताक्षर हैं, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

गुप्ता जी, श्रीवास्ताव जी ने सारी बात रख दी है, अब असान ग्रहण करिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारा मानना है कि आतंकवाद देश और दुनिया की सभ्यता के लिये, मानवता के लिये कलंक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी हम निन्दा करते हैं, उसकी हम भर्त्सना करते हैं।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, अभी एक मा0 सदस्य ने कहा कि उनके मुहल्ले में आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो पहले इनसे ही जानकारी ले लीजिए, क्या यह ट्रेनिंग दे रहे थे ?

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य बैठ जाइये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, उत्तर दे रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां तक 'सिमी' की गतिविधियों का प्रश्न है, इस पर प्रथम प्रतिबन्ध, 27-09-2001, द्वितीय प्रतिबन्ध 26-9-2003, तृतीय प्रतिबन्ध 8-02-2006 से लगे थे तथा वर्तमान और चतुर्थ प्रतिबंध दि0 7-02-2008 से लगा है। इस प्रतिबन्ध का हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा 'सिमी' पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जहां तक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 'सिमी' की गतिविधियों का सवाल है। वर्ष 2003 के बाद से प्रदेश में 'सिमी' की कोई गतिविधि प्रकाश में नहीं आयी है। वर्ष 1998 से 2003 के बीच 'सिमी' कार्यकर्ताओं के विरुद्ध 65 मुकदमें दर्ज हुए थे। मान्यवर, जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, इसको रोकने के लिये वर्तमान प्रदेश सरकार ने कड़े कदम उठाये हैं। विभिन्न वर्षों में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए या मारे गये-वर्ष 2005 में 17, वर्ष 2006 में 9, वर्ष 2007 में 23, वर्ष 2008 में 8। आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिये अभिसूचना मुख्यालय के अन्तर्गत विशेष कोष्ठ का गठन, आई0एस0आई0/आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों के आच्छादन हेतु 17 विशेष कोष्ठ इकाइयों से संवेदनशील जनपदों में स्थापना, वाराणसी एवं अभिसूचना मुख्यालय पर सर्विलांस इकाइयों का गठन, भारत-नेपाल सीमा पर 13 आसूचना संकलन की चौकियों का गठन किया गया। अभिसूचना

के दृष्टिकोण से प्रदेश के 34 जनपद संवेदनशील रूप से चिन्हित किये गये इन जनपद में मण्डल स्तर पर षटमासिक व जनपद स्तर पर त्रैमासिक गोष्टी जिसमें प्रशासन, पुलिस, अभिसूचना एवं आसूचना ब्यूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों के चिन्हींकरण, सम्पर्क सूत्रों को विकसित करने, आतंकवादी घटनाओं से निपटने एवं आतंकवादी की उपस्थित/गतिविधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना के एकत्रीकरण, प्राप्त आसूचना पर कार्यवाही, जाली मुद्रा, शस्त्रों, हवाला आदि में संलिप्त व्यक्तियों को निष्प्रभावी करने के लिये आतंक निरोधक दस्ता (ए0टी0एस0) का गठन वर्ष 2007 में किया जा चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अभी संसदीय कार्य मंत्री जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन आब्लिक आतंकवादी गतिविधियां तो आप पत्र देख सकते हैं लेकिन आब्लिक नहीं पढ़ सकते हैं। आब्लिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

संसदीय कार्य मंत्री जी की यह बोलने की शैली है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर मंत्री जी चिकित्सक की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो कहेंगे कप्लेन्ट आफ पेन।

श्री लालजी वर्मा-

आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों, संगठित अपराधिक गैंगों एवं माफिया तत्वों के विरुद्ध एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0, जनपदीय पुलिस एवं अभिसूचना मुख्यालय द्वारा समन्वित रूप से केन्द्रीय इकाइयों के साथ सहयोग लेते हुए कार्यवाही की जाती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर नेपाल सीमा में निगरानी हेतु एस0एस0बी0 की नियुक्ति की गई है तथा भारत नेपाल सीमा पर इसकी 111 चौकियां स्थापित हैं। मान्यवर, हमारे कई सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि आतंकवादी गतिविधियों के लिये ऐसी कोई अभिसूचना इकाई बने जिससे कि उनकी गतिविधियों के बारे में उनकी जानकारी के बारे में पता चल सके। उसके लिये एस0टी0एफ0, ए0टी0एस0, उत्तर प्रदेश पुलिस का इंटेलीजेंस विभाग आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखता है और उस आधार पर कार्यवाही की जाती है। मान्यवर, इस सरकार के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आतंकवादी गतिविधि हुई थी, वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद कचहरी में आतंकवादी घटना हुई थी, रामपुर में सी0आर0पी0एफ0 कैम्प पर हमला हुआ था मान्यवर, इन सबमें जो लोग संलिप्त थे उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और सभी घटनाओं का पूरी तरह से पर्दाफाश किया गया। मान्यवर, इसके साथ-साथ 22-6-08 को गोरखपुर में ए0टी0एस0 द्वारा हमाम अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया जो वर्ष 2001 के गोरखपुर के एक मुकदमें में वांछित था

सिद्दीकी सिमी का प्रान्तीय अध्यक्ष था। अहमदाबाद विस्फोट से सम्बन्धित जिस पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मदद नहीं की मैं बताना चाहता हूं कि अबुल बशर निवासी थाना सरायमीर आजमगढ़ को ए0टी0एस0 के सहयोग से ही गुजरात पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस व उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से आतंकवादी घटनाओं से उत्तर प्रदेश और देश को बचाने के लिये प्रयासरत है।

हमारा यह मानना है जैसा कि मैंने पहले कहा कि आतंकवाद देश और समाज के लिये कलंक है। उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, वह कम है। मान्यवर, किसी भी तरह से आतंकवादी संगठनों को कहीं से भी शय नहीं मिलनी चाहिए। आतंकवादी प्रायः बहुत से ऐसे आते हैं जो देश की सीमाओं से उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्से में आते हैं। हमारे जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है अगर सीमाओं पर उनके लिये प्रयास करें, उसमें पर्याप्त जानकारी करके उसको हम रोकने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर इन आतंकवादी घटनाओं से बचा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार दृढ़ संकल्प है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में न तो आतंकवादियों की शरण स्थली बनने पाए न ही किसी तरह से आतंकवादी घटनाएं होने पाए। जो भी, व्यक्ति इसमें चाहे वह कोई भी संगठन हो, कोई भी अगर इस तरह की घटना से संलिप्त होता है तो उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी और मान्यवर, पूरी तरह से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी जो फोर्स है वह इस मामले में पूरी तरह से जागरूक है, सक्रिय है किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह संवेदनशील मुद्दा है, इस पर बहुत ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और यह केवल एक दल या एक पार्टी का विषय नहीं है और देश के वासियों का विषय है। आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है और हम इस बात को मानते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद मानवता के लिये कलंक है और हम सब लोगों को मिलकर इस समस्या के निराकरण करने के लिये पूरी तरह से प्रयास करने चाहिए। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पर्याप्त रूप से इसको रोकने के लिये सक्षम व्यवस्था कर रही है और किये हुए है और उसका रिजल्ट भी अब सामने आ रहा है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इस सूचना को अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने इस सूचना पर श्री ओम प्रकाश जी, श्री हुकुम सिंह जी, श्री प्रमोद तिवारी जी अन्य माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना। मैं इसको कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है कि सब दल के नेता थे और सबके बीच में तय हुआ था। मान्यवर, अन्य कार्य-स्थगन के प्रस्ताव को आप कल ले लें अब अनुपूरक अनुदान की मांगें ले लें।

(कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोलने पर शोर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको विनियोग विधेयक पारित करना है और पारित करके दूसरे सदन में भी जाना है और यह सारे दलीय नेताओं ने तय किया था। मान्यवर, अनुपूरक अनुदान भी इससे महत्वपूर्ण मामला है। मैं चाहूंगा कि अब अनुपूरक अनुदानों की मांगों को ले लें।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा मद संख्या-42 पुकारे जाने पर सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोगों का कल सुन लिया जायेगा। नेताओं की बैठक में तय हो गया था कल सुन लिया जायेगा।

श्री इमरान मसूद-

मान्यवर, बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अधिष्ठाता-

कल सुन लिया जायेगा। कल जितनी देर तक चाहेंगे उतनी देर तक बैठेंगे। इसको यहां से दूसरे सदन में भी जाना है। इसकी गम्भीरता को देखें। यहां से पास होकर दूसरे सदन में भी जाना है।

(शोर)

(कई सदस्यगण एक साथ बोल रहे थे।)

कल दे दीजिएगा। कल जितनी देर बोलना हो बोल लीजिएगा। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया कि दलीय नेताओं की बैठक में तय हो गया था। यहां से पास हो जाये फिर विधान परिषद् में भी जाना है।

(डा0 अनिल चौधरी, श्री संजय कपूर, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कौकब हमीद, डा0 अजय तोमर, श्री अशोक कुमार चंदेल, श्री राम किशुन, श्री राम विशुन आजाद आदि अनेक सदस्य खड़े होकर एक साथ बोल रहे थे।)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप सब बैठ जाएं।

श्री अम्बिका चौधरी-

सारी सूचना आपके सम्मुख है। माननीय सदस्य भी आपके संज्ञान में लाये थे और आपसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले थे। आप दो-दो मिनट समस्याओं को सुन लें दस मिनट में सब हो जायेगा।

(इस समय 2 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

सुन लेंगे दो-तीन मिनट का समय दे देंगे। लेकिन चार बजे तक इसे विधान परिषद् में पहुंचना है। तो इतनी मदद कर दें पहले इसको ले लें तब सुन लिया जाएगा।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

अध्यक्ष जी, एक दिन का सत्र और रह गया है, आप दयालु हैं, अब आप आ गये हैं, मेरी बात भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आशय आपका बहुत पवित्र है। चौधरी साहब, 3.00 बज रहे हैं, अभी एक सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की है, एक सूचना अतिवृष्टि की है, एक गन्ना किसानों की है, एक रोजगार गारण्टी योजना की है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, अभी आतंकवाद पर यहां पर एक घण्टे चर्चा हुई। लेकिन अध्यक्ष जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी इन्सेफ्लाइटिस से जितने लोग मरे हैं, उतने पूरे हिन्दुस्तान में आतंकवाद से नहीं मरे हैं। यदि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी इस सदन में चर्चा नहीं होगी तो किस विषय पर होगी ? कल सुनेंगे,? परसों सुनेंगे, मात्र एक दिन और सदन की बैठक होनी है, आप और सदन चलायें, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा होगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

आपका क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, अब तक की परम्परा यह रही है कि अगर एक विषय पर विभिन्न मा0 सदस्य अपनी नोटिस दे रहे हैं तो सब का नाम एक में जोड़ दिया जाता था। इन्सेफ्लाइटिस पर मैंने भी नोटिस दिया है। मेरे लिये भी यह विषय उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना डा0 अग्रवाल साहब के लिये। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है, आपने डाक्टर अग्रवाल साहब की नोटिस को स्वीकार किया है तो हमारा भी नाम उसमें जोड़ लेते, हमें भी कहने का मौका मिल जाता।

श्री अध्यक्ष-

देखें, इनकी सूचना है ?

(श्री राम किशुन, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री कौकब हमीद, डा0 अजय तोमर, डा0 अनिल चौधरी आदि सदस्यों के बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग सलूशन निकालें, दोनों काम हों। हम आप लोगों की सूचना पर सुनने के पक्षधर हैं कि महत्वपूर्ण बातें आ जायें लेकिन 4.00 बजे तक बजट पास करके परिषद् में जाना है, इसमें आप लोगों का सहयोग मिल जाए और यह 4.00 बजे तक वहां चला जाए। आतंकवाद पर चर्चा हो गयी, मस्तिष्क ज्वर, अतिवृष्टि, प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी पर अभी होना है।

डा0 अजय तोमर-

अध्यक्ष जी, आलू का भी है।

श्री अध्यक्ष-

आलू-आलू, ऐसे आलु-आलू कह रहे हैं जैसे.....

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी, आपने आज सुनने के लिये कहा था। मान्यवर, आपने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष-

आज प्रायरिटी थी, सिमी वाला हो गया और भी जितनी सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आप 3.30 बजे तक इन चर्चाओं को सुन लें, उसके बाद बजट ले लें, उसके बाद फिर जो सूचनाएं बच जाती हैं, उनको सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

आधे घण्टे में कैसे हो पायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह सूक्ष्म सत्र है, मैं पक्षधर हूं कि आप लोगों की बात आए, इस लिहाज से इतना समय लगा रहे हैं। हम सुनना चाहते हैं, लेकिन शार्ट टर्म का यह सत्र है। आपकी सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं और हम सुनना भी चाहते हैं।

(श्री राम किशुन और श्री राम विशुन आजाद के खड़े हो जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम किशुन और श्री राम विशुन जी आप लोगों का तो कल सुनेंगे।

(श्री उदयभान करवरिया, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम किशुन, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कौकब हमीद सहित विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने पर सदन में शोर होने लगा)

(शोर-शराबे के मध्य)

(श्री राम किशुन के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपको चयनित किया है।

पहले आप शांत हो जायें। सुनिये हम पढ़ रहे हैं। हम एक क्रम बना लिये थे। बोलियेगा मत। एक है मस्तिष्क ज्वर वाला दूसरा नम्बर पर। उसके बाद अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों की हुई हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान, श्री जोखू लाल यादव और तमाम लोगों का है, अतिवृष्टि में कन्सालिडेट किया है। फिर गन्ना किसानों का बकाया के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर जी का है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम में राम विशुन आजाद जी का हैं इसके बाद आलू उत्पादक किसानों का डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री अब्दुल वारिस खां और डा0 अजय तोमर जी का है। इसके बाद श्री जमीरउल्ला खां का जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी अन्तर्गत श्री शहाबुद्दीन की हुई मौत के जिम्मेदार थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। इसके बाद श्री संजय कपूर जी की सूचना प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के सम्बन्ध में है। दो मिनट का मसला है। श्री राम किशुन जी की सूचना जनपद चन्दौली क चन्द्रप्रभा बांध की मरम्मत मानक के अनुरूप न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

इस तरह से तो किसी का नहीं हो पायेगा। एक सूचना गोवध वाले पर है। कौकब हमीद साहब का था। बस ठीक है। इतनी सूचनाओं को सुना जायेगा। यह सब विशेष उल्लेख में है। डाक्टर साहब इस समय 3.00 बज रहा है। 10-5 मिनट में आप कहिये और जिनका एडजस्ट हो जायेगा उनको भी कर लिया जायेगा चलिए। पहले आप कुछ सूचनाओं का तो निपटारा करें उसके बाद देखा जायेगा।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

मान्यवर, बुन्देलखण्ड में 4 साल से सूखा पड़ा है। फसलें नष्ट हो गयीं। कुछ है नहीं बुन्देलखण्ड के किसानों के पास। भूखों मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

कल दे दीजिए बुन्देलखण्ड का, पहले सुन लेंगे, चलिए।

श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल-

आपके पास पहले से है।

श्री अध्यक्ष-

कल सूचना फिर से दे दीजिएगा, बुन्देलखण्ड वाली सूचना मैं पहले सुन लूंगा। अरे. निषाद जी मैं कह रहा हूं कि सही है, अगर वहां अतिवृष्टि हुई है. नुकसान हुआ है तो आप दे दीजिएगा, कल बुन्देलखण्ड का सुन लूंगा। नई सूचना देना पड़ेगा बस। चन्देल जी बैठिये, अब विशम्भर प्रसाद निषाद जी बैठें, कुछ तो एडजस्ट करें आप। कल बुन्देलखण्ड वाला हम सुन लेंगे। विशम्भर निषाद जी आपका अतिवृष्टि वाले में नाम तो है। तो इसी में आप सुना दीजएगा। चलिये अब साढ़े तीन बजे मैं बजट ले लूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, क्रम में मेरा नाम पहला था।

श्री अध्यक्ष-

नहीं पहला नाम नहीं है। क्रम पढ़ दें। पहला नाम है डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही। तीन लोगों का है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिए, ओझा जी का भी है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष

अच्छा निकलवा रहा हूं। बैठें आप। ओझा जी आप बैठें, आपको शामिल कर लिया गया है। मदन जी बैठें, गुप्ता जी आप बैट जाइये। विधायक जी आप भी बैठ जाइये। करवरिया जी गोवध वाला जो है उसको देख लेते हैं। चलिए बैठिये।

श्री उदयभान करवरिया-

आपने कहा था।

श्री अध्यक्ष-

कहा था तो कोई अपराध नहीं हुआ। चलिए बैठ जाइये आप। चलिए उसको एडजस्ट करिये, बैठिये। अभी श्री ओम प्रकाश सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा, मैं मानता हूं, उसके आधार पर चलूंगा। डाक्टर साहब बहुत शार्ट में कहिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर. इतनी जद्दोजहद के बाद पूर्वांचल की इतनी महत्वपूर्ण समस्या जिसमें अब तक दसियों हजार मरीजों की जान ली है, तकरीबन 25 से 30 हजार मरीज इस बीमारी से ग्रसित हुए होंगे, सरकार इस विषय को सुनने के लिये तैयार हुई है। इससे यह सिद्ध हुआ है कि यह सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश की इन्सेफलाइटिस की समस्या के समाधान के लिये कितनी गम्भीर है। पूर्वी उत्तर

प्रदेश के लोग इस बात को पूछते हैं कि आखिर इतने सालों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, सरकारें इस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही हैं। आज उस मानसिकता का परिचय हम लोगों को मिला है। अगर यह समस्या किसी और विषय की रही होती तो कितनी व्यवस्थाएं की गयी होतीं और न जाने कितना इलाज किया गया होता। मैं इसलिये कह रहा हूं कि जो कुछ भी किया गया है उसका मैं आपके सामने विवरण रखूंगा। चाहे जिला अस्पताल हो, कम्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, सच्चाई यह है कि इन्सीफ्लाइटिस का कोई भी मरीज किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में या जिला अस्पताल में नहीं जाता है। मैं यहा पर आने से एक दिन पहले ही जिला अस्पताल में गया था। वहां किसी भी प्रकार की सुविधा, आक्सीजन के पाइप की, वेन्टीलेटर की या जीवन रक्षक दवाओं की कोई भी सुविधा नहीं दी गयी है। मैंने स्वयं देखा है कोई भी सुविधा उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं दी गयी है।

अभी वह खड़े होंगे और बड़ी-बड़ी बातें कहेंगे लेकिन कोई सुविधा नहीं दी गयी है। सिर्फ बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में सारे मरीज धकेल दिये जाते हैं। 6 करोड़ नागरिकों के बीच के मरीज यहां पर धकेल दिये जाते हैं और बी0आर0डी0 अस्पताल के बारे में स्वयं मंत्री जी ने परसों एक सवाल के उत्तर में कहा है कि 1390 शिक्षकों में से 58 शिक्षक काम कर रहे हैं, 558 नर्सों में से 83 नर्सें काम कर रही है, 530 पेरा चिकित्सकों में से 125 पेरा चिकित्सक काम कर रहे हैं। इतने सारे मरीज और चिकित्सकों, नर्सों और परा चिकित्सकों की कमी के बावजूद, इसको मैंने स्वयं इस सरकार के कार्यकाल में सात आठ बार इस विषय को सदन में लाने का और माननीय चिकित्सा मंत्री से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर के कम से कम तीन-चार बार इन बातों को बार-बार कहने का प्रयास किया। एक ओर तो यह कमी दूर नहीं हो रही है और दूसरी ओर जो चिकित्सक वहां स्वास्थ्य सेवाओं से भेजे गये हैं बार-बार दबाव देने के बावजूद भी उन चिकित्सकों को विभाग में बैठे हुए अधिकारी हटाकर जबरन वापस भेज रहे हैं जिससे जितने चिकित्सक हैं उनकी भी कमी हो जाये। यह सरकार ने बार-बार घोषणा किया कि इन्सीफ्लाइटिस वार्ड दिया जायेगा। माननीय मंत्री जी चाहे जितनी बातें कहेंगे लेकिन सच्चाई यही है कि एक भी पद का सृजन नहीं हुआ, एक भी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई, किसी नर्सेस और पेरा चिकित्सक कर्मी की नियुक्ति नहीं हुई, आवश्यक उपकरण नहीं दिये गये हैं। आज तक इन्सेफ्लाइटिस वार्ड में आक्सीजन की पाइप लाइन लग रही है। तीन साल पहले सरकार ने इसमें धन दिया था लेकिन इन तीन सालों में इन्सेफ्लाइटिस वार्ड को नहीं बनवा पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, जीवन रक्षक जो सबसे महत्वपूर्ण दवा होती है हीमोग्लोबिन, पिछली बार मैं इसी सदन में आया था, माननीय मंत्री जी आपको याद होगा हम लोगों ने आपको विशेष स्वीकृति दिलायी थी इसके लिये। आज स्थिति यह है कि सरकार ने सीमा बांध दिया पन्द्रह हजार की और उसका फल यह हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन का दाम बाजार में पिछले वर्ष पांच हजार रुपये था, माननीय

मंत्री जी बैठे हैं, गोरखपुर से चुनकर आते हैं, आज वह चौदह हजार रुपये में खरीदने को मजबूर हो रहा है।

माननीय राज्य मंत्री होम्योपैथी ने कल मुझसे स्वयं कहा है कि आखिर यह कमी कैसे दूर होगी। पूनर्वास की बात कही गयी। मैंने स्वयं बीआर0डी0 मेडिकल कालेज में देखा, सरकार अभी खड़ी होगी और यह कहेगी कि हमने पुनर्वास केन्द्र प्रारम्भ कर दिया है। कहां है यह पुनर्वास केन्द्र, कौन इलाज करा रहा है, कितने मरीजों का इलाज हुआ, किनको सुविधा हम दे पाये ? अगर बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज का चिकित्सक नहीं जानता तो कौन जानता है। टीकाकरण के साथ यहीं हुआ है। पिछली सरकार में हम लोगों ने दबाव बनाया था और उस समय टीकाकरण की व्यवस्था हुई थी। आज जितने भी मरीज आये हैं उनमें से पचानबे प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जिन्हें टीका नहीं लगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में टीके लगाये गये थे तो यह मरीज कहां से आ रहे हैं ? इस बात को माननीय मंत्री जी गौर करियेगा। हम लोगों ने गोरखपुर में कमिश्नर के साथ बैठक की। माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री राजेश त्रिपाठी उस बैठक में थे। इस बात को स्वीकार किया गया कि जो टीकाकरण किया गया है उसकी जांच की जाय। सात दिन का समय दिया गया और यह कहा गया कि सात दिन में सी0एम0ओ0 रिपोर्ट देंगे। आज तक बैठक नहीं हो पायी है। पूरा टीकाकरण का अभियान वस्तुतः एक गम्भीर जांच की मांग करता है कि आखिर अगर टीकाकरण हुआ है तो यह मरीज आ कहां से रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार में मैंने इस बात को फिर कहा था, एक साल ही सही ठीक है, 2005-2006 में नहीं दिया गया होगा उसके पहले एक साल दिया गया। मरने वालों को अगर 25 हजार दिया गया, विकलांगों को अगर 50 हजार दिया गया, अगर किसी कारणवश कभी बन्द किया गया तो आपका दायित्व बनता है कि अगर कोई मर रहा है, कोई विकलांग हो रहा है, हम उसकी चिकित्सा सुविधा के लिये जो आवश्यक धनराशि हो दें, लेकिन सरकार ने लगातार जो अपने दायित्वों का जो वास्तविक निर्वहन इसे करना चाहिये, उससे इंकार किया है। इतनी बार अध्यक्ष महोदय, हम लोग यह विषय लेकर आये हैं। मैंने अभी इसके पूर्व कहा, जितने लोग इस देश के नागरिक आतंकवाद से नहीं मरे होंगे, अगर जम्बू काश्मीर को हटा दिया जाये, शायद उससे कहीं अधिक इसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफ्लाइटिस से मरे हैं। इन्सेफ्लाइटिस शायद एक मेडिकल टेरिरज्म का एक नया रूप है जो हम लोगों के सामने आ रहा है और एक नया स्वरूप ले रहा है। अब तक हम लोग चर्चा करते थे जापानीज इन्सेफ्लाइटिस की, अब जो मरीज आ रहे हैं वह काक्केसी के आ रहे हैं, जैवजनित इन्सेफ्लाइटिस के आ रहे हैं, जिनका कोई टीका भी उपलब्ध नहीं है। लगातार पिछले सत्र में भी मैंने यह विषय आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया था कि काक्केसी वायरस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाय। सरकार ने उस समय कहा था कि हम टीका लगवायेंगे।

मैंने उस समय कहा था कि इसका कोई टीका नहीं आता है। आप गांव-गांव में टोटल सेंटेशन मिशन चलाते हैं, गलियां, नालियां सब हमने साफ कर दी हैं, ऐसी घोषणा करते हैं।

आपको यह सुनिश्चित करना चाहिये, एक स्वास्थ्य इमरजेन्सी घोषित करना चाहिये और हर अधिकारी का दायित्व तय किया जाना चाहिये कि आखिर किस गांव से मरीज आ रहे हैं अगर टीका आपने लगाया है, अगर गांव में सफाई की है तो आखिर किस गांव से मरीज आ रहे हैं उस गांव के स्वास्थ्यकर्मी की उस गांव के प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिये, हम जिम्मेदारियां तय करते हैं बहुत सारे विषयों पर, क्यों नहीं यह जिम्मेदारी इन्सेफ्लाइटिस की किसी पर तय हो सकती है। इसलिये इस सदन में मैं इस सरकार से आग्रह करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, मैंने जो विषय आपके समक्ष रखा है, इसलिये नहीं कि हम लोगों को विषय रखना है, इसलिये क्योंकि जब हम लोग लौटते हैं जाते हैं, गोरखपुर तो लोग पूछते हैं आप पेशे से डाक्टर है, इतने सालों से वहां हैं, लगातार इन बातों को कहते हैं आखिर फिर भी सरकार जो उचित और आवश्यक कदम है वह उठा क्यों नहीं रही है। यह हम लोगों की पीड़ा है, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश की पीड़ा है, साढ़े छः करोड़ नागरिकों की पीड़ा है, इसका समाधान इस सदन को देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

टीक है, डाक्टर साहब अब आप बैठ जायें। माननीय श्यामदेव राय चौधरी साहब।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ज्वलन्त प्रश्न पर अपना विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी डाक्टर साहब कह रहे थे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात, पूर्वी उत्तर प्रदेश हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है गरीबी वहां ज्यादा है और हम गांव, गरीब और किसान की बात करते हैं। और कोई भी लोक कल्याणकारी शासन हो, उसका ध्यान सबसे पहले गांव, गरीब और किसान की तरफ जाना चाहिए। हमने जो सूचना दी है, वह इस बात के लिये दिया है कि पिछले एक-डेढ़ महीने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्दर विशेष कर के जो डायरिया है और अन्य जो संक्रामक रोग हैं, उसने एक आतंक मचा रखा है और उसमें विशेषकर के वाराणसी, मऊ, चन्दौली, भदोही, गाजीपुर, आजमगढ़ ये सारे जिले विशेष रूप से प्रभावित हैं और जो वहां के ग्रामीण अंचल में जो चिकित्सा केन्द्र हैं, चाहे वह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हों या बड़े शहरों में जो जिला अस्पताल हैं, मुझे इस बात का दुख है कि वहां जो भी चिकित्सक उपलब्ध हैं वह जो गरीब हैं, जो चिकित्सा के लिये आते हैं उनकी तरफ समुचित ध्यान नहीं देते और जिसके कारण पूरा सही आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो अखबारों में जो प्रकाशित हुए हैं उसके अनुसार सैकड़ों मरीज जो हैं, डाक्टर साहब कह रहे हैं कि 185 से ऊपर लोग कालकवलित हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी एक लोक कल्याणकारी शासन के अन्दर जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है जान-माल की हिफाजत की, उनको लेनी चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन बहुत दुःख है कि गांव, गरीब और किसान की बात तो हम करते हैं लेकिन जब उनके दुःख बांटने की

बात आती है तो हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और इसी का परिणाम है कि जैसा मैंने कहा कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो ये गांव के गरीब हैं, किसान हैं यहां बिना इलाज के दो सौ के आसपास लोग मर गये और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जब गरीब जनता जाती है तो वहां के चिकित्सक नदारद, नीचे के स्टाफ नदारद, वही स्थिति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर है, वहां डाक्टर बैठे नहीं, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से फुरसत नहीं है और यही जिला अस्पतालों का हाल है।

मान्यवर, यह सीजन था डायरिया और अन्य संक्रामक रोगों के बढ़ने की बात पता थी। होना यह चाहिए था कि आपको कोई विशेष सेल का गठन करना चाहिए था और इस निमित्त कुछ विशेष चिकित्सकों की जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए थी। इसी तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा करना चाहिए था। क्या स्वास्थ्य मंत्री अखबारों को नहीं पढ़ते हैं क्या सरकारी अधिकारी अखबार नहीं पढ़ते हैं। मरीजों की मौतें होने की खबरों से अखबार भरे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इसके अन्तर्गत जो गरीब लोग मर गये हैं इसके सम्बन्ध में जिम्मेदार लोगों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और सरकार को यह देखना चाहिए कि यह जो किसान लोग हैं गरीब लोग हैं उनकी जान की हिफाजत के लिये जो व्यवस्थाए की गयी हैं उनका ठीक ढंग से निर्वहन हो रहा है या नहीं। डाक्टर लोग अस्पतालों में बैठ रहे हैं या नहीं। नीचे का स्टाफ वहां पर बैठ रहा है या नहीं। इसी तरह से इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले गरीब लोगों को सभी चिकित्सकीय सुविधायें मिल रही हैं या नहीं। उनको अटेंड करने वाले लोग हाजिर हैं या नहीं अगर नहीं हैं तो उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। यह सब बातें तो आकस्मिक जांच से पता चल सकती हैं। आपने मंत्री जी ने अपने दौरों में कुछ लोगो को पकड़ा भी है। मैंने ऐसा अखबारों में पढ़ा है। मान्यवर, इन गरीब लोगों की सेवा के लिये ही यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल ही एक मात्र सहारा है। जिनके पास सामर्थ्य है वह तो कहीं न कहीं जाकर अपना इलाज करा लेते हैं। मान्यवर, उन्हीं गरीब लोगों की पीड़ा को मैं इस विधान सभा में रख रहा हूं। जो लोग सरकारी डाक्टरों की लापरवाही के चलते असमय कालकवलित हो गये हैं ऐसे लोगों को दण्ड का भागी बनाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से यह अविलम्बनीय विषय है और लोकमहत्व का है। मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, यह केवल पूर्वांचल के जिलों का ही मामला नहीं है। बल्कि इससे सम्बन्धित अस्पतालों में पश्चिम बिहार और नेपाल के लोग भी आते हैं। मान्यवर, आप पता करेंगे तो पायेंगे कि मेडिकल कालेज, गोरखपुर में काफी संख्या में मरीज बिहार और नेपाल से आते हैं। पिछले वर्ष मैंने इस मामले को उठाया था और सरकार से आग्रह किया था कि महराजगंज बीच में पड़ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वहां पर एक एक्स्ट्रा यूनिट खोल दी जाये और डाक्टरों को वहां पर बिठा दिया जाये। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इसे देखेंगे लेकिन कुछ हुआ नहीं है।

185 मृतक संख्या जो बतायी है वह केवल मेडिकल कालेज गोरखपुर की बतायी है। अगर गांवों का सर्वेक्षण कराया जाये तो यह संख्या हजार के करीब पहुंचने वाली है। मान्यवर, होता यह है कि अगर एक आदमी को बुखार हो गया तो लोग समझते हैं कि लड़का गोद से गया। गांव से मरीज मेडिकल कालेज तक पहुंच नहीं पाते हैं या जाते हैं तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं या गांव में ही दम तोड़ देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस बीमारी के निदान के लिये सरकार ने कौन से कारगर कदम उठाये हैं। यह बीमारी आज की नहीं है। आप इसको गम्भीरता से लें। पिछली हमारी सरकार में मान्यवर मृतकों के परिवारजन को 25 हजार रु0 दिये गये थे और जो विकलांग हो गये थे उनको पचास हजार रुपये दिये गये थे। मान्यवर, पिछली सरकार में यह हुआ था कि अगर किसी गांव में एक भी मरीज होने की शिकायत मिली तो पूरे गांव को सेचुरेट करके काम किया गया वहां पर मच्छरों को मारने के लिये दवा का छिड़काव किया गया। फागिंग हुई थी और दूसरे छिड़काव हुए थे। आज कहीं पर छिड़काव कार्य नहीं हो रहा है न फागिंग हो रही है और न ही आप किसी तरह से कंपनसेट कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो किया था कम से कम आप उसी का अनुकरण कर दें। इसलिये माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मैं आपसे चाहूंगा कि एक पवित्र और एक भला काम करें बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको। जो तड़पते हुए गरीब लोग हैं जिनकी गोद से बच्चा चला गया है उनकी पीड़ा को आप समझ लीजिए। थोड़ा सा 25 हजार रुपया भी उनके लिये काफी होगा और जो विकलांग हो गये हैं जिनका भविष्य समाप्त हो गया है जो कुछ कर नहीं कर सकते हैं अगर उनको आप 50 हजार रुपया दे दोगे तो उनको ज्यादा संतोष और तसल्ली मिलेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस बीमारी को गम्भीरता से लेते हुए यह आज जो चला गया यह वर्ष तो चला गया बीमारी तो धीरे-धीरे खत्म होने पर है लेकिन अगले वर्ष के लिये एक योजना, पता नहीं आप सरकार में रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन एक योजना तो बना लें एक अच्छी योजना बना लें ताकि आने वाले दिनों में फिर यह परेशानी उठानी न पड़े लोग कुत्तों की मौत बच्चे न मरें यह जिम्मेदारी आपको लेनी चाहिए। मैं पुनः मांग करता हूं कि जिस तरह से पिछली सरकार ने किया था मृतक बच्चों के परिवार को 25 हजार रुपया और जो विकलांग हो गये थे उनको 50 हजार रुपया और जो इफेक्टेड गांव थे उनको मच्छरदानी के बंटवाने का काम और महराजगंज में एक इक्स्ट्रा यूनिट एक्सपर्ट डाक्टर्स की नियुक्ति का अश्वासन आप देंगे यह आपसे अपेक्षा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद बुलन्दशहर में एक विशेष टाइप का बुखार उसको वायरल भी कह सकते हैं मच्छरों से फैल रहा है और जनपद बुलन्दशहर में भी एक बीबीनगर ग्राम नगर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायत है और उसके पास 4-5 बड़े-बड़े गांव हैं उसके अन्दर दो पी0ए0सी0 आती हैं वीबी नगर और सैदपुर। वहां पर बुखार का इतना तेजी से प्रकोप है, कोई घर ऐसा नहीं बचा है जहां पर 2-3-4 इसके मरीज न पड़े हों। कहीं पी0ए0सी0 पर कोई भी दवा नहीं है डाक्टरों की टीम नहीं है जनपद बुलन्दशहर में जो जिला अस्पताल है वहां भी दवाओं का अभाव है। वहां पर मच्छरों को मारने की व्यवस्था हो, तत्काल फागिंग की व्यवस्था हो, मक्खियों के मारने की व्यवस्था हो, और एक डाक्टर्स की टीम जाकर वीबी नगर जो एक बड़ा कस्बा है वहां पर डाक्टरों की टीम जाय। हमने अभी वहां पर क्षेत्र का दौरा किया था। कई हजार लोग वीबी नगर व उसके आसपास इस बुखार से पीड़ित हैं वायरल से पीड़ित हैं, मस्तिष्क बुखार और कई तरह के बुखार हैं उनसे आदमी के मरने की स्थिति है और मजबूरन जब पी0एच0सी पर कोई डाक्टर उपलब्ध नहीं होता ह. दवा उपलब्ध नहीं होती है तब आदमी झोलाछाप डाक्टर की शरण में जाता है। मेरा अनुरोध है कि स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं उनको आप निर्देश दें कि वहां मौके पर प्रदेश के अधिकारी जायें विशेष डाक्टरों की टीम पहुंचे, अधिक से अधिक दवा पहुंचे, फागिंग कराई जाय ताकि इस बीमारी की रोकथाम हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त मिश्रा)-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात कही है हम उसको स्वीकार करते हैं परन्तु यह नितान्त गलत बात है कि इसके प्रति सरकार संवेदनशील नहीं है। खासतौर से डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी गोरखपुर से आते हैं पेशे से डाक्टर भी हैं और इनसे तो मैं समय-समय पर राय भी लेता हूं क्योंकि यह मेडिको हैं। पिछली बार अनुभव के आधार पर 29 फरवरी को सबसे पहली बैटक जे0ई0 की ली गयी। उसमें हमारे एडीशनल डायरेक्टर्स थे, हमारे डी0जी0 थे, प्रमुख सचिव थीं और मैं स्वयं था और हमने एक कार्य योजना तैयार की। क्योंकि मालूम था कि आखिरी समय पर हम इसकी कोई योजना नहीं बना सकते। इसमें हम भारत सरकार पर भी बहुत निर्भर रहते हैं क्योंकि जो वैक्सीन्स हैं वह भारत सरकार द्वारा हमको उपलब्ध कराई जाती है और यह वैक्सीन्स, जिनका इम्यूनाइजेशन हमको करना होता है, यह मई के एंड तक हमारे पास आ जानी चाहिए और अबकी वह जून में मिली और उसके बाद 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीन्स का इम्यूनाइजेशन हम लोगों ने 100 प्रतिशत समय से पहले कर दिया। जिन जिलों में किया, उन जिलों को चयनित किया गया था और वह जिले थे, हरदोई, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, आजमगढ़, बलिया, मुजफ्फरनगर और बरेली।

मान्यवर, यह 9 जिले हैं इसके पहले हर साल जिलेवार लिया जाता था, गोरखपुर इसके पहले आ चुका है। एक डिटेक्शन के लिये, कि हमको पहले से ही पता चल जाय कि इंसेफ्लाइट्स जब शुरू हो तो हमको पता चल जाय उसके लिये जे0ई0 के सेन्टिनल लैब हमने 14 अस्पतालों में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापित किये थे और एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 और बी0आर0डी0 यह मेडिकल कालेजेज में थे। जैसा कि अभी शायद व्यक्त किया गया था कि वहां पर डाक्टर्स की कमी है। शासन की तबादला की नीति होती है, प्रक्रिया होती है। उसके चलते जिनके 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं। परन्तु उसके बाद आपके ही आग्रह पर, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के बताने पर सारे के सारे डाक्टर्स को वहीं पर रोक दिया गया। वहां पर 50 बेड के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में वार्ड की स्थापना की गयी। आज तक जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है जो जापानी इंसेफ्लाइटिस से फर्क है, उसी में कवर हो जाती है, एक नये तरह का रोग हैं जैपनीज इंसेफ्लाइटिस से जो मृत्यु हुयी है वह मात्र 4 है और डिटेक्शन 15 का हुआ है और जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है, उसके 138 रोगी की मृत्यु हुयी है और 754 डिटेक्ट हुये हैं। हमारे जितने भी तराई क्षेत्र के जिला अस्पताल हैं, उसमें एक वार्ड हमने आरक्षित कर दिया है, इमरजेनसी के लिये, दवाइयों के साथ पूर्णतः इक्युप्ड कर दिया है, ताकि वहां पर जिस समय एकदम से मरीज आयेगा क्योंकि जो इंसेफ्लाइटिस होती है वह एक समय पर होती है। उसके लिये हम पहले से तैयार थे और इसके लिये तीन बार मीटिंगें की गयीं।

(बीच में किसी सदस्य का मोबाइल बजने पर)

श्री अध्यक्ष-

मार्शल, मोबाइल जिनका बज रहा है, उसको जब्त कर लें।

श्री अनन्त मिश्रा-

और एक नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वायरोलाजी था, यह पूना का है आपको मालूम होगा क्योंकि इनसे तो हम पूछ-पूछ कर काम करते है। एक मास्टर साहब थे नकल की प्रक्रिया चल रही थी, लड़के ने मास्टर साहब को बैठा दिया और कहा कि आप मेरा इम्तिहान दे दीजिए लेकिन जब मास्टर साहब के ही 38 नम्बर आये तो आप ही बताइये कि शिष्य की क्या दशा होगी ? तो इन्होंने बताया था और लोगों ने भी बताया था कि जो वायरोलाजी इंस्टीट्यूट की स्थापना होनी थी, वह इस बार वहां हो गयी है और डा0 मिलिन्द गोरे वहां पर स्थापित हो चुके हैं और पूना से आ चुके हैं और उसकी बिल्डिंग बन चुकी है लेकिन उसकी स्थापना के लिये भारत सरकार से पैसा आना है। भारत सरकार से डाक्टर्स डिप्यूट होने हैं। वह अभी तक नहीं हो पाया। मायक्रो बायलोजी डिपार्टमेंट है हमारे बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज का, उसमें डा0 मिलिन्द गोरे बैठकर काम कर रहे हैं, हमारे चिकित्सकों की मदद से। दो बार प्रमुख सचिव गोरखपुर जाकर मीटिंग ले चुकी हैं डी0जी0 हमारे एक बार मीटिंग कर चुके हैं और दो ज्वाइंट डायरेक्टर्स वहां पर डिप्यूट कर दिये गये हैं और सारे ही सी0एम0ओज को निर्देश है कि इस बीमारी से लड़ने के लिये सरकार वचनबद्ध है लेकिन यह भी बताना चाहूंगा कि वेन्टीलेटर चलाने के लिये सुपर स्पेशियलिस्ट की जरूरत होती है, सर्वविदित है कि सुपर स्पेशियलिस्ट की हमारे पास बहुत भारी कमी है लोक

सेवा आयेग पर हम निर्भर हैं और उनसे जब हम मांग करते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया ऐसी है आप लोग भी सरकारों में रहे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि लोक से हमें उतने डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। डॉक्टर्स के चयन के लिए हमे सुझाव मिला, विपक्ष से भी मिला और हमारे साथ के लोगों ने भी कहा कि हम एक ऐसा गठन कर दें ताकि उससे हम विभागाय डॉक्टरों को चयनित कर लें। उसकी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद हम स्वयं तथान ले जायेंगे, उसके लिए भी हमें लोक सेवा आयोग से नो-ऑब्जेक्शन चाहिए। उस नो-ऑब्जेक्शन के लिए हमने लिख दिया है, आदरणीय पाण्डेय जी ने पिछली बार कहा था, वह तब से लिखा हुआ है, आज तक वहां परमीशन नहीं आयी है और इसके लिए हम चार बार अपने स्पेशल सेक्रेटरी को भेज चुके हैं इसलिए मान्यवर, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सरकार पूरी तरह से इस बीमारी से लड़ने के लिए संवेदनशील है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की प्राथमिकताओं में चिकित्सा है और हम इनको सम्मान के साथ भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जितने हमारे पास संसाधन हैं और जितने हमारे पास चिकित्सक हैं उनका पूर्णतया उपयोग करेंगे बल्कि उनकी क्षमता से ज्यादा उपयोग करने का प्रयास करेंगे ताकि इस बीमारी पर हम काबू पा सकें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब पहले मस्तिष्क ज्वर हो जाता था तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जब मरीज जाते थे, उनमें से जनरली गरीब घरों के बच्चे ही होते थे। उनको मेडिकल कॉलेज भेजने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस मुहैय्या करायी जाती थी। अब यह परिपाटी बन्द हो गयी है तो गरीब घरों के बच्चों को जब रिफर किया जाता है तो उनको जाने में कठिनाई होती है। इसलिए क्या आप फिर से यह आदेश देंगे कि जो गरीब घरों के लोग बीमार हो जाते हैं मस्तिष्क ज्वर से उन्हें मेडिकल कालेज भेजने के लिए फ्री सुविधा दे दी जाय।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, हमारी सूचना का क्या हुआ ? मान्यवर, यह सूचना मुख्य रूप से डायरिया और संक्रामक रोग के लिये थी। मेरी सूचना पर सरकार ने क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने सब बता दिया तो अब आप क्या चाहते हैं ?

श्रीमती सैय्यदा शदाब फातिमा-

जब आपके पास चिकित्सक ही नहीं रहेंगे तो आप अस्पताल बनाकर क्या करेंगे। चिकित्या देने के लिये वहां मा0 मंत्री जी तो मौजूद नहीं रहेंगे। इन्होंने कहा कि डाक्टर कम हैं इसलिये हम इनसे कह रहे हैं कि कृपया ऐसी नीति बनाइये जिससे कि डाक्टर वहां आ सकें।

आपने स्वीकार किया है कि चिकित्सकों का अभाव है इसलिये हम आपसे कह रहे हैं कि उस कारण पर ध्यान दीजिये जिसके कारण पढ़ा-लिखा एम0बी0बी0एस0, एम0डी0 डाक्टर आपके विभाग में नहीं आना चाहते हैं। उसका कारण है आई0 ए0 एस0 का वर्चस्व,. उसके ऊपर जो आपके सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुये होते हैं, इनके दबाव के कारण वह सेवा में नहीं आना चाहता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

हमारे डायरिया वाली सूचना का क्या हुआ ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसका सच्चाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। केवल एक कमरा दे देने से मरीजों का इलाज नहीं हो जायेगा। वहां डाक्टर चाहिये, पैरा मेडिकल चाहिये, नर्सेस चाहिये, दवाइयां चाहिये, उपकरण चाहिये। कमरा आवंटित करने से इलाज नहीं होता। दूसरी चीज, आपने देखा किन-किन जिलों का नाम लिया टीकाकरण के लिये, बीमारी कहां हो रही है और टीकाकरण कहां हो रहा है ? हम लोग कह रहे हैं कि यहां टीका नहीं लगा,हम यह कह रहे हैं कि यहां जो मरीज आ रहे हैं वह बिना टीका लगवाये हुये आ रहे हैं और यह टीकाकरण कहीं और करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने एक क्रम बताया है कि पहले क्रम में गोरखपुर जनपद को ले लिया गया था दूसरे क्रम में ये सब जिले लिये गये हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, बीमारी कहीं और टीकाकरण कहीं और। दंगे में ऐसा होता था, 1984 के दंगे में मैंने देखा कि जब आग जलाया जाता था तो कुछ लोग आकर बगल के दुकान में पानी डालते थे कि हमारी दुकान न जल जाये। आज वही स्थिति है, मर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मरीज और टीकाकरण किया जा रहा है कहीं और। मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है ? टीकाकरण वहां होना चाहिये जहां मरीज हैं या वहां होना चाहिये जहां मरीज नहीं हैं ? अजीब सी स्थिति है। मेडिकल कालेज के अन्दर इन्सेफ्लाइटिस वार्ड की बात हुई, पूरा इन्सेफ्लाइटिस वार्ड खाली पड़ा हुआ है, कोई सुविधा वहां नहीं दी गयी है। मैंने आपसे कहा था कि सरकार जब खड़ी होगी तो जो कुछ इन्हें कहना है कहें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा सदन को बरगलाने का आरोप लगाते हुये सदन का बहिष्कार करता हूं।

(डा0 राधामोहन दास अग्रवाल सदन का बहिष्कार कर चले गये)

(श्री श्यामदेव राय चौधरी जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, चौधरी साहब का भी उसमें सम्मिलित था, सूचना में डायरिया और संक्रामक रोगों के प्रकोप का भी उल्लेख है। इस संदर्भ में बता दें कि क्या व्यवस्था है ?

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी, सारी बात आ चुकी है, अब बैठिये। अब आपको क्या प्राब्लम है। माननीय मंत्री जी ने एक व्यवस्था बता दी। अब आप बैठिये। चौधरी साहब की डायरिया व संक्रामक रोग वालीसूचना पर मंत्री जी बता दीजिये।

श्री अनन्त मिश्रा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस विषय में मा0 सदस्य ने चर्चा की है इन्सेफ्लाइटिस के अलावा, यह तो सामान्यतः पूरे वर्ष बीमारी होती है और इसके लिये पूरे वर्ष हमारी मीटिंग्स होती हैं, हम लोगों को निर्देश देते हैं उसके बाद उसका निरीक्षण करते हैं। हम कार्य योजना पर तब तक भरोसा नहीं करते तब तक उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं करा लेते।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, हम डायरिया की बात कर रहे हैं। मंत्री जी बिल्कुल संवेदनशील नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुःखद विषय है। आप थोड़ा संज्ञान लें, इस तरह का असंवेदनशील वक्तव्य नहीं आना चाहिये।

श्री अनन्त मिश्रा-

हम पूरे साल संवेदनशील हैं, यह चाहते हैं कि हम सिर्फ एक हफ्ते या एक महीने संवेदनशील रहें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

साल भर मरना लोगों का काम है, लोग मरते रहें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सिरोही जी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी और मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये इसे अग्राह्य करता हूं।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर शोर)

कृपया आप लोग बैठ जाइये। अभी आगे बजट भी है, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था उससे मैं सहमत भी हुआ कि माननीय सदस्यों की जो समस्यायें हैं वह दो-दो मिनट में अपनी बात कह लेंगे। मैं इसका पक्षधर हूं कि मा0 सदस्यों की बात आ जाये लेकिन उसी बात को घुमा-फिरा कर बार-बार कहने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग ज्यादा समय न

लें और दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें। श्री मदन चौहान जी बाद के सम्बन्ध में अपनी बात दो मिनट में कहिये।

श्री मदन चौहान-

जनपद गाजियाबाद का गढ़मुक्तेश्वर गंगा नदी के किनारे है। यहां पर बांध नहीं है। बांध न होने की वजह से खादर क्षेत्र में हर वर्ष जलप्लावन हो जाता है। जिससे तमाम फसलें नष्ट हो जाती हैं आज भी वही स्थिति है वहां के बहुत सारे गांव जैसे काकाढेर की मड़ैया, लटीरा, नयाबास, गढ़ावली, भगवन्तपुर, नयागांव, इनायतपुर, कुदैनी, भड़ैया, बरवत बरापुर ऐसे हैं जो पानी से घिर जाते हैं। गंगा नगर तो टापू बन जाता है वहां तक पहुंचने के लिये नाव के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वहां मुख्यतः धान की फसल जो होती है आज वह पूरी तरह से जलमग्न है। गंगा नगर जो टापू है वहां तक पहुंचने के लिये नावों की व्यवस्था न होने की वजह से शासन को निर्देश देने की आवश्यकता है। जमीन जलप्लावन से ग्रस्त है और करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। नियम 56 की इस सूचना के द्वारा मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वहां पर जो वसूली हो रही है उसको रोका जाय और सर्वे कराकर किसानों को सहायता राशि का प्रबन्ध किया जाय, दवाओं का प्रबन्ध किया जाय, पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था की जाय और पशुओं में जो बीमारी फैलने की आशंका है उसकी व्यवस्था की जाय, मच्छरों की अधिकता होने की वजह से छिड़काव की व्यवस्था की जाय। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री जोखूलाल यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं जिस समस्या पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं वह हमारे विधान सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्या है। इस समस्या का कारण जल भराव है। जल भराव दो कारणों से हो जाया करता है। यह बरना नदी के बेल्ट का इलाका है यहां पर बीसों गांव जलमग्न हैं। यहां पर पानी इकट्ठा होने की वजह से पानी का भराव रहता है। मेरा विधान सभा का क्षेत्र प्रतापगढ़ के बार्डर से जुड़ा हुआ है। जो भी प्रतापगढ़ की नहरें हैं उनका टेल हमारी विधान सभा में पड़ता है इन नहरों का टेल प्वाइंट हमारी विधान सभा के मैलहन झील में आकर गिरती है। बरसात का पानी और इन नहरों का पानी इकट्ठा होने से बीसों गांव जलमग्न हो जाते हैं। जिससे किसानों की हजारों एकड़ जमीन ऊसर होती जा रही है। हमारी पीड़ा यह है कि वरना नदी जिसको कहा जाता है वह वास्तव में वरना नाला है जैसे गांव में किसी का नाम कलेक्टर या कप्तान रख दिया जाय तो लोग उसी नाम से उसे बुलाते रहते हैं इसी तरह से इसे वरना नदी के नाम से ही जाना जाता है। हम उसकी सफाई विधायक निधि से करा नहीं सकते हैं क्योंकि कच्चे कामों पर रोक लगी हुई है हम चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे हम विधायक निधि से इसकी सफाई करा सकें जिससे 15-20 गांव जो जलमग्न हो जाते हैं, जो यहां की जमीन ऊसर होती जा रही है उसका निदान हो सके। यह तात्कालिक मामला भी है, अविलम्बनीय लोक महत्व

का प्रश्न है, हजारों किसानों से जुड़ा हुआ है इसलिये मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बुन्देलखण्ड के एक लोक महत्व के विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड में झांसा, जालौन, महोबा, चित्रकूट, बांदा आदि जगहों पर अतिवृष्टि के कारण वहां पर खरीफ की फसल पूरी तरह चौपट हो गयी है; कई सालों से वहा पर सूखा पड़ने के कारण फसल नहीं हो सकी और इस साल वर्षा अधिक होने के कारण खरीफ की फसल नहीं हो सकी। बुन्देलखण्ड में दलहन और तिलहन की फसल होती है वहां पर किसान पूरी तरह से बरबाद हो गया है। पिछले वर्ष जो सूखा पड़ा उसकी चेकों का सही ढंग से वितरण नहीं हो सका है। जो रवी की फसल में नुकसान हुआ था सरकार द्वारा उसका सही ढंग से अभी तक आंकलन नहीं कराया गया है न ही जानवरों के खाने के लिये भूसे आदि की व्यवस्था कराई गई। वहां पर किसान बरबाद है और वह आत्महत्या करने के लिये मजबूर है। सरकार ने पिछले सत्र में घोषणा की थी कि किसानों के ब्याज माफ करेंगे लेकिन अभी तक सरकार ने कोई शासनादेश जारी नहीं किया है कि बुन्देलखण्ड के किसानों का कैसे ब्याज माफ करेंगे उनके लिये क्या व्यवस्था करेंगे। वहां पर इतनी अव्यवस्था पैदा हो गई है। जो भूसा दिया गया था उसमें पूरी तरह से घोटाला कर दिया गया पशुओं को भूसा नहीं मिल पाया। अतिवृष्टि के कारण मकान ढह रहे हैं। उनके लिये मुआवजे की व्यवस्था कराई जाय। उनको आर्थिक सहायता और अनुदान दिलाया जाय। मान्यवर, हमारी मांग है कि बुन्देलखण्ड के किसानों को रबी की फसल के लिये निःशुल्क खाद और बीज की व्यवस्था की जाय, उनको मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के जिन माननीय सदस्यों के इस सूचना पर हस्ताक्षर हैं उनको भी दो-दो मिनट सुन लिया जाय। मान्यवर, अपनी सूचना पर बल देते हैं यह घटना तात्कालिक है और यह महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

मान्यवर, मैं भी बुन्देलखण्ड के विषय में अपनी बात कहना चाहता हूं। आदरणीय विशम्भर प्रसाद जी ने अपनी बात रखी है। मान्यवर, बुन्देलखण्ड के हालातों से आप भली भांति परिचित हैं। सूखे के कारण वहां के लोगों की क्या हालत रही है इस पर पूरे देश व दुनिया के लोगों में चर्चा हुई है मान्यवर, वह हालात अभी सुधरे नहीं हैं। पहले हम लोग सूखे से पीड़ित थे अब अतिवृष्टि के कारण ऐसे हालात हो गये हैं कि एक बिसवा भी जमीन वहां किसान फसल नहीं बो पाया है। जिन्होंने कुछ बीज डाला भी वह बर्बाद हो गया है और वह लोग पलायन और भुखमरी की कगार की तरफ जा रहे हैं। मान्यवर, हालत इतनी खराब हो गई है कि अभी तमाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विषयों पर चर्चा हो रही थी। मान्यवर, बुन्देलखण्ड ऐसा क्षेत्र है जो किसी ऐसी समस्या से अलग न हो। मान्यवर, वहां बीमारी के कारण हजारों मरीज अस्पतालों के बाहर लेटे हैं। मान्यवर, वहां लोग गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण लोग लगातार पलायन की तरफ तेजी से जा रहे हैं। मान्यवर, वहां हालात बड़े विकट हैं और लोग इस तरह की विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां जो मुआवजे की राशि बढ़ रही है उससे एक नये हालात वहां और पैदा हो गये हैं। मान्यवर, हमारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है सीमा का बस जरा सा अंतर है। इस तरफ जो मुआवजा बंट रहा है उसकी धनराशि की जानकारी करे सरकार और जो मध्य प्रदेश की सरकार भी उसी पीड़ित को मुआवजा बांट रही है। उसका अंतर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग जो मुआवजा दे रहे हैं उसकी सीमा है 2 हजार, 3 हजार रुपये से ऊपर किसान को मुआवजा नहीं दिया गया और वहां मध्य प्रदेश के बार्डर पर जो किसान हैं जो किसान गरीब है उसको तीस-तीस हजार तक मुआवजा मिल रहा है। मान्यवर, हमारी स्थिति खराब है। हमारा आपसे निवेदन है कि जल्दी-जल्दी कोई मुआवजे की व्यवस्था करें और वहां बीमारी से पीड़ित लोगों की इलाज की कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें। आपकी बात आ गई है।

श्री दीप नारायण सिंह उर्फ दीपक यादव-

वहां पर किसानों को खाद, बीज हम लोगों को मुफ्त दिया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

गुप्ता जी इसमें आपकी कहां नोटिस है। यह बुन्देलखण्ड के लोगों का और जोखू लाल यादव जी का है।

श्री विश्म्भर सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बुन्देलखण्ड के सदस्यों ने बुन्देलखण्ड की तकलीफ और समस्याओं की विस्तार से चर्चा की। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खरीफ की फसल इस साल भी पूरी तरह से चौपट हो गई और पिछले साल की खरीफ की फसल का मुआवजा देने की जो घोषणा सरकार ने की थी अभी तक लिस्टें बनकर बैंकों में जा रही हैं और किसान हफ्तों परेशान हो रहा है। बैंक की लिस्ट का मिलान और जो लेखपाल लिस्ट देता है उसका मिलान होता है। अगर कहीं उसका मिलान नहीं हो पाता है तो पैसे में कमी आ जाती है बैंक उन किसानों को पैसा नहीं देती है हफ्तों दौड़ाती है। किसान परेशान हो रहे हैं। रबी की फसल का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चहाता हूं कि खरीफ की फसल का मुआवजा दिला दिया जाय जो इस साल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अतिवृष्टि से हजारों घर गिर गये हैं। अध्यक्ष जी मैं साफ तौर से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि उन लोगों को अतिवृष्टि में गिरे हुये घरों को मुआवजा दिया जा रहा है जो

दलितों में भी एक जाति के हैं। सामान्य जाति के लोगों को, पिछड़ी जाति के लोगों को गिरे हुये मकानों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। कोई अधिकारी उनकी न सुन रहा है न लिख रहा है। अभी दो बच्चे कुर्रा बुजुर्ग में दलितों के मर गये बाढ़ में नाले में बह करके। चार बच्चे जामू गांव में कमासिन के ब्लाक में बाढ़ में मर गये उनकी किसी ने प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली न उनको कोई मुआवजा दिया गया। केन नदी में तटबंध बन रहा है सिंचाई विभाग उसको बना रहा है उसका हाल तो यह है कि सैंया भये कोतवाल तो डर काहे का। जो लोग इसको बनवा रहे हैं उनके घर परिवार के लोग बनवा रहे हैं। मंत्री जी के घर परिवार के लोग बनवा रहे हैं बल्कि बन ही नहीं रहा है उसका पैसा खाया जा रहा है। हम बताना चाहते हैं कि बुन्देलखण्ड का किसान बहुत तकलीफ में है। बहुत पीड़ित है उनकी खरीफ की फसल का और जो उनके घर गिरे हैं उसका सही मुआवजा दिलवा दें उनकी मदद करें।

श्री लालजी वर्मा-

मैं सबसे पहले तो इस बात का प्रतिवाद करता हूं कि मंत्री जी के घर के लोग पैसा खा रहे हैं यह पूरी तरह असत्य और गलत है। यह इनके जमाने में होता था वही इनको याद आ रहा है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

दूसरी बात मान्यवर, दैवी आपदा में जो अनुदान दिया जाता है उसमें न कोई धर्म न कोई जाति न कोई आय का प्रतिबन्ध है जो भी दैवी आपदा में लोग प्रभावित होते हैं उनको उसके अनुसार अनुदान दिया जाता है, और अनुदान दिया जा रहा है पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, वास्तविकता क्या है बुन्देलखण्ड में लगभग चार वर्षों से सूखा पड़ा था। चार वर्षों में साढ़े तीन वर्ष इनकी सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन्होंने बुन्देलखण्ड की सुध लेने का काम नहीं किया। किसी तरह की राहत देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। मैं यह मानता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में नहीं शायद इस तरह की सहायता, इस तरह का सहयोग किसी दूसरे सूबे में दिया गया हो जैसा उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार की नेता बहन मायावती जी के निर्देश पर बुन्देलखण्ड में दिया गया है।

(मेजें थपथपाई गईं)

इसी बात का इनको कष्ट होता है कि सारा लाभ जनता को बी0एस0पी0 के लोग देने का काम कर रहे हैं हम लोग तो कहीं के नहीं रह गये। इसलिये विधान सभा में आकर मनगढ़न्त आरोप लगाने का काम कर रहे हैं।

(श्री अशोक कुमार चन्देल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चन्देल जी बैठ जाएं। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री अशोक कुमार चन्देल-

कोई सहायता नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने कहा कि केन्द्र सरकार से सहयोग मिले, लेकिन केन्द्र सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। हमने अपने संसाधनों के माध्यम से बुन्देलखण्ड के लोगों को पूरा सहयोग देने का काम किया। आज भी हम संवेदनशील हैं उनकी जो भी समस्यायें होंगी, दैवी आपदा से सम्बन्धित जो भी जरूरतें होंगी, जो अनुदान देने की आवश्यकता होगी उसको पूरा किया जाएगा नियमानुसार। मान्यवर, यह सूचना मैं आपसे चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने का काम करें। क्योंकि प्रदेश सरकार पूरी तरह से बुन्देलखण्ड के लोगों के हितों का संरक्षण करने का काम कर रही है। जो भी समस्यायें हैं उनकी हैं उनका निराकरण करने का काम कर रही है और सतत प्रक्रिया के तहत उसका निरीक्षण भी किया जा रहा है। उसकी रिपोर्ट भी ली जा रही है और उसमें कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय चौहान जी को जोखू लाल यादव, विशम्भर प्रसाद निषाद, दीप नारायण सिंह, विश्वम्भर सिंह यादव और संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है। मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं लेकिन तब भी सूचना अग्राह्य करने के बाद भी मैं सरकार का और मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इनको जो भी सूविधायें मिलती हैं वह मुहैया कराई जाएं। जो राहत कार्य है वह कराये जायें। उसमें अनियमितता न होने पाये।

अब गन्ना बकाये में, सत्येन्द्र सोलंकी जी, डा0 अजय तोमर जी सत्य प्रकाश अग्रवाल जी की सूचना है। मैंने निवेदन किया था, ओम प्रकाश सिंह जी के कहने पर भी हमने शूरू किया। बजट भी प्रस्तुत होना है। थोड़े समय में अपनी बात कह दें।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने लाखों करोड़ों गन्ना किसानों की बात रखने का सदन में मौका दिया। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश को गन्ना किसान के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की पहचान है तो गन्ना किसान के रूप में है। लेकिन आज वह गन्ना किसान भुखमरी के कगार पर है और वह दुविधा में है उसको अपने गन्ने के भुगतान को लेने के लिये। मिल के गेट पर धरना देना पड़ा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसानों ने, 10-20 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में 66 दिन तक लगातार खुले आसमान के नीचे मिल के सामने धरना देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का जो गन्ना किसान है, उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, अध्यक्ष जी, मैं आपके

माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 125 और 130 रुपये की घोषणा सदन के अन्दर की गई थी लेकिन गन्ना किसानों को वह मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज भी पता नहीं है क्योंकि जितनी याचिकायें न्यायालय में हुई हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन यह सरकार की जिम्मेदारी है कि जो मूल्य उसने घोषित किया है, उस मूल्य को दिलाने का वह काम करे, 125-130 रुपये के हिसाब से। मान्यवर, जो निजी क्षेत्र की चीनी मिलें थी, उन्होंने उच्च न्यायालय में जाने का काम किया है, ऐसी स्थिति इससे पहले की सरकारों के सामने भी आई है कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों ने उच्च न्यायालय जाकर स्टे लाने का काम किया है लेकिन उनके नियंत्रण की जो चीनी मिलें थीं, जो चीनी निगम की मिलें हैं, उनसे दिलवाने का काम किया था, जो मूल्य उन्होंने घोषित किया था। लेकिन मान्यवर, यह पहली सरकार है कि जिसने अपने घोषित मूल्य को भी अपने नियंत्रण की शुगर फैक्ट्रियों में भी लागू करने का काम नहीं किया। यदि ऐसा कर दिया जाए तो किसान को निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के खिलाफ न्यायालय में लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वर्ष 94-95 से लेकर 14 वर्ष हो गये हैं, 95-96 का भी गन्ना मूल्य बकाया है। वर्ष 96-97, 97-98, 98-99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007 और 2007-2008 का गन्ना मूल्य बकाया है।

मा0 अध्यक्ष जी, 2 अरब 33 करोड़ 16 लाख रुपया 14 साल से गन्ना किसानों का बकाया है। ऐसी स्थिति में किसान क्या करे। मान्यवर, सरकार गन्ना किसानों को उसका लाभकारी मूल्य देने का काम करे। मान्यवर, सरकार ने जो 130 रुपये गन्ना मूल्य घोषित किया है, वह लाभकारी नहीं है। भारत सरकार के योजना आयोग की जो मूल्य तय करने वाली कमेटी है, उसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजी है कि आज की तारीख में गन्ना किसानों को गन्ना उत्पादन में 130 रुपये की उसकी लागत आती है, अगर लाभकारी मूल्य देने की बात सरकार करती है तो 13[illegible] से बढ़ा कर देने का काम करे। मान्यवर, इतना अधिक गन्ना किसान का बकाया पड़ा है, [illegible] भी जान रहे हैं, लेकिन संयोग से जब बात किसानों की आती है तो समय नहीं होता है। आज किसान की जो लागत है, उसके लिये भी उसे धरना देना पड़ रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, गन्ना किसानों का 14 साल का बकाया है। वर्ष 2006-07 का भी 16 करोड़ 92 लाख रुपया बकाया है। इस साल का सीजन खत्म हो गया है लेकिन अभी भी 17 करोड़ रुपया बकाया है। अगला सीजन भी आने वाला है, लेकिन अभी तक गन्ने का पैसा नहीं मिल पाया है। मान्यवर, आप तो किसान की समस्याओं को जानते हैं, आप उनके दुःख दर्द को समझते हैं, इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि सरकार किसान की हितैषी है तो जो सरकार के नियंत्रण वाली चीनी मिलें हैं, उन्होंने कोर्ट से स्टे नहीं लिया है, उनकी कोई याचिका दाखिल नहीं है, उन चीनी मिलों से तो 125-130 रुपये के हिसाब से गन्ना मूल्य दिलवाने का काम करें यदि ऐसा कर देंगे तो मा0 न्यायालय में भी किसानों को निजी चीनी मिलों के खिलाफ इसका लाभ मिलेगा, जीत

मिलेगी। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करता हूं, अभी 10-15 आदेश उच्च न्यायालय के आ गये हैं, कुछ भी मामला होता है, निजी मिल मालिक कोर्ट चले जाते हैं। कल भी एक आदेश हुआ, एस0एल0पी0 का तो मैं यह भी मांग करता हूं कि किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार मा0 सुप्रीमकोर्ट में, उच्च न्यायालय में मजबूती के साथ पैरवी करने की घोषणा करे कि हम किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और जो मूल्य सरकार ने घोषित किया था 125 और 130 रुपये उस मूल्य को सुप्रीम कोर्ट से दिलवाने का काम करेंगे। यह घोषणा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आज सदन में करें।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, गन्ना किसानों के सम्बन्ध में नियम 56 के तहत आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सोलंकी जी की बात से अपने को जोड़ते हुये उससे अलग एक-दो चीजों की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले सत्र के गन्ना मूल्य की घोषणा इसी विधान सभा में गन्ना मंत्री जी द्वारा की गयी, 125-130 रुपये की। उसके विरुद्ध प्रदेश सरकार के निजी क्षेत्र के चीनी मिल के लोग कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट से एक फैसला आता है। मान्यवर, जिस समय वह लोग कोर्ट में गये हुये थे प्रदेश सरकार कहां सोई हुयी थी। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने, सात सदस्यीय खण्डपीठ ने अपना एक आदेश दिया था, यह केवल उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये नहीं पूरे भारत की प्रदेश सरकारों के लिये था। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में अपना समर्थन मूल्य देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय पीठ ने दिया था। क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर हाई कोर्ट का आदेश हो गया है, यह प्रदेश का किसान आज तक नहीं समझ पा रहा है। जब प्रदेशों को अपने रेट डिक्लेयर करने का अधिकार है और उसके बाद निजी क्षेत्र की मिल भले ही कोर्ट में चली गयी हों, 110 का रेट दे दिया गया हो, को-आपरेटिव और निगम क्षेत्र की मिलें जो सरकार के रेट के द्वारा चलती हैं, सरकार ने रेट डिक्लेयर किया था, उन किसानों को भी बिना सिकी कारण के 110 रुपये का रेट दे दिया जाता है।

मान्यवर, कितनी बड़ी विसंगति है। अगड़ी जाति और सामान्य जाति दोनों के किसानों को जिसका रेट 5 रुपये का अंतर रहता है, अबकी बार पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि दोनों को केवल एक रेट पर 110 के मूल्य पर भुगतान किया गया है। प्रदेश में किसानों के उत्थान के लिये सामान्य जाति की जगह 5 रुपये अतिरिक्त दिये जा रहे थे, मान्यवर, इसमें मैं एक-दो बात और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बजाज हिन्दुस्तान ग्रुप शुगर क्षेत्र में जब से आया है उसने कोर्ट में जाने का काम किया है। मैं एक उदाहरण के रूप में कहना चाहूंगा कि अगर केन्द्र सरकार डीजल का रेट डिक्लेयर करती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर डीजल का रेट कम करने का काम किया जाता है। जब किसानों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को रेट बढ़ाने के बाद कम कर दिया, डीजल का रेट कम करने के लिये तो सुप्रीम

कोर्ट, हाईकोर्ट आदेश नहीं दे रहे हैं तो हमारा यह कहना है कि इस पर मजबूती से पैरवी की जाय और किसानों को पिछले वर्ष 125-130 का रेट दिलाया जाये। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस विषय पर तो सुबह ही काफी चर्चा हो चुकी है और मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वस्त किया था कि जो भी हाई कोर्ट का आदेश, अगर रोक नहीं है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जायेगी और अगर रोक है तो उसके आधार पर हम एस0एल0पी0 में जायेंगे। इस बात को सुबह ही उन्होंने आश्वस्त किया था, इसलिये मान्यवर, इस पर शंका होने का कोई प्रश्न नहीं और जब सुबह इस पर चर्चा हो चुकी है, यह विषय आ चुका है मान्यवर, तो इसलिये मैं आपसे चाहूंगा कि यह नियम 56 के अन्तर्गत अग्राह्य करने की कृपा करें।

(श्री कौकब हमीद के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय कोकब साहब, माननीय मंत्री जी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 07-07-2008 को एक आदेश किया है कि दो महीने के अन्दर किसानों का जितना बकाया है उसका भुगतान कर दिया जाये। माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि दो महीने के पीरियड में तो हम कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जब एक आदेश न्यायालय का हो गया और एस0एल0पी0 करने के लिये भी गारन्टी दे रहे हैं कि मैं जाऊंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रेट के घटाने के लिये जो आदेश हैं उसके खिलाफ एस0एल0पी0 में सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। यह माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है।

श्री अध्यक्ष-

कौकब साहब अब तो बात आ गयी है। पूरा दो महीने में न्यायालय के आदेश भी देख लें, न्यायालय के आदेश का सम्मान करें।

श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, जो निजी चीनी मिल मालिक वहां गये थे, यह उनके लिये आदेश हुआ है। जो सरकारी कारखाने हैं उनके अन्दर के लिये नहीं हुआ है तो क्या उनका भुगतान जल्दी करायेंगे माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये के संदर्भ में अभी सुबह बात हो रही थी। यह निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये था।

श्री लोकेश हर्मादे-

मान्यवर, हाईकोर्ट के आदेश आये हैं यह निजी के लिये आये हैं। निजी के लिये आप करेंगे लेकिन जो सरकारी मिलें हैं उनका भी भुगतान नहीं हो रहा है तो उसके लिये आप क्या कर रहे हैं यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये है, इसको सुबह माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन मैं ने चूंकि इसको स्वीकार कर लिया था इसलिये इसको सुन लिया। मैंने इस विषय पर माननीय सदस्यों एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिये इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं। अगली सूचना श्री राम किशुन आजाद जी की है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मेरा नाम राम किशुन आजाद नहीं बल्कि राम बिशुन आजाद है। कृपया संशोधित कर लें। मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के प्रश्न पर यह कहना चाहता हूं कि जब यह सरकार बनी थी तो इस सरकार ने यह कहा था कि हम गरीबों को रोजगार देंगे, दलितों को रोजगार देंगे, मजदूरों को रोजगार देंगे, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो अति गरीब हैं उनको रोजगार देंगे। मान्यवर, यह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं है। अगर यह संवेदनशील सरकार होती तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना संचालित की जा रही है, लगभग साल भर हो रहा है लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश में एक बात आ रही है कि नरेगा के अन्तर्गत श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। जो गरीब हैं अधिकांशतः उनका जाब कार्ड नहीं बनाया जा रहा है और जो जाब कार्ड बनाया भी गया है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के पास रखा है, उससे मजदूरों को अपने कार्यों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मजदूर चार दिन का काम करते हैं तो जाब कार्ड में उसे चौदह दिन अंकित किया जाता है। जब वह इसके लिये तहसील दिवस में प्रार्थना-पत्र देता है कि उसको जाब कार्ड नहीं मिला तो उसे जांच के दौरान जाब कार्ड अधिकारियों के द्वारा दिलाया जाता है। तब वह देख पाता है कि उसमें उसकी मजदूरी चार दिन के बजाय चौदह दिन अंकित होती है। इस तरह से जाब कार्ड में धांधलेबाजी हो रही है और पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मान्यवर, जनपद गोण्डा की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे यहां जिस तरह से जाब कार्ड बनाने में अधिकारियों द्वारा धांधलेबाजी की गयी है उस तरह से कहीं नहीं की गयी होगी।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सामान नरेगा के अन्तर्गत जिले से खरीदा गया ग्राम पंचायतों को आपूर्ति करने के लिये, जैसे तसला, फावड़ा, गैंती, दवा, टेन्ट, खिलौना आदि। यह जो सब सामान खरीदे गये मान्यवर, यह जिले से खरीदे गये, जो बाजार मूल्य से अधिक क्रय करके ग्राम पंचायतों को जो आपूर्ति किया गया है, बहुत घटिया किस्म का है, बहुत ही निम्न स्तर

का है। किस तरीके से अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारी विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड मनकापुर है जिसमें खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर ने शासनादेश का खुला उल्लंघन करके, मान्यवर, यह निर्देश है शासनादेश है, भारत सरकार का भी शासनादेश है और उत्तर प्रदेश सरकार का भी शासनादेश है कि नरेगा का खाता संचालन संयुक्त खाते से होगा, लेकिन हमारे यहां दो खाते खोले गये, एक खाता मान्यवर, खण्ड विकास अधिकारी मनकापुर ने एकल खाता खोल करके एकल हस्ताक्षर से मान्यवर, लगभग डेढ़ करोड़ रुपया उन्होंने निकाला। यही नहीं मान्यवर, कभी तीन हजार, कभी चार हजार, कभी दस हजार रुपये तक उन्होंने निकाला है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। यह वित्तीय अनियमितता है। यही नहीं मान्यवर, हमारे जनपद के अधिकारियों ने खण्ड विकास अधिकारी को मान्यवर, बभनजोत ब्लाक का भी अतिरिक्त चार्ज दिया था, जिसमें नरेगा में मान्यवर, उनके द्वारा लाखों रुपये का घोटाला किया गया, इसकी जांच भी कराई गई, बभनजोत ब्लाक में इसी खण्ड अधिकारी मनकापुर का जिसको चार्ज दिया गया था मान्यवर, वह दोषी भी पाया गया मान्यवर, लेकिन आज तक उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अगर यह सरकार वास्तव में संवेदनशील है, अगर वास्तव में यह सरकार चाहती है कि गरीबों का उत्थान हो, अगर यह सरकार वास्तव में चाहती है कि गरीबों को रोजगार दिया जाये।

मान्यवर, तो धरातल पर आना होगा। योजनाओं को धरातल पर लाना होगा, अधिकारियों को जो जाते हैं देखने मान्यवर, अम्बेडकर ग्रामों को आप देख लीजिये, जो यहां से जाते हैं, वह कागजी आंकड़ों को देख करके चले आते हैं अगर मौके पर जायें मान्यवर कि नरेगा किस तरीके से चल रहा है ? सोशल आडिट किया जाये मान्यवर, महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, केवल फर्जी आंकड़ों में ही उसे दर्शा करके खानापूर्ति की जा रही है और नरेगा जैसी योजना को मान्यवर ये अधिकारी मिल करके साजिश करके उसको नाकाम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में मान्यवर, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पाएगा। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुये हम अपने लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बहुत-बहुत धन्यवाद।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जाब कार्ड की बात उठाई और बी0डी0ओ0 की घांधली की भी बात उठाई। जाब कार्ड जो भी व्यक्ति डिमाण्ड करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जाब कार्ड उपलब्ध कराया गया है। नरेगा योजना में माननीय विधायक की सूचना के आधार पर शिकायतें आई थीं और उसमें किसी किस्म का भ्रष्टाचार न होने पाये तो यह निर्देश पूरे प्रदेश में कर दिये गये है कि 15 अगस्त के बाद अब कोई भी मजदूरी का भुगतान सीधे नहीं बैंक के खाते

से होगा। ये शिकायतें माननीय अध्यक्ष जी आ रही थीं, जो बात माननीय सदस्य उठा रहे थे कि ज्यादा दिन चढ़ा दे रहे हैं, काम कम दे रहे हैं, मजदूरी का भुगतान कागज पर कुछ दिखाया जा रहा है। तो इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुये 15 अगस्त के बाद कोई भी मजदूरी का भुगतान सीधे नगद न करके खातों के माध्यम से बैंक एकाउण्ट्स से सीधे किया जायेगा अर्थात् चेक के माध्यम से जायेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीया मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम उठाया है और जिस बी0डी0ओ0 का जिक्र माननीय सदस्य दो-तीन दिन से लगातार विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से कर रहे हैं उसमें पूर्व में यह बात आई थी कि इसमें त्रुटि हुई, इसमें भी हमने आदेश कर दिये हैं कि जिस अधिकारी ने बी0डी0ओ0 की जांच बी0डी0ओ0 ही करेगा, यह किया, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और अपर आयुक्त मुख्यालय से जांच के आदेश कर दिये हैं और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उस बी0डी0ओ0 के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। सरकार पूरी तरीके से मजदूरों के हितों के प्रति दृढ़ संकल्पित है, तत्पर है, प्रत्येक मजदूर को मजदूरी का भुगतान हो। नरेगा योजना में किसी किस्म का भ्रष्टाचार न हो। सरकार पूरी तरीके से चैतन्य है, तत्पर है और इसलिये यह विषय नियम-56 में माननीय अध्यक्ष जी नहीं आता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री राम विशुन आजाद और माननीय मंत्री जी को सुना, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मेरे पास यह जाब कार्ड से सम्बन्धित शिकायत उपलब्ध है। जिसमें मजदूरों ने बताया है कि उनके द्वारा 4 दिन मजदूरी की गयी है परन्तु 14 दिन जाब कार्ड में अंकित किया गया है और मजदूरी 80 रु0 के हिसाब से चार दिन की दी गयी है। जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम सम्बन्धी अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिनियम का उल्लंघन करेगा तो उसमें एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जायेगी। परन्तु अधिकारियों द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों की सांठगांठ से इस स्कीम को फ्लाफ किया जा रहा है। सरकार उसमें कार्यवाही कराये।

श्री अध्यक्ष-

यह आप हमें भिजवा दीजिये। हम मंत्री जी के पास भिजवा देंगे और जो पारदर्शी व्यवस्था मंत्री जी ने बतायी है उसका आप स्वागत कीजिये।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, आज पूरा विश्व खाद्यान्न संकट से जूझ रहा है और इसमें हमारा राष्ट्र भी शामिल है। आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि खाद्यान्न के संकट से निपटने का तरीका एक मात्र तरीका जो है वह यह है कि आलू के उत्पादन को बढ़ाया जाये। मान्यवर,

आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं। आप यह भी जानते हैं कि भारतवर्ष आलू के उत्पादन के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में है। यह सौभाग्य का विषय है कि यह प्रदेश राष्ट्र के कुल आलू उत्पादन में अपना 50 प्रतिशत का योगदान देता है। यानि हमारे सूबे के लिये हमारे राष्ट्र के लिये आलू का उत्पादन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मान्यवर, लेकिन इस वर्ष हम देख रहे हैं कि आलू के उत्पादन में हमारे यहां 400 रु0 प्रति क्विंटल की लागत आ रही है और किसानो को उसके सापेक्ष 150 रु0 प्रति क्विंटल का बाजार में भाव मिल रहा है। इसके चलते सूबे का आलू किसान बुरी तरह से पिस रहा है और उसे अपने छोटे मोटे कामों के लिये साहूकारों की तरफ प्यासी निगाहों से देखना पड़ता है। मान्यवर, ऐसे किसानों को राहत दिलाने और उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की पूरे सदन की जो चिन्ता होनी चाहिये वह हमें दिखाई नहीं दे रही है। मान्यवर, यह सरकार गूंगी बहरी है इसे किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। मान्यवर, आप देखें कि इस सदन के पूर्व सदस्य इस विधान सभा के सामने अपने क्षेत्र से 15 किसानों के साथ आमरण अनशन पर पिछले तीन दिन से बैठे हुये हैं। श्री राम सरन आर्य जी बैठे हुये हैं। लेकिन उनकी तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, जब कोई सुनता तो उसकी परिणति वही होती है कि किसानों को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ता है और ग्रेटर नोयडा जैसी घटनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। मान्यवर, सदन में उद्यान मंत्री जी मौजूद हैं वह खुद आलू के काश्तकार हैं। मैं चार-पांच मागों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, आज शीतगृहों के मालिक आलू किसानों से अनाप शनाप तरीके से भाड़ा वसूल रहे हैं। उसको रोकने के लिए यह निवेदन है कि शीतगृह अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान के अनुसार शासन शीतगृहों का भण्डारण शुल्क खुद तय करके घोषित कर सकता है। तो शासन वह दरें घोषित करे। और, सरकार उनका नियंत्रण अपने हाथों में ले ले। दूसरे, पाकिस्तान और बंगलादेश में आज आलू की भारी कमी है वहां सरकार आलू निर्यात कराने का काम करे। तीसरे, हमारी जो मण्डी समिति है वह 250 रु0 प्रति क्विंटल मूल्य मानकर टैक्स वसूल रही है जबकि किसान को बाजार में भाव 150 रु0 प्रति क्विंटल की दर से मिल पा रहा है तो उस हिसाब से अधिक टैक्स न वसूला जाये। यह चीज रोकी जाय। इसी तरह से चौथी बात यह है कि जो आलू उत्पादन का क्षेत्र है वहां पर ट्यूबवेल के कनेक्शन पर बिजली का बिल दो हजार रु0 प्रतिमाह कर दिया गया है बाकी दूसरे क्षेत्रों में प्रदेश में 700-800 रु0 प्रति माह की दर से बिजली का बिल लिया जा रहा है तो बिजली के बिलों में दरों में कमी करायी जाये ताकि आलू उत्पादक किसानों को राहत मिल सके। मान्यवर, मण्डी समिति की टैक्स दरों से जो विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं उनको रुकवाया जाये और किसानों को राहत पहुंचाने का काम किया जाये। मान्यवर, जब सूबे का आलू किसान खुशहाल होगा तो सूबे की तरक्की होगी और जब सूबे की तरक्की होगी तो राष्ट्र की तरक्की होगी और किसान अपने

आलू का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न भी करेगा। मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आलू की समस्या इस वर्ष रही है और जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के सहयोग से बाजार हस्तक्षेप योजना लागू की है।

विभिन्न सोर्सों से जो आलू का उत्पादन लागत निकाला गया 2007-08 में वह लगभग 250 रु0 प्रति कुन्तल आंकलित किया गया है। और उसी के आधार पर 2007-08 में भारत सरकार की सहमति से प्रदेश में बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करते हुए आलू क्र किया गया। पिछले वर्ष रिकार्ड आलू का उत्पादन हुआ जिसके कारण आलू उतपादक किसानों के सामने एक समस्या आई और उस समस्या के निदान के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत आलू क्रय करने का काम किया गया। मान्यवर, जितना भी सम्भव था प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी है। यह सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है और उसी के अनुकूल यह कार्यवाही की गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने डा0 अनिल चौधरी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री जमीर उल्ला खां जी अपनी बात बताइये।

*श्री जमीर उल्ला खां-

माननीय अध्यक्ष जी, 3 अगस्त की बात है एक सहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति जो गाड़ी चलाता था। ड्राइविंग करके अपने बाल बच्चों का पालन-पोषण करता था उसके पास 3 व्यक्ति आये और उन्होंने यह कहा कि उन्हें हरिद्वार जाना है और वह बेचारा गाड़ी तय करके हरिद्वार के लिए चला जब उसने बुलन्दशहर क्रास किया तो उसे ऐसा लगा कि वह गलत आदमियों के साथ जा रहा है। उसने अपने परिवार को फोन किया कि मेरी जान को खतरा है और अपने मालिक को फोन किया कि मेरी जान को खतरा है। शायद जो आदमी मेरे साथ जा रहे हैं यह लोग गन्दे हैं पुलिस को इत्तिला कर दो परिवार के लोग तुरन्त थाना क्वारिसी गये लेकिन वहां के एस0ओ0 ने कुछ नहीं सुना। 4 तारीख को फिर पूरा परिवार और मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर क्वारिसी थाने गये। उसके भाई ने कहा कि मेरे भाई को खतरा है, पत्नी ने कहा कि मेरे पति को खतरा है जान कर आप कुछ कार्यवाही करो लेकिन एस0ओ0 ने गाली देकर यह कहकर भगा दिया कि यह मेरा काम थोड़े ही है कि मै ड्राइवर की तलाश करूं उसने 4 तारीख को भी नहीं सुना। 5 तारीख को वह लोग इकट्ठे होकर मेरे पास आये मैंने थानाध्यक्ष से बात करी। थानाध्यक्ष जी बोले कि विधायक जी हम इसको देख लेंगे लेकिन रिपोर्ट नहीं ली। हम कप्तान साहब के पास गये जो जिला

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलीगढ़ के एसएसपी हैं उनके पास गये उन्होंने फौरन हमारी रिपोर्ट के लिए आदेश करें और दो टीम गठित करी और शाम को 9 बजे इत्तिला यह मिली कि वह आदमी बुलन्द शहर जिले के अन्दर एक नहर के अन्दर मरा पड़ा हुआ है उसकी हत्या हो गयी और एस0 ओ0 ने इस कान से सुना और उस कानं से निकाल दिया। जब एस0 ओ0 से लोगों ने शिकायत करी तो एस0 ओ0 ने कहा जहां चाहो मेरी शिकायत कर दो मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं बादलपुर का रहने वाला हूं। यह एस0 ओ0 के बयान हैं। यह मैं अपनी मुंहबानी नहीं कह रहा हूं यह अखबार में छपा है आज के अखबार में छपा है। उसने यह कहा कि तुमसे जो करा जाय करो मेरे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है मैं बादलपुर का रहने वाला हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, आपने संस्कृत विद्यालय वाला नहीं लिया। अध्यापक सब यहां बाहर अनशन पर बैठे हैं 3 महीने से, हवनकुण्ड भी उनका तोड़ दिया गया था। मैंने दिया था, मंत्री जी देना है तो बता दे नहीं देना है तो बता दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

हवनकुण्ड तो राक्षस तोड़ते थे।

श्री जमीर उल्ला खां-

मान्यवर, उसने यह कहा कि मैं बादलपुर का रहने वाला हूं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसने यह भी कहा कि बहन जी मेरी बुआ हैं तुमसे जो करा जाय करो मैं रिपोर्ट नहीं लिखूंगा और उसने रिपोर्ट नहीं लिखी। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसने पेपर में छपवाया कि जो करा जाय करो लेकिन जब बाडी मिल गयी और लोग सड़कों पर उतर आये और जब सड़कों पर उतर आये तो उसको बमुश्किल उस थाने से हटाया गया और हैण्ड-टू-हैण्ड दूसरे थाने का चार्ज दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसे आदमी को थानाध्यक्ष नहीं रहना चाहिए और ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार की वजह से उसकी हत्या हुयी है इसलिये उसके परिवार को 10 लाख रुपये और उसकी बीवी को कहीं न कहीं चपरासी की नौकरी दी जाय और उसके बच्चों का पालन पोषण किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसमें पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में अपहरण का मुकदमा थाना क्वारसी, जनपद अलीगढ़ में पंजीकृत किया गया। त्वरित विवेचना करते हुये तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा क्वालिस गाड़ी चालक शहबुद्दीन का शव बरामद किया गया तथा हापुड़ से गाड़ी भी बरामद कर ली गयी है। थानाध्यक्ष क्वारसी को तात्कालिक प्रभाव से हटा दिया गया और प्रशासन द्वारा पारिवारिक लाभ

योजना के अन्तर्गत मृतक के आश्रित को नियमानुसार आर्थिक सहायता दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार सारी कार्यवाही हो गयी है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय जमीर उल्ला को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री संजय कपूर-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। अगर शिक्षा मित्र न लगाये जायें तो 25-30 प्रतिशत स्कूल बंद रह जायेंगे और उनके साथ जिस तरह का शोषण हो रहा है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। यह मात्र शिक्षा मित्रों की बहुत दिनों से उनकी मांग चली आ रही है। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा मित्र चयनित किये जाते हैं, उनका मेरिट के आधार पर चयन किया जाता है और चयन के बाद हर वर्ष उनका नवीनीकरण कराया जाता है, इस प्रथा को खत्म किया जाना चाहिये। जब आपने एक बार किसी भी शिक्षा मित्र को चयन कर लिया तो फिर नवीनीकरण का क्या औचित्य रह जाता है कि हर वर्ष उसका शोषण किया जाय और उससे अनुचित धनराशि ली जाय ? मैं चाहता हूं कि इस व्यवस्था को खत्म किया जाय और उसे नवीनीकरण न कराकर कंटीन्यू किया जाय। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र को 3 हजार मानदेय दिया जाता है जबकि आज की तारीख में एक मजदूर जो फावड़ा चलाता है, वह भी 125-150 रुपये प्रतिदिन पाता है, इस प्रकार उसे भी प्रतिमाह 4500 रुपये मिल जाता है, जबकि शिक्षा मित्र को आप मात्र 3 हजार प्रतिमाह दे रहे हैं इसलिये शिक्षा मित्र का मानदेय भी बढ़ाकर कम से कम 5 हजार रुपये अवश्य किया जाय। अगर वाकई में यह सरकार शिक्षा के प्रति जागरुक है तो इसमें सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। तीसरा सबसे अहम सवाल यह है कि जो शिक्षा मित्र का खाता है, वह प्रधान और प्रधानाध्यापक के ज्वाइंट सिग्नेचर से होता है, हर जनपद में यह शिकायतें आती हैं कि शिक्षा मित्र का शोषण हो रहा है, प्रधान जी या प्रधानाध्यापक पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं और तीन-तीन महीने, पांच-पांच महीने उन्हें पेरशान किया जाता है। इसलिये शिक्षा मित्र का खाता अलग से होना चाहिये। उसका एकल खाता होना चाहिये और उसमें उसका धन जाना चाहिये। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग सवा दो लाख शिक्षा मित्र हैं उनको मात्र 11 महीने का मानदेय दिया जाता है जबकि साल में 12 महीने होते हैं। एक महीने वह क्या घास खाकर अपना काम चलायेगा। शिक्षा मित्र के पास और कोई रोजगार नहीं है उसको आप 11 महीने का मानदेय देते हैं। उसके लिये पूरे साल का मानदेय मिलना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शिक्षामित्रों को इंटरमीडिएट के बाद एजूकेशन पर रोक लगा दी गयी है वह रोक हटाई जानी चाहिये। अगर वह किसी और सर्विस में जाना चाहे तो उसे एजूकेशन मिलनी चाहिये। उसे शिक्षा मिलनी चाहिये और

इस रोक को हटाया जाना चाहिये। यह मांग शिक्षा के हित में और जनहित में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

करवरिया साहब आपका कल ले लिया जाय तो ठीक रहेगा।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, कल भी आपने यही कहा था।

श्री अध्यक्ष-

दो दिन के बाद तीसरे दिन आपका पक्का हो जायेगा। कल मैं आपका जरूर ले लूंगा आप नोटिस दे दीजियेगा। महाना साहब का, सब लोगों का दस्तखत है, कल पहले नम्बर पर आपको सुन लेंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री धर्म सिंह सैनी)-

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संशोधित मानकों के अनुसार एक किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और दो किलोमीटर की दूरी पर जूनियर हाईस्कूल की स्थापना करने का हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में अध्यापक न होने के काण राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों को स्थानीय रूप से संविदा पर रखने का निर्णय लिया। ये ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा पर तीन हजार रुपए प्रतिमाह पर रखे जाते हैं जो कक्षा-1 और कक्षा-2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी कपूर साहब से मेरा कहना यही है कि वह संविदा पर रखे जाते हैं इसलिए ग्राम शिक्षा समिति के ही खाते द्वारा उनके मानदेय का संचालन होता है। अभी-अभी हमारी सरकार बनते ही हमारी माननीया मुख्य मंत्री जी ने उनके मानदेय को 600 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया था। पहले ऐसा होता था कि अगर एक दिन भी शिक्षामित्र किसी कारण से अनुपस्थित हो जाता था तो उसका मानदेय काट दिया जाता था। अब अगर वह किसी कारण से एक दिन अनुपस्थित हो जाता है तो उसका मानदेय नहीं कटेगा जैसा कि कपूर साहब ने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, इस पर मेरा कहना है कि अगर वह प्राइवेट शिक्षा ग्रहण करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर वह रेगुलर किसी कालेज में एडमिशन लेगा तो वह शिक्षा मित्र का कार्य कैसे करेगा ? इसलिए हमने उसे छूट दी है कि वह प्राइवेट फार्म भरकर अपनी योग्यता को बढ़ा सकता है। हमने तो विशिष्ट बी0टी0सी0 में उसे 10 प्रतिशत का वेटेज दिया है, जिससे कि वह रेगुलर टीचर बन सके।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 कपूर साहब को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सारे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले तीन महीने से आपके विधान सभा के सामने संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय के अध्यापकगण आन्दोलनरत् हो करके धरने पर बैठे हैं। वह कई बार हवन किये, उनके हवनकुण्ड को भी इस सरकार ने तोड़वा दिया जबकि सरकार बनाने में उनका बड़ा योगदान है और उन्हीं की बड़ी संख्या है जिससे यह बहुमत के बल पर वहां जा करके बैठे हैं। उनका कहना यह है कि पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने उन विद्यालयों को अनुदान की सूची पर लाने का निर्णय लिया था। परन्तु परिस्थितिवश चुनाव की घोषणा के बाद उसका कार्यान्वयन नहीं हो सका। अब जब यह सरकार बनी तो इन्होंने 20 जून को एक शासनादेश जारी कर दिया कि उन्हें अनुदान की सूची में नहीं लिया जायेगा फलस्वरूप वह सब के सब धरने पर बैठे हैं, रोज हवन करते हैं, उनके हवन का क्या प्रभाव इनकी सरकार पड़ेगा यह तो ये ही लोग जाने लेकिन परिस्थितियां गम्भीर हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मा0 मंत्री जी हैं, उसके बारे में जो भी निर्णय लेना हो उस पर विचार कर लें। उन्हीं के बल पर आप यहां बैठे हैं इसलिए उनको इतना प्रताड़ित न करें कि उनका हवनकुण्ड तोड़ दें, पुलिस लगा दें कि वह बैठने न पायें। मैं चाहता हूं कि अगर मंत्री जी कुछ बताना चाहें तो बतायें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी मा0 पाण्डेय जी ने जिक्र किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया। अगर निर्णय लेना था तो समय से ले लेते केवल चुनाव में लाभ लेने के लिए ऐलान करना निर्णय नहीं हो गया। मान्यवर, प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुदान सूची में सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैंने नियम-311 में सुबह सूचना दी और आपने कहा था कि सुन लेंगे। आप मत सुनिये लेकिन कार्यवाही करा दीजिए। पूर्वांचल में चन्दौली जनपद सबसे बड़ा बिजली के बित के रूप में राजस्व देता है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना नियम-311 में नहीं, नियम-56 में मैंने ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, जनपद-चन्दौली की विद्युत व्यवस्था इतनी खराब हो गयी है कि पूरा जनपद अन्धकारमय है। नक्सल प्रभावित जिला घोषित होने के बाद बिजली की व्यवस्था की जानी चाहिए थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक विषय पर एक ही सूचना स्वीकृत हो सकती है, राम किशुन जी एक सूचना पर बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह राम विशुन जी नहीं हैं, राम किशुन जी हैं।

*श्री राम किशुन-

मान्यवर, चन्दौली जनपद 5 करोड़ रुपये से लेकर 6 करोड़ रुपया प्रतिमाह बिजली बिल के रूप में राजस्व देता है। यह नक्सल प्रभावित जिला है। चन्दौली के अलावा, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों को 18 से 20 घण्टे प्रतिदिन बिजली मिलती है। चन्दौली के कुछ क्षेत्र विशेष को भी अलग से बिजली मिलती है लेकिन पूरे जनपद में 8 से 9 घण्टे बिजली दी जा रही है। आप रोस्टर सिस्टम कर दीजिए या दो शिफ्टों में कर दीजिए ताकि बिजली मिल सके। पोखरी, मलोखर चौरहट जहां पर छोटे-छोटे उद्योग धन्धे हैं वह बंद हो गये हैं इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। जो राजकीय नलकूप हैं जब उन्हें बिजली दे नहीं पायेंगे तो वह कैसे चलेंगे ? मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 100 ट्रांसफार्मर जले पड़े हुये हैं, डेढ़-दो महीने हो गये परन्तु बदले नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि इन जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलवाने की कृपा करें। जहां से राजस्व ज्यादा मिल रहा है, धन ज्यादा मिल रहा है अगर आप ठीक नहीं करायेंगे तो इससे सरकार को घाटा होगा। जो उच्चाधिकारी लखनऊ में बैठे हैं, वह सरकार का घाटा कराने पर तुले हुये हैं क्योंकि जब बिजली नहीं देंगे तो बिल कहां से लेंगे ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जनपद चन्दौली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किये हैं तो बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करिये। 400 करोड़ रुपये पूर्वांचल विद्युत वितरण को तार और खम्भे बदलने के लिए दे रखा है लेकिन पूरे पैसे का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना तो चन्द्रप्रभा बांध टूटे जाने के सम्बन्ध में थी, जबकि आप बिजली पर बोल रहे हैं। आपकी नियम-311 की सूचना निरस्त हो गयी है।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, मैंने सुबह आपको नियम-311 की सूचना दी थी और आपने कहा था कि हम सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना दिमाग लगाइये, हम आपको नियम-311 में कहां सुन रहे हैं। बांध के टूटे जाने के बारे में नियम-56 में सूचना थी उस पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया था। अब आप उसको खारिज कराना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, आप खारिज करना चाहें तो खारिज कर दीजिए। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा जिला राजस्व दे रहा है, उसकी विद्युत की व्यवस्था ठीक कराइये। मुगलसराय इतनी बड़ी नगरपालिका को 5-6 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपके यहां समस्या थी इसलिये सुन लिया लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा समय ले लें।

श्री राम किशुन-

मान्यवर, आप समय न दें लेकिन चंदौली जनपद की विद्युत व्यवस्था को सुधार दिया जाय, जर्जर तारों को बदल दिया जाय, खराब ट्रांसफार्मस को बदल दिया जाय और राजकीय नलकूप जो बन्द पड़े हैं उनको ठीक किया जाय व मुगलसराय की विद्युत व्यवस्था ठीक करा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना निगम 56 में नहीं आती इसलिये इसे अग्राह्य करते हैं लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है अगर विद्युत आपूर्ति कहां भी सहीं ढंग से नहीं हो पा रही है तो इसको जरूर दिखवा लें इस निर्देश के साथ इस सूचना को अग्राह्य करते हैं।

अनूप गुप्ता जी आपकी सूचना पर ध्यान आकृष्ट किया है कार्यवाही हो जाएगी अगर फिर भी आप बोलना चाहते हैं तो हम अपनी रूलिंग को विदड्रा कर लेते हैं आप बोल लीजिये। अगर आप लोगों का यही रवैया है तो फिर सबको एक तरफ से सुन लेते हैं। जिससे कल आपके पास कहने के लिये कुछ न रहें। मैंने पहले ही अनुरोध किया था कि आगे भी बिजनेस है।

*श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष महोदय आप कल भी यही रवैया अपनाए रहें। मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि जब से यह सरकार आई है पूरे प्रदेश के अन्दर पट्टों की जमीन पर एक जाति विशेष के लोगों को पट्टे दिलवायें जा रहे हैं। हमारे यहां संभल में घनसौली गांव है। वहां पर अल्पसंख्यक लोगों के पास पट्टों की जमीन थी लेकिन वहां पर अल्पसंख्यक लोगों को गांव से निकालकर बाहर कर दिया गया और दूसरे लोगों ने पट्टों की जमीन पर कब्जा कर लिया है उनको बचाने वाला कोई नहीं है एस0डी0एम0, डी0एम0 को शिकायत की गई मुख्य मंत्री को भी पत्र भेजा गया कि इसमें हस्तक्षेप करें लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई इससे प्रदेश के अन्दर यह मेसेज जा रहा है कि यहां पर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं हैं आज उनके पट्टों की जमीन पर जिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर उनका बीसों साल से कब्जा था उन पर कब्जा किया जा रहा है कल को उनकी निजी जमीन, मकान आदि पर कब्जा कर लिया जायेगा और उनको प्रदेश के बाहर निकाल दिया जायेगा। इससे हम लोग अपने को बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं मेरी सरकार से मांग है कि जिन अल्पसंख्यक परिवारों को गांव से निकाला गया है उनको पुनः गांव में बसाया जाय और जो उनके पट्टों पर कब्जा किया गया है उनको पुनः कब्जा दिलाया जाय। मैं चाहूंगा कि इस तत्कालिक और अविलम्बनीय लोक महत्व की घटना पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना मैंने शुरु में ही अग्राह्य कर दी है फिर भी मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि वह इसको दिखवा लें अगर जमीन वास्तव में अल्पसंख्यकों को पट्टे पर दी गई थी और उनको बेदखल किया गया है। तो इस पर प्रभावी कार्यवाही करें।

श्री इकबाल महमूद-

मैं आपको कागज दिखा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

कागज न दिखायें। मैंने निर्देश दे दिया है कि अगर पट्टों से बेदखल किया है तो प्रभावी कार्यवाही होगी। आप लिखकर भिजवा दें।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों को समेकित रूप से लिये जाने का सुझाव

श्री अध्यक्ष-

42 का (1)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चर्चा है।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

चर्चा कहां है ? मद संख्या 42 वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान। यह नम्बर-1 से शुरू होगा। उसी 42 के ही सारे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, देखें चर्चा एवं मतदान लिखा हैं।

श्री लालजी वर्मा-

चर्चा कहां है ? आप नियमावली देखिये।

श्री अध्यक्ष-

वह सही कह रहे हैं। एजेन्डा में लिखा है **चर्चा** एवं मतदान।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप यह देखें 42 में लिखा है वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान। आप एक तरफ से देखें। एक अकेले उसको न पढ़ें। यह तो एक

शीर्षक है और आगे उसके सब डिवीजन किये गये हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 आगे 67 तक है। तो मान्यवर, जब तक एक प्रस्तुत नहीं होगा चर्चा किस पर होगी। आप नियमावली में देख लें। नियमावली का 195 देख लें उसमें स्पष्ट उल्लेख है मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उसी की मदों तक सीमित रहेगा। अब जब एक मद मान्यवर, प्रस्तुत नहीं होगा तो किस बात पर चर्चा होगी। इस पर जनरल चर्चा नहीं हो सकती है मान्यवर, यह सब मत तक ही सीमित रहेगा जिस मद को रखा जा रहा है। आप नियमावली का 195 देख लें उसमें स्पष्ट है। अनुपूरक अनुदानों पर वाद विवाद केवल उसी की मदों तक सीमित रहेगा जब तक कि चर्चाधीन मदों की व्याख्या करने के लिये उन्हें स्पष्ट करने का अवसर न हो। मान्यवर, अभी अनुदान रखा नहीं गया तो चर्चा किस बात की होगी। 42 अकेले कोई मद नहीं है। 42 में और हैं। जब तक एक वाला प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तब तक चर्चा हो ही नहीं सकती। जब एक रखा जायेगा तो उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य कोई बात रखना चाहें तो कर सकते हैं। सामान्य चर्चा इसमें नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब मद-1 रख ली जाय तो उस पर कोई माननीय सदस्य कुछ रखना चाहें तो आप अनुमति दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह ठीक है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात को इतने विस्तार और बलपूर्वक कहा है कि वह तो सामान्यतया हमारे जैसा कमजोर सदस्य तो डर के बैठ जायेगा। लेकिन मैं श्रीमन्, आपको स्मरण इसलिये कराना चाहता हूं और मैं तो उनकी सुविधा के लिये चाह रहा था। मान्यवर, प्रत्येक मद पर यदि कोई सदस्य अपनी बात कहना चाहता है तो उसके अधिकार को आप चुनौती नहीं दे सकते। यह चर्चा और मतदान है। मैं चूंकि इस सदन का महत्वपूर्ण समय भी बचे और मतदान जब प्रारम्भ हो आप जल्दी से मदें रखते चले जाइये जल्दी से उसको पारित कर लीजिये इसलिये और यह परम्परा रही है कि इसके पहले इस सदन में इसलिये मैंने यह अनुरोध किया था। संसदीय कार्य मंत्री यदि नियमों से चलना चाहते हैं तो मुझे उन्होंने जो नियमों का पाठ किया है मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं पुनः आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं संसदीय कार्य मंत्री तो मेरी सुनते नहीं हैं मैं आपसे अनुरोध इसलिये करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि आपकी सुनते हों। मैं अनुरोध यह कर रहा था कि इससे सुविधा होगी कि एक बार अगर किसी पर भी कोई बात कहनी है तो यह कह कर बात खत्म मतदान शुरु हो तो तत्काल इस सदन का समय जाया न हो और यथाशीघ्र वह अपना यह कार्य भी पारित कर सकें। मान्यवर, पहले काफी समय लग चुका है और अभी इसको दूसरे सदन में भी जाना हैं। श्रीमन्, मैं उनकी सुविधा के लिये कह रहा हूं और वो नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप टैक्नीकली बहुत करेक्ट हैं। मेरा कहना है कि आप एक-एक मदवार करा लीजिये मैं तैयार हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

इसका उपाय यह है कि अगर सदन इजाजत दे तो मैं एक साथ सबको रख देता हूं और उस पर चर्चा कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, मैं अपने दल की ओर से यह बात आपसे कह सकता हूं कि आप मदवार एक एक न भी पढ़े तो हमको उससे आपत्ति कोई नहीं है क्योंकि आपने कल दे दिया और आज यह कार्य सूची में लगा है, हमने इसको पढ़ लिया है और मेरा यह मानना है कि प्रत्येक सदस्य जिसकी इसमें रुचि है उसने इसको मदवार पढ़ लिया। अब आप इस पर चर्चा करा लें तो समय बचेगा। अब जो आपको सूट करे वह आप कराइये। आप सरकार हैं।

श्री अध्यक्ष-

सबकी सहमति आ गई कि आप इसको कान्सालीडेट करके करा लीजिये। जिन सदस्यों को जिन अनुदानों पर चर्चा करनी होगी उसकी उन्होंने तैयारी कर ली होगी।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है, मान्यवर, मैं सहमत हूं मान्यवर, आपकी अनुमति है यह एक साथ कान्सालीडेट करके रख देता हूं। जिससे समय बच जाय।

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के अनुपूरक अनुदानों की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग, अनुदान संख्या-02-आवास विभाग, अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन), अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग), अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग, अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास), अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता), अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग, अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना), अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग), अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार), अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस), अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा), अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण), अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा), अनुदान. संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग, अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग, अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग, अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग, अनुदान

संख्या-41-निर्वाचन विभाग, अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग, अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग, अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग, अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन), अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत), अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम), अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु), अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें), अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय), अनुदान संख्या-60-वन विभाग, अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें), अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन), अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा), अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय, अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय, अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा), अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन), अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण), अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण), अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण), अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना), अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग, अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग, अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग, अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर), अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण), अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)
संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राजयपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 01 लगायत 03, 06 लगायत 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 15, 18 लगायत 19, 21, 23 लगायत 27, 31 लगायत 35, 37 लगायत 44, 46 लगायत 53, 56 लगायत 60, 62 लगायत 63, 66 लगायत 68, 70 लगायत 72, 76 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92 तथा 95 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच हजार आठ सौ इक्तालीस करोड़ बीस लाख तैंतालीस हजार (रुपये 58,41,20,43,000) की अनुदान मांगें वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जायें।

अनुदानों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) अनुदान संख्या-01-आबकारी विभाग के अन्तर्गत 68,17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(2) अनुदान संख्या-02-आवास विभाग के अन्तर्गत 2,52,62,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(3) अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत 3,66,93,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(4) अनुदान संख्या-06-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत 9,40,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(5) अनुदान संख्या-07-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत 30,20,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(6) अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत 98,00,02,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(7) अनुदान संख्या-10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत 1,56,21,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये।

(8) अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 92,58,23,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(9) अनुदान संख्या-13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत 1,87,12,49,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(10) अनुदान संख्या-14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत 4,06,68,42,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(11) अनुदान संख्या-15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत 17,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(12) अनुदान संख्या-18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत 4,03,09,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(13) अनुदान संख्या-19-कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 93,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(14) अनुदान संख्या-21-खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 2,48,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(15) अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत 58,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(16) अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत 8,51,85,75,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(17) अनुदान संख्या-25-गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत 1,65,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(18) अनुदान संख्या-26-गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 16,62,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(19) अनुदान संख्या-27-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत 25,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(20) अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत 14,61,60,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(21) अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 2,14,47,79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(22) अनुदान संख्या-33-चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत 1,45,63,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(23) अनुदान संख्या-34-चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत 55,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(24) अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत 17,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(25) अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत 8,15,89,91,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(26) अनुदान संख्या-38-नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत 60,85,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(27) अनुदान संख्या-39-भाषा विभाग के अन्तर्गत 31,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(28) अनुदान संख्या-40-नियोजन विभाग के अन्तर्गत 6,55,29,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(29) अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत 22,25,46,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(30) अनुदान संख्या-42-न्याय विभाग के अन्तर्गत 71,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ;

(31) अनुदान संख्या-43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(32) अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 4,84,92,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(33) अनुदान संख्या-46-प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 4,98,96,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(34) अनुदान संख्या-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 47,94,94,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(35) अनुदान संख्या-48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत 6,63,73,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(36) अनुदान संख्या-49-महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत 2,67,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(37) अनुदान संख्या-50-राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत 76,32,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(38) अनुदान संख्या-51-राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत 12,49,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(39) अनुदान संख्या-52-राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 15,48,82,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(40) अनुदान संख्या-53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत 9,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(41) अनुदान संख्या-56-लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत 35,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(42) अनुदान संख्या-57-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(43) अनुदान संख्या-58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत 85,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(44) अनुदान संख्या-59-लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत 25,01,81,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(45) अनुदान संख्या-60-वन विभाग के अन्तर्गत 1,97,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(46) अनुदान संख्या-62-वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अन्तर्गत 1,00,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(47) अनुदान संख्या-63-वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 63,05,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(48) अनुदान संख्या-66-वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत 54,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(49) अनुदान संख्या-67-विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत 10,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(50) अनुदान संख्या-68-विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत 1,01,20,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(51) अनुदान संख्या-70-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत 3,50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(52) अनुदान संख्या-71-शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(53) अनुदान संख्या-72-शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत 1,26,01,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(54) अनुदान संख्या-76-श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत 25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(55) अनुदान संख्या-77-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत 29,47,13,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(56) अनुदान संख्या-78-सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 1,67,30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(57) अनुदान संख्या-79-समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत 2,72,04,38,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(58) अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत 2,46,61,44,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(59) अनुदान संख्या-81-समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत 10,83,43,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(60) अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत 6,80,43,87,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(61) अनुदान संख्या-84-सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत 28,28,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(62) अनुदान संख्या-86-सूचना विभाग के अन्तर्गत 34,35,36,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(63) अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत 16,15,59,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(64) अनुदान संख्या-89-संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर) के अन्तर्गत 17,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(65) अनुदान संख्या-91-संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण) के अन्तर्गत 5,80,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(66) अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 1,70,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

(67) अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत 50,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये ।

*श्री अम्बिका चौधरी-

दो मिनट मुझे चाहिये बाकी और मा0 सदस्य जो बोलें। मा0 अध्यक्ष जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जो प्रदेश के वित्त मंत्री जी भी हैं, जब यह वित्त मंत्री नहीं थे तो भी इनकी वित्तीय मामलों की समझ जो थी, उसकी हम सराहना करते हैं। वित्तीय जानकारी इनको बहुत है वित्तीय मामलों की समझदारी इनकी अद्भुत है। इसलिये मैं जब इस सदन में अपने विचार रखना चाहता हूं, अनुपूरक मांगों पर जो इन्होंने अपने विचार रखे हैं पहले मैं इनकी सराहना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्शोधन नहीं किया।

करना चाहता हूं इनकी वित्तीय जानकारी के लिये। श्रीमन् मदवार रखने के बजाए जो इन्होंने एक साथ रख दिया है।

(संसदीय कार्य मंत्री के बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

आपको हमेशा आपत्ति क्यों रहती है ? श्रीमन् इनकी सामर्थ्य और बढ़ा दें, हम लोग इस सदन में यह समझते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जितना स्नेह इन पर है और किसी पर शायद प्रदेश में किसी पर नहीं है लेकिन यह अपने को इतना असुरक्षित क्यों समझते हैं ? प्रत्येक बिन्दु पर चौकन्ने रहते हैं और हमेशा चिहुंक-चिहुंक जाते हैं। एक शब्द है, जरा सा कुछ हुआ नहीं चिहुंक जाते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा और अगर हमारे अनुरोध पर कुछ स्वीकार करना हुआ तो उन्हें लगता है कि करेक्टर रोल में शाम तक रिपोर्ट करने वाला कोई इधर-उधर बैठा तो नही है। जाकर लिख तो नहीं देगा कि अम्बिका चौधरी ने कहा, समाजवादी पार्टी के सदस्य ने कहा और यह मान गये। श्रीमन् आपसे मेरी पहली प्रार्थना यही है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को पूर्ण अभयदान जहां कहीं से भी प्राप्त होता हो दिला दें तो यह चिहुंकने का काम सदन में बन्द कर दें। मुस्कुराते रहें अच्छा लगेगा। श्रीमन् आज यह अनुपूरक मांग की अनुदानें ले करके आये हैं और इन्होंने लगभग 6 हजार करोड़ की मांगें रखी हैं और प्रत्येक मद में उसका जस्टीफिकेशन इन्होंने देने का प्रयास किया है इस पुस्तिका में कारण उन्होंने प्रदर्शित किये हैं और यह अच्छी बात है कि 2004 में हमने जो एक विधेयक उत्तर प्रदेश राज्य कोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्ध अधिनियम 2004 पारित किया था उसके उपबन्धों के अधीन एक रिपोर्ट जरूर इन्होंने रखने का काम किया। जो रिपोर्ट आपने रखी है उसके बाद की स्थिति भी आपको रखनी चाहिये थी आपको अनुपूरक लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी अगर आप मदवार नहीं ले सकते थे तो सामान्य तौर पर इसकी सूचना आपको सदन में देनी चाहिये थी। जितना धन आपने पिछले बजट में पारित करके लिया था उसमें कितना खर्चा हो गया है और अनुपूरक पेश करने की जरूरत आपको कैसे पड़ गई ?

ऐसी कोई जानकारी जो अनुपूरक अनुदान की मांगों सम्बन्धित साहित्य हमको दिया गया है, इसमें भी नहीं है, और मा0 मंत्री जी ने न कल अवगत कराया और न आज अवगत कराया। कुछ इसमें बड़ी विसंगतियां हैं। अनुपूरक की आवश्यकता इसलिए है कि विकास के जो कार्य चल रहे हैं और उन कार्यों में कहीं अवरोध आ रहा है, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। इसीलिए राजकोष है और राजकोष आ रहा है, इसलिए इस्तेमाल होना चाहिए। कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए जो धन की कमी प्राविधानित किया था, बजट के माध्यम से, उसमें अगर कहीं कोई कमी रह गई, आप उसकी पूर्ति के लिए अनुपूरक ले करके आइए। हम आपका स्वागत करते हैं।

लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है, मैं अपनी बात रखूं, उसके ठीक पहले मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी ने संस्कृत के अध्यापकों की बात रखी थी और इनके मा0 मंत्रीगण भी मैं जानता हूं इस मण्डप के बाहर उससे सहमत हैं यहां उनकी भी कठिनाई है। हम भी कभी-कभी कठिनाई में होते हैं, अपनी मर्यादाओं में व्यक्तिगत बात नहीं कह पाते, जो हमारा सैद्धान्तिक पक्ष होता है, उसी को रखने का काम करते हैं, आपके सम्मुख भी यह कठिनाई है, लेकिन कुल 15 करोड़ रुपये में प्रदेश भर के इन संस्कृत अध्यापकों का काम मान्यवर, चल जाता था और 12 करोड़ रुपया एक बंगले के लैंड स्केपिंग पर खर्चा हो रहा है, एक मद भी यदि अनुपूरक मांग की डाइवर्ट कर देते तो मैं समझता हूं मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी ने प्रदेश के संस्कृत अध्यापकों का जो मामला उठाया है वह हल हो जाता। एक मद का भी डाइवर्जन हो जाता, एक बंगले के लैंड स्केपिंग पर, जो भी नम्बर हो उसका, माल एवेन्यू का कोई एक बंगला है, 12ए, 13ए, पता ही नहीं चलता कौन सा नम्बर है, एक सिरे से शुरू होता है, बीच में गिराकर बना दिया गया है, नम्बरों का तो भेद अब रहा नहीं, जो भी उसका नम्बर हो, लेकिन कोई एक नम्बर है, माल एवेन्यू में आपने दिया है, इसमें कि उस पर 12 करोड़ रुपया एक बंगले की लैण्ड स्केपिंग पर खर्चा हो रहा है, पता नहीं उस बंगले की क्या विशेषता है, मुझे तो पता नहीं लेकिन एक बंगले के लैण्ड स्केपिंग पर अगर 12 करोड़ का खर्चा है तो उसका डाइवर्जन कर दिया जाए, बाकी समस्याओं को आप छोड़ दीजिए, प्रदेश भर के संस्कृत अध्यापकों का काम उससे चल जायेगा।

मान्यवर, मैं अपनी बात 2-3 मिनट में समाप्त कर दूंगा, बुन्देलखण्ड विकास पैकेज है, 5 करोड़ का, उसमें भी आपने मांगा है, बुन्देखण्ड विशेष योजना है, इसके लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की है और पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए कुल 20 करोड़ रुपया मांगा है। अब कुल 45 करोड़ आपने मांगा है, पूर्वांचल के 19 जिले और बुन्देलखण्ड जिसका नाम लेकर बहुत लम्बी राजनीति करने का आप काम करते हैं, उसके लिए विशेष योजनाएं भी और विशेष पैकेज भी, दोनों मिला करके 25 करोड़। राज्य योजना में 01-04-97 से लेकर के सेतुओं को पूरा करने का उनके लिए कुल अनुपूरक मांगा है, आपने 15 करोड़ रुपया। मान्यवर, जोड़ते रहिएगा, हिसाब अच्छा रहेगा, मेरी तो गणित इतनी अच्छी नहीं है, वित्त मंत्री जी, बड़ी कृपा होगी, आप जोड़ लेंगे तो। 45 और 15, 60 और श्रीमन्, जो राज्य मार्गों का कार्य है, जिसका बजट 6 हजार करोड़ है, राज्य मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकण के लिए 20 करोड़, एम0डी0एस0 और ओ0डी0एस0 जो जिला मार्ग है, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़, सड़क निधि पर पूरे प्रदेश में 20 करोड़, विश्व बैंक सहायतित जो रोड प्रोजक्ट है, उनके लिए 20 करोड़, मान्यवर, जोड़ते रहिए। मान्यवर, ऐसी स्थिति में अम्बेडकर पार्क में 252.62 करोड़। श्रीमन्, एक पार्क में 5 करोड़ मात्र। मान्यवर, डा0 भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल, लखनऊ को दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए गैलरी भवन के लिए रु0 120 करोड़ 74 लाख 94 हजार, डा0 भीमराव सामाजिक

परिवर्तन स्थल, लखनऊ के स्लोपिंग भाग पर पूर्व निर्मित राकरी को एक बार तोड़ा, दो बार तोड़ा, तीन बार तोड़ा, को हटाकर सैण्ड स्टोन की सीढ़ियों के निर्माण के लिए 8 करोड़ 84 लाख 9 हजार, डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपये।

डा0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल परियोजनान्तर्गत सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय स्तूप भवन के निर्माण हेतु 23 करोड़ 3 लाख 10 हजार रुपये, कुल मिलाकर 252 करोड़ 62 लाख रुपये। श्रीमन्, प्रदेश भर की सड़कों का, पुलों का, बुन्देलखण्ड का, पूर्वांचल का और इन सबको मिलाकर जितना अनुपूरक मांगों में जितने धन की इनको आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा धन की आवश्यकता एक पार्क में है। इसलिए यह आप अनुपूरक लेकर आए हैं। अगर एक पार्क धीरे-धीरे भी बनेगा और अगर आप उसको एक बार के बजाय 4 बार नहीं भी तोड़ेंगे और अगर प्रदेश की सड़कों का काम हो जाएगा, अगर विद्यालयों का कम चल जाएगा, यह जले हुए ट्रान्सफार्मर बदल दिये जाएंगे, अगर संस्कृत शिक्षकों की रोजी-रोटी का काम चल जाएगा उनको अनुदान पर लिया जा सकेगा तो तभी इस प्रदेश की तरक्की हो सकेगी।

मान्यवर, यह तो अम्बेडकर पार्क का हो गया। श्रीमन्, एक विद्यालय है कुमारी मायावती राजकीय पालीटेक्निक। इसमें एक विशेष नाम है। यह माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम पर तो नहीं होगा किसी और के नाम पर होगा लेकिन उनके नाम पर है, जो भी है, उसके लिए 42 लाख 67 हजार की व्यवस्था की गयी है और अनुसूचित जातियों, जनजातियों के विकास के लिए स्थापित महामायानगर, ज्योतिबाफूलेनगर, चंदौली, गोरखपुर में जितने आई0टी0 पालीटेक्निक की व्यवस्था है उसके लिए अनुपूरक की मांग 28 लाख। श्रीमन्, 4 जनपदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों की तरक्की के लिए आई0टी0 पालीटेक्निक की स्थापना के लिए अनुपूरक की आवश्यकता आपको है 28 लाख। ध्वस्तीकरण के मामले में आपने 95 लाख मांग लिया, जितने बंगले गिरा लिये उसको बट्टेखाते में डालने के लिए, खाली हिसाब में लाने के लिए 95 लाख, 4 साउथ एवन्यू के परिसर को बहुजन माया पार्क के रूप में विकसित करने के लिए 4.17 करोड़, 13 माल एवन्यू के लैंड स्केपिंग पर 12 करोड़, यह आपकी दृष्टि है और इस दृष्टि से, इसी वित्तीय योजना से आप यह अनुपूरक मांगे लेकर आयें हैं। आप कहेंगे कि मतदान होगा, जिसकी तरफ बहुमत होगा उसकी तरफ पारित हो जाएगा, बहुमत किसका है यह स्पष्ट है लेकिन इस सदन में यह बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने पूरी तरह से प्रदेश के विकास की अनदेखी की, जितनी नफरत का माहौल बनाने का प्रयास किया, यह राजनीतिक सवाल होगा, नहीं भी कहूंगा लेकिन मैं वित्तीय सवाल पर एक बात कहना चाहता हूं कि आपने एक ओर जब राजकोषीय उत्तरदायित्व और प्रबंधन अधिनियम, 2004 का भी उल्लेख किया है जिसमें इसी सदन में हम और आप सभी शामिल थे हमने यह पारित किया कि प्रदेश की बिगड़ती हुयी वित्तीय स्थिति को अब हम मनमाने ढंग से बिगड़ने नहीं देंगे। प्रदेश की बिगड़ती हुयी वित्तीय स्थिति को सम्भालने के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर, और स्वयं ऐक्ट बनाकर हम इस बात का

प्राविधान करेंगे कि हर हालत में हमारा वित्तीय घाटा समाप्त होगा। कर्ज से उत्तर प्रदेश के लोगों को हम मुक्त कराएंगे, वहां यह अनुपूरक अनुदान की मांगे आप जिस तरीके से लेकर आएं हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और आप इन मांगों को वापस ले लीजिए, इसका कोई भी औचित्य कहीं सिद्ध नहीं है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब मेरे अनुरोध के बाद आपको समझ आ गया होगा और आप इन अनुपूरक अनुदान की मांगों को जिनको आपने प्रस्तुत किया है इसको आप वापस लेने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, मुझे कोई बहुत ज्यादा नहीं कहना है, मंत्री जी जानते हैं कि मैं बहुत संक्षेप में बोलता हूं लेकिन जहां 65 प्रतिशत अनुत्पादक खर्चों की मांगें हों। तो जनता के हित का बजट तो नहीं कहा जा सकता। 35 प्रतिशत में जो है वह वेतन और कुछ विभागीय योजनाओं के लिए खर्च होगा। कुल मिलाकर यह एक सामंतशाही बजट है।

इसमें लोकतंत्र की कहीं कोई गंध नहीं है और यह मांगे उसी आधार पर हैं। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मान्यवर, जब ताजमहल बन रहा था तो बहुत से शायरों ने एक शेर बनाया था "एक शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल, एक मोहब्बत को अज़ीम निशानी दी है" और उसी का दूसरी दृष्टिकोण "एक शहंशाह ने बनवाकर हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है।" मान्यवर, यह समझने के लिए काफी होगा, मैंने सूत्र में अपनी बात कही है। इसमें कोई उत्पादकता नहीं है, जनवादी आवाज नहीं है, आम आदमी दिखायी नहीं देता है। इसमें ताजमहल के अलावा कुछ है नहीं। बहुमत के आधार पर यह पास हो जायेगा। आप इसमें सदन का समय न नष्ट करें और इसे पास कर दें।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, चौधरी साहब ने जो बातें कहीं हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं और आदरणीय टण्डन जी का सम्मान करते हुए केवल तीन बातें कहना चाहता हूं। हम उनके अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, सप्लीमेंटरी लाये हैं, एक बार और ला सकते हैं, दो बार अधिकार है ला सकते हैं, संख्या बल के आधार पर पास भी करा लेंगे, लेकिन जो अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने का जो वचन है, जो इनका मेनिफेस्टो है, उसे कैसे पूरा करेंगे ? अम्बेडकर जी ने तीन बातें कहीं है। शिक्षा को एक नम्बर पर प्राथमिकता दी है। मान्यवर, हम इंग्लैण्ड से नहीं आये हैं। इसी सदन में पिछले बीस साल से मैं हूं। सरकार का बिल्ला बदल गया लेकिन ग्राउन्ड रियलिटी, जो बेसिक शिक्षा की है, जब तक शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल सुधार नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरक्की की परिकल्पना तो कर सकते हैं लेकिन उसे व्यवहारिक रूप नहीं दे सकते हैं। मान्यवर, आज तीन बातें बच्चों को प्रभावित करती हैं। नम्बर एक परिवार में मां-बाप के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन्स, नम्बर-2 गृह नक्षत्र और तीसरे नम्बर पर है माहौल। आज प्राथमिक एजूकेशन का माहौल नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में यह स्थिति नहीं है, वहां पर कपड़े हैं, किताबें हैं, भोजन है लेकिन शिक्षा का कोई माहौल नहीं है और अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का वादा करने वाली सरकार, घोषणा करने वाली सरकार ने एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया कि बेसिक ... में आमूल चूल परिवर्तन करके शिक्षा की गुणवत्ता को इस प्रकार बढ़ाता या महत्ता देता कि वे कम्पीटीटिव एक्जाम्स के लिए बच्चों को तैयारी करवाते। एक भी स्टेप इस सरकार ने इस तरह का नहीं उठाया है। जब तक शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, न्याय-नीचे से लेकर ऊपर तक, अंग्रेजी में एक सूक्ति है-डीले डिफीट द जस्टिस। आज हाईकोर्ट में पांच लाख मुकदमें पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट में अगर हिन्दुस्तान भर के देखें जायें तो ढाई करोड़ मुकदमें पेंडिंग हैं, उस क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम इस सरकार ने नहीं किया है जिससे यह लगता कि गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए या गमजदा लोगों को यह सरकार न्याय दिलाना चाहती है। हाई कोर्ट की मांग इस सदन में हम उठाते आये हैं और हमने यह भी कहा है कि अगर जो जिले, ये सस्ता न्याय देने की बात सरकार समय-समय पर करती हे, हमने बार-बार इस बात को कहा है कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वे जिले जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जुड़े हुये हैं उनको लखनऊ होकर इलाहाबाद जाना पड़ता है, तो खर्चा भी ज्यादा होता है और समय भी बरबाद जाता है। होना यह चाहिये कि जब तक आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न बना पायें तब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले लखनऊ हाईकोर्ट के बेंच से जोड़ दें। उनका समय भी बचेगा और उनका पैसा भी कम खर्च होगा।

तीसरी बात मान्यवर, हमने देखा, 22 करोड़, 25 लाख, 46 हजार रुपया हम निर्वाचन के लिये दे रहे हैं, चुनाव के लिये दे रहे हैं, चुनाव विभाग को दे रहे हैं। हम बराबर यह बात मुख्य अपोजीशन से कहते आये हैं माननीय अम्बिका चौधरी जैसे नेताओं से कहा कि निर्वाचन को विवादित सूची में रखिये ताकि उसके ऊपर भी बहस हो सके। यह बात मैंने पिछली बार जब जुलाई में बजट आया था, उस बार भी कहा था और इस बार भी पूरा पीड़ा के साथ कह रहा हूं मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि 22 करोड़ 25 लाख, 46 हजार रुपया दे देंगे पिछली बार हमने मुख्य बजट में पैसा दे दिया और मतदाता सूची देख लीजिये आप कहेंगे कि संविधान बनाता है, हम भी मानते हैं कि संविधान में चुनाव आयोग उसको निर्मित करता है लेकिन डेपोटेशन पर उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी उस वोटर लिस्ट को तैयार करते हैं। यह पूरा सदन उसी मतदाता सूची के आधार पर चुन कर आता है, जिसके लिये हमारे बोलने पर पाबन्दी लगी हुई है कि संविधान और चुनाव आयोग, आखिरकार पैसा हम देते हैं, हमारे कर्मचारी डेपोटेशन पर जाकर वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, मैं चुनौती देना चाहता हूं एक भी विधान सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दस परसेंट से 50 और 60 परसेंट तक की गलतियां हैं। आज तक इतनी गलत मतदाता सूची मान्यवर कभी नहीं बनी, जितनी गलत इस बार मतदाता सूची हमको, राजनीतिक दलों को देखने

के लिये मिलीं। कल मैने नियम-300 में एक औचित्य का प्रश्न आपके संज्ञान में दिया था कि आप कृपा पूर्वक उसको स्वीकारते कम से कम हमें हमारी बात कहने का मौका तो दें। आज हम 22 करोड़ रुपया इनको दे रहे हैं किस बात के लिये दे रहे हैं। इनके ऊपर कोई कार्यवाही का प्राविजन है, इससे अच्छे तो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी है जो डेपोटेशन पर जाकर काम करते हैं, इनकी ड्यूटी लगाई गई मतदान केन्द्रों पर। मान्यवर, यह इतना अहम मुद्दा है, उसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर। जब परिसीमन नया हुआ, मतदान केन्द्र बढ़े तो क्या वजह है, कि नई सूची ना बने।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मतदान सूची आयोग का विषय है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, है आयोग का विषय, लेकिन पैसा हम दे रहे हैं,

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आप इतना जोर क्यों लगा रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसलिए कह रहे हैं कि यह पूरे सदन की बात है, यह पूरे सदन की आवाज है मान्यवर, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं। हर एक के सीने पर हाथ रख कर पूछ लीजिए, मान्यवर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है....

श्री अध्यक्ष-

अब हर एक के सीने पर हम कहां हाथ रख पायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो इस समस्या से मान्यवर, पीड़ित न हो। एक भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय खन्ना जी से जानना चाहता हूं कि क्या उसमें कुछ संशोधन यहां से किया जा सकता है ? क्या यहां से हम मतदाता सूची बनाने के कोई निर्देश दे सकते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अरे, मुझे बोलने तो दीजिए।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के पीछे से आवाज आई, माननीय खन्ना जी आप अपनी सीट से बोलिये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात उठाई, मान्यवर, यह सदन सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करे कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा की सूची ए टू जेड

चुनाव आयोग के खर्चे पर घर-घर जा कर के सर्वे कर के बनाई जाये। यह हो सकता है मान्यवर। यह सम्भव है और अभी भी समय है।

श्री अध्यक्ष-

अब समय हो गया, अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, समय है अभी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लायें हम उसका समर्थन करेंगे। यह मांग हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, आपके तीन ही प्वाइंट थे, तीनों हो गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, बस एक अन्तिम बात है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अन्तिम कहते-कहते तो इतनी उमर बीत गई।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब आपने तीन की अनुमति मांगी थी, अब आप चौथे पर जा रहे हैं। अब आप रहने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, फानी गाजीपुरी का एक शेर है। वह मैं पढ़ देता हूं।

हर वफा जिन्दा और जावेद नहीं होती है
दिन का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है,
जब शहंशाह भी हो इश्क भी और दौलत भी
तब कहीं जाके एक ताजमहल बनता है।

मान्यवर, मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह अनुपूरक बजट कल प्रस्तुत हुआ था यह 5916.17 करोड़ रु0 का है। जो हमारा सामान्य बजट था, मूल बजट था, वह 1,12,472.72 करोड़ रु0 का था। यह अनुपूरक बजट उसका लगभग पांच प्रतिशत है। मान्यवर, चौधरी साहब तो पढ़कर जरूर आये हैं लेकिन उनकी निगाह कुछ विषयों पर नहीं गयी है। उन्होंने एक मकड़ी का जाल बनाने का काम किया। टंडन जी ने पढ़ा नहीं इसलिए यह बातें कहीं हैं।

मान्यवर, जो मुख्य मदें इस अनुपूरक बजट में शामिल की गयी है उसमें है कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना। यह आम जनता के लिये हैं। यह गरीबों के लिए है। इसमें

767 करोड़ रु0 का प्रावधान रखा गया है। पहले इसमें 500 करोड़ रु0 का प्रावधान था इसमें 767 करोड़ रु0 का अनुपूरक ले रहे हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति आवास योजना इसमें 100 करोड़ रु0 का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर, इसी तरह से महामाया आवास योजना में धनराशि हमने सामान्य बजट में ली थी। इसमें पहले स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में जिसमें केवल अनुसूचित जाति सम्मिलित थी, यह सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धान्त को मानने वाली सरकार है, यह योजना सभी वर्गों के लिए है उसके लिए 90 करोड़ रु0 का प्रावधान है। मान्यवर, इंदिरा आवास योजना में धनराशि केन्द्र से प्राप्त होती है उसमें हमारा अंश 23 करोड़ रु0 है वह दे रहे हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, इसी तरह से अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति में 244 करोड़ रु0 का प्रावधान रखा है, पहली बार इस सरकार ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। चौधरी साहब अगर इनकी तारीफ किये होते तो मैं उनकी आलोचना जो थी उसको हृदय से ग्राह्य किये होता। मान्यवर, इसी तरह से पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति इसमें 188 करोड़ रु0 रख दिया है।

मान्यवर, इसके लिए हमें अनुपूरक लाना पड़ा है। अल्पसंख्यक वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना इसके लिए हमने पहली बार 118 करोड़ रु0 रखने का काम किया है। (मेजों की थपथपाहट) इस तरफ टंडन जी की और चौधरी साहब की नजर नहीं है। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में गरीबी की रेखा से नीचे आने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति, यह विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना पहली बार चलायी गयी है, उसके लिये हमने 2 करोड़ रु0 रखने का काम किया है। अभी हमारे एक साथी शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे थे। वह साथी खोज रहे थे आज तक नहीं खोज पाये हैं। चौधरी साहब बता रहे हैं कि अभी भी उनकी खोज जारी है। मान्यवर, राजकीय हाईस्कूलों का इण्टर तक उच्चीकरण की मद में हमने 26 करोड़ रु0 का प्रावधान रखा है। इसी प्रकार से अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के वेतनादि के लिये 100 करोड़ रु0 की अतिरिक्त व्यवस्था का प्रावधान रखा है। (मेजों की थपथपाहट)

विकलांगजनों के लिए जो समाज का सबसे निरीह प्राणी कहा जाता है उन विकलांगों के लिए एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 75 करोड़ रुपया, नये पालीटेक्निक कालेजों की स्थापना के लिए 40 करोड़ रुपया, अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के लिए 500 करोड़ रुपया और मान्यवर, पहली बार अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों की पुत्री की शादी हेतु, यह पहली बार व्यवस्था की गयी है और उसके लिए अनुदान लिया है 11 करोड़ उसमें रखने का काम किया है। अरबी, फारसी मदरसों का आधुनिकीकरण के लिए 34 करोड़ रुपया और मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो इस सरकार ने किया है प्रत्येक राजस्व गांव में सफाई कर्मी की नियुक्ति और उन सफाई कर्मचारियों को जो अतिरिक्त हमें वेतन देना पड़ेगा जो नियुक्ति होने जा रही है उसके लिए 437 करोड़ रुपया,

स्वच्छ शौचालयों का निर्माण के लिए 202 करोड़ रुपया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण मूल बजट के अतिरिक्त जो हमने इस अनुपूरक में लाने का काम किया है 213 करोड़ रुपया, ग्रामीण पेयजल मुख्य बजट के अलावा मान्यवर, जो अतिरिक्त हमने आवश्यकता महसूस की उसके लिए हमने लाने का काम किया है 71 करोड़ रुपया का प्राविजन किया है, युवा कल्याण के लिए 56 करोड़ रुपया और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अतिरिक्त धन जुटाने की जो हमें जरूरत पड़ी उसके लिए 84 करोड़ रुपया।

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हमने लगभग 9 हजार, 10 हजार करोड़ रुपया पहले से विद्युत विभाग के लिए रखा था लेकिन हमको जो अतिरिक्त जरूरत पड़ी उसके अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 235 करोड़ रुपया, बारा परियोजना एवं करछना परियोजना के लिए अंशपूंजी के लिए 78 करोड़ रुपया, मेजा परियोजना के लिए अंशपूंजी के लिए 20 करोड़ रुपया, मान्यवर, इसी तरह से सड़कों एवं परिवहन में सड़कें एवं सेतुओं हेतु 105 करोड़ रुपया, राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपया, चीनी उद्योग, राज्य चीनी निगम लि0 की देनदारियां तथा अंशकों का क्रय हेतु 726 करोड़ रुपया, राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए जो घाटे में है हमारी सरकार ने, हमारी सरकार की नेता बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं परिवहन विभाग ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव लाया था उन्होंने उसको वापस कर दिया कि आज मंहगाई अपने आप इतनी बढ़ी हुई है ऐसी स्थिति में हम किराया बढ़ाने की इजाजत नहीं देंगे और परिवहन निगम के उस घाटे को पूरा करने के लिए हम 100 करोड़ रुपया परिवहन निगम को दे रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

वैट के कारण घाटा।

श्री लालजी वर्मा-

परिवहन निगम का किराया न बढ़ाने के लिए घाटा।

सहकारी चीनी मिल संघ की देनदारियों के लिए मान्यवर, जो सहकारी चीनी मिल संघ की देनदारियां हैं उसके लिए 126 करोड़ रुपया। मान्यवर, इस तरह से हमने जनता के हितों को, मेरा यह मानना है कि जो समाज अपने महापुरुषों का जिनके बल पर वह आता है अगर उनको याद नहीं करता है तो वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मान्यवर, इनको कष्ट है। हमारा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है और इसलिए आप जो कुछ भी कहते हैं हम उसको सुनने के लिये भी तैयार रहते हैं। लेकिन मान्यवर, मैंने सदन का एक दिन वह भी देखा था जब केवल एक महाविद्यालय का नाम ले लेने से मात्र जिसमें प्रदेश के अगर उच्च शिक्षा का बजट 71 करोड़ रुपया था उसका 69 करोड़ रुपया अकेले एक महाविद्यालय को दिया गया था और केवल डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी ने उस विद्यालय का नाम लेकर एक बात कह दी थी उसका दृश्य विधान सभा का, आपने संज्ञान में ही है इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, मैं इस

बात को पुरजोर ढंग से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया। अगर उन्होंने उस सामाजिक लड़ाई को लड़ने का काम न किया होता, समाज के उन निरीह और कमजोर वर्गों के लिए अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम न किया होता तो हमारे जैसे लोग शायद आज इस सदन में न होते। उनकी याद में इस सम्पूर्ण बजट में हम जो उनका सामाजिक परिवर्तन स्थल है, उसके लिये उनकी यादगार में, उनके स्मारक में जिनके बदौलत हम इस सदन में पहुंचे हैं अगर 253 करोड़ रुपये की व्यवस्था हम करते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम किया जाता है। आप प्रश्न चिन्ह उठायें, आप सवाल उठाने का काम करें हम कोई छिपाकर नहीं कर रहे हैं। हम इस बात को दावे के साथ कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण लड़ाई लड़कर समाज के उन लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया था जिनको पानी पीने के लिए भी तालाब और पोखरों में इजाजत नहीं थी। हम उनके इस एहसान को भुला नहीं सकते। इसलिये हम उनकी उस यादगार को स्थायी बनाने के लिये, जितना भी करने की आवश्यकता है, उसको करने के लिये यह सरकार पूरी तरह से तैयार है और उसके लिये कार्य कर रही है। मान्यवर, जब केवल कोई एक महोत्सव के नाम पर करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च होता था तब माननीय चौधरी साहब को वह दिन याद नहीं आता था। केवल महोत्सव के नाम पर प्रदेश के खजाने का बड़ा हिस्सा ले जाने का काम किया जाता था। हम बाबा साहब की यादगार में कर रहे हैं, हम यादगार में कर रहे हैं।

मान्यवर, कांशीराम जी की, जिन्होंने एक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने का काम किया और आदरणीय चौधरी साहब, मान्यवर, कांशीराम जी का आपके लिये भी बहुत बड़ा योगदान है और उसको आप भुलाने का काम न करें। मान्यवर, उन कांशीराम और उन बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की यादगार में जहां हम आम गरीबों के लिये काम कर रहे हैं वहां उनके लिये, उनकी यादगार में हमें कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिये निश्चित तौर पर किया जायेगा उसमें कुछ छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जितनी मैंने महत्वपूर्ण योजनाओं को बताने का काम किया है, उसको इस प्रदेश में आम जन तक पहुंचाने के लिये यह आवश्यक है। हर वर्ग के लिये काम किया गया है, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति या धर्म के लिये नहीं किया गया है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसको स्वागत के साथ, इसका समर्थन करते हुये सर्वसम्मति से हमारा जो यह प्रस्ताव है, उसको पास करने की कृपा करेंगे यह मैं आपसे आग्रह करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यद्यपि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैंने जो बिन्दु उठाये, उसमें किसी को स्पष्ट किया नहीं। किन्तु मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना रिकार्ड ठीक कर लीजिये आपने कहा कि परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपये इसलिये दिये गये

कि किराया नहीं बढ़ाया जाय। मान्यवर, मैं आपके सामने आपके ही द्वारा दिये गये रिकार्ड को रखना चाहता हूं। "वैट व्यवस्था को लागू करने के कारण बढ़े हुये व्यय भार को वहन करने हेतु।" यह है मान्यवर, आपने वैट लगाकर परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाया और वैट लगाकर पूरे प्रदेश को आपने तबाह किया यह बात है, आप असली बात बताइये और इसी के साथ पुनः मैं आग्रह करता हूं कि आप जब स्वयं संतुष्ट नहीं हैं इसलिये अनुपूरक मांगों को वापस लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। किराया बढ़ाये जाने के लिये इस बात का प्रस्ताव परिवहन निगम ने लाने का काम किया था और माननीया मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण मंहगाई पहले से ही बढ़ी है इसलिये हम किराया बढ़ाने की कदापि इजाजत नहीं देंगे और उन्होंने उस पर रोक लगाने का काम किया और उस घाटे को पूरा करने के लिये 100 करोड़ रुपया दिया है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अनुदान मांगों के सम्बन्ध में प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि मैं अनुदान संख्या 01 लगायत 03, 06 लगायत 07, 09 लगायत 11, 13 लगायत 15, 18 लगायत 19, 21, 23 लगायत 27, 31 लगायत 35, 37 लगायत 44, 46 लगायत 53, 56 लगायत 60, 62 लगायत 63, 66 लगायत 68, 70 लगायत 72, 76 लगायत 81, 83 लगायत 84, 86 लगायत 87, 89, 91 लगायत 92, तथा 95 के अन्तर्गत कुल रुपये पांच हजार आठ सौ इक्तालीस करोड़ बीस लाख तैतालीस हजार (रुपये 5841,20,43,000) की अनुदान मांगें वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिये स्वीकार की जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, विचार हो जाय। जब हम विनियोग विधेयक पारित करते हैं तो पैसा खर्च करने का अधिकार सरकार को मिल जाता है। दिक्कत यह आती है कि विभाग को पैसा समय से नहीं जाता है और अगर जाता भी है तो वहां की कार्य-प्रणाली जैसे कि पी0डब्ल्यू0डी0 जैसे जो निर्माण से सम्बन्धित काम होते हैं वहां बहुत विलम्ब हो जाता है। क्योंकि उनके यहां टेण्डर प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि उस वर्ष उस धन का उपयोग नहीं हो पाता हैं अगले साल 25 प्रतिशत कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाती है इस प्रकार से विनियोग विधेयक पारित करने का उद्देश्य निष्फल होने लगता है। हमारे यहां वित्तीय वर्ष 2007-2008 का पूर्वांचल का जिलांश निधि का जो पैसा गया उससे अभी तक कोई काम नहीं शुरू हो पाया है। अभी जब मैंने पूछा कि वित्तीय वर्ष 2007-2008 के धन का क्या किया जो बताया गया कि अब थोड़ा काम करने की स्थिति में आ गये हैं। फिर पूर्वांचल की निधि पास की गई थी 2008-2009 के लिए उसका अभी इन्होंने जिलांश भेजा या नहीं, इसका मुझे पता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि जो भी आप पैसा दें समय से दें। आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है आपके पास भी सेन्ट्रल से पैसा आता है लेकिन जो भी पैसा दें समय से दें। इसीलिए लड़ करके मैंने स्वयं पी0एल0ए0 को खत्म करवाया लेकिन आज फिर पी0एल0ए0 में पैसा चला जाता है और जब वह पैसा निकलता है तब तक कास्ट बहुत बढ़ चुकी होती है परिणाम यह होता है कि काम पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो विनियोग विधेयक पारित हो रहा है उसकी धनराशियों को तत्काल अवमुक्त किया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस वर्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने में पूरी तत्परता दिखाने का काम किया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पहले की शिकायतें रही होंगी इस बार से वह शिकायतें दूर हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) अधिनियम, 2008 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2008-2009 के लिए 5916,17,32,000 रुपये का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 5916,17,32,000 रुपये (पांच हजार नौ सौ सोलह करोड़ सत्रह लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का प्राधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2009 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारा-2 और 3 देखें)

अनुदान क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	6817	---	6817
		पूंजी :	---	---	0
02	आवास विभाग	राजस्व :	2295903	---	2295903
		पूंजी :	230310	---	230310

1	2	3	4	5	6
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	29567	---	29567
		पूंजी :	7126	---	7126
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	940	---	940
		पूंजी :	---	---	0
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	101000	---	101000
		पूंजी :	201000	---	201000
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	---	---	0
		पूंजी :	980002	---	980002
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	15621	---	15621
		पूंजी :	---	---	0
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	129823	---	129823
		पूंजी :	796000	---	796000
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	1699349	---	1699349
		पूंजी :	171900	---	171900
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	4066842	---	4066842
		पूंजी :	---	---	0
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	17	---	17
		पूंजी :	---	---	0
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	40309	2594	42903
		पूंजी :	---	27873	27873
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	9332	---	9332
		पूंजी :	---	---	0
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	---	12730	12730
		पूंजी :	---	---	0
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	24875	---	24875
		पूंजी :	----	---	0
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	5800	---	5800
		पूंजी :	----	---	0
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	5604613	---	5604613
		पूंजी :	2913962	---	2913962

1	2	3	4	5	6
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	150000	---	150000
		पूंजी :	1500000	---	1500000
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	2	---	2
		पूंजी :	166226	---	166226
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	250000	---	250000
		पूंजी :	---	---	0
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा	राजस्व :	100060	---	100060
	शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	पूंजी :	46100	---	46100
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी	राजस्व :	6660	---	6660
	चिकित्सा)	पूंजी :	2138119	---	2138119
33	चिकित्सा विभाग	राजस्व :	1200	---	1200
	(आयुर्वेदिक एवं यूनानी	पूंजी :	13363	---	13363
	चिकित्सा)				
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी	राजस्व :	1800	---	1800
	चिकित्सा)	पूंजी :	3730	---	3730
35	चिकित्सा विभाग (परिवार	राजस्व :	1770	---	1770
	कल्याण)	पूंजी :	---	---	0
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	8158991	---	8158991
		पूंजी :	---	---	0
38	नागरिक उड्डयन विकास	राजस्व :	40500	---	40500
		पूंजी :	568070	---	568070
39	भाषा विभाग	राजस्व :	3100	---	3100
		पूंजी :	---	---	0
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	9482	---	9482
		पूंजी :	56047	---	56047
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	222546	---	222546
		पूंजी :	---	---	0
42	न्याय विभाग	राजस्व :	7114	11265	18379
		पूंजी :	---	---	0
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	1000000	---	1000000
		पूंजी :	---	---	0

1	2	3	4	5	6
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	24600	---	24600
		पूंजी :	23892	---	23892
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	---	---	0
		पूंजी :	49896	---	49896
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	85227	---	85227
		पूंजी :	394267	---	394267
48	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व :	4637327	---	4637327
		पूंजी :	2000000	---	2000000
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	26737	---	26737
		पूंजी :	1	---	1
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	7632	---	7632
		पूंजी :	---	---	0
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के	राजस्व :	124980	---	124980
	सम्बन्ध में राहत)	पूंजी :	---	---	0
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद्	राजस्व :	10682	---	10682
	तथा अन्य व्यय)	पूंजी :	144200	---	144200
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	9	---	9
		पूंजी :	---	---	0
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र	राजस्व :	---	---	0
	कार्यक्रम)	पूंजी :	350000	---	350000
57	लोक निर्माण विभाग (संचार	राजस्व :	---	---	0
	साधन-सेतु)	पूंजी :	200000	---	200000
58	लोक निर्माण विभाग (संचार	राजस्व :	---	---	0
	साधन-सड़के)	पूंजी :	850000	---	850000
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य	राजस्व :	38480	---	38480
	सम्पत्ति निदेशालय)	पूंजी :	211701	---	211701
60	वन विभाग	राजस्व :	19737	---	19737
		पूंजी :	1	---	1
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा	राजस्व :	500000	2000	502000
	पेंशन)	पूंजी :	500000	---	500000

1	2	3	4	5	6
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	6305	---	6305
		पूंजी :	---	---	0
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	721	---	721
		पूंजी :	4679	---	4679
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	---	---	0
		पूंजी :	1000	---	1000
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	2922	---	2922
		पूंजी :	7198	---	7198
70	विज्ञान विभाग एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	35001	---	35001
		पूंजी :	---	---	0
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	1	---	1
		पूंजी :	---	---	0
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1060100	---	1060100
		पूंजी :	200000	---	200000
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	2500	---	2500
		पूंजी :	---	---	0
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	28336	---	28336
		पूंजी :	266377	---	266377
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	16730	---	16730
		पूंजी :	---	---	0
79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	2633902	---	2633902
		पूंजी :	86536	---	86536
80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	2464603	---	2464603
		पूंजी :	1541	---	1541
81	समाज विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	108343	---	108343
		पूंजी :	---	---	0
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	---	2133	2133
		पूंजी :	---	---	0

1	2	3	4	5	6
83	समाज कल्याण विभाग विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	4031810	---	4031810
		पूंजी :	2772577	---	2772577
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2828	---	2828
		पूंजी :	---	---	0
86	सूचना विभाग	राजस्व :	343536	---	343536
		पूंजी :	---	---	0
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	161559	---	161559
		पूंजी :	---	---	0
89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	राजस्व :	175000	691094	866094
		पूंजी :	---	---	0
91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व :	580	---	580
		पूंजी :	---	---	0
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	17000	---	17000
		पूंजी :	---	---	0
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	5001	---	5001
		पूंजी :	---	---	0
	योग	राजस्व :	40556222	721816	41278038
		पूंजी :	17855821	27873	17883694
	महायोग :		58412043	749689	59161732

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2008-2009 का अनुपूरक) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंग नाथ मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, विधेयक, 2008 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक डिस्टेण्ट एजूकेशन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया है। दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा विषय है जो इण्टरनेट के माध्यम से चलता है और जिसका प्रभाव पूरे देश में होता है। किसी एक राज्य में बैठ करके आप दूरस्थ शिक्षा के समस्त आयामों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कोई भी दूरस्थ शिक्षा आप देते हैं भले ही आप उसको प्रारम्भ करें इलाहाबाद से, केरल, तमिलनाडु, पंजाब में बैठा हुआ छात्र है, सब उसके समान रूप से छात्र और लाभार्थी हो सकते हैं। इसलिए एक प्रश्न उठता है कि जब दिल्ली के स्तर पर पूरे भारत में एक डिस्टेण्ट एजूकेशन काउंसिल बनायी गयी है जिसके अध्यक्ष श्री राज शेखरन पिल्लई जी हैं जो इस देश के सुप्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं और कई विश्वविद्यालयों में कुलपति रह चुके हैं तो हमें अलग से काउंसिल बनाने की क्या जरूरत थी ? बहरहाल, राज्य सरकार ने तय किया। मैं इस अधिनियम की दो प्राविधानों पर सिर्फ अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा, क्योंकि कई सारे विधेयक हैं इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस विधेयक के अनुसार यह जो काउंसिल बनायी जायेगी उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, इसका सर्वेसर्वा एक सभापति होगा और यह सभापति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ऐसा अधिकारी होगा जो शिक्षा निदेशक के नीचे की सीढ़ी का न हो। दूरस्थ शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयक पर जो बच्चे सामान्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो लोग समय रहते शिक्षा नहीं ले पाते, उनके लिए महत्वपूर्ण है। पूरे देश की शिक्षा प्रणाली इससे प्रभावित होने जा रही है। इतने बड़े महत्वपूर्ण काउन्सिल के संचालन का अधिकार एक निदेशक से ऊपर के स्तर को यानि सचिव स्तर के अधिकारी को सौंप दिया जाए, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। क्योंकि आपकी जितनी भी परिषदें बनी होंगी-उत्तर प्रदेश मेडिकल काउन्सिल बनी होगी, उत्तर प्रदेश डेण्टल काउन्सिल बनी होगी, उत्तर

प्रदेश नर्सेज काउन्सिल बनी होगी, यू0पी0 टेक बना होगा और जितनी सारी परिषदें बनायी जाती हैं उच्च शिक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए, आप पुराने लोग हैं जानते होंगे शायद ही किसी उच्च शिक्षा परिषद् का सभापति किसी राज्य सरकार का निदेशक से ऊपर के स्तर का अधिकारी होता हो। इतना महत्वपूर्ण दायित्व है, इस परिषद् के सदस्य होंगे सभापति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो इसके पदेन सभापति होंगे और यही परिषद् का सभापति इस परिषद् की कार्यकारिणी जो सर्वेसर्वा होगी, उसको नियंत्रित करने का काम करेगी।

दिल्ली में जब आपका डिस्टेण्ट एजूकेशन काउन्सिल बनाया गया तो उसका भी सर्वेसर्वा एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जो वस्तुतः देश के शिक्षाविदों में एक होता है। आपके अपने प्रदेश में जो ढेर सारी काउन्सिल हैं उनके भी सर्वेसर्वा ऐसे लोग हैं जो उस विषय के ज्ञाता हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय की इतनी आसानी से सरकारीकरण कर देना और वह भी इतने निचले स्तर के अधिकारी के लेबिल पर, मैं समझता हूं कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है। बहुत सारी अन्य बातें मैं कहना चाहता था लेकिन कई विधेयक हैं जिन पर लगातार हम लोगों को बात करनी है। मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करिये और इसके मुख्य कर्ता धर्ता के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाइये जो सचमुच अपने देश का, प्रदेश का जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं अभी बात आयेगी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की। आपने ऐसे व्यक्ति को बनाया है, मेजर साहब को, उनका बायोडाटा देख करके लगता है कि हां कुलपति हैं तो कुछ ऐसा करिये जो एक अच्छे शिक्षा शास्त्री को, शिक्षाविद् को, जिसका देश में कोई स्थान हो, उसे इस परिषद् का दायित्व सौंपिये। एक अधिकारी को सौंप दीजिए इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं बस इसी आधार पर इसका विरोध करता है।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 के माध्यम से उत्तर प्रदेश की शिक्षा में नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। यह नई व्यवस्था या विधेयक किसी परिवर्तन के संदर्भ में नहीं है जो पहले से स्थापित व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में हो, उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता हो यह नया कांसेप्ट है, नई अवधारणा है। नई अवधारणा को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन् मैं इनके उन प्राविधानों पर कहूं कि निदेशक का स्तर क्या होगा, सभापति का अनुभव क्या होगा यह इसमें दूसरी बातें कहां आयेंगी मैं इस परिषद् की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में जो गम्भीर आशंकायें हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन् अनौपचारिक शिक्षा के जितने प्रयास किये गये प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर उसका परिणाम देखने की जरूरत है। चाहे प्रौढ़ शिक्षा की बात हो अनौपचारिक शिक्षा की बात है प्रदेश के हजारों गांवों में जितने भी कार्य किये गये उनके परिणाम खास तौर से उत्तर प्रदेश में कभी भी उत्साहवर्धक नहीं रहे। बड़ी-बड़ी स्कीमें आईं कभी विश्व बैंक की स्कीमें आईं, कभी दूसरी योजनाएं आईं, कभी यूनीसेफ

ने किया तमाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं अनौपचारिक शिक्षा लेकर आईं हम लोगों ने अपने-अपने समय में प्रयास किये। कभी कठपुतली नाच के माध्यम से, कभी टी0वी0 में अंगूठा लगाने के बाद दस्तखत करते दिखाने वाला विज्ञापन, कभी जुलूस निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कभी विधायक, ब्लाक प्रमुख, गणमान्य व्यक्तियों को बुलाकर बड़ी-बड़ी सभाएं हुईं लेकिन यह सब केवल उसी वक्त तक रहा इसके परिणाम कभी भी उत्वाहवर्धक नहीं रहे हम अशिक्षा के अंधकार को दूर करने में कितना कामयाब हो सके अगर परिणाम देखें तो पता चलेगा कि एक गांव में हम दो लोगों से ज्यादा लोगों को साक्षर करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके। श्रीमन् आप उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था लागू कर रहे हैं इसके लिए जो धन सरकार खर्च करेगी इसका प्राविधान तो बाद में आएगा आज उसका आंकलन हो भी नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि मौजूदा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम ज्यादा श्रेयस्कर होगा। यू0पी0 बोर्ड की इस साल के परीक्षाफल को लेकर आप अपने लिए बधाई दे लें दूसरी कोई सरकार अपने लिए बधाई दे ले। बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की साख हिन्दुस्तान में जो सम्मान की स्थिति रही है। हम आज उस सम्मान की स्थिति को बरकरार रखने की हालत में नहीं है। आप पिछली व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक ला रहे हैं।

मान्यवर, उच्च शिक्षा में जहां मुक्त विद्यालय चल सकते थे हमने उसका अनुभव देखा है। आठ वाइस चांसलर बर्खास्त हुए। रिमोट एजेंशन में महामहिम राज्यपाल महोदय ने आठ वाइस चांसलर बर्खास्त कर दिये। उच्च शिक्षा में जहां संभावना बनती थी जिस समय पढ़ने-लिखने में दिलचस्पी पैदा हो जाती छात्र मुक्त विद्यालयों में पढ़ सकते थे वहां पर पूरा का पूरा ढांचा गड़बड़ा गया और आठ वाइस चांसलरों को बर्खास्त करना पड़ा। राजनैतिक कारणों से आप कहें कि हम बहुत बढ़िया करेंगे वो बहुत खराब थे तो इससे समस्या का हल नहीं होगा। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं। एक ओर बेसिक शिक्षा के लिये विश्व बैंक की मदद से और वाह्य सहायतित योजनाओं की मदद से सरकारों ने यह प्रयास किया है और आज भी वह प्रयास बदस्तूर जारी है, इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल हो। जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हो सके। इस वर्ष भी आपने दिये हैं पिछले वर्ष मिले, उससे पिछले वर्ष मिले। पिछले तीन चार सालों से यह गति तेज हो रही है और उसके बाद सेकेण्ड्री एजूकेशन तक तो आते आते जो स्थिति बन रही है हम मिडिल स्कूल की और जो सेकेण्ड्री स्कूल्स हैं इनके बीच एक जो वाटर लेक क्रिएट हो रही है। मैं यह शब्द जानबूझकर इस्तेमाल करना चाहता हूं कि इधर ज्यादा लोग उधर ज्यादा विद्यालय और बीच में कम विद्यालय। उस गैप को पूरा भरे बिना और इस मार्ग को जब तक इसका अवरोध दूर किये बिना आप इसकी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपकी यह व्यवस्था कामयाब होने वाली नहीं। आवश्यकता दूसरी है। आवश्यकता है एक मरीज को एन्टीबॉयोटिक दिये जाने की और आप उसको बहुत

बढ़िया विटामिन की तीन बोतल दे रहे हैं कि जल्दी यह ले लो। इससे यह रोग ठीक होने वाला नहीं। पहले उसको निरोग कीजिए। तब उसको शक्तिशाली बनाने का प्रयास कीजिए।

आप जितना भी इसका प्रयास कर रहे हैं यह कभी भी अपने उन उद्देश्यों में कामयाब हो सकेगा। इस पर गम्भीर आशंकाएं हैं। मुझे आशंका है और उसके कारण और तर्क मैं आपके सामने दे रहा हूं। इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। आपने इस पर विचार किया होगा। लेकिन इस सदन में पुनः मैं यह अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करिये। कदाचित् ऐसे मुक्त विद्यालय परिषद् की और मुक्त विद्यालीय व्यवस्था की कोई आवश्यकता उत्तर प्रदेश की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिये करने की आवश्यकता नहीं जो मौजूदा विद्यालय हैं उनको अनुदान पर ले आइये, उनमें पठन-पाठन की व्यवस्था को ठीक करिये। उनको आप बिना सुदृढ़ किये फिर एक नया बोर्ड लेकर आ जायेंगे कि इस बोर्ड से नहीं तो उस बोर्ड से जबरदस्ती की आप उसको कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री दे भी देंगे तो उससे उसका जीवन उज्जवल होने वाला नहीं है न समाज को अपना कोई योगदान दे पाने की स्थिति में वो होगा। इसलिये पुनः मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं (शोर) श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी का माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से कुछ खास है इसलिये उनकी चुहल और छेड़खानियों में मैं नहीं हूं, श्रीमन्, इसलिये श्रीमन्, मैं यह बात आपसे पुनः कहना चाहता हूं। बड़ा लग रहा है तो छोटा कर देता हूं एक वाक्य में। इसलिये आप इस प्रस्ताव को जो संशोधन प्रस्ताव हमने रखा है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये और इसके सभी गुण दोष पर विस्तृत विचार कर लीजिये और फिर आप आवश्यक समझते हैं तो दोबारा इसको लेकर आइये सदन इस पर विचार करे। मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

* श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, डाक्टर अग्रवाल जी और चौधरी साहब ने जो बातें रखी हैं मैं समझता हूं कि राज्य मुक्त विद्यालय के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं की इसलिये इन्होंने यह संशोधन प्रस्ताव रखा और जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसके पक्ष में जो सुझाव दिये हैं वह भी उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना हम क्यों कर रहे हैं। बोर्ड की जो परीक्षा हो रही है 10 और 12 में उसमें लगभग 45 लाख छात्र सम्मिलित हो रहे हैं और हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी है 17 करोड़। इस दृष्टि से देखा जाय तो यह 45 लाख विद्यार्थी जो हैं इससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छूट जा रहे हैं। उसमें कुछ गरीब हैं। आर्थिक रूप से कमजोर हैं, दूरस्थ हैं, कोई संसाधन नहीं है, विद्यालय नहीं हैं ऐसे तमाम 18 से 20 वर्ष के छात्र हैं जो इन्टर पास की डिग्री नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे गरीब तबकों के लिये राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार लाई है। मान्यवर, इसके पहले भी एक पत्राचार का कार्यक्रम चलता था। हम ऐसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विद्यार्थियों को पत्राचार के माध्यम से इण्टर पास की डिग्री देते थे लेकिन वह पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रही थी। पत्राचार के माध्यम से जो उनके यहां सूचनायें पहुंचती थीं वह पूर्ण नहीं होती थीं इसलिए हमारी सरकार ने सोचा कि हमारे विद्यार्थी जो इण्टरमीडिएट और हाईस्कूल में फेल हो जाते थे कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो रेगुलर कालेज में जाकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं उसके लिये राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना करने जा रहे हैं। डा0 अग्रवाल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थापना हुई है तो मैं बताना चाहूंगा कि यह डिग्री कालेज की स्थापना हुई है। लेकिन अब यह स्थापना हम इण्टर के छात्रों के लिए कर रहे हैं। हाई स्कूल के छात्रों के लिए कर रहे हैं जो रेगुलर कालेज नहीं जा सकते हैं, जो वित्तविहीन हैं या किसी और कारण से शिक्षा नहीं ले पाते हैं या परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं उसमें व्यवस्था की है। पहले अगर कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाता था तो उसे फेल मान लिया जाता था। इसमें अब हमने यह व्यवस्था की है कि यदि कोई विद्यार्थी एक विषय में फेल हो जाता है तो अगले साल उसे एक विषय की परीक्षा देनी होगी और पिछले साल जिन विषय में विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ था उन विषयों के नम्बर जोड़कर मार्कशीट दे दी जायेगी। इसलिए इसकी स्थापना हुई है। यह सही है कि इस प्रदेश में बहुत सारे परीक्षार्थी हैं एक बार अगर विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे लेता है और अगर वह फेल हो जाता है तो अभिभावक कभी-कभी परिवार चलाने में समर्थ न होने पर आर्थिक समस्या होने पर उसको काम पर लगा दते हैं और बच्चे को पढ़ाने की मंशा पूर्ण नहीं हो पाती है कि वह इण्टरमीडिएट पास करता और बी0ए0 में दाखिला लेता या हायर एजूकेशन में दाखिला लेता तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े संस्थान को चलायेगा, यह ठीक नहीं होगा। तो इसमें परिषद् की व्यवस्था की गई है। इसमें लिखा है कि चेयरमैन अध्यक्ष होगा जो निदेशक स्तर से नीचे का नहीं है इसलिए निदेशक के ऊपर का अधिकारी होगा तो वह कितना अनुभवी होगा, कितना हायर एजूकेटेड व्यक्ति होगा। बाकी परिषद् बैठेगी, हाई स्कूल, इण्टर बोर्ड परिषद् है।

(मा0 सदस्यों के कुछ कहने पर)

मैं एक बात कहना चाहता हूं मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता क्यों है। कल आपने देखा होगा इसी सदन में प्रमोद तिवारी जी ने आरोप लगाया था कि शिक्षा मंत्री को शिक्षित होना चाहिए। तो मेरे शिक्षित होने का उदाहरण यह है कि इनके पिताजी जब मुझे देखने आए थे तो मेरी शिक्षा को देखकर ही आए थे। यह भूल गए और यह मेरा नहीं अपने पिताजी का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मैं योग्यता साबित करने के लिये कि मैं शिक्षित हूं ज्यादा बोलना चाहता हूं। इसलिए तिवारी जी मैं निवेदन करूंगा कि मुझे बोलने दीजिए। मैं योग्य व्यक्ति हूं। अशिक्षित नहीं हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

शिक्षित होने का मतलब है जिसने आरोप लगाया वह सही साबित हो रहा है। शिक्षित का मतलब होता है अपनी बात को कैसे रखा जाए। कैसे कम शब्दों में रखा जाए लेकिन जो

अशिक्षित होता है वह बात को इतनी बार कहता है कि कहने वाले की बात समाप्त नहीं होती है। मान्यवर, आज यह तय हो गया कि कल जो मैंने कहा था, वह सही है। जहां तक पिता जी वाली बात कर रहे हो आप, वहां तो पिता जी ने आपको मना कर दिया लेकिन आपके पिता जी ने मना नहीं किया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं।

(हंसी)

डा0 कौशल किशोर-

मान्यवर, आप इनके पिता जी के साथ आए थे, क्या ?

(हंसी)

मान्यवर, यह डिग्री देंगे या सर्टीफिकेट देंगे, उन विद्यार्थियों को जो यहां से पास करेंगे ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसी की तो दोनों लोग बहस कर रहे थे कि क्या किया जाए।

(हंसी)

डा0 कौशल किशोर-

आप, डिग्री तो डिग्री कालेज देते हैं, विद्यालय तो केवल सर्टीफिकेट देते हैं, आप डिग्री दे रहे हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

आप अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो हम प्रमोद तिवारी को भेज देंगे।

डा0 कौशल किशोर-

नहीं, प्रमोद तिवारी जी से तो आप संतुष्ट हैं, हम से संतुष्ट हो लीजिए।

(हंसी)

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसलिए इसमें कोई शंका का कारण नहीं है। जहां तक चौधरी साहब ने कहा है, अनौपचारिक शिक्षा और इसमें बहुत अन्तर है। अनौपचारिक शिक्षा से कितने लोग साक्षर हुए, यह तो मैं नहीं कह सकता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अनौपचारिक शिक्षा से मेरा आशय केवल साक्षरता अभियान से नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा के जितने भी मोड एडाप्ट किये गये चूंकि मुझे संक्षेप में बात रखनी थी, उसमें किसी का रिजल्ट वह नहीं आया, जिन उद्देश्यों के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती थी, मेरा यह कहना था।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, इसमें पूरी कोशिश यह हो रही है कि हमारे जो छात्र हैं, जो इण्टर और हाई स्कूल में रेगलुर नहीं पढ़ पाते, ऐसे शिक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना करने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। मान्यवर, दूसरा इन्होंने कहा कि बोर्ड का सम्मान, बोर्ड का सम्मान तो आपने इतना बिगाड़ दिया कि उसको सुधारने में कुछ टाइम तो लगेगा ही, चौधरी साहब। लेकिन अभी जो कुछ बोर्ड ने सम्मान अर्जित किया है, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जी ने बधाई दी, आपको भी बधाई देना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना सरकार जो करने जा रही है, बहुत उपयोगी है। मैं मा0 अग्रवाल साहब से और चौधरी साहब से कहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लें।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-44 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्

विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश राज्य में मुक्त विद्यालय परिषद् को स्थापित करने एवं निगमित करने के लिए और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो किसी विद्यालय में अपना प्रवेश नहीं करा सकते हैं, विद्यालय स्तर पर दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् की स्थापना करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

अध्याय–1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;

(ख) "केन्द्र अधीक्षक" का तात्पर्य परिषद् द्वारा संचालित की जाने वाली परीक्षाओं के पर्यवेक्षण के लिए परिषद् द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

(ग) "सभापति" का तात्पर्य धारा 4 के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है;

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य धारा 4 के खण्ड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् के निदेशक से है;

(ङ) "कार्य कारिणी समिति" का तात्पर्य धारा 5 के अधीन गठित परिषद् की कार्य कारिणी समिति से है;

(च) "संस्था का प्रधान" का तात्पर्य परिषद् के किसी अध्ययन केन्द्र के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका से है;

(छ) "निरीक्षक" का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक से है;

(ज) "मुक्त विद्यालय" का तात्पर्य परिषद् के अधीन समस्त अध्ययन केन्द्रों से है जिसमें परिषद् भी सम्मिलित है;

(झ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;

(ञ) "क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक)" का तात्पर्य किसी क्षेत्र के संयुक्त शिक्षा निदेशक या उप शिक्षा निदेशक से है;

(ट) "सचिव" का तात्पर्य धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त परिषद् के सचिव से है;

(ठ) "अध्ययन केन्द्र" का तात्पर्य मुक्त विद्यालय की इकाई के रूप में परिषद् द्वारा अभिज्ञानित और अनुमोदित संस्था से है।

अध्याय–दो

परिषद्

परिषद् की स्थापना और उसका निगमन

3–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, एक परिषद् की स्थापना करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश कहा जायेगा।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

परिषद् का गठन

4–(1) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) सभापति, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा अधिकारी होगा, जो शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो – पदेन सभापति

(ख) निदेशक, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो – सदस्य सचिव

(ग) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर शिक्षा निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो

(घ) शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो अपर निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो

(ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो – पदेन सदस्य

(च) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो – पदेन सदस्य

(छ) निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश या उसका नाम निर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो – पदेन सदस्य

(ज) निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, इलाहाबाद – पदेन सदस्य

(झ) निदेशक, आकाशवाणी, इलाहाबाद

(ञ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद या उसका नामनिर्देशिती, जो विश्वविद्यालय के किसी विभाग के उपाचार्य की श्रेणी से नीचे का न हो – पदेन सदस्य

(ट)	निदेशक, पत्राचार शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद–	पदेन सदस्य
(ठ)	क्षेत्र सलाहकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली–	पदेन सदस्य
(ड)	राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि –	सदस्य
(ढ)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद्, जिनमें से एक महिला शिक्षाविद् होगी	सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन ऐसे प्रतिनिधि, जो अध्ययन केन्द्रों के प्राचार्य होंगे, जिनके पास प्राचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो–	सदस्य
(त)	निदेशक, उद्योग, कानपुर या उसका नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो	सदस्य
(थ)	निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की श्रेणी से नीचे का न हो–	पदेन सदस्य
(द)	सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश–	पदेन सदस्य
(ध)	सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश	पदेन सदस्य

(2) परिषद् के गठन को गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

कार्यकारिणी समिति

5– (1) परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) परिषद् का सभापति

(ख) शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) या उसका नामनिर्देशिती

(ग) निदेशक, राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्, उत्तर प्रदेश

(घ) कुलपति, राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

(ङ) निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् या उसका नामनिर्देशिती

(च) निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद या उसका नाम निर्देशिती

(छ) शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश या उसका नामनिर्देशिती

(ज) राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि

(2) सभापति कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य

6–(1) परिषद् विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित समस्त विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देगी।

(2) राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश, इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए परिषद् की सामान्यतः निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :–

(एक) विद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के क्रियाकलापों को निदेशित करना व पर्यवेक्षण करना तथा नियन्त्रित करना;

(दो) माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले अनेक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना और उनका विकास करना;

(तीन) परिषद् के छात्रों के लिए व्यवसायिक क्षेत्रों में पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उसका विकास करना, उसे विहित करना और प्रदान करना;

(चार) मुद्रित, श्रव्य, दृश्य, कम्पैक्ट डिस्क, रोम और अन्य रूपों में स्वअध्ययन सामग्री की रूपरेखा तैयार करना और उसका विकास करना;

(पाँच) दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पाठ्यक्रम प्रदान करना;

(छः) राज्य स्तर की संस्थाओं यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं तथा राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन तथा प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं ऐसी अन्य संस्थाओं से सहयोग करना;

(सात) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों यथा राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रमण्डल शिक्षा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आकस्मिक कोष, और तत्सदृश अन्य ऐसे अभिकरणों से सहयोग करना जो गुणवत्ता और दूरस्थ शिक्षा प्रक्रिया और सामग्री के मानक में सुधार के प्रयास के लिए अनवरत संरत हो।

(आठ) नैदानिक समस्या के समाधान के लिए और मुक्त विद्यालय के निर्माण में विकास प्रगति के लिए शोध और विशेषकर कार्यात्मक शोध प्रारम्भ करना;

(नौ) मुक्त विद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों को खोलने के लिए अभिकरणों और संस्थाओं से सहयोग करना और ऐसे शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों को अनुमोदन प्रदान करना;

(दस) शिक्षा सहायता केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की उचित कार्य पद्धति के पर्यवेक्षण के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करना;

(ग्यारह) परिषद् द्वारा विकसित शिक्षा और अन्य सामग्री प्रकाशित करना या प्रकाशित करवाना और उन्हें मुद्रित करना;

(बारह) विनियमों, छात्रों के पंजीकरण की शर्तें, परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्रता, मानदण्ड और ऐसी परीक्षाओं के संचालन की प्रक्रिया तथा अध्यापन एवं परीक्षा के समुचित सम्पादन के लिए समस्त आवश्यक अन्य मामले विहित करना और प्रमाण-पत्र भी प्रदान करना;

(तेरह) शुल्क और अन्य प्रभारों और उनके संग्रह की पद्धति के लिए उपविनियम विहित करना;

(चौदह) मुक्त विद्यालय के कर्मचारिवर्ग के सदस्यों, समन्वयकों, मुक्त विद्यालय के अध्यापकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना जिन्हें अध्यापन केन्द्रों और मुक्त शिक्षण से सम्बन्धित कार्मिक के राज्य प्रशिक्षण में संसाधन केन्द्र द्वारा शिक्षण सहायकों के रूप में लगाया जा सके।

स्पष्टीकरण–

(क) "समन्वयक" का तात्पर्य इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समन्वयक के रूप में परिषद् द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति से होगा;

(ख) "विद्यालयों के अध्यापकों" का तात्पर्य प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्रदान कर रहे मुक्त विद्यालय के अध्यापकों से होगा और इसके अन्तर्गत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाएं भी होंगी;

(पन्द्रह) परिषद् के लिए परिसर क्रय करना, या अन्यथा अर्जित करना या उसे पट्टा या किराए पर लेना;

(सोलह) परिषद् की निधि और धन को निवेशित करना और उसे संव्यवहार में लाना;

(सत्रह) पुस्तकों और अन्य माध्यमों में शिक्षा सम्बन्धी सामग्री से युक्त पुस्तकालय की स्थापना करना;

(अट्ठारह) परिषद् के प्रयोजनार्थ सरकार या किसी व्यक्ति से अनुदान, अंशदान, शुल्क, दान, उपहार, वसीयत जंगम या स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त या स्वीकार करना;

(उन्नीस) परिषद् के उपयोग के लिए भवन बनाना, उसका निर्माण करना, रख रखाव करना और किसी विद्यमान भवन में परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत और परिष्कार करना और ऐसे भवन को उपयुक्त रूप से सुसज्जित करना;

(बीस) परिषद् के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी समितियां या उप समितियां नियुक्त करना जैसी उचित समझी जायं और ऐसी समितियों या उप समितियों के उचित कार्यकरण के लिए विनियम और मार्गदर्शक सिद्धान्त विहित करना;

(इक्कीस) परिषद् के कार्मिक सम्बन्धी प्रशासन के लिए और परिषद् के कृत्यों के उचित प्रबन्धन के लिए, जिसके अन्तर्गत परिषद् के कर्मचारिवर्ग हेतु कल्याणकारी उपाय भी है, सेवा विनियमावली बनाना;

(बाईस) परिषद् के और अधिक प्रभावी प्रबन्धन और कार्यकरण के लिए विद्यालय के किसी अधिकारी को या परिषद् द्वारा गठित किसी समिति या उपसमिति को अपनी कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना;

(तेईस) ऐसे समस्त विधि सम्मत कार्यों और विषयों पर, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के लिए आनुषंगिक हों या न हों, कार्रवाई करना जिन्हें परिषद् के उद्देश्यों और लक्ष्यों को अग्रसर करने के लिए किया जाना अपेक्षित हो;

(चौबीस) परिषद् के अधीन प्रशासनिक, प्राविधिक और अन्य पदों, निदेशक के पद को छोड़कर, का सृजन करना और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उन पर नियुक्ति करना;

(पच्चीस) अध्यापकों और अध्येताओं के आदान-प्रदान द्वारा, सामान्यतः ऐसी रीति से जो ऐसे उद्देश्य के लिए सहायक हों, ऐसी शैक्षिक और अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना जिनके उद्देश्य पूर्णतः या अंशतः परिषद् के उद्देश्यों के सदृश हो;

(छब्बीस) परिषद् हेतु कार्यकलापों के संचालन के लिए विनियम बनाना;

(सत्ताइस) परिषद् की निधि का अनुरक्षण करना;

(अट्ठाइस) खण्ड (छब्बीस) में विनिर्दिष्ट निधि में जमा समस्त धन को ऐसे बैंकों में जमा करना या उन्हें राज्य सरकार के अनुमोदन से ऐसी रीति से निवेशित करना जैसा परिषद् विनिश्चित करे;

(उनतीस) उपरोक्तानुसार परिषद् के व्यय, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निष्पादन करते समय उपगत हुए व्यय भी हैं, की पूर्ति करना;

(तीस) लेखे और अन्य अभिलेख तैयार करना और उन्हें रखना और परिषद् के लेखों (तुलन-पत्र सहित) का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करना जैसा राज्य सरकार द्वारा नियमावली द्वारा विहित किया जाय।

(इकतीस) ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जैसा राज्य सरकार विनिश्चित करे, यथा प्रमाणित परिषद् का लेखा राज्य सरकार को वार्षिक रूप से भेजना;

(बत्तीस) मान्यता समिति की संस्तुति, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त ऐसे अध्ययन केन्द्रों को ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाये जायें, मान्यता प्रदान करना, अस्वीकार करना और, यदि वह उचित समझे, ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(तैंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्रों का रजिस्टर रखना;

(चौंतीस) मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्रों के निरीक्षण की व्यवस्था करना;

(पैंतीस) पाठ्यक्रम समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हो, पर विचारोपरान्त, विनियमों द्वारा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, अनुसरण किये जाने वाले पाठ्यक्रम और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था करना;

(छत्तीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए, यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकार के अनुमोदन से, पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों की तैयारी प्रकाशन और विक्रय का दायित्व लेना;

(सैंतीस) मुक्त विद्यालय के छात्रों के उपयोग के लिए और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची रखना, समय-समय पर प्रकाशित करना और ऐसी किसी सूची से किसी ऐसे पुस्तक के नाम को हटाना;

(अड़तीस) परीक्षाओं का संचालन करना और इस निमित्त विनियमों को बनाना;

(उनतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित करना और उनके सम्बन्ध में डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार और छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना;

(चालीस) परीक्षा समिति की संस्तुतियों, यदि कोई हों, पर विचारोपरान्त विनियमों द्वारा, प्रशिक्षक सारणीकारों, परीक्षकों, कक्ष निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में नियोजित अन्य कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक की दरों और ऐसी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस को उपबन्धित करना;

(इकतालीस) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठने के लिए अभ्यर्थियों को, ऐसे विनियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाए जा सकें, अनुमति प्रदान करना और अस्वीकार करना या ऐसी अनुमति को, यदि वह उचित समझे, वापस लेना;

(बयालीस) परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लाभार्थ ऐसी भविष्य निधि संस्थित करना और संचालित करना जो इस अधिनियम के अधीन विहित की जाय;

(तैंतालीस) ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, निकाय, जिसकी सहायता व सलाह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन से सहयुक्त होना जैसा विनियमों द्वारा अवधारित किया जाय;

(चवालीस) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किये जायं;

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे कदम उठाए जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की प्रोन्नति के लिए और ऐसी प्रणाली में अध्यापन, मूल्यांकन और अनुसंधान के मानकों को अवधारित करने के लिए उचित समझे।

परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, मानदेय और भत्ते

7—परिषद् का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिषद् की निधि से ऐसा मानदेय प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिषद् के अन्य सदस्यों की पदावधि

8– (1) पदेन–सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपना पद धारण करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पदावधि की समाप्ति पर किसी सदस्य को पुनः नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

आकस्मिक रिक्तियां

9–यदि सभापति या किसी पदेन सदस्य से भिन्न किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग देता है या अन्यथा सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाता है तो उक्त रिक्ति को, यथास्थिति, नई नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

सभापति की पदावधि

10–धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन सभापति की नियुक्ति ऐसी अवधि, जो छः वर्ष से अधिक न हो, के लिए होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यथा पूर्वोक्त नियुक्ति अवधि के अवसान पर सभापति की पुनर्नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की जा सकती है जैसा कि राज्य सरकार इस प्रकार अवधारित करे, तथापि सभापति के रूप में नियुक्ति की कुल अवधि (जिसमें पुनर्नियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है) दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परिषद् की सदस्यता के बीच में आ पड़ने वाली अनर्हता

11–सभापति या कोई अन्य सदस्य, यदि धारा 14 में विनिर्दिष्ट किसी अनर्हता के अध्यधीन हो जाता है तो वह, ऐसे दिनांक से, जैसा कि राज्य सरकार निदेश दे, यथास्थिति, सभापति या अन्य सदस्य नहीं रह जाएगा।

सभापति और अन्य सदस्यों का त्याग- पत्र

12–(1) सभापति, राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है और राज्य सरकार द्वारा ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर सभापति द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

(2) कोई अन्य सदस्य सभापति को ऐसा करने के लिए अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकता है और कार्यकारिणी समिति द्वारा ऐसे त्याग-पत्र को स्वीकार कर लिये जाने पर ऐसे सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त किया हुआ समझा जाएगा।

सभापति के पद के लिए अस्थायी व्यवस्था

13–यदि सभापति की मृत्यु हो जाती है या वह अपना पद त्याग कर देता है या पद पर नहीं रह जाता है या अस्थायी रूप में अनुपस्थित हो या, किसी कारणवश शक्तियों का प्रयोग करने और अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार निदेशक को प्राधिकृत करेगी कि वह तब तक सभापति की शक्तियों का प्रयोग करे और उसके कर्तव्यों का निष्पादन करे, यथास्थिति, जब तक सभापति पद ग्रहण नहीं कर लेता है या नये सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

अनर्हता

14–कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने या नाम-निर्दिष्ट किये जाने के लिए अनर्ह हो जाएगा यदि वह : –

(क) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्यायनिर्णीत किया गया हो;

(ख) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ग) उन्मुक्त दिवालिया हो जो न्यायालय से यह प्रमाणपत्र न प्राप्त किया हो कि उसे अपनी ओर से किसी अवचार के बिना भ्रमवश दिवालिया बना दिया गया था;

(घ) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो;

(ड.) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं या अपनी भागीदारी में,–

(एक) परिषद् द्वारा अनुमोदित या परिषद् के प्राधिकारी द्वारा या उसके अधीन प्रकाशित किसी पाठ्य पुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, या

(दो) परिषद् के आदेश से किसी कार्य में या उसके द्वारा या उसकी ओर से की गयी किसी संविदा में कोई हित रखता हो, प्रन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उपखण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी पाठ्य पुस्तक में कोई अंश या हित धारण करता हो, उक्त उप खण्ड के अधीन अनर्हता उपगत किया हुआ नहीं समझा जाएगा, यदि ऐसी पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन या पुनः प्रकाशन के दिनांक से पांच वर्ष व्यतीत हो गये हों।

बैठक का संचालन

15–सभापति या उसकी अनुपस्थिति में निदेशक परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यथास्थिति सभापति या निदेशक को किसी विषय पर मत देने का हक होगा और ऐसी किसी बैठक में मतों की समानता के प्रत्येक मामले में उसके पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

मत पर निर्बंधन

16–(1) परिषद् का कोई सदस्य ऐसे किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा जिसमें उसका कोई व्यक्तिगत हित हो।

(2) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करने वाला सभापति या निदेशक उपधारा (1) के अधीन उठने वाले किसी प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

परिषद् में सेवारत व्यक्ति

17–(1) परिषद् में एक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समूह "क" के प्रान्तीय शिक्षा सेवा अधिकारियों में से की जाएगी। सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि निदेशक द्वारा उसे समनुदेशित किया जाय। सचिव निदेशक की अनुपस्थिति में समिति की अध्यक्षता भी करेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उत्तर प्रदेश प्रान्तीय शिक्षा सेवा के अधिकारियों में से कर सकती है जिन्हे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) परिषद् अपने कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे और वह राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन ऐसी नियुक्ति की निबंधन एवं शर्तों जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय सेवाओं के अधिकारी सम्मिलित हैं को अवधारित करेगी।

(4) परिषद् के लिए सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में भर्ती की रीति या तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या अल्पकालिक संविदा या विनियमित आधार पर होगी, जैसा कि परिषद् उचित समझे। विनिर्दिष्ट प्रकृति के उत्तरदायित्वों के कार्य के लिए व्यक्तियों को, प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण के उपबन्ध, यदि उचित समझा जाये, सहित नियत परिलब्धियों पर अभिनियोजित किया जायेगा।

(5) कार्यकारिणी समिति द्वारा सृजित किये जाने वाले पदों के सम्बन्ध में वेतनमान राज्य सरकार के वेतनमानों के अनुरूप होंगे।

अध्याय–तीन

परिषद् की समितियाँ

विद्या सलाहकार समिति

18–(1) परिषद् अध्ययन पाठ्यक्रमों पर सलाह देने के लिए एक विद्या सलाहकार समिति का गठन करेगी।

(2) विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह, परिषद् पर बाध्यकारी नहीं होगी किन्तु यदि परिषद्, विद्या सलाहकार समिति की सलाह को स्वीकार नहीं करती है तो परिषद्, विद्या सलाहकार समिति द्वारा दी गयी सलाह को स्वीकार न करने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अध्यधीन विद्या सलाहकार समिति में परिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जाने वाले ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के विख्यात विद्याविदों सहित सात सदस्य होंगे।

(4) सभापति विद्या सलाहकार समिति का सभापति होगा और शैक्षणिक विभाग का प्रधान विद्या सलाहकार समिति का सचिव होगा। परिषद् विद्या सलाहकार समिति में परिषद् के तीन से अधिक सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट नहीं करेगी जिसमें सभापति सम्मिलित होगा।

(5) सभापति विद्या सलाहकार समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में निदेशक ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(6) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य, जो परिषद् का सदस्य भी है, तब तक विद्या सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में पद धारण करता रहेगा जब तक वह परिषद् के सदस्य के रूप में प्रविरत नहीं हो जाता है।

(7) विद्या सलाहकार समिति का कोई सदस्य निदेशक को पन्द्रह दिन का नोटिस देने के पश्चात् त्यागपत्र दे सकता है और परिषद् को यह शक्ति होगी कि वह किसी बैठक में तद्निमित्त कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् विद्या सलाहकार समिति के किसी सदस्य को हटा दे।

परिषद् की अन्य समितियाँ

19–(1) परिषद् निम्नलिखित समितियों का भी गठन कर सकती है:–

(क) पाठ्य विवरण समिति

(ख) परीक्षा समिति

(ग) मान्यता समिति

(घ) वित्त समिति

(2) परिषद् ऐसी अन्य समिति या समितियों का गठन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक समिति में निदेशक होगा जो उसका सभापति होगा और उसमें ऐसे अन्य सदस्य, जो सात से अधिक न हों, होंगे जैसा कि परिषद् उचित समझे।

(4) ऐसी प्रत्येक समिति में उसका एक सचिव होगा जो निदेशक द्वारा परिषद् के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्त किया जाएगा:

प्रतिबन्ध यह है कि परीक्षा समिति में एक सचिव होगा जिसे परीक्षा नियंत्रक के रूप में जाना जायेगा। ऐसा सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रान्तीय शिक्षा सेवा का अधिकारी होगा।

(5) परिषद् के किसी सदस्य को उपधारा (4) के अधीन गठित किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है किन्तु किसी ऐसी समिति में निदेशक सहित परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

पाठ्य विवरण समिति के कृत्य

20–(1) पाठ्य विवरण समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी :–

(क) पाठ्य विवरण से सम्बंधित मामले, अनुकरण किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम, और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अध्ययन की जाने वाली पुस्तकें और

(ख) कोई अन्य मामला, जो खण्ड (क) में निर्दिष्ट मामलों से सम्बन्धित या आनुषंगिक हो, जो परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाय।

परीक्षा समिति के कृत्य

21–(1) परीक्षा समिति परिषद् को निम्नलिखित के सम्बन्ध में सलाह देगी:–

(क) परीक्षा केन्द्रों का चयन, प्रश्नपत्र बनाने वाले, अनुसीमक, सारिणीकार, परीक्षक, अन्तरीक्षक, पर्यवेक्षक या परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के सम्बन्ध में लगाये गये अन्य व्यक्ति और उन्हें संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक दरें।

(ख) अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिए संदत्त की जाने वाली फीस, और

(ग) यथा पूर्वोक्त परीक्षाओं से सम्बंधित ऐसे अन्य मामले जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायं।

(2) परीक्षा समिति, परीक्षा नियंत्रक के पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा संचालन के लिए उत्तरदायी होगी और सचिव द्वारा सफल छात्रों के लिए जारी किये जाने वाली माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर के प्रमाणपत्रों और व्यावसायिक प्रमाणपत्रों को भी तैयार करेगी।

मान्यता समिति के कृत्य

22–मान्यता समिति परिषद् को अध्ययन केन्द्रों की मान्यता से सम्बंधित समस्त मामलों में सलाह देगी।

वित्त समिति के कृत्य

23–वित्त समिति परिषद् का बजट तैयार करेगी और परिषद् को वित्त से सम्बन्धित ऐसे मामलों में सलाह देगी जो उसे परिषद् द्वारा सलाह के लिए निर्दिष्ट किये जायं।

अन्य समितियों के कृत्य

24–धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन परिषद् द्वारा गठित की गयी समिति, यदि कोई हो, ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगी जो परिषद् द्वारा उसे समनुदेशित किये जायं।

अध्याय–चार

सभापति और निदेशक की शक्तियां और कृत्य

सभापति और निदेशक की शक्तियां और कृत्य

25–(1) (क) सभापति परिषद् का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा और उस पर नियंत्रण रखेगा;

(ख) सभापति, किसी आपात स्थिति में, परिषद् की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, परन्तु वह परिषद् के किसी विनिश्चय के प्रतिकूल कार्य नहीं करेगा और ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर उसके द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में उसके लिए कारण सहित परिषद् को यथा शक्य शीघ्र रिपोर्ट देगा।

(2) निदेशक –

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के विनिश्चयों को क्रियान्वित करने और प्रभावी करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) भत्तों के लिए ऐसे दावों को स्वीकृत, ऐसी दरों पर कर सकता है जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे;

(ग) परिषद् के किन्हीं विनिश्चयों के प्रतिकूल न होने वाली ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जैसा कि वह परिषद् की समुचित कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे।

अध्याय–पांच

बैठकें

परिषद् की बैठकें

26–(1) परिषद् की वार्षिक बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के माह दिसम्बर में आयोजित की जाएगी।

(2) परिषद् ऐसे अन्य समयों पर बैठकें आयोजित कर सकती है जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे।

(3) परिषद् की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से परिषद् की बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) सभापति से परामर्श करके निदेशक द्वारा तैयार की जाने वाली कार्यसूची सहित सदस्यों को दस दिन की नोटिस देने के पश्चात् निदेशक द्वारा परिषद् की बैठक बुलायी जाएगी।

(5) निदेशक, सभापति की सलाह पर या उससे परामर्श करके सदस्यों को किसी अत्यावश्यक मामले को व्यवहृत करने के लिए दो दिन की नोटिस देने के पश्चात् परिषद् की आपात बैठक बुला सकता है।

अध्याय –छः

वित्त एवं लेखा परीक्षा

वार्षिक रिपोर्ट

27–(1) सभापति पिछले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान परिषद् की कार्यप्रणाली पर अनुवर्ती वर्ष, जिसमें उसका गठन किया गया हो, के अगले वर्ष में परिषद् की प्रथम वार्षिक बैठक में और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्षिक बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। वह उस वर्ष के परिषद् के वार्षिक लेखा को भी प्रस्तुत करेगा।

(2) रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को, उन पर ऐसी टिप्पणियों सहित जैसा कि सभापति टिप्पणी करने के लिए उचित समझे, परिषद् की वार्षिक बैठक में उन्हें प्रस्तुत किये जाने के एक माह के पूर्व परिषद् को अग्रसारित किया जाएगा।

बजट

28–(1) सभापति उस वित्तीय वर्ष, जिसमें वार्षिक बैठक आयोजित की जाय, के दौरान परिषद् की प्रत्याशित आय एवं व्यय को दर्शाते हुए ऐसे प्रपत्र में, जैसाकि विहित किया जाय, बजट प्राक्कलन प्रत्येक वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा।

(2) बजट प्राक्कलन, परिषद् द्वारा पुष्टिकरण के पश्चात् राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर अग्रसारित कर दिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाय।

(3) राज्य सरकार बजट प्राक्कलन की प्राप्ति के एक माह के भीतर उस पर या तो अपना अनुमोदन प्रदान करेगी या ऐसी टिप्पणियां और

सुझावों, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के साथ उसे परिषद् को वापस कर देगी, यदि उसकी राय में ऐसा प्राक्कलन–

(एक) अभिनिश्चय तथ्यों के संदर्भ में युक्तियुक्त या यथार्थ न हो,

(दो) जिसमें आवर्ती व्यय की ऐसी नई मदें सम्मिलित हों, जिन्हें ऐसे आगामी वित्तीय दायित्वों मे परिषद् पर अधिरोपित किये जाने की सम्भावना हो जिनकी परिषद् के लिए अपनी आय से पूर्ति करने योग्य होना सम्भव नहीं है; या

(तीन) जिसमें व्यय के ऐसे उपबंध सम्मिलिति हों, जो इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार न हों।

(4) यदि उपधारा (3) के अधीन बजट प्राक्कलन वापस कर दिया जाता है तो परिषद् राज्य सरकार द्वारा की गयी टिप्पणियों और सुझाव पर विचार करेगी और यदि वह उचित समझे तो उक्त प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर सकती है। तब परिषद् राज्य सरकार को यथा संशोधित बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगी या परिषद्, यदि प्राक्कलन को पुनरीक्षित करना उचित नहीं समझती है तो उसे राज्य सरकार को अपनी टिप्पणियों सहित उसे प्राप्त करने के एक माह के भीतर अपने मूल रूप में प्रस्तुत करेगी।

(5) यदि राज्य सरकार परिषद् द्वारा यथा पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन को अनुमोदित नहीं करती है या यदि परिषद् द्वारा बिना किसी पुनरीक्षण के बजट प्राक्कलन को वापस कर दिया जाता है तो राज्य सरकार निम्नलिखित द्वारा बजट प्राक्कलन को संशोधित कर सकती है:–

(एक) ऐसे उपान्तर करके जो उसकी राय में सुनिश्चित किये जाने योग्य तथ्यों के सन्दर्भ में प्राक्कलन को उचित रूप से निष्पादित करने या आय और व्यय को संतुलित करने के लिए आवश्यक हों;

(दो) किसी आवर्ती प्रकृति के नये व्यय से सम्बन्धित किसी उपबन्ध में परिवर्धन, परिवर्तन या उपान्तर करके;

(तीन) व्यय सम्बन्धी किन्हीं ऐसे उपबन्धों में, कोई परिवर्तन या उपान्तर करके जो उसकी राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार न हों;

और वह इस प्रकार यथा संशोधित बजट प्राक्कलन को परिषद् को भेजेगी और इस प्रकार वापस किया गया बजट प्राक्कलन सुसंगत वित्तीय वर्ष के लिए परिषद् का बजट प्राक्कलन होगा।

(6) यदि राज्य सरकार उपधारा (5) में निर्दिष्ट बजट प्राक्कलन को अपना अनुमोदन प्रदान नहीं करती है तो ऐसा प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुमोदन के लिए उसकी प्राप्ति के तीन माह के भीतर या परिषद् द्वारा पुनरीक्षण सहित या बिना पुनरीक्षण के उसकी पुनः प्रस्तुति के दो माह के भीतर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित समझा जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

29–राज्य सरकार बजट प्राक्कलन, परिषद् के लेखे और बजट प्राक्कलन के ऐसे पुनरीक्षण, जैसा वह आवश्यक समझे, पर विचारोपरान्त उसे ऐसा वार्षिक या आवधिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह उचित समझे, परन्तु परिषद् की स्थापना हो जाने पर और राज्य सरकार को प्रथम बजट प्राक्कलन भेजे जाने के पूर्व, राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट, जिसे वह परिषद् से माँग सकती है, विचार करने के पश्चात् ऐसा प्रारम्भिक अनुदान प्रदान कर सकती है जैसा वह आवश्यक समझे।

परिषद् की निधि

30–(1) परिषद् एक निधि का सृजन करेगी जिसे राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् निधि (जिसे आगे इस अधिनियम में परिषद् की निधि कहा गया है) कहा जाएगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी :–

(क) समस्त धनराशि जिसका भुगतान धारा–29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया जाय;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन वसूल किया गया समस्त शुल्क और अन्य प्रभार;

(ग) अध्ययन केन्द्र से या अनुदान, उपहार, दान, उपकृति, वसीयत या अन्तरण के रूप में परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त धन;

(घ) विन्यास से, यदि कोई हो, या परिषद् द्वारा स्वामित्व प्राप्त या प्रबन्धित सम्पत्ति से होने वाली आय का प्रतिनिधित्व करने वाली समस्त धनराशि;

(ड.) किन्हीं अन्य स्रोतों से मुक्त विद्यालय की ओर से परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशि।

(2) निधि परिषद् में निहित होगी और उसके नियंत्रण में होगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी।

(3) परिषद् के खाते में देय समस्त धन को तत्काल इलाहाबाद बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निधि के खाते में जमा किया जाएगा और निधि से आहरित समस्त चेक निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे जिसे उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाय।

निधि से व्यय

31–इस अधिनियम के प्रयोजनों के सिवाय और जब तक इस अधिनियम के अधीन यथा अनुमोदित बजट में व्यय के लिए व्यवस्था न की गयी हो और उसकी पूर्ति पुनर्विनियोग द्वारा ऐसी रीति से न की गयी हो जैसी विहित की जाय, परिषद् की निधि से कोई व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

लेखा

32–परिषद् अपनी प्राप्तियों एवं व्यय का ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा रखेगी।

लेखापरीक्षा

33–(1) परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखापरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी लेखापरीक्षक या लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक रूप से ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन परीक्षा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा के अधीन नियुक्त लेखापरीक्षक,–

(क) परिषद् के वित्तीय मामले या उसकी आस्तियों से संबंधित किसी ऐसे दस्तावेज, जिसे वह लेखापरीक्षा के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझे, को अपने समक्ष लिखित रूप में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) ऐसे दस्तावेज के लिए उत्तरदायी, उसे अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में रखने वाले व्यक्ति से अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और दस्तावेज से सम्बन्धित किसी प्रश्न का लिखित रूप में उत्तर देने की अपेक्षा कर सकता है;

(ग) किसी व्यक्ति से अपने समक्ष उपस्थित होकर किसी ऐसे दस्तावेज के बजाय कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) परिषद् और उसके प्रत्येक सदस्य और सचिव और परिषद् की सेवा में अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षक को परिषद् के लेखा की परीक्षा और लेखा परीक्षा के लिए प्रत्येक सुविधा प्रदान करें और उपधारा (2) के अधीन लेखापरीक्षक द्वारा की गयी किसी मांग और उस निमित्त बनाये गये किसी नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करें।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के अधीन की गयी किसी मांग को जान बूझकर दबाता है या उसका अनुपालन करने से इंकार करता है या इस निमित्त किसी नियम द्वारा की गयी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है तो वह, दोषसिद्ध हो जाने पर, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के सम्बन्ध में कोई शिकायत, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना, नहीं की जायेगी।

(6) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई मजिस्ट्रेट उपधारा (4) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

34–(1) लेखापरीक्षा के पूर्ण हो जाने के पश्चात्, लेखापरीक्षक राज्य सरकार को सम्परीक्षित लेखा पर 14 दिन के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति परिषद् को भेजेगा और तदुपरि परिषद् रिपोर्ट को उस पर अपनी अभ्युक्ति के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे।

अध्याय–सात

अनुपूरक उपबन्ध

भत्तों का भुगतान

35–(1) धारा–7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्य, यथास्थिति परिषद् या समिति की बैठकों में सम्मिलित होने या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जैसा राज्य सरकार अवधारित करे।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सचिव जनता को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सूचना अधिकारी होगा।

परिषद् द्वारा सूचना उपलब्ध कराया जाना

36–परिषद् राज्य सरकार को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और विवरण प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाय और परिषद् से सम्बन्धित ऐसी अग्रतर सूचना या कोई मामला उपलब्ध करायेगी जैसी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

कार्यवाहियां निलम्बित करने की राज्य सरकार की शक्ति

37–राज्य सरकार, परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन को, लिखित आदेश द्वारा और उसका कारण बताते हुए, निलम्बित कर सकती है और किसी ऐसे कार्य के क्रियान्वयन को प्रतिषिद्ध कर सकती है जिसका इस अधिनियम के अधीन किया जाना तात्पर्यित है या जिसका किया जाना आशयित है, यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा संकल्प, आदेश या कार्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथास्थिति, परिषद् या किसी समिति पर प्रदत्त शक्तियों से बाहर है।

कतिपय व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जाना

38–परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के सदस्यों या परिषद् की सेवा में लगे व्यक्तियों और परिषद् के लेखा की लेखापरीक्षा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

संरक्षण

39–इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किये गये या किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

व्यावृत्ति

40—इस अधिनियम के अधीन कोई कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी :—

(क) परिषद् या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति में किसी रिक्ति के विद्यमान होने या उसके गठन में किसी दोष के होने पर; या

(ख) परिषद् के किसी सदस्य द्वारा धारा 15 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी मामले में मतदान करने पर; या

(ग) किसी ऐसे दोष या अनियमितता के होने पर जिसका किसी मामले के गुणावगुण पर प्रभाव न पड़ता हो।

अस्थायी उपबन्ध

41—(1) अध्यक्ष इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रथम विनियमावली बनायेगा।

(2) प्रथम विनियमावली एक वर्ष की अवधि तक या जब तक इस अधिनियम के अधीन कार्यकारिणी समिति द्वारा विनियमावली न बना ली जाय, जो भी पहले हो, प्रवृत्त रहेगी।

नियम बनाने की शक्ति

42—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किया जा सकता है:—

(क) परिषद् द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, कब्जा और व्ययन, ऐसे अर्जन, कब्जा और व्ययन, और धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य के किये जाने की शर्तें;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (बयालीस) में निर्दिष्ट भविष्य निधि, परिषद् द्वारा संस्थित और संचालित की जायेगी;

(ग) प्रपत्र, जिसमें परिषद का बजट प्राक्कलन, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है; तैयार किया जायेगा;

(घ) समय जिसके भीतर, जैसा धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है, बजट प्राक्कलन राज्य सरकार को भेजा जायेगा;

(ङ) रीति, जिससे समस्त भुगतान परिषद् की निधि में या निधि से किया जाएगा;

(च) धारा 31 के अधीन पुनर्विनियोग की रीति;

(छ) धारा 32 के अधीन प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा रखे जाने की रीति;

(ज) रीति, जिससे परिषद् की लेखा की परीक्षा और लेखा परीक्षा धारा 33 के अधीन की जायेगी;

(झ) धारा 36 के अधीन परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली रिपोर्ट, विवरणियाँ और कथन और ऐसी रिपोर्ट, विवरणियों और कथनों का प्रपत्र; और

(ञ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किये जाने या उपबन्धित किये जाने के लिए अपेक्षित है।

विनियम बनाने की शक्ति

43–कार्यकारिणी समिति परिषद् के अनुमोदन से और अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के उचित प्रयोग और अपने कृत्यों के निष्पादन से सम्बन्धित किसी मामले या किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में ऐसे विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे।

राज्य सरकार के निदेशों द्वारा परिषद् को मार्गदर्शित किया जाना।

44–परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पाठ्यक्रम के क्षेत्र और विषय वस्तु के मामले में ऐसे निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगी जैसे राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना द्वारा दिये जायं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–44 तक खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री रंगनाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय परिषद् विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किय गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में इन लोगों ने इस अधिनियम को पारित किया था उस समय मैंने कुछ आपत्तियां दी थीं और मैं समझता था कि अगर संशोधन विधेयक आ रहा है तो उन आपत्तियों पर इस सरकार ने विचार किया होगा लेकिन गरीब कमजोर वर्ग के व्यापारियों की चिंता करने की जगह पर इस सरकार ने उन लोगों की चिंता की है जो बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजी निवेश करते हैं, जो फैक्ट्री पावर प्लान्टस लगाना चाहते हैं, इत्यादि-इत्यादि। उस समय हम लोगों ने कहा था कि मण्डी शुल्क और इंट्री टैक्स समाप्त होना चाहिए। उस समय हम लोगों ने कहा था कि 01 जनवरी, 2008 को जो टैक्स पेड व्यापारी होते हैं उनको इनपुट ग्रेड की सुविधा मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही है। उस समय हम लोगों ने कहा था कि अन्य प्रान्तों में गल्ला, दलहन और गेहूं पर वैट नहीं लगता है इसलिए यहां नहीं लगाया जाना चाहिए। उस समय हम लोगों ने इस बात को कहा था कि जो खाण्ड, कचरी आदि चीजें होती हैं जिन्हें पशु आहार के रूप में माना जाता है उन्हें पशु आहार के रूप में परिभाषित करके इन्हें वैट के बाहर किया जाना चाहिए था। इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस ऐक्ट के नाते जो गांव के छोटे कमजोर व्यापारी है जो बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं, अधिकारियों के द्वारा बहुत शोषित हो रहे हैं। हम लोग अपेक्षा करते थे कि इधर कुछ महीनों का जो अनुभव है उसके हिसाब से यह सरकार इस वैट में उन परिवर्तनों को ला रही होगी या कुछ ऐसे प्राविधान कर रही होगी, समाधान की आय सीमा बढ़ाकर, जिससे उन छोटे व्यापारियों का शोषण रुक सके लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। फार्म 38 को लेकर बहुत सारी बातें चलती थीं कि जो चौकियां होती हैं उनमें जांच नहीं होनी चाहिए। सरकार ने आदेश किया जांच नहीं होती है यह सत्य है। धन्यवाद देता हूं।

लेकिन दूसरा सत्य यह भी है कि दूसरे दिन ही जब वह माल लेकर आते हैं तो टैक्स विभाग में फार्म 38 की ओरिजिनल कापी सर्टिफाई करके साथ में ट्रांसपोर्ट बिल लगाकर जमा करना पड़ता है। जब एक व्यापारी से आप एक महीने के अंदर सारी रिपोर्ट मांगते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको यह प्राविधान कर देना चाहिए कि जितने भी फार्म 38 हैं और जो ट्रांसपोर्ट बिल हैं वह जब एक महीने की रिपोर्ट जमा करें तो साथ में एक महीने में जितना माल लेकर आए हैं उस सबकी रिपोर्ट भी वह एक साथ जमा कर सकते हैं। मैं समझता था कि यह सरकार व्यापारियों की समस्या के प्रति जागरूक होगी, उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करेगी लेकिन सरकार ने इन सामान्य व्यापारियों की जगह पर सिर्फ बड़े उद्योगपतियों और बड़े व्यापारियों की चिंता की है। इस संशोधन के माध्यम से इस नाते मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया है। मैं समझ रहा था मान्यवर, जब यह मूल विधेयक सदन में लेकर आये थे तो

इसको लेकर हम लोंगों ने जो आशंकाएं व्यक्त की थीं जो विरोध किया था कि वैट की उत्तर प्रदेश की कोई आवश्यकता नहीं है और वैट लागू करने से महंगाई बढ़ेगी, यह बात सिद्ध हुयी मान्यवर, वैट का इतना योगदान था कि कुल महंगाई में साढ़े तीन से चार प्रतिशत की वृद्धि सिर्फ इस वैट के कारण हुयी। व्यापारियों को जो असुविधा हुई और उत्तर प्रदेश का व्यापार जितना इससे प्रभावित हुआ मैं विस्तार में नहीं जाकर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बड़ी बीमारी में अगर कोई छोटा-मोटा मलहम लगाना चाहे, कोई छोटी-मोटी पट्टी गांधना चाहे उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। यह और उसको विपरीत करेगा, कोढ़ में खाज। इसलिए मैं स्वागत करता अगर आप उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर वैट का निरसन विधेयक ले आते, कि हमने पिछली बार वैट पास कर दिया था लेकिन इसकी उत्तर प्रदेश में आवश्यकता नहीं है इसने हमारे राजस्व की वसूली को भी प्रभावित किया है, उत्तर प्रदेश व्यापारियों को तबाह किया है इसलिए हम वैट को खत्म करने का निरसन विधेयक लेकर आ रहे हैं तो हम आपका स्वागत करते, उसको पारित कराते। इसलिए माम्यवर मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि संशोधन तो आप वापस लें ही, पूरा वैट का कानून वापस लेने के लिए जितना शीघ्र हो सके एक नया विधेयक लेकर के इस सदन में आइये। हम उसी का स्वागत कर सकेंगे, इसी के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री नकुल दुबे-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

पहले आप बोल लें।

श्री नकुल दुबे-

माननीय अध्यक्ष जी, हम प्रयास करेंगे कि हमारी बढ़िया बात इनको अच्छी लग जाये और यह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। माननीय अध्यक्ष जी, बीएसपी की सरकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को सम्पूर्ण भारत में सबसे ऊपर देखना चाहती है। मान्यवर, यह पूरे देश में लगभग सभी प्रान्तों में लग चुका है, उत्तर प्रदेश में जान बूझकर के इसे डिले करने का कार्य किया गया जिसका खामियाजा हमें 2007-08 में देखना पड़ रहा है। मान्यवर, 2008-09 में वैट के माध्यम से 5125.90 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ जो कि विगत वर्ष 2007-08 की तुलना में, 2007-08 में यह राशि 4212.97 करोड़ थी। हम लोगों ने इस बार अभी तक लगभग 912 करोड़ रुपये की अधिक वसूली की है। दूसरी बात जहां तक वैट व्यवस्था का प्रश्न है 436 आइटम्स में कर की दरों में कमी की गई है और 1376 वस्तुओं में कर की दर व्यापार कर के समान रखी गयी है। जो संशोधन कर रहे हैं उन संशोधन के माध्यम से कोई नई बात नहीं लायी जा रही है। व्यापार कर अधिनियम में जिन कम्पनियों की छूट मिली थी और यह छूट भी हर एक को नहीं मिली है, यह .....

(इस समय 6 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री प्रदीप माथुर पीठासीन हुए)

2017 तक पूरी हो जायेगी। दूसरा संशोधन जो कैप्टिव पावर प्लान्ट के बारे में कह रहे हैं तो इसमें भी सर्टेन कंडीशन के तहत इनकी सुविधा दी जायेगी। अगर आपने अपने यहां मशीन लगायी है और उसका सारा मैटीरियल आप उत्तर प्रदेश के भीतर से खरीद रहे हैं तो आपको छूट मिलेगी अन्यथा नहीं मिलेगीं इसलिए मैं आप दोनों महानुभावों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि यह वैट प्रदेश को निश्चित रूप से विकास के मार्ग की ओर ले जा रहा है, आप सभी का सहयोग चाहिए इसलिए इस प्रस्ताव को वापस लेते हुए इसे पास करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

(2) धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और शेष उपबन्ध 16 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (च) में, अन्त में आये हुए उपखण्ड (छः) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 13 में; उपधारा (1) में,–

(क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ख) इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट कर के भुगतान के दायी प्रत्येक व्यवहारी को, ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात जब व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होता है, क्रय किये गये पूंजी माल के संबंध में अनुमन्य होगा, यदि ऐसे माल का प्रयोग,–

(एक) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाना हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का,–

क–राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय; या

ख–विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

(दो) गैर–वैट माल के सिवाय छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया जाये; या

(तीन) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां ऐसी ऊर्जा का प्रयोग गैर–वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाय और इस प्रकार उत्पादित माल को,–

क–राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय; या

ख–विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

(चार) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां पर ऐसी ऊर्जा का प्रयोग किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया जाये और ऐसे छूट प्राप्त माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर वस्तु के निर्यात के दौरान किया जाय;

और इनपुट टैक्स की गणना तथा दावा विहित रीति से किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए,–

(क) यदि उत्पादित विद्युत उर्जा का 90 प्रतिशत उपभोग उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है तो इनपुट टैक्स का शत प्रतिशत दावा किया जा सकेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(ख) पद "विद्युत ऊर्जा का उत्पादन" का तात्पर्य कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से होगा जिसके अन्तर्गत उसका मरम्मत और अनुरक्षण सम्मिलित होगा।"

(ख) अन्त में आये हुए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, खण्ड–(क) के अधीन सारणी की क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में, माल के पुनर्विक्रय में संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण सम्मिलित है।"

धारा 42 का प्रतिस्थापन

4–मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"42–(1) किसी भी औद्योगिक इकाई को,–

पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर से छूट या कर की दर में कमी का लाभ ले रही औद्योगिक इकाइयों के लिए उपाय

(क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के, आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही हो ; या

(ख) जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों, के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त हो;

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके बाद, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर आस्थगन की सुविधा का लाभ उठा रही औद्योगिक इकाई या ऐसी इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आस्थगन की सुविधा का लाभ स्वीकृत किया गया हो, को इस अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन शुद्ध देय कर को कर आस्थगन की सुविधा ऐसे निर्बन्धनों के अध्याधीन जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, जारी रहेगी।

(3) (क) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पादित माल की बिक्री के विक्रय धन पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही इकाई; और

(एक) जिसकी कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या उसके अधीन जारी अधिसूचना में यथा उपबन्धित स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित हो ; या

(दो) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या उपक्रम से खरीदी गयी कोई औद्योगिक इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत हो;

हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से कमिश्नर को आवेदन कर सकती है।

(ख) कमिश्नर सुसंगत अभिलेखों एवं कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि दी गयी सूचना सही एवम् पूर्ण है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से वैधता अवधि तथा हकदारी धनराशि सहित यथा-निर्धारित विवरण वाला हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।

(ग) यदि कमिश्नर का यह समाधान हो जाय कि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में विवरण गलत या अपूर्ण है या विश्वास करने योग्य नहीं है, तो वह आवेदक को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करेंगे और उसकी सूचना औद्योगिक इकाई को तदनुसार देंगे।

(घ) धारा 57 के अधीन अधिकरण को की गयी अपील के अधीन रहते हुए कमिश्नर द्वारा इस निमित्त पारित आदेश अन्तिम होगा।

(4) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री के आवर्त पर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई या ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त औद्योगिक इकाई विहित रीति से और निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने पर, कर अवधि की विवरणी सहित संदत्त शुद्ध कर की वापसी के रूप में छूट की हकदार होगी :–

(क) उक्त इकाई, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन जारी किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र रखेगी,

(ख) उक्त इकाई को कमिश्नर द्वारा जारी किया गया विधिमान्य हकदारी प्रमाण-पत्र रखना होगा,

(ग) वापसी की धनराशि सुसंगत कर अवधि के लिए संदत्त शुद्ध कर के बराबर की धनराशि से अधिक नहीं होगी,

(घ) संदेय शुद्ध कर, कर अवधि की विवरणी के साथ विहित रीति से जमा किया गया हो,

(ङ) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि स्वीकृत कर दायित्व के विरुद्ध समायोजित नहीं होगी,

(च) हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में से, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर, वापसी की सुविधा समाप्त हो जायेगी,

(छ) हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित माल जिसे औद्योगिक इकाई में विनिर्मित किया जाता है, के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर को हकदारी प्रमाण–पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से घटा दिया जाएगा,

(ज) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रीति से कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का दुरुपयोग नहीं किया है।

स्पष्टीकरण :–पद "संदेय शुद्ध कर धनराशि" का तात्पर्य है–

(एक) पूर्ववर्ती अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर से छूट की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई में निर्मित गैर-वैट वस्तुओं से भिन्न कराधेय वस्तुओं की बिक्री पर इस अधिनियम के अधीन संदेय कर और विक्रीत गैर-वैट वस्तुओं से भिन्न कराधेय वस्तुओं की सीमा तक या उसके अनुपात में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के अन्तर की धनराशि से है।

(दो) कर की दर में कमी की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर के सापेक्ष छूट के लिए उपलब्ध कर की दर के अनुपात में ऊपर खंड (एक) के अधीन संगणित शुद्ध कर की आंशिक धनराशि से है।

(5) (क) ऐसे माह, जिसमें व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सहित संगत कर अवधि की विवरणी दाखिल करता है, के अन्तिम दिनांक से 30 दिन की अवधि के भीतर वापसी योग्य पायी गयी धनराशि को वापस कर दिया जाएगा।

(ख) धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(ग) यदि औद्योगिक इकाई, जो स्वीकृत रूप में संदेय शुद्ध कर जमा करने में विफल रहती है या नियत तिथि के बाद जमा करती है, तो उद्ग्रहणीय ब्याज और अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, की धनराशि समायोजित की जाएगी और केवल शेष धनराशि वापस की जायेगी।

(6) (क) छूट के लिए या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल पात्र समस्त धनराशि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कर से छूट या कर की दर में कमी में उपभोग की गयी धनराशि के अन्तर की धनराशि की सीमा तक वापसी की कुल धनराशि सीमित होगी।

(ख) वापसी की कुल अवधि कर से छूट या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल अवधि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हुई अवधि के अन्तर की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(7) यदि कोई धनराशि वापस करने योग्य पायी जाती है और उसे विहित समय में वापस नहीं किया जाता है तो औद्योगिक इकाई वापसी के लिए विहित अन्तिम दिनांक से बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की हकदार होगी। ब्याज के धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।

(8) औद्योगिक इकाई, जो उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी।

(9) जहां किसी विधि मान्य कारण से या अन्यथा कर की धनराशि या छूट की अवधि या कर की दर में कमी की अवधि में परिवर्तन होता है वहां कमिश्नर स्वप्रेरणा से या औद्योगिक इकाई के प्रार्थना-पत्र पर हकदारी प्रमाण-पत्र में तद्नुसार संशोधन करेगा।

(10) वापसी की सुविधा इस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उपलब्ध होगी।

(11) इस धारा के अधीन वापसी का दावा करने वाली औद्योगिक इकाई को उसके द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर कर निर्धारित किया गया नही समझा जाएगा और वापस की गयी कोई धनराशि दाखिल की गयी विवरणी के समर्थन में लेखों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कर निर्धारण के अध्यधीन होगी।

(12) इस धारा के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन इकाईयों, जो 09 नवम्बर, 2000 (उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की तिथि) के पूर्व स्थापित की गयी थीं और अब उत्तराखण्ड के राज्यक्षेत्र की सीमा में स्थित हैं, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधान लागू होंगे:–

(क) माल उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित किसी ऐसी इकाई में निर्मित किये जाते हैं जिसके पास ऐसे माल के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 4–क के अधीन जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र (दिनांक 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व से जिनकी वैधता प्रारम्भ हुई हो), हो,

(ख) राज्य में बिक्री से भिन्न अन्तरण के माध्यम से लाये जाने के पश्चात्, विनिर्माता जिसका उत्तराखण्ड राज्य में व्यापार स्थल स्थित है, द्वारा विनिर्माण के पश्चात ऐसे माल की कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अवधि के भीतर प्रथम बार बिक्री की गयी हो,

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य और वास्तविक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विनिर्माता को उपलब्ध कर से छूट या कर की दर में कमी की समग्र सीमा में कम की गयी धनराशि इंगित की गयी हो।

(13) उपधारा (12) के अधीन कर वापसी की सुविधा वापस ले ली जायेगी, यदि उपधारा (12) के खण्ड (ग) में संदर्भित प्रमाण-पत्र मिथ्या, या फर्जी पाया जाय और उत्तराखण्ड के सुसंगत कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।

धारा 57 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 57 में,–

(क) उपधारा (4) में शब्द एवं अंक "धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द एवं अंक "धारा 42, धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (12) में खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन पारित आदेश या धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

1) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–03 सन 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारनाम समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नकुल दुबे-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

वन, जन्तु, उद्यान मंत्री (श्री फतेह बहादुर)-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि माननीय वन मंत्री हमारे अपने जिले के हैं, यह एहसास किया है कि इनके कार्यों का निरीक्षण और बेहतर तरीके से होना चाहिये। इनको

यह भी बताना चाहिये था कि पिछले एक साल में सम्परीक्षाओं में क्या-क्या कमियां पाई हैं और क्यों इनको इस बात का एहसास हुआ कि यह सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं एक उदाहरण दूं, इनके अपने जनपद में कुंडवा और कुशीनगर के बगल में कुशीनगर में हम लोगों ने जो जानकारी ली कुंडवा स्टेट के बारे में, इनके अपने डी0 एफ0 ओ0, इनके अपने रेन्जर, इनके अपने फारेस्ट गार्ड, इनके अपने वन दरोगा, व्यापारियों के आरा मशीन के मालिकों के साथ मिल करके जबरन किसी नागरिक की जमीन में घुस करके जंगल कटवा रहे थे और उन लोगों ने जब विरोध किया तो उनके साथ मार-पीट किया, उन बेचारों को कोर्ट में जा करके मुकंदमा करना पड़ा और इनके अपने अधिकारियों पर डी0 एफ0 ओ0 से लेकर नीचे तक सबके ऊपर मुकदमें दर्ज हुये। तो जिस विभाग की ऐसी कार्य प्रणाली हो, उसके कार्य का निरीक्षण तो स्वाभाविक रूप से सी0 ए0 जी0 से होना ही चाहिये। विशेष रूप से अब के माहौल में जब हम लोगों ने रिकगनीशन आफ फारेस्ट लाइफ ऐक्ट पास किया हुआ है। 1927 के फारेस्ट ऐक्ट से लेकर अब तक जितना अन्याय वन विभाग ने नागरिकों के साथ किया है, उन सब चीजों की जांच होना वस्तुतः बहुत जरूरी भी है क्योंकि जितना नक्सलवाद हम लोग देख रहे हैं, उसके जनक के रूप में अगर किसी एक विभाग को रखा जाता है तो वह वन विभाग होता है, इसलिये मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपना यह प्रस्ताव वापस ले लें।

(इस समय 6 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री फतेह बहादुर-

श्रीमन् वर्तमान में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा-23 उप धारा-2, 3, 4 में यह व्यवस्था है कि वन निगम के लेखा का प्रतिवर्ष आडिट स्थानीय लेखा परीक्षक द्वारा कराया जाये। मान्यवर, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 21-7-1997 को सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक शासनादेश जारी किया और उस शासनादेश में यह निर्देश जारी किये कि वन निगम के लेखे का प्रतिवर्ष आडिट अब भारत सरकार के नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक के द्वारा कराया जाये, इसी के अनुसार इस विधेयक को लाया गया है और निश्चित रूप से जो वन विभाग के ऊपर माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी का विश्वास बढ़ा है मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं उसकी जांच करा कर जिस प्रकरण को उन्होंने संदर्भित किया है निश्चित रूप से उस पर जांच करा कर के कार्यवाही करूंगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, अपना प्रस्ताव वापस तो लेंगे नहीं, इसलिए अब मैं मद संख्या-51 पर प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1975 की धारा 23 का संशोधन

2-(1) उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 की धारा 23 में, उपधारा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात्

"(2) निगम के लेखें प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षित किये जायेंगे और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को देय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी संगठन के लेखों की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्टतया, उसे बहियां, लेखे, सम्बद्ध वाउचर तथा दस्तावेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फतेह बहादुर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं आंशिक रूप से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन में पिछली बार जो बहस हुई थी और जो बातें रखी गयी थी उसको उन्होंने इसमें माना है। यह कहा गया था कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की चयन पद्धति में बहुत सी आपत्तियां आती हैं और निरन्तर भ्रष्टाचार होने की शिकायतें मिल रही हैं। इसी तरह से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बहुत से बच्चे जो पढ़कर निकलते हैं उनकी अपेक्षा के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कर रहा है। अगर आपने इसमें हम लोगों की उन सभी भावनाओं को जोड़ लिया होता तो अच्छा होता। अब आगे फिर एक संशोधन विधेयक लायेंगे। एक साथ पूरा पास करा लेते। मान्यवर, जो व्यक्ति नेट पास करके आते हैं और जिन छात्रों के बी0ए0 में मार्क्स कम होते हैं उनको आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित होने में दिक्कत होती है। आपके अध्यादेश के बाद कई विज्ञापन निकले हैं उसमें जिन्होंने नेट किया हुआ है परन्तु बी0ए0 में 50 प्रतिशत से कम मार्क्स हैं उनको बुलाया नहीं गया है। इसी तरह से एक कहनी है कि साक्षात्कार में पेंसिल से

नम्बर दिये जाते हैं। जो बाहर से एक्सपर्ट आते हैं वह पेंसिल से अपने नम्बर दे देते हैं बाद में आयोग वाले अपनी सुविधानुसार उन नम्बरों को बदल देते हैं। इसलिए कहना है कि इस पेंसिल के स्थान पर पेन का वहां पर इस्तेमाल किया जाये। इसी तरह से आपने लिखित परीक्षा का प्रावधान किया है। मेरा सुझाव है कि लिखित परीक्षा के नम्बर और साक्षात्कार के नम्बर अलग-अलग लिखे जाने चाहिए जिससे किसी को यह मालूम चल सके कि जिसका चयन हुआ है उसको लिखित परीक्षा में कितने नम्बर मिले हैं और साक्षात्कार में कितने नम्बर मिले हैं और साक्षात्कार में कितने लोगों को प्रभावित करने की किसी तरह से क्या कोई कोशिश की गयी है। मान्यवर, एक अधियाचन जारी होने के बाद सालों साल लग जाते हैं नियुक्ति करने में। अप सिर्फ 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें भेजते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई ज्वाइन नहीं करता है या विभिन्न विश्वविद्यालय/महाविश्वविद्यालय ज्वाइनिंग के समय विभिन्न समस्यायें पैदा करते हैं और ज्वाइन नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अच्छा होगा कि यह जो 25 प्रतिशत की सीमा है इसको आप बढ़ाइये। अगर साक्षात्कार के बाद और सेलेक्शन होने के बाद कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उसके नीचे के क्रम का व्यक्ति आकर ज्वाइन कर सकता है। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जायेगा और इससे आयोग का समय भी बचेगा।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, आयोग की परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाये रखने के लिए लिखित परीक्षा का प्राविधान किया जा रहा है। पिछले बजट सत्र में सदन के अन्दर जो बातें उठी थीं कि योग्य लोगों का विभिन्न बातों के आधार पर चयन नहीं हो पाता है, साक्षात्कार में उनका चयन नहीं हो पाता है। इसलिए यह बात हुई कि उनकी योग्यता की परख लिखित परीक्षा के माध्यम से करायी जाये। इसलिए इसमें यह लिखित परीक्षा का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा। एक बिन्दु उठा है नेट और पी0एच0डी0 के लिए, उनको छूट देने के लिए, उन पर भी विचार किया जा रहा है। मैं डा0 अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, नहीं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह 17 जून, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 13 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 13 में, उपधारा (1) में, शब्द "अभ्यर्थियों का (परीक्षा सहित या रहित) साक्षात्कार करेगा।" के स्थान पर शब्द "अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन करेगा।" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2008 को पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और ध्वनि मत से पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

आज प्रस्तुत होने वाले सारे विधेयकों में अध्यक्ष महोदय, यह सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है और बावजूद इसके प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री राकेशधर त्रिपाठी इसको प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं प्रदेश की मुख्य मंत्री इसको प्रस्तुत कर रही हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा एथारिटी से और औद्योगिक विकास निगम औद्योगिक विभाग से चल रहा है इसलिए उच्च शिक्षा से नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मैं अभी जब अपनी बात पर आऊंगा तो आपको समझ में आयेगा कि क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझा देता हूं।

यह विश्वविद्यालय 2002 में बना था एक्ट नम्बर 9 से। नोएडा के द्वारा और ग्रेटर नोएडा के द्वारा अपनी सम्पत्तियों को दे करके और राज्य सरकार के द्वारा भूमि का अधिग्रहण करके इस पूरे विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था और 2004 में जाकर इसका काम रुक गया था। अभी इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी नहीं हुआ है। 22 तारीख को हम सबकी माननीय मुख्य मंत्री जी इसका लोकार्पण करने जायेंगी। अभी लोकार्पण के पहले ही हम लोगों ने बजट में गरीब छात्रों के लिए जिनका सम्भवतः अभी प्रवेश भी नहीं हुआ होगा उनको विदेश भेजने के लिए 2 करोड़ रुपये का बजट भी पारित करा लिया तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी चीजों

को। मैं जो कहना चाहता हूं कि 2002 में हम लोगों ने यह विधेयक पारित किया था तो दुनिया का उत्तर प्रदेश का यह अकेला विश्वविद्यालय है जिसका अपना महामहिम राज्यपाल नहीं है। हमारा जो यूनिवर्सिटी एक्ट 2000, 1973 इसमें प्रावधान है कि ऐसे सारे विश्वविद्यालय जो राजकीय संसाधनों से बनाये जायेंगे उनका चांसलर महामाहम राज्यपाल होंगे. यह ऐक्ट का हिस्सा है यह अकेला विश्वविद्यालय बनाया गया जिसके चांसलर राज्यपाल नहीं हैं बल्कि प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं इतने से काम चल जाता। यदि इतने से भी काम नहीं चला इसलिए परिवर्तन लाया गया।

परिवर्तन क्या है अध्यक्ष महोदय यह सदन को जानना चाहिए। परिवर्तन इसके व्यवस्थापक बोर्ड में है जो पुराना अधिनियम है इसके हिसाब से व्यवस्थापक बोर्ड में निम्न सदस्य होंगे। नम्बर एक कुलाधिपति जो इसका अध्यक्ष होगा। कुलाधिपति अर्थात् फिलहाल इस 2002 के ऐक्ट के हिसाब से मुख्य मंत्री वह चाहे जो भी हो। जो आज हम लोग परिवर्तन करने जा रहे हैं उस परिवर्तन के हिसाब से व्यवस्थापक बोर्ड में निम्न सदस्य होंगे नम्बर एक अध्यक्ष, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसायटी अर्थात प्रदेश की मुख्य मंत्री को इतने प्राविधान से भी संतुष्टि नहीं थी कि इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति मुख्य मंत्री है वह यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि जब मुख्य मंत्री न हों तो भी इस विश्वविद्यालय की कुलाधिपति बनी रहें। आखिर गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी के उस अध्यक्ष को जिसको हम इस सारे विश्वविद्यालय का दायित्व देने जा रहे हैं कम से कम हम लोगों को बताया जाना चाहिए था कि गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी क्या है इसके सदस्य कौन हैं, इसका पैटर्न कौन है नाम अगर हम लोग जानते तो हम समझ पाते कि प्रदेश का मुख्य मंत्री किस विधेयक को लेकर आ रहा है और कौन इसका प्रत्यक्ष लाभार्थी हो गया। अर्थात् कभी सुश्री मायावती जी प्रदेश की मुख्य मंत्री न हों तो भी स्वयं उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक से वह प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगी। यह एक प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति एक संवैधानिक पद पर बैठ करके स्वयं प्रत्यक्ष अपने लाभ के लिए कोई विधेयक इस सदन में प्रस्तुत कर सकता है या नहीं मैं सिर्फ कह रहा हूं मेरी आपत्ति आप नोट करें फिर तो यह सदन है लोकतंत्र जो कहेगा वह होगा हम सब उसको मानेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं। गौतमबुद्ध के नाम पर यह विश्वविद्यालय बन रहा है, ठीक है अच्छी बात है। गौतमबुद्ध पैदा हुये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गौतमबुद्ध का ननिहाल है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गौतमबुद्ध ने शिक्षा दी और प्रथम 5 शिष्य बनाये पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गौतमबुद्ध का परिनिर्वाण हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यह समझ में नहीं आता कि गौतमबुद्ध के नाम पर अगर हम विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो कम से कम वहां बनाया होता जहां उनकी जन्मस्थली, सारी कर्मस्थली, जहां उनको प्रारम्भिक शिक्षा और जहां रहकर उन्होंने अपने विचारों का प्रचार-प्रसार किया। उसके स्थान पर अगर उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं तो आपको अधिकार है। अभी माननीय मंत्री जी खड़े होंगे सारी चीजों का जवाब देंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जहां इतने सारे विद्यालय नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में,

गाजियाबाद में, मेरठ में और आसपास के जिलों में कानपुर से लेकर वहां तक एक अम्बार सा लगा हुआ है, आई0टीज0, मेडिकल कालेजेज और मैनेजमेंट संस्थानों का। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश जहां शिक्षा का इतना अकाल है 6 करोड़ लोगों के बीच में आज सिर्फ गोरखपुर विश्वविद्यालय काम कर रहा है और किस प्रकार से काम कर रहा है इसको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी जानते होंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी कि जहां वास्तव में शिक्षा की जरूरत थी वहां देने की जगह पर आपने वहां देने का प्रयास किया है चूंकि वह उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित विश्वविद्यालय होगा, संभवतः इस प्रदेश के बाहर के लोग उसके लाभार्थी अधिक होंगे और सारे संसाधन हमारे उत्तर प्रदेश के लगेंगे। मेरी आपत्ति इन तकनीकी बिन्दुओं पर है, मैं इन आपत्तियों को दर्ज कराता हूं और अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आज जो संशोधन लाया गया है, उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2008, इस विश्वविद्यालय का जो मूल विधेयक है, वह 2002 में पारित हुआ था और मान्यवर, महात्मा गौतमबुद्ध उनको किसी क्षेत्र विशेष की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। भारत में जहां उन्होंने शिक्षा दिया, जहां उनका विशेष महत्व है, लेकिन दुनिया के अनेकों देश हैं, जहां पर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का काम किया गया। इसलिये जब दुनिया के तमाम देशों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का काम किया और उनको अपना आराध्य देव माना तो उनके नाम पर गौतमबुद्ध जिले में गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्ण रूप से तर्कसंगत है और उचित है। मान्यवर, इस विश्वविद्यालय में, जो माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने शंका जाहिर की कुलाधिपति, कुलाधिपति रहेगा और कुलाधिपति माननीया मुख्य मंत्री हैं। पहले भी थीं, अब भी हैं उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, कुलाधिपति की जगह पर कुछ शक्तियां जो हैं, जो उन्होंने अभी पढ़ा कि कुलपति की नियुक्ति हेतु समिति के गठन में परिवर्तन करना, कुलाधिपति के स्थान पर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कुलसचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति करना, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष को कुलाधिपति के स्थान पर व्यवस्थापक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना।

मान्यवर, हर जगह जो भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें कुलपति व्यवस्थापक बोर्ड का अध्यक्ष होता है और उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुये इसमें गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी के अध्यक्ष को कुलाधिपति के स्थान पर व्यवस्थापक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे कर्मचारियों को विनियमित किया जाना जिन्होंने समिति में अपनी नियुक्ति के दौरान संतोषजनक कार्य किया हो। मान्यवर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई आपत्ति की जा सके। लेकिन माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी हर विधेयक पर चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, अपना संशोधन जरूर रखते हैं। मान्यवर, जो मूल अधिनियम में लिखा है शिक्षा सोसाइटी का तात्पर्य गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी, लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटी उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है। लाल बहादुर शास्त्री भवन के

नाम से अगर है तो मान्यवर, आप स्वयं जान लें कि कौन होगा। मान्यवर, इस तरह से इसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है बल्कि इसके कार्य को और अधिक सुचारू रूप से संचालित करने के लिये कुलाधिपति हमेशा वहां पर उपस्थित नहीं रह सकेगा इसलिये उसके कार्य को गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी का अध्यक्ष है उसको सौंपे जाने का यह निर्णय है। इसलिये इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। प्रदेश की मुख्य मंत्री की चाहत है कि यह विश्वविद्यालय केवल भारत में ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे और इस दिशा में पहल भी की गयी है। जो इसके पहले वाइस चांसलर बने हैं उनके बारे में अग्रवाल साहब को आपत्ति नहीं होगी। मेरा माननीय अग्रवाल जी से अनुरोध है कि उनकी शंकाये पूरी तरह से निर्मूल हैं। इसलिये में चाहूँगा कि अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री. अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, यह ऐक्ट के खिलाफ है इसलिये मैं अपना संशोधन वापस नहीं लूँगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक"

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008

उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या सन् 2002 की धारा 10 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या भारतीय प्रबन्धकीय संस्थान का निदेशक (पदारूढ़ या सेवानिवृत्त);

(ग) औद्योगिक विकास आयुक्त, या यथास्थिति, प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति, जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में भी नियुक्त किया जायेगा और यदि खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का नहीं है तो इस खण्ड के अधीन नाम-निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कम से कम एक व्यक्ति अनुसूचित जाति से होगा।"

धारा 13 का संघोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"1-कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायेगी जैसी विहित की जाय।"

धारा 14 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"14-वित्त अधिकारी प्रबन्ध बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जैसी विहित की जायं या कुलाधिपति, कुलपति या कुलसचिव द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।"

धारा 17 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(क) अध्यक्ष, गौतमबुद्ध शिक्षा सोसाइटी, जो उसका अध्यक्ष होगा।"

धारा 29 का संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(1) प्रथम चरण में प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को भी जायेगी।"

धारा 38 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी जो विश्वविद्यालय के आवर्ती/अनावर्ती व्ययों को पूरा करने के लिये सामान्य निधि के नामे डाली जायेग।"

धारा 40 का संशोधन

8-"मूल अधिनियम की धारा 40 में, उपधारा (1) में खण्ड (ङ) निकाल दिया जायगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-8 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई असहमति नहीं हो सकती कि आज उच्च शिक्षा का दौर चल रहा है और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां सरकारी सेवा के माध्यम से सारे विद्यार्थियों को शिक्षित नहीं किया जा सकता। इसलिए इस समय दौर है निजी विश्वविद्यालयों के खुलने का, जो अपने संसाधन लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, अपना अनुभव लगाते हैं, अपनी सेवावृत्ति लगाते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए एक नये निजी विश्वविद्यालय के खोलने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जो बच्चे वहां पढ़ेगें वह हमारे अपने प्रदेश के होंगें। तो जो बच्चे वहां पढ़ेगें वह इसी उत्तर प्रदेश के छात्र होंगे और इन विश्वविद्यालयों के संचालन से इन बच्चों का भविष्य सीधे प्रभावित होने वाला है। आज शिक्षा का जो स्तर है, जो गुणवत्ता है, जो पाठ्यक्रम है, जिस प्रकार के शिक्षक रखे जा रहे हैं, जिस प्रकार का उनको पेमेण्ट दिया जा रहा है, जैसा शैक्षणिक अनुशासन है और जिस प्रकार से परीक्षा ली जा रही है, जिस प्रकार की डिग्रियां मिल रही हैं। उन डिग्रियों का कागज के टुकड़ों के अलावा कोई महत्व नहीं है। इस बात का महत्व जरूर है कि जब हम ऐसे विश्वविद्यालय खोलते हैं तो हम यह तय करें कि शिक्षा वह देंगे, फीस वह लेंगे, अपने शिक्षक नियुक्त करेंगे लेकिन जैसे हम पूरे प्रदेश का संचालन करते हैं वैसे ही उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके मानक के बारे में, छात्रों के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, परीक्षा के बारे में, फीस के बारे में और संसाधनों और सुविधा के बारे में, यह सब कुछ हमें नियंत्रित करने का अधिकार मिलना चाहिए। यह इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने ओपेन यूनिवर्सिटी काउंसिल पास कर दिया। आपने यहां तक कह दिया, मंत्री जी बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि कक्षा-12 के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए गुणवत्तायुक्त निजी शिक्षा मिल सके इसलिए हम ओपेन यूनिवर्सिटी काउंसिल बना रहे है। अब कक्षा-12 के छात्रों के लिए आप ओपेन यूनिवर्सिटी काउंसिल बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटीयों में न जाने क्या-क्या बनाने वाले हैं। डाक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेन्ट, आई0टी0 ढेर सारी चीजें बनाने वाले हैं तो आखिर उनकी गुणवत्ता को कौन नियंत्रित करेगा ? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जैसी काउंसिल यहां बनायी गयी है। वैसे ही आपको इस समय अब एक उच्चतर शिक्षा काउंसिल बनाकर, निजी विश्वविद्यालय कांउसिल बना करके प्रदेश में जो मशरूम की तरह विश्वविद्यालय फैल रहे हैं उनकी गुणवत्ता को भी नियंतित्र करने का प्रयास करना चाहिए। आपने यह प्रयास नहीं किया है, उन्हें खुली छूट दे रखी है, इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मिनट आपका समय चाहूंगा। मान्यवर, माननीया मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पहला विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। हमारे ही मॉडल कोड को राजस्थान ने लिया, दो-तीन और प्रदेशों ने लिया। निजी विश्वविद्यालयों को और जितना ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके दिया जाना चाहिए। मा0 अग्रवाल साहब शिक्षा में रुचि रखते हैं, उन्हें जानकारी भी है, जब तक निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा नहीं दिया जायेगा तब तक गुणवत्ता नहीं बढ़ पायेगी। हमारे अपने

विश्वविद्यालयों की क्षमता सीमित है। इसलिए अग्रवाल साहब से हमारा निवेदन है कि इसको बढ़ावा देने के लिए प्रदेश को बढ़ाने के लिए निजी विश्वविद्यालय आवश्यक है। मान्यवर, इन विश्वविद्यालयों और इंस्टीट्यूट से 900 करोड़ रुपया अपने प्रदेश में बचा जो कर्नाटक जाता था, महाराष्ट्र जाता था, गुजरात जाता था। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-51 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008

सुभारती के0के0बी0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मेरठ द्वारा प्रायोजित उत्तर प्रदेश में एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित और उसको निगमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

परिभाषायें

2-जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है;

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(ग) "कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;

(घ) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ङ) "निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य संस्था, महाविद्यालय, विद्यालय, पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन के विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित है;

(छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;

(ज) "कार्य परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् से है;

(झ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ञ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के निवास से है;

(ट) "संस्था" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित किसी शैक्षणिक संस्था से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ड) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(ढ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में दर्ज किसी छात्र से है ;

(त) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह-आचार्य/उपाचार्य, सहायक आचार्य/प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय में शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाए ;

(थ) 'कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "उप कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियंत्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या 'कुलानुशासक" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(द) "ट्रस्ट" का तात्पर्य सुभारती के.के.बी. चैरिटेबिल ट्रस्ट से है, जो दिनांक 15–03–1991 को स्थापित, दिनांक 29–01–2005 को संशोधित तथा दिनांक 21–05–2005 को सब–रजिस्ट्रार कार्यालय, मेरठ में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अधीन पंजीकृत हुआ है;

(ध) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन ट्रस्ट द्वारा स्थापित स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से है।

विश्वविद्यालय की स्थापना

3. (1) मेरठ, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4. ट्रस्ट जो प्रयोजक संस्था है इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा:–

(क) न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये होगा;

(ग) खण्ड (ख) में उल्लिखित भवन में न्यूनतम पाँच करोड़ रुपये मूल्य के उपस्कर कार्यालय में एवं प्रयोगशालाएं संस्थापित करना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजन के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेश बनाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पूरी किये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय।

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5. (1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का संचालन प्रारम्भ करने के लिए ट्रस्ट को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा;

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के अभिलेख सहित कि धारा 4 में उल्लिखित सभी शर्तें पूरी कर ली गयी हैं, सम्बन्धित प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ही प्राधिकार–पत्र जारी करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6. विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझे, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना होगा और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान करने का भरसक प्रयास करेगा:–

(क) शिक्षा में नवीनता की प्रोन्नति करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) शिक्षा के विभिन्न शाखाओं में अध्ययन की प्रोन्नति करना;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन की व्यवस्था करना;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता की अन्तः क्रिया।

विश्वविद्यालय की शक्तियां

7. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिये तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, प्रबन्धन, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा इतिहास, संस्कृति, दर्शन, कला इत्यादि पाठ्यक्रमों का संस्थागत केन्द्रों या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यमों से, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय–समय पर अनुमोदित किया जाए, शिक्षा प्रदान और उनकी प्रोन्नति करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ड.) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को शिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्राध्यापक पद और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिए नियुक्तियां करना;

(ज) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियां करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे विद्यालयों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रावासों/आवासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय घोषित करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों की मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) छात्राओं के सम्बन्ध में ऐसी विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और इसका पालन कराना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था करना;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का जिसके अन्तर्गत न्यास और बन्दोबस्ती सम्पत्तियां भी हैं, अर्जन, धारण, प्रबंध और निपटारा करना;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए ट्रस्ट के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के आडमान के रूप में उधार लेना या बन्धक रखना;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों परामर्शियों, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) ऐसे समस्त अन्य कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों और जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद से अनुमोदित हों;

प्रवेश और मानक

8. (1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यकमों के शैक्षिक मानक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय उपचारिका परिषद् इत्यादि के दिशा निर्देशों के अनुसार हो।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

9. विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंष, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

आरक्षण

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अन्य अधिकारी होंगे:–

(क) कुलाधिपति

(ख) कुलपति

(ग) प्रति–कुलपति

(घ) संस्था का प्राचार्य या प्रधान

(ड.) कुलसचिव

(च) संकाय का संकायाध्यक्ष

(छ) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष

(ज) परीक्षा नियंत्रक

(झ) मुख्य कुलानुशासक

(ञ) वित्त अधिकारी और

(ट) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

11. (1) किसी ख्याति प्राप्त व्यक्ति को ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा कुलाधिपति के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुलाधिपति, ट्रस्ट को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

(3) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अन्तरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(4) कुलाधिपति, यदि उपस्थित है, तो डिग्रियां प्रदत्त करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा।

कुलपति

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जाएगी जैसा कि विहित की जाए।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी और विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् ओर विद्या परिषद् का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी के प्रदत् किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस अधिकारी को अवगत करायेगा :

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत्, किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, यह अधिकार होगा कि वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील करे। कुलाधिपति कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

13. (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेंगे।

प्राचार्य

14. संस्था के प्राचार्य या प्रमुख की नियुक्ति ऐसी रीति से होगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जो विहित किया जाय।

कुलसचिव

15. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी जैसी विहित की जाए।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी की वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करे और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करे और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायों के संकायाध्यक्ष

16. प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

वित्त अधिकारी

17. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाए।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

18. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किये जायं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे :–

(क) कोर्ट

(ख) कार्य परिषद्

(ग) विद्या परिषद्

(घ) वित्त समिति

(ङ) नियोजन बोर्ड

(च) संकाय बोर्ड

(छ) प्रवेश समिति

(ज) परीक्षा समिति और

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों के प्राधिकारी घोषित किए जायं।

कोर्ट

20.(1) कोर्ट का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसा विहित की जाए।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्य–प्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर विचार करना और संकल्प पारित करना और ऐसे लेखों पर सम्परीक्षा रिपोर्ट तैयार करना;

(ग) विभिन्न परिषदों या सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा निजी निकायों के लिए, जहां यथाविहित अवधि के लिए विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु भेजने की आवश्यकता हो, सदस्यों को नामित करना;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जो विहित किया जाए।

कार्यपरिषद्

21. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किए जाएं।

विद्या परिषद्

22. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उनकी शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

23. (1) वित्त समिति वित्तीय विश्वविद्यालय की वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

नियोजन बोर्ड

24. (1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग [illegible] अन्य संबंधित परिषदों के मानकों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदा[illegible] इसकी अन्य शक्तियां और कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

[illegible]काय और विश्वविद्यालय के [illegible]धिकारी

25–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकारी के, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाए, गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएँ।

प[illegible]मों को बनाने की शक्ति

26–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन से परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और अन्य निकायों, जिनका समय-समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य।

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरंतरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो।

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियाँ।

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियाँ।

(ङ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना के लिए जिम्मा लेने के लिये एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक कार्यवाहियां।

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को निर्धारित करने वाला सिद्धान्त।

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया।

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् में अपील करने की प्रक्रिया।

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना।

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना।

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना।

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनका समाप्त किया जाना।

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन और

(त) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हों या विहित किए जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनवायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति विश्वविद्यालय को अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सन्दर्भ में परिनियमों में उपबन्ध करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के नब्बे दिनों के भीतर लागू करने में असमर्थ रहे तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए कार्य परिषद् द्वारा संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् परिनियमों को उपयुक्त रूप में बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

27—अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियम/अध्यादेश कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कार्य परिषद् द्वारा बनाए जाएंगे जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण विधि और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक प्रविष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किए जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किए जाने वाले माध्यम;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्रों की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य हैं ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की परिस्थितियां;

(झ) महिला छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डो, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझी जाए, के सृजन, संरचना और कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों;

वार्षिक रिपोर्ट

28–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् कोर्ट को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा विहित किया जाएगा और कोर्ट अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) कोर्ट अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

29–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किए जायेंगे और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, कराई जाएगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की प्रति कार्य परिषद् के पर्यवेक्षणों सहित कोर्ट और कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

(3)वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा किए गए पर्यवेक्षणों को कार्य परिषद् के संज्ञान में लाया जाएगा और कार्य परिषद् द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के पश्चात् पर्यवेक्षण, यदि कोई हों, कुलाधिपति को प्रस्तुत किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

30–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा/काम पर लगाया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को निर्दिष्ट किया जाएगा जो अपने निर्देश के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कार्य परिषद् के आदेश के विरुद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत् किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा किया जाएगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किए गए मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

31–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम, यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेशों या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को अपील कर सकता है जो यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या पलट सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अन्तिम होगा।

कल्याणकारी योजना

32–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ, के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा निश्चित किया जाए।

प्राधिकरण निगमों निकायों के गठन के बारे में विवाद

33. यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से नामित या नियुक्त किया गया है या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

34. जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो वहाँ ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझें होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

35. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुयी सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था, ऐसी अवधि के लिए जिसका प्रावधान उपयुक्त धारा में किया गया हो, भरा जाएगा।

कार्यवाही की अविधिमान्यता

36. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को प्रमाणित करने की रीति

37.विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार को साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा।

परिनियमों और अध्यादेशों का प्रकाशन

38.(1)इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

39.(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

40.(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) सभी शुल्क, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाए।

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि।

(ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिए किया जाएगा।

विकास निधि

41. (1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जाएगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क जिसे छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है।

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि।

(ग) ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी अंशदान।

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किए गये सभी अंशदान।

(ड.) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जाएगा।

निधि का अनुरक्षण

42. धारा 39, 40 एवं 41 के अधीन स्थापित निधियों को कोर्ट के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जाएगा जैसी विहित की जाए।

वित्तीय शर्तें

43. विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

44. विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचनाओं और अभिलेखों को मंगाने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

45. (1)विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्य कलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि यह समझती है कि इस अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है तो वह विश्वविद्यालय की धारा 49 के अधीन ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे।

विश्वविद्यालय का विघटन

46. (1)विश्वविद्यालय राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय को व्यय

47.(1) धारा 46 के अधीन उसे प्रबन्धन करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जाएगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रबंधन को ग्रहण करने के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों को निस्तारण करके किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

48. (1) राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय को शिकायत की मूलप्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो उचित समझे किन्तु जो छः मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाए।

(2) यदि उपधारा (1) अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के अभिकथन की जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का और विशिष्टत : निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात्:–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना,

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना,

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना,

(घ) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाए।

(5) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है तो वह विश्वविद्यालय को यह निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करे और इस अधिनियम के उपबंधों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दे।

(6) यदि यह अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने निरन्तर तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जाएगी।

नीति विषयक मामलों में राज्य सरकार का निर्देश देने का अधिकार

49. राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीति विषयक निर्देष जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर सम्पत्तियां/उत्तरदायित्व की स्थिति

50. अधिनियमों में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त आस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित हैं तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी प्रस्तावित न्यास से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

51. (1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जहाँ तक संस्थाओं का प्रबन्ध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह परिष्कार, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जाएगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-51 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2008 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

डॉ0 राधामोहनदास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मा0 लक्ष्मी नारायण जी समय चाहते हैं कल की तैयारी के लिए इसलिए मैं मा0 अम्बिका चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि मेरी ओर से इन मुद्दों को आप रखें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप जब विचारार्थ रखेंगे तो मैं जरूर अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी विचार तो आया ही नहीं। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, संशोधन हमारा वापस हो गया, संशोधन वापस होने के बाद मा0 मंत्री जी इस पर विचार के लिए एक शब्द, एक वाक्य कुछ बतायेंगे। अगर संशोधन नहीं भी हो तब भी विचारार्थ आयेगा तो मंत्री जी इस पर बतायेंगे या ऐसे ही पास कर देंगें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पारित किये जाने का प्रस्ताव हो जाये तो उसमें अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। मान्यवर, विचार का प्रस्ताव तो पास हो चुका है। अब पारित करने का प्रस्ताव किया जाय। खण्डशः भी हो चुका है।

अम्बिका चौधरी-

अभी खण्डशः विचार नहीं हुआ है। साढ़े 6 बजे हैं और मंत्री जी आबकारी मंत्री के पास बैठे हैं यह उसी का असर है।

*श्री राकेशधर त्रिपाठी-

अध्यक्ष जी दो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं अम्बिका चौधरी को इस बात के लिए माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम नहीं बदला गया जबकि उनकी सरकार में यह परम्परा रही है कि पुराने महापुरुषों और विद्वानों के नाम पर जो चीजें होती थी उनको बदल दिया जाता था। मुख्य मंत्री जी ने इसका नाम जस का तस रखा। इसमें एक परिवर्तन यह किया गया कि विधि विश्वविद्यालय में चेयरमैन की जगह चेयर परसन नाम परिवर्तित किया। इसके अध्यक्ष पहले से मुख्य मंत्री ही रहे है। दूसरा इसमें कार्य परिषद् में विधि के न्याय के जो जानकार लोग हैं प्रख्यात विद्वान हो इन दो लोगों को नामित करने के लिए बोर्ड में संशोधन किया जा रहा है ताकि उनको नामित किया जाय। इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ी कि इसकी बैठक करने के लिए जब भी बुलाया जाय भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश आते रहते हैं। इसके महत्व को बनाए रखने के लिए सरकार ने संशोधन किया है। एक और महत्वपूर्ण बात है पिछले दिनों जो 10 विधि विश्वविद्यालय इस देश में महत्वपूर्ण रहे हैं उनमें इसका भी नामांकन हो गया है। परीक्षा कराते हैं ताकि उसकी परदर्शिता बनी रहे। इसलिए भी गवर्निंग बोर्ड को सुचारु रूप से संगठित करने के लिए इसको बनाया गया है। हम अम्बिका चौधरी से अपील करते है कि वह संशोधन पर बल न दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय मंत्री जी ने इस बात की कृपा की कि उन्होंने इसका नाम नहीं बदला वरना बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो हर चीज को रौंदते हुए चलती है। इनकी अनुकम्पा है कि इन्होंने इसे नहीं बदला। इन्होंने चेयरमैन की जगह चेयर परसन कर दिया तो यह मैन व वूमेन के बीच विरोध करने का सवाल नहीं है। दूसरे दो लोगों को जो नामित करने की बात है इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी मंशा साफ नहीं है इसमें इसके पहले से ही इमीनेंट लोग मौजूद हैं लेकिन संशोधन करके दो नाम जोड़ना चाहते है यह मंशा संदेह में डालती है इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

विचार तो इस पर पहले ही हो चुका है। हम खण्डशः विचार करते हैं।

खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश धिनियम संख्या 8 सन् 2005 का सामान्य संशोधन

2-डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'चेयर मैन' और 'निदेशक' जहां कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत पार्श्व शीर्षक भी है, के स्थान पर क्रमशः शब्द ''अध्यक्ष (चेयर परसन)'' 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।

धारा 9 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में,-

(क) शीर्षक ''नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति'' के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (दो) तथा खण्ड (तीन) निकाल दिये जायेंगे ;

(ख) शीर्षक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (चार) तथा खण्ड (छः) में शब्द ''राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट'' के स्थान पर शब्द ''महापरिषद् के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट'' रख दिये जायेंगे।

धारा 12क का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (5) में, शब्द ''महापरिषद् को आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए'' के स्थान पर शब्द ''महापरिषद्'' की आगामो बैठक के समक्ष'' रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (1) में,-

(क) खण्ड (सात) तथा खण्ड (आठ) में शब्द ''राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट'' के स्थान पर शब्द ''महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट'' रख दिये जायेंगे:

(ख) खण्ड (नौ) में, शब्द ''पूर्ण कालिक आचार्य'' के स्थान पर शब्द ''वरिष्ठ आचार्य'' रख दिये जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन—

6-मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात् :—

"(3) यदि कार्य परिषद् द्वारा आपात आवश्यक जाय, तो अध्यक्ष, महापरिषद् के सदस्यों कारोबार संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा देता है, उपधारा के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि कार्य परिषद् के कुल सदस्यों के तिहाई द्वारा आपत्ति नहीं की जाती और प्रकरण कार्य परिषद् के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।"

21 का संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में खण्ड दो में शब्द "महापरिषद् के परामर्श से अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष महापरिषद् रख दिये जायेंगे।

27 का संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 27 में,-

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्,-

"(1क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी महापरिषद के अध्यक्ष यदि सन्तुष्ट हों, तो पद पर कार्यरत कुलपति को चार वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के पश्चात् पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए सेवा विस्तार प्रदान कर सकेगा तथा प्रकरण महापरिषद् के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) में खण्ड (दो) में शब्द "महापरिषद् द्वारा नाम-निर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष (चेयर पुरसन), महापरिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (3) में,-

(क) शब्द "और कुलाध्यक्ष आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है" के स्थान पर शब्द "और कुलाध्यक्ष के आदेश द्वारा निर्देश देगा" रख दिये जायेंगे, और

(ख) शब्द "जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "जैसा कि उस आदेश में कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय" रख दिये जायेंगे।

धारा 43 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 43 में-

(क) उपधारा (2) में शब्द "छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड" के स्थान पर शब्द "छात्र का विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :--

"(3) यदि कोई छात्र कार्य परिषद् के आदेश से व्यथित हो, तो वह छात्र कार्य परिषद् द्वारा निर्गत ऐसे दण्ड के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन की अवधि के भीतर अध्यक्ष, महापरिषद् को अपील कर सकता है।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-10 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

श्री. अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2008 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करें ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में हम एक अलोकतांत्रिक काम करने जा रहे हैं जो काम हम लोगों का होता है जो काम शिक्षाविदों का होता है, जो काम डाक्टरों का होता है वह काम हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपने जा रहे हैं। मैं किसी मेडिकल कालेज के बारे में नहीं जानता हूं जिसकी कार्य समिति में कार्य परिषद् में इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों की घुसपैठ कर डाली गई हो। माननीय सदस्यों को जानना चाहिए। आप लोगों में से बहुत से सदस्यों ने जाना भी नहीं होगा। इसमें कार्य परिषद् होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। क-कुलपति ठीक बात है। ख-प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन। प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। ग-प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन। प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन और फिर जो सदस्य नामित किये जायेंगे उन्हें भी राज्य सरकार गजट के द्वारा अधिसूचित करेगी। उन सदस्यों को नामित करने की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया।

मेरी जानकारी में यह पहला मेडिकल कालेज है सम्भवतः पहला विश्वविद्यालय होगा क्योंकि अभी हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का अधिनियम पारित किया। उसमें भी हम लोगों ने देखा। अभी हमने लॉ फैकिल्टी का पारित किया जिसमें राम मनोहर लोहिया में तो दो लोक सभा के सदस्यों और दो विधान सभा के सदस्यों का प्राविधान था। आपने उसे हटा लिया। हम लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। शिक्षा संस्थाओं में यदि शिक्षाविद् रहते हैं तो एक अच्छी बात है। आपको यदि याद हो जब बहस हो रही थी हम लोग उस पार बैठे हुए थे हम लोगों ने इन प्राविधानों का विरोध किया था और कहा था कि इस प्रकार के विश्वविद्यालयों में राजनैतिक लोगों को नहीं भेजना चाहिए। आपने राजनैतिक लोगों को लॉ विश्वविद्यालय से हटाया तो यह समझ में आया। छत्रपति शाहू जी जैसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय में जो इस पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र माना जाता है लखनऊ मेडिकल कालेज के रूप में उसी में आपने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को घुसेड़ दिया। आने वाले समय में इस मेडिकल कालेज का भगवान ही मालिक होगा। इस प्रकार से शिक्षा में प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रशासनिक अधिकारियों का कब्जा किसी प्रकार से वांछनीय नहीं हो सकता है। मैं इस सरकार से कहूंगा छोटी-छोटी नीतियां हम लोग बनाते हैं। यह किसी ने कहा है ना कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है।

यह जो इस प्रकार का काम आप करने जा रहे हैं इन अधिकारियों को इन विश्वविद्यायों से। आपको करना तो यह चाहिए था बहुत दिनों से मांग हो रही है कि छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय के साथ प्रदेश के सारे मेडिकल कालेज सम्बद्ध कर दिये जायं। और उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही इन सारे मेडिकल कालेजों की पढ़ाई को, शिक्षा को, पाठ्यक्रम को, डिग्री को सब कुछ नियंत्रित कर दिया जाय। करना तो आपको यह चाहिए था और करने की जगह पर आपने इसमें अधिकारियों की घुसपैठ कर दी। यह तो देखिये लकड़ी के घोड़े से घुसे हैं। वो जो ट्राय की लड़ाई है याद करिये लकड़ी के घोड़े में सिपाही जाते हैं। चार अधिकारी अब घुस गये इसमें इस

माध्यम से अब इसके बाद इस पूरे संस्थान का अधिकारीकरण हो जायेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ एक बहुत बड़ा विरोध होने जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं और अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने यह तर्क दिया कि इसमें अधिकारियों को किया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय और एनिमल हस्बेंड्री विश्वविद्यालय तीन और टेक्नीकल विश्वविद्यालय हैं। उन टेक्नीकल विश्वविद्यालय में भी जो कार्य परिषद् है उसमें उच्च शिक्षा उस विभाग के प्रमुख सचिव और साथ ही साथ वित्त विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होते हैं। साथ ही साथ अन्य लोगों के नॉमीनेशन का भी प्राविधान है। माननीय डा0 राधामोहन दास जी ने जो पढ़ा उसके आगे का नहीं पढ़ा। इसमें जो है 6 प्रोफेसर नामित किये जायेंगे। अब सुन लीजिये। मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ। आप भी बीच में न खड़े होइये। यह अच्छी बात नहीं है। संकायों के अध्यक्ष वो शिक्षविद् ही होंगें 6 प्रोफेसर भी शिक्षाविद् ही होंगें उसके बाद एम0सी0आई0 का जो है भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि। भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि वह भी शिक्षाविद् ही होगा चिकित्सा शिक्षाविद् ही होगा। मान्यवर, इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने की नीयत से प्रदेश सरकार अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इन विश्वविद्यालयों में जो टेक्नीकल विश्वविद्यालय हैं उनमें देती है। उसको अच्छे ढंग से कार्य संचालन हो उनमें वित्तीय कर्मी महसूस न होने पावे। वित्तीय कर्मी को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया गया हैं। मैं चाहूंगा कि मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी इस तथ्य को समझें टेक्निकल विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय में पैसे की जरूरत है, मेडिकल यूनीवर्सिटी में विशेषकर पैसे की बहुत जरूरत है। अगर यह रखा गया है तो उसमें जो कमियां होंगी उसको पूरा करने में सहयोग मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

यह परमानेंट कार्यपरिषद् को लाया जा रहा है। तो यह संशोधन वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ले रहे हैं ?

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2002 की धारा 8 का लोप धारा 24 का संशोधन

2-छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 8 को निकाल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-3

3-मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी अर्थात् :--

"(1) कार्यपरिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(एक) पदेन सदस्य-

(क) कुलपति ;

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ;

(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;

(च) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ;

(छ) संकायों के अध्यक्ष।

(दो) अन्य सदस्य-

(क) राज्य सरकार द्वारा छः सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें से दो सदस्य संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ से और छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय तथा दन्त संकाय से प्रत्येक से दो सदस्य नामित किये जायेंगे उक्त संस्थान या संकाय से प्रत्येक से उक्त सदस्यों में से प्रत्येक से एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग का होगा ;

(ख) दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे, जो क्रमशः निम्न क्षेत्रों के होंगे:--

(1) एक ख्याति प्राप्त चिकित्सा वैज्ञानिक ;

(2) एक सामाजिक कार्यकर्ता ;

(ग) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि ;

(घ) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का एक प्रतिनिधि ;

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

श्री अनिल कुमार मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 के खण्ड-3 पर संशोधनों का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में उपखण्ड (क) के आरम्भ में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा संस्तुत की गयी नामिका में से महामहिम राज्यपाल द्वारा" रख दिये जायें।

खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) को निकाल दिया जाय।

खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) को क्रमशः उपखण्ड (ख) एवं (ग) रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) में उपखण्ड (क) के आरम्भ में शब्द "राज्य सरकार द्वारा" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा संस्तुत की गयी नामिका में से महामहिम राज्पाल द्वारा" रख दिये जायें। खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ख) को निकाल दिया जाय।

खण्ड-3 के उपखण्ड (क) द्वारा प्रतिस्थापित की जाने वाली मूल अधिनियम की धारा-24 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के उपखण्ड (ग) एवं (घ) को क्रमशः उपखण्ड (ख) एवं (ग) रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-4, खण्ड-5, प्रस्तावना व शीर्षक

4-(क) कुलपति कार्यपरिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यपरिषद् के सदस्यों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित किया जायेगा।

(ग) सदस्यगण विश्वविद्यालय के बजट में से समय-समय पर दैनिक भत्ता एवं यात्रा व्यय प्राप्त करने के हकदार होंगे।"

धारा 25 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 25 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"(1) कार्यपरिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यपरिषद् की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :--

(क) कुलपति द्वारा प्रस्तुत और वित्त समिति द्वारा यथा संस्तुत बजट को अनुमोदित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के शैक्षिक और प्रशासनिक कार्मचारी वर्ग को विहित रीति से नियुक्त करना ;

(ग) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधि को धारण करना और उसका नियंत्रण करना और इस निमित्त कोई सामान्य निर्देश जारी करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी स्थावर या जंगम सम्पत्ति के अन्तरण को स्वीकार करना ;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निवर्तन पर रखी गयी किसी निधि की व्यवस्था करना ;

(च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित धन का विनिधान करना ;

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर का रूप और प्रयोग निर्देशित करना ;

(ज) ऐसी समितियों, चाहे स्थायी या अस्थायी हो, को नियुक्त करना जैसी कि उसके उचित संचालन के लिए आवश्यक समझी जाय,

(झ) पूंजी सम्बन्धी सुधारों के लिए धन को उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय की समुचित व्यवस्था करना ;

(ञ) ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर बैठक करना जैसा यह आवश्यक समझे परन्तु फिर भी यह प्रत्येक दो मास में कम से कम एक नियमित बैठक करेगी, और परन्तु यह और कि इसकी नियमित बैठकों में से कम से कम आधी बैठकें विश्वविद्यालय में की जायेगी ; और

(ट) इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों को विनियमित व अवधारित करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसी उसे इस अधिनियम और परिनिमावली द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित की जाय ;"

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

एतद्द्वारा भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-4, खण्ड-5 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 20 अगस्त, 2008 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनाएं प्राप्त हुईं। स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज में अधूरी पड़ी ग्रामीण पेयजल समूह योजनाओं का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री प्रदीप माथुर की यू0पी0 डेस्को में कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग के अनुसार वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में है तथा

तीसरी सूचना श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झांसी में न्यूरो सर्जन एवं न्यूरोलाजिस्ट न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है सूचना वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना डा0 अजय तोमर की प्रदेश में जननी मातृ योजना के अन्तर्गत उच्चीकृत एवं प्राथमिक चिकित्सालयों पर आयुर्वेद स्नातक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवी सूचना श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर शहर के मूलगंज चौराहे से बांसमण्डी तक दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण किये जाने के सम्बन्ध में है तथा

छठी सूचना श्री राम बिशुन आजाद की जनपद गोण्डा के मनकापुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में 30 बेड का महिला चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री सुन्दरलाल लोधी की जनपद उन्नाव स्थित जे0 एस0 इण्टरनेशनल फैक्ट्री द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के ग्रामवासियों द्वारा तहसील दिवस पर प्रार्थना-पत्र दिये जाने के बाद भी कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है।

नौवीं सूचना श्री अनूप कुमार गुप्ता की सीतापुर से लखनऊ तक बनने वाली फोर लेन की सड़क पर बने गड्ढ़ों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी व श्री सुरेन्द्र पटेल की जनपद वाराणसी में मौलाना अब्दुल मतीन मदनी को पुलिस द्वारा जबरन अगवा किये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर के ग्राम बहोड़पुर स्थित मदरसे की दीवार को गिराने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री आर0ए0 उस्मानी की प्रदेश के स्नातक छात्र-छात्राओं को बी0एड0 में प्रवेश लेने हेतु प्रवेश परीक्षा का नोटीफिकेशन न किये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की जनपद कुशीनगर के नौरंगिया स्थित नव-निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का उल्लंघन करते हुए महिला कल्याण विभाग में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक को जनसूचना संबंधी कार्य दिये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सोलहवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड ऊन के अन्तर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सत्तरहवीं सूचना श्री माधो पासवान की जनपद गोरखपुर के मुण्डेरा बाजार स्थित बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री न मिलने के सम्बन्ध में है।

अट्ठारहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली स्थित मूसाखाड़ सिंचाई विभाग खण्ड की जर्जर नहरों का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

उन्नीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की लखनऊ के पार्क रोड स्थित जर्जर आवास संख्या-सी- 11 की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है,

बीसवीं सूचना श्री दशरथ प्रसाद चौहान की जनपद संतकबीरनगर के हैसर बाजार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता राशि उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में है।

इक्कीसवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद स्थित गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर बसे पूठ ग्राम स्थित कच्चे घाट को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा

बाइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में अधूरी पड़ी ग्रामीण पेयजल समूह योजना का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाना है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुईं :--

श्री आदित्य पाण्डेय, श्री कुबेर सिंह, श्री अब्दुल समद अंसारी, श्री दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मदन भैया, चौ0 धूराम लोधी, श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, डा0 कौशल किशोर, श्री भगवत शरण गंगवार, श्री जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल, श्री अनुग्रहनारायण सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री अनूप सण्डा, श्री जमीरउल्लाह खां, श्री इमरान मसूद, श्री संजय कपूर, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री लाल जी यादव, श्री राम सेवक, श्री जोखूलाल यादव, श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, डा0 अनिल चौधरी, श्री दुर्गाप्रसाद यादव, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री विद्यासागर गुप्ता, श्री लल्लू सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती कृष्णाराज, श्री महेशचन्द्र गुप्ता, श्री अशोक कंसल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बैजनाथ दुबे, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री रोशन लाल वर्मा।

जनपद सहारनपुर की तहसील नकुड़ एवं गंगोह में हवाई पट्टी स्थापित करने हेतु किसानों की जमीनों के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[श्री हुकुम सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 18-08-2008 को दी गयी सूचना जिसमें उल्लेख किया गया है कि जनपद सहारनपुर की तहसील

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नकुड़ एवं गंगोह के कुछ गांवों की कृषि भूमि का सर्वे हवाई अड्डा स्थापित कराने हेतु कराया गया है। प्रस्तावित हवाई अड्डे का निर्माण होता है तो लगभग 22 गांव प्रभावित होंगे तथा हजारों कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की जायेगी। जिसके परिणामस्वरूप सहारनपुर के ग्रामीण अंचल के लाखों कृषक बेरोजगार एवं बेसहारा हो जायेगें। उक्त प्रस्तावित अधिग्रहण के विरोध में कृषकों द्वारा आन्दोलन शुरू हो गया है। प्रति दिन पंचायतें हो रही है। कई कृषक नौजवानों ने पंचायत में खड़े होकर खुलेआम ऐलान किया है कि यदि उनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी तो वे आत्मदाह कर लेंगे।

जनपद सहारनपुर में किसी भी हवाई अड्डे की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व से ही सरसावां में एक हवाई अड्डे स्थित है जिसका उपयोग सभी सरकारी अधिकारी एवं विशिष्ट व्यक्ति करते हैं। यदि सरकार की ओर से अविलम्ब यह घोषणा नहीं की गयी कि सहारनपुर में कोई हवाई अड्डा बनने वाला नहीं है तो किसी भी दिन आन्दोलन शुरू हो जाएगा जो उग्र रूप भी ले सकता है तथा समस्त जनपद हिंसा की चपेट में आ सकता है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर का तहसील नकुड़ एवं गंगोह में हवाई पट्टी स्थापित करने हेतु किसानों की जमीन अधिग्रहण किये जाने का कोई प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः ग्रामीण अंचल के लाखों कृषकों के बेरोजगार एवं बेसहारा होने का प्रश्न नहीं उठता।]

जनपद कुशीनगर की सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री शम्भू चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री दे दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[मा0 सदस्य ने अपनी सूचना में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई खड्डा एवं लक्ष्मीगंज चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की मांग की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 से प्राप्त सूचनानुसार निगम की खड्डा एवं लक्ष्मीगंज चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2007-08 के गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है:--

खड्डा चीनी मिल इकाई-

खड्डा मिल द्वारा कुल 19.90 लाख कु0 गन्ना क्रय किया गया जिसका कुल मूल्य रु0 2459.95 लाख गन्ना मूल्य देय हुआ जिसके सापेक्ष 569.92 लाख का भुगतान अब तक किया जा चुका है एवं रु0 1890.03 लाख भुगतान किया जाना अवशेष है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लक्ष्मीगंज चीनी मिल इकाई-

लक्ष्मीगंज मिल द्वारा कुल 4.79 लाख कु0 गन्ना क्रय किया गया जिसका कुल रु0 598.75 लाख गन्ना मूल्य देय हुआ जिसके सापेक्ष रु0 120.00 लाख का भुगतान अब तक किया गया है एवं रु0 448.75 लाख भुगतान किया जाना अवशेष है।

वर्तमान में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब है फिर भी प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम द्वारा शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान आगामी पेराई सत्र 2008-09 के प्रारम्भ होने से पूर्व कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद सहारनपुर की सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री इमरान मसूद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जनपद सहारनपुर की निगम, सहकारी एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2007-08 में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :--

(धनराशि लाख रुपयों में)

(राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के आधार पर)

क्रमांक	चीनी मिल का नाम	कुल देय	कुल भुगतान	अवशेष धनराशि	भुगतान प्रतिशत
1	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0, सहारनपुर	3939.30	999.02	2940.28	25.36
2	किसान सहकारी चीनी मिल, सरसांवा	4718.44	3776.32	992.12	78.97
3	किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता	8924.23	5862.92	3061.31	65.70
4	दया शुगर मिल, गागलहेड़ी	3374.86	3100.90	473.96	86.74
5	शाकुम्बरी शुगर एण्ड इण्डस्ट्री लि0, टोडरपुर	5158.69	4477.23	681.46	86.79
6	बजाज हिन्दुस्तान लि0, गांगनौली	8082.59	6984.56	1098.03	86.41

प्रदेश सरकार द्वारा पेराई सत्र 2007-08 हेतु दिनांक 30-10-2007 को अधिसूचना जारी करते हुए अगैती प्रजाति हेतु रु0 130/- प्रति कुन्टल, सामान्य प्रजाति हेतु रु0 125/- प्रति कुन्टल तथा अनुप्रयुक्त प्रजाति हेतु रु0 122.50 प्रति कुन्टल गन्ना मूल्य निर्धारित किया गया था। निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिकायें योजित की गयीं। मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अपने अन्तरिम निर्णय दिनांक 15-11-2007 द्वारा रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से अग्रिम भुगतान किये जाने के निर्देश चीनी मिलों को दिये। तद्नुसासर निजी क्षेत्र की चीनी मिलों गागलहेड़ी, टोडरपुर एवं गांगनौली द्वारा रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से शत प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। उ0प्र0 सरकार द्वारा रु0 110/- प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान करने विषयक मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-11-2007 के प्रतिवाद हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी।

पेराई सत्र 2007-08 के गन्ना मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ द्वारा 07-07-2008 को यह निर्णय पारित किया कि चीनी मिले राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के आधार पर पेराई सत्र 2007-08 के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान दो माह में सुनिश्चित करें। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को निजी चीनी मिलों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 के माध्यम से चुनौती दी गयी है, जिसका प्रतिवाद किया जा रहा है। इसी सत्र के राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दायर एक अन्य रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 18-08-2008 को आदेश पारित कर राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य पर रोक लगाते हुए भारत सरकार द्वारा निर्धारित साविधिक न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर से भुगतान के आदेश चीनी मिलों को दिये हैं। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने की कार्यवाही की जा रही है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में गन्ना मूल्य भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी। सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है तथा गन्ना किसानों को लाभकारी गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए कृतसंकल्प है।]

भारत रत्न शहनाई के जादूगर उस्ताद विस्मिल्ला खां का मकबरा वाराणसी में फातमान में बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[उपर्युक्त सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भारत रत्न मरहूम विस्मिल्ला खां, शाहनाई वादक की याद में फातमान स्थित कब्रिस्तान में मकबरे के निर्माण की एक योजना धनांक रुपया 9,68,196/- की बनाई गयी थी। नगर निगम, वाराणसी के पास उक्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अवस्थापना निधि से धन प्राप्त होने की प्रत्याशा में आगणन की स्वीकृति दिनांक 15-07-2007 को नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ज्येष्ठ वक्फ निरीक्षक की आख्या दिनांक 24-09-2007 के अनुसार उक्त वक्फ संख्या-458 खसरा नं0 658 मकबरा हयातुलिसा बीबी मस्जिद व हुजरा सुन्नी वक्फ बोर्ड में दिनांक 08-01-82 पर पंजीकृत है। साथ ही उक्त सम्पत्ति शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ में पंजीकृत होना कहा गया है, किन्तु पंजीकरण सम्बन्धी कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रश्नगत वक्फ सम्पत्ति पर भारत रत्न विस्मिल्ला खां का मकबरा का निर्माण प्रस्तावित है। वक्फ अधिनियम की धारा-51 के अनुसार वक्फ बोर्ड की अनुमति के बगैर निर्माण नहीं कराया जा सकता।]

जनपद सिद्धार्थनगर के बासी में बाढ़ से प्रभावित लोगों को सहायता आदि न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लाल जी यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से प्राप्त आख्या के अनुसार जनपद की पांच तहसीलों तथा 696 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए तथा 45604 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 20 कि0ग्राम चावल के हिसाब से कुल 9120.80 कुन्तल चावल, 02 लीटर मिट्टी का तेल प्रति परिवार के हिसाब से 91208 लीटर मिट्टी का तेल, 456 कुन्तल नमक, 91208 अद्द दियासलाई, 700 अद्द त्रिपाल, 200 अद्द हाइजिनकिट, 250 अद्द मच्छरदानी, 900 अद्द जरीकेन राहत सामग्री उपलब्ध करायी गयी है। 42 चिकित्सीय टीमें गठित कर 10540 मरीजों का उपचार किया जा चुका है। 5443 ओ0आर0एस0 टेबलेट, 1,03,620 अद्द क्लोरीन टेबलेट तथा 21584 अद्द चिकित्सीय औषधि टेबलेट वितरित की जा चुकी है। बाढ़ से प्रभावित 2266 पशुओं को उपचारित किया जा चुका है तथा 17747 पशुओं को टीकाकृत किया जा चुका है। दैवी आपदा में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में मृत 26 व्यक्तियों के परिवारों को 26.00 लाख की सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। किसी ग्राम में महामारी या पशुओं की बीमारी फैलने की सूचना नहीं है तथा कोई भी परिवार खुले मैदान में नहीं है।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम माहुल में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर अनाधिकृत रूप से भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप कुमार गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद-आजमगढ़, तहसील फूलपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा माहुल निवासी श्री राम दुलार (अनु0जाति0) की जमीन गाटा सं0-827 रकबा

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

150 कड़ी पर कुछ दबंग लोगो द्वारा कब्जा किया जा रहा है जबकि सिविल जज आजमगढ़ के यहां से इनके पक्ष में आदेश पारित है। कब्जा करने वाले लोग भू-माफिया हैं जो कब्जा कर जमीन अन्य लोगों को बेचने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा भू-माफिया के प्रलोभन में कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने यह अवगत कराया है कि मामले की जांच उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, फूलपुर से जांच करायी गई। जांचोंपरान्त यह पाया गया कि ग्राम सभा माहुल में साबिक नम्बर 933 का कुल क्षेत्रफल 0.530 कड़ी है, जिसमें से 0.150 कड़ी बंजर भूमि के खाते में है तथा 0.380 कड़ी भूमिधरी के रूप में दर्ज है। इसी बंजर भूमि को दिनांक 02-05-1981 को रामदुलार पुत्र रमेशर, कलावती पत्नी रामकिशोर एवं रामलगन पुत्र सुन्दर को 50-50 कड़ी कुल रकबा 0.150 कड़ी आवासीय आबंटन चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हुआ और तीनों आबंटीगण तभी से घर बनाकर वहां काबिज हैं। चकबन्दी प्रक्रिया के अनुसार दो भूखण्ड जिनका हाल नम्बर 827 रकबा 0.150 कड़ी तथा गाटा नम्बर 828 रकबा 0.38 कड़ी सृजित हुए। तत्पश्चात चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार भू-चित्र में अंकित उपरोक्त दोनों भूखंड संख्या की विभाजन रेखा को समाप्त करके इन्हें एकजाई कर दिया गया जो साविक नम्बर 933 से सृजित हैं। इस प्रकार आबंटीगण पूर्व में आवंटित अपने भूखण्ड पर कब्जा किये हुए हैं तथा इन्हें इसके अतिरिक्त आस-पास की अन्य कोई भूमि आवंटित नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना में आवेदक को आवंटित भूमि पर किसी भू-माफिया द्वारा कब्जा किये जाने के तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं और न ही वहां कोई शान्ति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। फिर भी मौके पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन सांय 06 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊः

दिनांक 20 अगस्त, 2008

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-102 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(अधिष्ठान-2क, अनुभाग)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

संख्या : एम0 223/ई-2क/गंडक/जांच, लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2007

विषय :-ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत एक स्थान पर पिछले 10 से 15 वर्षों से अधिक समय से वा करने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में।

अधीक्षण अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ सिं0 वि0, उ0 प्र0, लखनऊ

कृपया उपरोक्त विषयक से सम्बन्धित निम्नलिखित शिकायतकर्ता के पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इनके पत्रों पर नियमानुसार जांच कराकर जांच आख्या अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

1-श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, विधायक के पत्र दिनांक 14-9-2008 एवं पत्र दिनांक 18-8-2007।

2-श्री राधेश्याम सिंह "किसान नेता" भूतपूर्व विधायक के पत्र दि0 14-9-07।

3-श्री सुरेश कुमार, अध्यक्ष (बहुजन समाज पार्टी) के पत्र दि0 14-9-2007।

4-श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य, विधान सभा 179, रामकोला, जनपद कुशीनगर के पत्र दिनांक 14-9-2007।

5-श्री राधेश्याम सेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासभा के पत्र दिनांक 5-8-2007।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

ह0/-(गया प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधि0 (ई-2क)
कृते प्रमुख अभियन्ता सिं0 वि0

ओ0 पी0 श्रीवास्तव अ0शा0पत्रांक : 1550/अविप्र/एच-213/जीसी(गण्डक)213

अधिशासी अभियन्ता (अविप्र)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ट)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश
लखनऊ : दिनांक 02 जून, 08

विषय :-ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 10-15 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात कतिपय 5 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत।

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासकीय पत्रांक : 464सिम/07-27-सिं0-7-23(134)/07. दिनांक 11-10-07 का अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि प्रकरण में मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिं0वि0, गोरखपुर से आख्या मांगी गई, जिसके परिपेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता (गण्डक) ने अपने पत्रांक : 1946/मुअगो/जांच, दिनांक 19-03-08 तथा पत्रांक : काप्र-2158/मुअगो/जांच, दिनांक 14-05-08 द्वारा आख्या उपलब्ध कराई है। इस सम्बन्ध में उक्त जांच आख्या मूल रूप मे संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा हुई है कि जांच आख्या से मुख्य अभियन्ता (नियोजन), सिं0वि0, उ0 प्र0, लखनऊ सहमत है। प्रकरण पर शासन विचार कर निर्णय लेना चाहें।

सादर।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

सुश्री कमलिनी श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
सिंचाई अनुभाग-7,
उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ।

भवदीय,

ह0/-(ओ0 पी0 श्रीवास्तव)

पत्रांक : 1550(1)अविप्र/तद्दिनांक

प्रतिलिपि वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) सिं0वि0, लखनऊ को उनके पत्रांक जी-228/ई-2क, दिनांक 12-05-08 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/-(ओ0 पी0 श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता (अविप्र)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई

मा0 मुख्य मंत्री जी संदर्भ

सूची संख्या 131, सूची क्रमांक-119, कम्प्यूटर कोड संख्या-10170324

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (गण्डक)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

गोरखपुर

पत्रांक 1946/मुअगो/जांच दिनांक 19 मार्च, 2008

विषय :- ड्रेनेज खण्ड, **गोरखपुर, सिंचाई विभाग,** उ0 प्र0 में 10-15 वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात कतिपय 5 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध शिकायत।

(सूची संख्या **131, सूची** क्रमांक-119, कम्प्यूटर कोड संख्या-10170324)

अधीक्षण अभियन्ता **(भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग,** उ0 प्र0 लखनऊ

उपर्युक्त विषयक **अपने अ0शा0पत्र संख्या 3191/प्रविप्र/जीसी**(गण्डक)/213, दिनांक 16-11-2007 का **संदर्भ ग्रहण करें,** जिसके द्वारा ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 में 10-15 **वर्षों से एक ही स्थान पर** तैनात कतिपय 5 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध की गयी शिकायत पर जांच कराकर तथ्यात्मक जांच आख्या संस्तुति सहित 7 दिवस के अन्दर प्रेषित किये जाने की वांछना की गयी थी।

प्राप्त शिकायती पत्रों पर की गयी शिकायत के आधार पर इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या अं0/7409/मुअगो/जांच, दिनांक 28-11-2007 द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया को (पदेन) जांच अधिकारी नामित किया गया था।

अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया **(पदेन जांच अधिकारी) के अ0शा0पत्र संख्या** सी-327/ड्रेमब/दिनांक 10-3-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित जांच आख्या के **आधार** पर इस कार्यालय की आख्या निम्नानुसार है :--

शिकायतकर्ताओं की शिकायत-

श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह मा0 विधायक के पत्र दिनांक 14-9-2007 एवं 18-8-2007, श्री राधेश्याम सिंह, किसान नेता भूतपूर्व विधायक के पत्र दिनांक 14-9-2007, श्री सुरेश कुमार, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के पत्र दिनांक 14-9-2007, श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य, विधान सभा 179 रामकोला, जनपद कुशीनगर के पत्र दिनांक 14-9-2007 में निम्न अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध निम्न बिन्दुओं पर शिकायत की गयी है :--

(1) श्री अमर नाथ श्रीवास्तव, (2) श्री श्याम बहादुर सिंह, (3) श्री रामशंकर मिश्र, (4) श्री सूर्य नाथ पाण्डेय (5) श्री विनोद कुमार गुप्ता।

शिकायती बिन्दु संख्या-1

उक्त अवर अभियन्ता, (सिविल) ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर सिंचाई विभाग उ0 प्र0 के अन्तर्गत पिछले लगभग 10-15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

आख्या-

जांच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के पृष्ठ-3 के अनुसार ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर में विभिन्न चरणों में कार्यरत रहने की कुल अवधि निम्नानुसार है :--

क्रमांक	अवर अभियन्ता (सिविल) का नाम	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर में कार्यरत रहने की अवधि		ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर में कार्यरत रहने की कुल अवधि दिनांक 29-2-08 तक
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5
1	श्री अमर नाथ श्रीवास्तव	08-08-81	08-09-89	11 वर्ष 5 माह
		15-10-04	अब तक	
2	श्री श्याम बहादुर सिंह	27-05-2000	अब तक	7 वर्ष 9 माह
3	श्री राम शंकर मिश्र	02-06-88	15-06-92	15 वर्ष 10 माह
		29-06-95	30-04-03	
		22-02-04	अब तक	
4	श्री सूर्य नाथ पाण्डेय	01-04-04	अब तक	3 वर्ष 10 माह
5	श्री विनोद कुमार गुप्ता	12-05-98	अब तक	9 वर्ष 9 माह

शिकायती बिन्दु संख्या-2

महानगर में बहुमंजली आवास बनाकर विलासता पूर्वक जीवन जी रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

आख्या-

शिकायत सामान्य रूप से की गयी हैं किसी विशिष्ट बहुमंजली आवास का पता अंकित नहीं है एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित किसी विशिष्ट प्रकरण का उल्लेख नहीं है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में उल्लेख किया है कि सिंचाई विभाग में सम्पत्तियों (भवनों) के मूल्यांकन हेतु कोई गाइड लाइन निर्गत नहीं हैं अतः इस बिन्दु पर आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है।

शिकायती बिन्दु संख्या-3

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई भी कर्मचारी एक स्थान पर 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत नहीं रह सकता।

आख्या :-

मा0 उच्च न्यायालय के उल्लिखित आदेश की प्रति शिकायती-पत्र में संलग्न नहीं है।

शासनादेश संख्या 1/396-का-4-2007, दिनांक 24-5-2007 तथा शासनादेश संख्या 1/3-97-का-4-2007, दिनांक 28-6-2007 तथा शासनादेश संख्या 1/3-96-का-4-2007, दिनांक 18-7-2007 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2007-08 के लिये नीति निर्गत की गयी हैं अवर अभियन्ता समूह "ग" के कर्मचारी हैं एवं अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरणों सम्बन्धी प्रकरणों पर कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 के स्तर पर की जाती है। आख्या इस स्तर से दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राधेश्याम सेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासंघ के शिकायती-पत्र दिनांक 6-8-2007 में उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या-

श्री राधेश्याम सेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासंघ ने अपने शिकायती-पत्र में 13 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध उपरोक्त बिन्दुओं पर ही शिकायत की है। शिकायतकर्ता द्वारा उन 13 अवर अभियन्ताओं के नामों का उल्लेख नहीं किया है, जिसके विरुद्ध शिकायत है। शिकायतकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा शिकायत की पुष्टि हेतु भेजे गये पत्र के संदर्भ में शिकायत की पुष्टि भी शिकायतकर्ता द्वारा नहीं की गयी है। चूंकि शिकायती बिन्दु उपरोक्तानुसार ही है। अतः उपरोक्त आख्या ही प्रश्नगत संदर्भ में भी प्रेषित है।

संलग्नक-यथोक्त।

ह0/ (बी0 पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (गण्डक)

पत्रांक /मुअगो/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-अनु सचिव, सिंचाई अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2-वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या एम-223/ई-2क/गण्डक/जांच, दिनांक 23-10-2007 के संदर्भ में जांच अधिकारी द्वारा प्रेषित जांच आख्या की प्रति सहित।

3-स्टाफ अधिकारी (प्र0अ0) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4-श्री रामनाथ शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, संगठन कार्यालय को मा0 मुख्य मंत्री जी की संदर्भित पत्रावली में संचय हेतु।

ह0/ (बी0 पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (गण्डक)

मुन्ना लाल
अधीक्षण, अभियन्ता

आ0शा0पत्रांक सी-327/ड्रे0म0ब0/
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
ड्रेनेज मण्डल, बलिया
दिनांकः बलिया, 10 मार्च, 2008

विषयः—ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर सिंचाई विभाग उ0प्र0 के अन्तर्गत एक स्थान पर पिछले 10-15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत होने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त अवर अभियन्ताओं के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर के अन्तर्गत एक स्थान पर लगभग 10-15 वर्षो से अधिक समय तक कार्यरत रहने एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त अवर अभियन्ताओं की जांच से सम्बन्धित कार्यालय ज्ञाप संख्या-का0प्र0 7409/मु0अ0गो0/दिनांक 28-11-2007 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अधीक्षण अभियन्ता ड्रेनेज मण्डल, बलिया को पदेन जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की वांछना की गयी है।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का अधीक्षण अभियन्ता (भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित पत्रांक एम-223/ई-2क/दिनांक 23-10-2007, पत्रांक जी-456/ई-2क/दिनांक 23-10-2007 एवं पत्रांक जी-494/दिनांक 02-11-2007 द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्रों पर आख्या निम्न प्रकार है :—

1-वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का अधीक्षण अभियन्ता (भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित पत्रांक 223/ई-2क/दिनांक 23-10-2007 पर आख्या।

उपरोक्त पत्र के साथ श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, मा0 विधायक के पत्र दिनांक 14-09-2007 एवं 16-09-2007, श्री राधेश्याम सिंह, किसान नेता, भूतपूर्व माननीय विधायक के पत्र दिनांक 14—09-2007, श्री सुरेन्द्र कुमार, अध्यक्ष (बहुजन समाज पार्टी) के पत्र दिनांक 14-09-2007, श्री यशवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य, विधान सभा-179, राक्षकोला जनपद-कुशीनगर के पत्र दिनांक 14-09-2007 एवं श्री राधेश्याम, सेहरा, रा0अध्यक्ष अखिल भारतीय महासंघ का पत्र दिनांक 06-08-2007 की प्रति संलग्न की गयी है।

मा0 जनप्रतिनिधियों के शिकायती-पत्रों पर आख्या निम्न प्रकार है।

1-मा0 विधायक श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह ने आयुक्त जन सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0, शासन, लखनऊ, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उ0प्र0, शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव, सिंचाई उ0प्र0, शासन, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता,

विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक शून्य/दिनांक 14-09-2007 एवं 18-08-2007, श्री राधेश्याम सिंह किसान नेता भूतपूर्व माननीय विधायक ने आयुक्त जन सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बन्धित, मा0 मुख्य मंत्री जी उ0प्र0 शासन, लखनऊ, मा0 सिंचाई मंत्री जी उ0प्र0, शासन, लखनऊ, प्रमुख सचिव (सिंचाई) उ0प्र0, शासन, लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक शून्य/दिनांक 14-09-2007।

श्री सुरेश कुमार, अध्यक्ष (बहुजन समाज पार्टी) विधान सभा क्षेत्र सहजनवा गोरखपुर ने आयुक्त जन सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0, शासन, लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक शून्य/दिनांक 14-09-2007, श्री यशवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य विधान सभा-179, रामकोला जनपद-कुशीनगर ने आयुक्त जन सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक शून्य/दिनांक 14-09-2007 में निम्नलिखित अवर अभियन्ताओं को ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर में पिछले लगभग 10-15 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर एक जनपद में कार्यरत रहने तथा महानगर में बहुमंजिली आवास बनाकर विलासिता पूर्वक जीवन जी रहें एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार कोई भी कर्मचारी एक स्थान पर 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत नहीं रह सकता है। अतः तत्काल इनका स्थानान्तरण करने की शिकायत की गयी है।

1-श्री अमरनाथ श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता (सिविल)

2-श्री श्याम बहादुर सिंह, अवर अभियन्ता (सिविल)

3-श्री रामशंकर मिश्र, अवर अभियन्ता (सिविल)

4-श्री सूर्यनाथ पाण्डेय, अवर अभियन्ता (सिविल)

5-श्री विनोद कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता (सिविल)

आख्याः—

शिकायती प्रकरण के जांच की कार्यवाही के निमित शिकायती-पत्र की पुष्टि हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-46/ड्रे0मंब0/दिनांक 14-01-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, मा0 विधायक, धूरियापार, कुशीनगर को पत्रांक सी-45/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 14-01-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री यशवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह सदस्य विधान सभा-179, रामकोला जनपद-कुशीनगर को एवं पत्रांक सी-44/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 14-01-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री राधेश्याम सिंह जी, किसान नेता, भूतपूर्व माननीय विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद-कुशीनगर को शिकायती-पत्र की पुष्टि के सम्बन्ध मे पत्र निर्गत किया

गया तथा पुनः क्रमशः इस कार्यालय के पत्रांक सी-100/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 28-01-2008 (छायाप्रति संलग्न), पत्रांक सी-98/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 28-01-2008 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्रांक सी-99/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 28-1-2008 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मा0 जनप्रतिनिधियों को शिकायती-पत्र की पुष्टि के सम्बन्ध में अनुस्मारक पत्र निर्गत किये गये परन्तु मा0 जनप्रतिनिधियों से पत्र की पुष्टि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं हो पाई है।

इस कार्यालय के अ0शा0पत्रांक सी-1246/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 04-12-2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर से शिकायती प्रकरण की जांच के परिपेक्ष्य में वांछित सूचेना/अभिलेख की वांछना की गयी। तदोपरान्त इस कार्यालय के अ0शा0पत्रांक सी-1271/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 15-12-2007 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्रांक सी-1289/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 18-12-2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर को अनुस्मारक-पत्र निर्गत किये गये।

अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर के पत्रांक 3859/ड्रे0ख0गो0/दिनांक 28-12-2007 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर अवर अभियन्ताओं के गोरखपुर में कार्यरत रहने की स्थिति निम्न प्रकार है :--

क्र0 सं0	अवर अभियंता का नाम	जनपद गोरखपुर में कार्यरत रहने की अवधि		कुल अवधि	कार्यरत खण्ड का नाम
		कब से	कब तक		
1	2	3	4	5	6
1	श्री अमरनाथ श्रीवास्तव	8.8.1981	8.9.1989	9 वर्ष 1 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
		9.11.1989	31.5.1995	6 वर्ष 6 माह	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर
		9.05.1997	4.09.2000	3 वर्ष 4 माह	बाढ़ खंण्ड, गोरखपुर
		30.6.2001	14.10.2004	3 वर्ष 6 माह	मु0अ0गंडक, गोरखपुर
		15.10.2004	अब तक।	3 वर्ष 5 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर.
2	श्री श्याम बहादुर सिंह	26.4.1984	22.5.1988	5 वर्ष 2 माह	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर
		27.5.2000	अब तक।	3 वर्ष 9 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर

1	2	3	4	5	6
3	श्री रामशंकर मिश्र.	1.08.1983	25.10.1986	4 वर्ष 2 माह	गंडक नहर नि0खण्ड, 15 गोरखपुर
		10.10.1987	1.06.1988	8 माह	सिंचाई खण्ड-1 गोरखपुर
		2.08.1988	15.06.1992	4 वर्ष	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
		29.6.1995	30.04.2003	8 वर्ष 10 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
		1.05.2003	0.09.2003	5 माह	सिंचाई खण्ड, गोरखपुर
		6.09.2003	15.01.2004	4 माह	बाढ़ खण्ड, गोरखपुर
		6.01.2004	21.02.2004	2 माह	सिंचाई खण्ड, गोरखपुर
		22.02.2004	अब तक।	5 वर्ष 2 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
4	श्री सूर्यनाथ पाण्डेय	5.07.1990	5/1993	3 वर्ष 5 माह	सिंचाई खण्ड-2 महाराजगंज
		8.04.1997	31.05.1999	3 वर्ष 1 माह	अनु0 एवं नियो0 बाढ़ खण्ड, गोरखपुर
		1,04,2004	अब तक।	3 वर्ष 10 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर
5	श्री विनोद कुमार गुप्ता	12.05.1998	अब तक।	9 वर्ष 9 माह	ड्रेनेज खण्ड, गोरखपुर

2-शिकायत की गयी है कि महानगर, गोरखपुर में बहुमंजिली आवास बनाकर विलासिता पूर्वक जीवन जी रहे एवं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

आख्या:--

सिंचाई विभाग में सम्पत्ति के मूल्यांकन हेतु कोई गाईड लाइन्स निर्गत नहीं है। अतः सम्पत्ति का मूल्यांकन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाना व्यवहारिक नहीं है।

3-शिकायत की गयी है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार कोई भी कर्मचारी एक जगह पर 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत नहीं रह सकता। तत्काल स्थानान्तरण किया जाय।

आख्या:--

मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा अवर अभियन्ताओं के स्थानान्रण की, की गयी शिकायत पर आख्या क्रमांक-1 पर अंकित विवरण में दिया जा चुका है। स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विभाग विचार करना चाहें।

श्री राधेश्याम सेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय महासंघ का मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित, मा0 सिंचाई मंत्री जी एवं प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उ0प्र0,- लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक मेमों दिनांक 05-08-2007 के क्रम में शिकायतकर्ता से शिकायती-पत्र की पुष्टि नहीं हो पाई है। अतः पुष्टि हो जाने के उपरान्त अलग से आख्या प्रेषित की जायेगी।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक एम-223/ई-2क/दिनांक 23-10-2007 के साथ संलग्न श्री राधेश्याम सेहरा का मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सम्बोधित, श्री नसीमुद्धीन सिद्धीकी मा0 सिंचाई मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ एवं प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित पत्रांक शून्य दिनांक 05-08-2007 के क्रम में शिकायतकर्ता से शिकायती-पत्र की पुष्टि न होने के कारण आख्या भेजा जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। पुष्टि होने पर आख्या भेजा जाना प्रस्तावित है।

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक जी-494/ई-2क/दिनांक 02-11-2007 जिसके साथ श्री राधेश्याम सिंह, किसान नेता भूतपूर्व मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद-कुशीनगर के पत्र दिनांक 14-09-2007 श्री यशवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य, विधान सभा-179, रामकोला जनपद-कुशीनगर के पत्र दिनांक 14-09-2007 एवं श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, मा0 विधायक के पत्र दिनांक 18-8-2007 एवं पत्र दिनांक 14-09-2007 का आयुक्त, जन सूचना आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, मा0 सिंचाई मंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ, प्रमुख अभियन्ता विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पृष्ठांकित शिकायती-पत्र पर आख्या वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (ई-2क) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक एम-223/ई-2क/दिनांक 23-10-2007 के क्रम में क्रमांक-1 पर उल्लिखित है।

शिकायत न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 श्री राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह धूरियापार, कुर्शानगर, श्री यशवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, सदस्य, विधान सभा-179, रामकोला जनपद-कुर्शानगर, श्री राधेश्याम सिंह, किसान नेता भूतपूर्व मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद-कुर्शानगर का पत्र की छाया प्रतियां संलग्न है, के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया था कि उनके द्वारा कोई शिकायत नहीं की गयी, शिकायत न किये जाने से सम्बन्धित निर्गत पत्रों की पुष्टि हेतु इस कार्यालय के पत्रांक सी-46/ड्रे0मं0ब0/पत्रांक सी-45/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 14-1-2008 एवं पत्रांक सी-44/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 14-01-2008 द्वारा अनुरोध किया गया। तथा अनुस्मारक पत्र क्रमशः पत्रांक सी-100/ड्रे0मं0ब0/ दिनांक 28-01-2008, पत्रांक सी-98/ड्रे0मं0ब0/दिनांक 28-01-2008, एवं पत्रांक सी-99/ड्रे0मं0ब0/ दिनांक 28-01-2008 (छाया प्रतियां संलग्न) निर्गत किये गये। परन्तु मा0 जनप्रतिनिधियों से पत्र की पुष्टि से सम्बन्धित कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

श्री बी0 पी0 सिंह
मुख्य अभियन्ता (गण्डक),
सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 गोरखपुर।

भवदीय,

ह0/ (मुन्ना लाल)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 168 विधान सभा (282)-17-11-08-813 प्रतियां।